

महावीर का जीवन संदेश

युग के सम्दर्भ में

[जैन धर्म एते जैन समाज सम्बन्धित लेखों का संग्रह]

.

लेखक

काका साहेब कालेलकर

.

भूमिका

कवि उपाध्याय अमरमुनि

.

प्रकाशक

राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान,

जयपुर

प्रकाशक :

देवेन्द्रराज मेहता

सचिव

राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान

जयपुर-३०२ ००३

•

प्रथमावृत्ति सन् १९८२

•

मूल्य २०.००

•

प्राप्ति स्थान

राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान

यति श्यामलालजी का उपाध्य

मोतीसिंह भोमियो का रास्ता,

जयपुर-३०२ ००३ (राज०)

•

मुद्रक

अजन्ता प्रिन्टर्स

धी वालो का रास्ता,

जयपुर-३०२ ००३

**श्रमण भगवान् महावीर
के
चरण-कमलों में
सादर समर्पित**

प्रकाशकीय

स्वर्गीय आचार्य काका कालेलकर साहब देश के प्रमुख मौलिक विचारक थे। गाँधी दर्शन उनका विशिष्ट क्षेत्र रहा। अन्य विषय पर भी उन्होंने लिखा। जैन दर्शन भी उनका प्रिय विषय रहा है। भगवान् महावीर और जैन दर्शन पर उन्होंने कई लेख लिखे। जिनमे से कुछ लेख समय-समय पर सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए व कुछ अप्रकाशित रहे। इन सब का सकलन इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। पुस्तक की विशेषता यह है। कि इसमें उनकी वैचारिक-स्वतन्त्रता, सैद्धान्तिक-अडिगता, स्पष्टवादिता व समन्वयवादिता स्पष्टतः झलकती है। यह सम्भव है कि परम्परागत विचारों से उनका मतभेद कई बिन्दुओं पर रहा हो, पर जैसे उन्होंने लिखा, उन्हीं तरह उनके लेख प्रस्तुत किये गये। यह आवश्यक नहीं कि उनके विचार एव इस संस्थान के विचार पूर्णरूपेण मेल खाए। पर इस संस्थान की नीति कि, वैचारिक स्वतन्त्रता एव स्पष्टवादिता का सम्मान किया जाय, के सन्दर्भ में उनके विचार ज्यों के त्यों प्रस्तुत किये गये हैं।

आचार्य श्री काका साहब का पार्थिव शरीर अब हमारे बीच नहीं है, पर इस अवसर पर हम उनके प्रति आदरपूर्वक भावभीनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं।

पुस्तक की पाण्डुलिपि उपलब्ध कराने में बहिन सरोजिनी नानावती, बहिन कुसुम शाह का विशेष योगदान रहा। श्री गुलाबचन्दजी साहब जैन, दरियागज दिल्ली ने उन्हें प्राकृत भारती का परिचय दिया और पाण्डुलिपि प्राप्त कराने के लिये विशेष प्रयास किया। यह संस्था दोनों के प्रति आभार प्रकट करती है।

राष्ट्र सन्त कवि उपाध्यायश्री अमरमुनिजी महाराज साहब ने मीन और ध्यानावस्था में सलग्न रहते हुये भी इसकी प्रस्तावना लिखी है इसके लिये संस्थान उनके प्रति हृदय से श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करती है। महोपाध्याय श्री विनयसागरजी साहब संयुक्त सचिव

राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान एव श्री ओकारलालजी मेनारिया ने पुस्तक के प्रकाशन मे अपना अमूल्य समय व सहयोग दिया, उसके लिये भी सस्था उनके प्रति आभार व्यक्त करती है ।

श्री जितेन्द्र सधी, अजन्ता प्रिन्टर्स ने इस पुस्तक का मुद्रण किया उसके लिये भी सस्थान उनके प्रति आभार प्रकट करता है ।

17 अक्टोबर, 1982

देवेन्द्रराज मेहता
सचिव
राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान
जयपुर

प्रस्तावना

साहित्यकार साहित्य का वह महतो महीयान् देवतात्मा हिमगिरि है, जिसके अन्तस्तल से जनमन को पावन करने वाली साहित्यिक भावधारा प्रवाहित होती है। अन्तस्तत्व का साहित्यकार, लिखने के लिए नहीं लिखता। वह लिखता है सत्य के साक्षात्कृत ज्ञानसागर में सहज रूप से उच्छलित उदात्त भावतरंगों को जनहित में शब्दबद्ध करने के लिए। यह लेखन, उसकी अपने में अनिवार्यता है। सत्य का बोधामृत ज्योंही अनुभूतिगम्य होता है, त्योंही उसे वह जनकल्याणी भावना से जन-जन में मुक्तभाव से वितरण करने के लिए आकुल हो उठता है। साहित्य शब्द का निर्वचन है—“सहितस्य भाव साहित्यम्।” उक्त निश्क्ति में जो ‘हित’ मुखरित है, वही सार्वजनीन सर्वमगल हित है, जो तत्त्वदर्शी साथ ही उदारमना एव करुणामूर्ति साहित्यकारों को साहित्य-लेखन में प्रवृत्त करता है। यही वह साहित्य है, जो काल के तीव्रगति से बहते प्रवाह में भी चिरस्थायी रहता है, और रहना है हरक्षण ताजा। वह जो ही अकालमृत्यु नहीं पा जाता, बासी नहीं हो जाता कि आज बना और कल मुर्दाघाट में या रही की टोकरी में।

प्रज्ञापुरुष, विद्वद्वरेण्य श्री काका साहेब यथार्थ में उपरि वर्णित महत्तम कोटि के साहित्यकार हैं। उनका साहित्य न किसी सम्प्रदाय एव मतविशेष की रूढ मान्यताओं पर आधारित होता है और न किन्हीं पूर्वाग्रहों से प्रभावित। उनके साहित्य का मूल स्वानुभूति सत्य पर प्रतिष्ठित है। उनका सत्य केवल भाषा का सत्य ही नहीं, उनके स्वयं के शब्दों में जीवन सस्कृति की बुनियाद है। सत्य से भिन्न कोई धर्म ही नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान महावीर का सत्य के सम्बन्ध में एक बोधवचन है ‘सच्च खु भगव’¹—सत्य ही भगवान है। और, इसी अमर दिव्यध्वनि से मुखरित सत एकनाथ का वचन उद्धृत करते हुए काका साहेब ने कहा है—‘सत्य ही परब्रह्म है’—‘सत्य तेचि परब्रह्म।’ जिसके अन्तश्चेतना में सत्य के प्रति इतना प्रगाढ समर्पण हो, उसके विचार और व्यवहार में सर्वत्र सत्य का अपराजित स्वर अनुगुजित रहता है। यही

कागण है कि काका साहेब के हर लेखन और भषण में प्राणवत्ता एवं तेज-स्विता के दर्शन होते हैं। लगभग पचास वर्षों से मेरा उनसे परिचय रहा है। इन वर्षों में अनेक बार स्नेह-स्निग्ध मिलन हुआ है और साथ ही मुक्त मन से विचार विनिमय भी। मैंने हर विचार-चर्चा में उन्हें खुले मन का वह सत्य-साधक देखा है, जो अपने प्रतिभासित सत्य के प्रति मन, वचन एवं कर्म से पूरी तरह वफादार है। उसके प्रतिपादन में, हाँ या ना कहने में उन्हें न कहीं कोई सकोच है, न झिझक है और न घुमाव-फिराव है। जो भी बात है, बेलाग और बेदाग। सत्य के प्रति समर्पित ऐसे महान् मनीषी हर युग में दुर्लभ रहे हैं और रहेंगे। काका साहेब इस युग के ऐसे ही दुर्लभ मनीषियों में से एक स्वनामधन्य मनीषी थे।

काका साहेब की प्रस्तुत पुस्तक उनकी इसी उपरि चर्चित गरिमा के अनुरूप है। यह एक समग्र पुस्तक है। इसमें भगवान महावीर, उनके जीवन सन्देश, जैन धर्म, जैन यात्रा स्थल, ग्रहिसा, अनेकान्त, अपरिग्रह एवं मानवता आदि बहुविध विषय से सम्बन्धित निबन्धों तथा प्रवचनों का महत्त्वपूर्ण सन्कलन है। प्रायः प्रत्येक विषय पर काका साहेब का गहरा तलस्पर्शी चिन्तन है, जो पाठक के अन्तर्मन को काफी गहराई तक छू जाता है। उनके बोल अन्तर्हृदय के बोल हैं, अन्तर्हृदय की बात हृदय में अनायास पैठ जाती है।

भगवान महावीर और उनके दिव्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन करते समय लगता है कि काका साहेब उन्हीं की निकट परम्परा के अनुयायी हैं। महावीर को वे परमगुरु, ग्रहिसा की दिव्यमूर्ति एवं समन्वय दृष्टि के रूप में यथाप्रमग श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में ही एक जगह काका ने लिखा है “ऐसे जो इने गिने मृत्यु जय महापुरुष हो गए हैं, उनमें महावीर का स्थान अनोखा है।^१ अनोखा का अर्थ है—अनूठा अर्थात् अनुपम। इस पर से स्पष्ट है कि महावीर से और उनके लोकमगल दिव्य धर्म-मन्देशों से वे कितने अधिक प्रभावित हैं।

जैन धर्म और दर्शन के प्रति भी उनकी आस्था सहज श्रद्धा से अनु-प्राणित है। जैनत्व किन्तुमें ऊँचे आदर्श की स्थिति है, यह उन्हीं के शब्दों में देखिए। जैन और जैनर की भेदरेखा खींचते हुए उदारमना काका साहेब ने लिखा है—“जो मनुष्य केवल आत्मा के प्रति सच्चा है, आत्मा की उन्नति के लिए ही जीना है, अनात्मा के मोहजाल में नहीं फँसता है, वही जैन है।

बाकी के सब लोग जैकेसर हैं।" जैनत्व की कितनी उदात्त एव उच्चस्तरीय व्याख्या है। यह जैनत्व की वह व्यापक व्याख्या है, जिसमें धर्म के रूप में प्रचारित जीवन के सभी उच्च आदर्श समाहित हो जाते हैं, जिनसे कभी भी, कहीं भी किसी का विरोध नहीं हो सकता। इन्हीं भावनात्मक क्षणों में उन्हीं ने एक बार मुझ से कहा था—“मैं आज का साम्प्रदायिक जैन तो नहीं, परन्तु महावीर का अनुयायी शुद्ध जैन अवश्य हूँ।” काश, यह दृष्टि मानवमात्र को मिल जाए, तो धरती पर पारस्परिक सौहार्द भावना के प्रकाश में सर्वतोमुखी मंगल कल्याण का एक अखण्ड विश्वराज्य स्थापित हो जाए।

आजकल यत्र तत्र विश्वधर्म की काफी लम्बी चौड़ी चर्चाएँ होती हैं। प्रत्येक धर्म-परम्परा का पक्षधर अपने साम्प्रदायिक धर्म को विश्वधर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने की धुन में है। मैं और मेरा धर्म ही सर्वोत्कृष्ट, अन्य सब निकृष्ट, यह है आज का मानसिक द्वन्द्व, जो यदा कदा तन की मारा मारी के रूप में भी अन्तरित हो जाता है। धर्म के पवित्र नाम पर घात, प्रतिघात और रक्तपात की एक ऐसी दीर्घाति-दीर्घ परम्परा बन जाती है, जो खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। इस सन्दर्भ में तत्त्वदर्शी काका साहेब ने “महावीर का विश्वधर्म” शीर्षक से जो विचार प्रकट किए हैं, यदि उन पर यत्किञ्चित् भी ध्यान दिया जाए तो मानव-जाति की जीवन-यात्रा पूर्णरूपेण मंगलमय हो सकती है। महावीर के अहिंसा धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करते हुए काका कहते हैं कि—“स्याद्वादरूपी बौद्धिक अहिंसा, जीवदयारूपी नैतिक अहिंसा और तपस्यारूपी आत्मिक अहिंसा (भोग यानि आत्म-हत्या—आत्मा की हिंसा, तप यानि आत्मा की रक्षा—आत्मा की अहिंसा) ऐसी त्रिविध अहिंसा को जो धारण कर सकता है, वही विश्व धर्म हो सकता है। वही अकुतोभय विचार सकता है ऊपर बताई हुई प्रस्थानत्रयी के साथ ही व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन-यात्रा हो सकती है। आत्मा की खोज में यही पाथेय काम आने योग्य है।”

अहिंसा के सम्बन्ध में काका का विश्लेषण एव विवेचन काफी गहरा है, साथ ही व्यापक भी। कुछ धर्म-परम्पराओं में अहिंसा मिमट कर बहुत छोटे-से क्षुद्र घेरे में आबद्ध हो गई है। अमृत दिन अमृत माग-सबजी न खाना, कन्दमूल तथा बहुबीज वनस्पति का त्याग करना, कीड़े-मकोड़ों की प्रयाग्राध्य रक्षा करना—कुछ ऐसे ही विधि-निषेध के विकल्प हैं, जिनमें हिंसा और अहिंसा

का विचार तथा आचार अटक कर रह गया है। उक्त सूक्ष्म अहिंसा का विचार-व्यवहार भी अयुक्त नहीं है। परन्तु काका साहेब इस पर जो कटाक्ष जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ कुछ और है। काका की दृष्टि जनजीवन पर सब ओर व्यापक रूप में जल रहे हिंसा के दावानल पर है, जिस में मानव-जाति की मानवता का शिवत्व ही अनियन्त्रित गति से भस्म होता जा रहा है। आप सब देख रहे हैं, आज क्या स्थिति है, देवदुर्लभ कहे जाने वाले पवित्र मानवीय जीवन की। आये दिन हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख आदि साम्प्रदायिक धर्मों के नाम पर मानव का रक्त बह जाता है,—उच्च और निम्न वर्ण के जातीय सघर्ष में निर्दोष नर नारी मौत के शिकार हो जाते हैं। वैज्ञानिक एवं चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षण, खाद्य समस्या का समाधान, विलास एवं सौन्दर्य-सामग्री का निर्माण तथा देवी-देवताओं को बलिदान आदि के रूप में मूक पशु-पक्षियों तथा जलचर आदि पर जो क्रूरतापूर्ण हत्याकाण्ड के कार्य हो रहे हैं, वे कितने भयकर हृदयप्रकम्प है, कुछ पूछिए नहीं। दहेज आदि के रीति-रिवाजों पर नारी-जाति पर क्रूर अत्याचार हो रहे हैं—बलात्कार ही नहीं मामूहिक बलात्कार जैसे नृशस अपकर्म भी कम नहीं है। आर्थिक शोषण, युद्ध, विग्रह, कालाबाजार और तस्करी आदि की हिंसा का ताण्डव-नृत्य अलग ही अपनी विभीषिका दिखा रहा है। अपराधकर्मियों द्वारा खुले आम हत्या, लूटमार, छीना-झपटी आदि के कुकृत्यों का अभिशाप अपनी चरम-सीमा पर पहुँच रहा है। सब ओर भय व्याप्त है। कहीं भी मनुष्य का जीवन और मान-मर्यादा सुरक्षित नहीं है। “जीवन व्यापी अहिंसा और जैन समाज” शीर्षक से काका साहेब इमी और सकेन करते हैं। स्पष्ट है जब तक हम सब ओर फैल रही उक्त व्यापक हिंसा का प्रतिरोध न करेंगे, व्यापक स्तर पर अहिंसा एवं मैत्री का प्रचार-प्रसार न करेंगे, तब तक मानव न अपना आध्यात्मिक विकास कस पाएगा और न सामाजिक मंगल और कल्याण। प्रस्तुत संग्रह में काका के अहिंसा से सम्बन्धित विचार पक्षमुक्त भाव से मननीय हैं, मननीय ही नहीं सर्वात्मभाव में जीवन में अवतारणीय हैं। इसके अनिर्गुण दूसरा कोई पथ नहीं है मानव-जाति के अभ्युदय एवं निश्चेयस् का।

प्रस्तावना का अक्षरदेह लवा होता जा रहा है। विचार क्रान्ति के मूत्रधार काका साहेब के एक-एक विचार-चिन्तन पर बहुत कुछ कथ्य है, परन्तु

उसके लिए मैं जिज्ञासु पाठकों को प्रस्तावना की सीमा में अधिक देर तक रोके रखना उचित नहीं समझता। पाठक स्वयं पुस्तक में उनके विचारों से सीधा संपर्क करेंगे और यथाप्रसंग मन में उद्भूत होती जिज्ञासाओं तथा शंकाओं का प्रामाणिक समाधान पाएँगे। पुस्तक क्या है, काकाजी के विचारों का पुण्यकलश है। इसमें सब कुछ नहीं, तो प्रेमी पाठक, बहुत कुछ तो पा ही सकेंगे।

पुस्तक की विचारधारा के कुछ अंश ऐसे भी हैं, जो अमुक मनोवृत्ति के पाठकों को सभवतः पसन्द न भी आएँ। यह कोई नयी बात नहीं है। सभी बातें सभी को पसन्द आएँ, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा तो पुरातन युग के भगवान या भगवत्कल्प कहे जाने वाले महापुरुषों के सम्बन्ध में भी घटित नहीं हुआ है। अतः अपने जीवन-निर्माण के अनुरूप जितना भी जो भी विचार पसन्द आए, उपादेय लगे, पाठक, उसे ही समादर के भाव से अपनाएँ और अपनी जीवन-यात्रा को सही दिशा दे।

सम्प्रदाय-निरपेक्ष विचार धारा की पुस्तकें साम्प्रदायिक संस्थानों से कैसे प्रकाशन पा सकती हैं। मैं प्राकृत भारती (जयपुर) के सचालक श्री देवेन्द्रराज जी को साधुवाद दूंगा कि उन्हें ने सत्साहस किया और काका साहेब के विचारोत्तेजक निबन्ध एवं प्रवचन जिज्ञासु जनता के समक्ष आ सके।

मैं इधर निकट भविष्य में (शरद् पूर्णिमा 1 नवंबर 82) जीवन के अस्सीवें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। अतः आन्तरिक मानसिकता के अनुरूप मेरा अधिकतर समय स्वाध्याय, ध्यान, समाधि में ही गुजर रहा है। अब भी एक मास से ऊपर का दीर्घ मौन चालू है। अतः लेखन आदि से प्रायः निवृत्ति ही है। फिर भी मेरे चिरपरिचित श्री गुलाबचन्द्र जैन का विशेष आग्रह और काका साहेब के प्रति सहज समादर कुछ ऐसा है कि अनवकाश में भी अवकाश के कुछ क्षण निकाल कर प्रस्तावना के रूप में कुछ अक्षर अंकित कर दिए गए हैं। अल्प में भी भूमा का आनन्द ले लिया है, और क्या ?

सभी शुभ आशंसाओं के साथ

वीरायतन

राजगृह (बिहार)

21 अक्तूबर, 1982

उपाध्याय अमर प्रताप

प्रकाशन का इतिहास

स्वर्गीय पूज्य आचार्य काका कानेरकर की पुस्तक 'महावीर का जीवन सन्देश युग के सन्दर्भ में' पाठको के समक्ष रखने में पहले इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व प्रयत्नों के सन्दर्भ में कुछ कहना आवश्यक है।

प्रस्तुत लेखों का सकलन काका साहब के जीवन काल में बहुत पहले ही तैयार हो चुका था और प्रकाशनार्थभा रतीय ज्ञानपीठ को सोप दिया गया था, किन्तु यह ज्ञानपीठ भगवान् महावीर की अहिंसा, अपरिग्रह व सत्य के विषय में काका साहब के स्वतन्त्र विचार और शोधपूर्ण दृष्टिकोण को अपने सकीर्ण दृष्टिकोण के कारण स्वीकार नहीं कर सका एवं कई वर्षों तक यह पाण्डुलिपि या ही पड़ी रही और अन्त में त्रिोंवाद बामन लौशा दी गई। पशवान् श्री राजकिशन जैन ट्रस्ट दिल्ली वा तो ने इसको प्रकाशनार्थ स्वीकार किया किन्तु यहाँ भी यह सकीर्ण वृत्ति का शिकार रही।

श्री डी आर मेहता, सचिव, राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान ने जब इस पाण्डुलिपि का परिचय दिया गया तो उनकी प्रबल उत्कठा रही कि यह पुस्तक संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाय। उनके अनुरोध को स्वीकार कर हमने प्रयत्न पूर्वक इस पुस्तक की पाण्डुलिपि को सकीर्ण दलदल की भूमिका से निकालकर श्री मेहता जी को प्रकाशनार्थ प्रदान की।

हम सब की यह अभिलाषा थी कि इस पुस्तक की भूमिका स्वनाम-धन्य काका साहब के चिर परिचित सहयोगी-साथी जैनागम वेत्ता तन्त्रावेत्तक पण्डित बेवरदास जीवराज दोमी से लिखवाई जाय। इसके लिये उनसे अनुरोध भी किया गया था जिसे उन्हें ने 93 वर्ष की वृद्धावस्था में भी स्वीकार कर लिया था, किन्तु दैव दुर्विपाक से अकस्मात् ही 12 अक्टूबर 1982 को अहमदाबाद में उनका स्वर्गवास हो गया।

ऐसी स्थिति में हमने पुस्तक की प्रस्तावना लेखक के विचार और उनके व्यवहार से अनुप्राणित गाँधीवादी से ही लिखवाना उपयुक्त समझा। इमतिने हम सब साथियों का यही विचार रहा कि अब पुस्तक की प्रस्तावना स्वर्गीय

काकाजी के चिरपरिचित और पण्डित बेचरदासजी के प्रिय विद्यार्थी, स्वतन्त्र चिन्तक, सत्यशोधक, राष्ट्रसत, कविवर उपाध्याय अमरमुनिजी से लिखवाई जावे। कवि श्री से लिखवाने का भार श्री गुलाबचन्द जी जैन, दिल्ली को सौंपा गया। श्री गुलाबचन्द जी वार्धक्य एव अस्वस्थ होते हुए भी स्वयं अपने पौत्र श्री अजितकुमार को साथ लेकर राजगृह गये और उपाध्याय श्री से प्रस्तावना के लिए निवेदन किया। उपाध्याय श्री ने मौन एव ध्यानावस्था में रहते हुए भी काकाजी की इस पुस्तक की महत्ता को स्वीकारते हुए प्रस्तावना लिखकर हम सब को अनुग्रहीत किया, एतदर्थ हम उनके हृदय से कृतज्ञ हैं।

राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान के सचिव श्री देवेन्द्रराजजी मेहता और संयुक्त सचिव जैन साहित्य मनीषी महोपाध्याय विनयसागरजी ने इसे प्रकाशित कर स्वतन्त्र चिन्तक के लिए पाथेय प्रदान किया, एतदर्थ हम इन दोनों के भी हृदय से आभारी हैं।

दिल्ली

23 अक्टूबर 1982

गुलाबचन्द जैन
सरोज नानावती
कुसुम शाह

लेखानुक्रमणिका

१. जैन स्थलो का दर्शन	1-32
1 महावीर की निर्वाणभूमि	3-7
2 अहिंसा की पृष्ठभूमि	8-16
3 अजितवीर्य बाहुबलि	17-32
2 जैन समाज से परिचय	33-54
1 जैन समाज के साथ मेरा परिचय	35-40
2 जैनेतर	41-44
3 हिन्दू की दृष्टि से जैनधर्म	45-50
4 समस्त हिन्दू	51-54
3. महावीर का जीवन सदेश	55-66
1 महावीर का विश्वधर्म	57-62
2. महावीर का जीवन सदेश	63-66
4 धर्म-संस्करण की आवश्यकता	67-92
1 धर्म-संस्करण	69-80
2 सुधारक धर्म में सुधार	81-92
5. धर्म-संस्करण का समाजशास्त्र	93-104
1 हम भूतपरस्त बनें या भविष्य के सर्जक ?	95-98
2 नया आध्यात्मिक समाजशास्त्र	99-101
3 परम्परा किसे कहे ?	102-103
6 स्याद्वाद की समन्वय शक्ति	105-136
1. नया समन्वय	107-110
2 त्रिवेणी समन्वय	111-114
3 समन्वयकारी जैन दर्शन	115-117

4. प्राण और सस्कारिता	118-120
5 धर्मों में श्रेष्ठ धार्मिकता	121-123
6 धर्म के प्रकार और नये धार्मिक प्रश्न	124-128
7 सर्वत्याग या सर्वस्वीकार	129-133
8 स्याद्वाद की समन्वय शक्ति	134-135
7. जैन धर्म और अहिंसा	137-154
1 जैन धर्म और अहिंसा	139-142
2 जीवनव्यापी अहिंसा और जैन समाज	143-146
3 अहिंसा का नया प्रस्थान	147-148
4 अहिंसा का वैज्ञानिक प्रस्थान	149-154
8 महामानव का साक्षात्कार	155-182
1 क्षमापन का दिन	157-162
2 धार्मिक व्यक्तिवाद	163-164
3 धर्मभावना का सवाल	165-174
4 महामानव का साक्षात्कार	175-182
9. उपसंहार	183-193
1. क्या जैन समाज धर्मनेज दिखायेगा ?	185-193



जैन स्थलों का दर्शन

महावीर की निर्वाणभूमि

•

अहिंसा की पुण्यभूमि

•

अजितवीर्य बाहुबलि

महावीर की निर्वाणभूमि

नालन्दा और राजगीर जाते समय हमें अचानक पावापुरी के दर्शन का लाभ हुआ। अरुंधती दर्शन-न्याय को उल्टा कर यदि बताना हो तो पावापुर बिहारशरीफ के पास है। बिहारशरीफ बख्त्यारपुर से बीस-पच्चीस मील दूर है। और बख्त्यारपुर बिहार की राजधानी बाँकीपुर-पटना से पूर्व की ओर मेन-लाइन पर है।

बख्त्यारपुर से राजगीर-कुण्ड तक जो रेलवे लाइन जाती है, वह मामूली है। ट्राम की तरह बैलगाडियों के रास्ते देहाती घरों की दो पक्तिओं के बीच से वह गुजरती है। देश-देशान्तर के जिज्ञासु यात्रियों के लिए ही मानो वह खास तौर पर बनायी गयी है।¹

बिहारशरीफ तक पहुँचते-पहुँचते हमारा दल काफी बढ गया था। अतः पाँच एकके किराये पर लेकर हम सवार हुए। इन एकको का आकार किस शताब्दि में तय किया गया होगा, ईश्वर जाने! खोज अवश्य की जानी चाहिये। इसमें कोई मन्देह नहीं कि मनुष्य की हड्डियाँ पूरी टूटने से पहले ही वह उन्हें मुकाम पर पहुँचा देते हैं। इस तरह के एकके या टमटम उत्तर भारत में सभी जगह पर दिखाई देते हैं। उन पर तीन-तीन चार-चार सवारियाँ बैठती हैं। इन एकको का बोझ हलका होने से इसमें शक नहीं कि घोड़ों को सुविधा होती है। शायद इन एकके के अनुभव की तुलना में पुराने लोगों ने पालकी को सुखवाहन का नाम दिया होगा।

आसपास का प्रदेश हरा-भरा और सुन्दर है। बीच-बीच में कई जगह छोटे-बड़े तालाब हैं। उन पर जमी हुई काई हरी नहीं होती, बल्कि लाल या अजीरी रंग की होती है। अतः दिखने में बहुत सुन्दर मालूम होती है। इस वनस्थली के नीचे पानी होगा इसकी कल्पना भी किसी अजनबी को न होगी।

हम करीब बारह बजे निकले थे। दो बजने पर पावापुरी के पास आ पहुँचे। पावापुरी के पाँच सुधाधवल मन्दिर दूर से ही मानो किसी सुन्दर

1 यह वर्णन सन् 1923 का है। आज पावापुर जाने के लिये काफी सुविधाएँ प्राप्त हैं।

बेल के समान दिखाई देते हैं। आसपास सभी जगह धान की खेती और बीच में मफेद मन्दिर। रास्ता गोल चक्कर काटकर हमें मन्दिरों की ओर ले जाता है।

ये पाँच मन्दिर हैं। इनमें एक ही मन्दिर प्राचीन माना जाता है। ये मन्दिर जैनियों के हैं। अतः उन्होंने प्राचीनता को कहीं भी टिकने नहीं दिया है। काफी रुपये खर्च करके प्राचीनता का नाश करना ही मानो इनका खास शौक है। पालीताणा की भी यही हालत हो गयी है। मिर्फ देलवाडे में ही उतनी मरम्मत होनी है जितनी पुरानी कारीगिरी को शोभा दे सके।

मुख्य मन्दिर एक सुन्दर तालाब में है। तालाब में कमलो की एक घटा लिपटी हुई है। पानी में मछलियाँ और जलसर्प अँगुड़ाई लेते हुए इधर-उधर घूमने दिखाई देते हैं। हम जब वहाँ गये, तालाब का पानी कुछ सूख गया था। अतः कमला की गरदन खुली पड़ी थी और बेचार पत्ते मान, सूखे पापड़ जैसे हो गये थे।

अमृतमग के स्वर्ण मन्दिर की तरह यहाँ पर भी मन्दिर में जाने के लिए एक पुल है। मन्दिरों का आकार नाटा पर प्रमाणशुद्ध है। गर्भगृह के आसपास चारों ओर लम्बे चौरम गुम्बज हैं। मन्दिर की यही विशेषता है। कलाकोविद लोग ऐसे गुम्बजों के आकार की काफी स्तुति करते हैं। आसपास के दूसरे मन्दिरों के शिखर ऊँचे हैं। शिखरों में कोई खास कला दिखाई नहीं देती। फिर भी दृष्टि पर उनका असर अच्छा पड़ता है।

इन मन्दिरों में जो मूर्तियाँ हैं वे असाधारण सुन्दर हैं। ध्यान के लिए ऐसी ही मूर्तियाँ होनी चाहिए। इन मूर्तियों की सुन्दरता को देख कर मैं उन्हें मोहक कहने जा रहा था। पर तुरन्त याद आया कि इनका ध्यान तो मोह को दूर करने के लिए ही किया जाता है। चित्त को एकाग्र करने की शक्ति इन मूर्तियों में अवश्य है।

इन मन्दिरों में पूजा वहाँ के ब्राह्मण ही करते हैं। जैन मन्दिरों में पूजा ब्राह्मण के हाथ हो। यह कुछ अजीब-सा लगा। फिर भी 'हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जिननन्दिरम्' कहने वाले ब्राह्मण—लोभलेटी क्यों न हो—इतने उदार हो सके इस बात का मतोष जरूर हुआ।

आज पावापुरी एक छोटा-सा देहात है। अहिंसा धर्म का प्रचार करने वाले महावीर जब यहाँ रहते थे तब उसका स्वरूप कैसा रहा होगा ?

हिन्दुस्तान के कई बड़े-बड़े नगर तो अब देहात हो चुके हैं और कई नगरों के तो नामोनिशाँ भी न रहे। अतः आज के देहात पर से प्राचीन पावापुरी की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्राचीन काल का यहाँ कोई अवशेष दिखायी नहीं देता। सिर्फ महावीर के महानिर्वाण का स्मरण इस स्थल से चिपका हुआ है इसीलिये श्रद्धा की दृष्टि ढाई हजार साल अतीत में जा सकती है और महावीर की क्षीण किन्तु तेजस्वी काया शान्त चित्त से शिष्यों को उपदेश दे रही है ऐसा एक चित्र आँखों के सामने खड़ा रह पाता है। इस ससार का परम रहस्य, जीवन का मार्ग, मोक्ष का पाथेय उनके मुखारविंद से जब झर रहा था, तब वह सुनने के लिये यहाँ कौन-कौन बैठे होंगे ? अपना शरीर अब गिरने वाला है यह जानकर उस शरीर का अंतिम कार्य—प्रसन्न गम्भीर उपदेश—अत्यन्त उत्कटता के साथ कर लेने में आखिरी सब क्षण काम में लेने वाले उम परम तपस्वी का आखिरी दर्शन किसने किया होगा ? और उनके उपदेश का आशय कितने लोग ठीक समझे होंगे ? दृष्टि के लिए भी अगोचर सूक्ष्म जीवा में लेकर कल्पना के लिए भी अगोचर अनन्त कोटि ब्रह्मांड तक मारी वस्तु जाति का कल्याण चाहने वाले उम अहिंसा मूर्ति का हार्द किमन जमा निया होगा ? मनुष्य अल्पज्ञ है। उसकी दृष्टि एक-देशी होती है, मकुचित हाथी है। इसलिये उसे संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। हर एक मनुष्य का मत्त्व एकांगी मत्त्व होता है। इसलिए दूसरे के अनुभव की आलोचना करने का उसे कोई अधिकार नहीं। वरन् अधर्म हो जाता है। जो बहकर स्वभाव में उत्तम मानव बुद्धि का नम्रता सिखाने वाले उस परमगुरु को उस दिन किसने वन्दन किया होगा ? इन शिष्यों के जीवन के बाद भी मानव जाति के लिए—हाँ समस्त मानव जाति के लिये यह उपदेश काम आयेगा इस तरह का खयाल उस पुण्यपुरुष के मन में क्या कभी आया होगा ?

यै मानता हूँ कि स्याद्वाद ने मानव-बुद्धि की एकांगिता को पहचान कर शास्त्रशुद्ध ढंग में उसे मानव-बुद्धि के सामने रख दिया है। खाम दृष्टि से देखने पर कोई चीज एक तरह की मालूम होती है। दूसरी दृष्टि से देखने पर वह दूसरी तरह की मालूम होती है। जैसे जन्मान्ध हाथी को जाँचते हैं, वैसे इस दुनिया में हमारी स्थिति है। क्या कोई वह सकता है कि यह वर्णन यथार्थ नहीं है ? जिसे यह मालूम हुआ कि हमारी यही स्थिति है, वही इस जगत में यथार्थ ज्ञानी है। जो यह पहचानता है कि मनुष्य का ज्ञान एक-पक्षी

है, वही मनुष्यो मे सर्वज्ञ है। वाक्यी सम्पूर्ण सत्य को जो कोई जानता होगा उस परमात्मा को हम अब तक पहचान नहीं सके है।

ज्ञान की इस मर्यादा मे ही अहिंसा का उद्भव है। जब तक मैं सर्वज्ञ न बनूँ, दूसरे पर अधिकार जमाने का मुझे क्या हक है ? मेरा सत्य मेरे लिए है। उसका अमल मुझे अपने जीवन मे अवश्य करना चाहिये। दूसरे को उमका साक्षात्कार न हो तब तक मुझे धीरज से पेश आना है। इस तरह की वृत्ति को ही अहिंसावृत्ति कहते है।

स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य के जीवन मे सर्वत्र दुःख फैला हुआ है। जन्म-जरा-व्याधि से मनुष्य हैरान हो जाता है। इष्ट का विधेय और अनिष्ट का सयोग भी जीवन मे हे ही। किन्तु स्वयं मनुष्य ने क्या कम दुःख खडे किये है ? मनुष्य यदि सन्तोष और नम्रता धारण करे तो मनुष्य जाति का नब्बे फी-सदी दुःख कम हो जायगा। आज जो अलग-अलग देशो के बीच और अलग-अलग कौमो के बीच कलह चल रहे है और मृत्यु के पहले ही इस सृष्टि पर जो नर्क हम खडा करते है उमे तो हम सिर्फ अहिंसावृत्ति मे ही रोक सकते है।

हिन्दुस्तान के इतिहास का यदि कोई विणेष सार-बोध हो ता वह यही ह कि हमने निम्न सार्वत्रिक प्रार्थना डूढ निकाली और चलायी

मर्वेऽत्र सुखिन सन्तु, मर्वे मन्तु निरामया।

मवे भद्राणि पश्यन्तु, सा कश्चिद् दुःखमाग् भवेत् ॥

इस वृत्ति मे पूरा जीवन माफत्य है। हिन्दुस्तान मे जो भी आये, सब यही रह गये। कोई वापस नहीं गये। जो आश्रित होकर आये वे भी रह गये और जो विजिता के उन्माद के साथ आये वे भी रह गये। सभी भाई-भाई बनकर रह गये और आयदा भी रहेग। विशाल हिन्दू धर्म की— जनक के हिन्दू धर्म की, व्यास वाल्मीकि के हिन्दू धर्म की, गौतम बुद्ध के हिन्दू धर्म की, महावीर के हिन्दू धर्म की इस पूण्य भूमि मे सबके लिए स्थान है। क्योकि इसी भूमि मे अहिंसा का उदय हुआ है। सारी दुनिया शान्ति की खोज कर रही है। त्रस्त दुनिया त्राहि-त्राहि पुकार रही है। फिर भी उसे शान्ति का रास्ता मिल नहीं रहा है। जो लोग दुनिया को लूट रहे है, महायुद्ध छेड रहे है वे भी आखिर मे शान्ति ही चाहते है। किन्तु शान्ति कैसे प्राप्त हो ?

बिहार की इस पवित्र भूमि में शान्ति का रास्ता कब का तय हो चुका है। किन्तु दुनिया उसको स्वीकार करे इसके लिये अभी कुछ देर है। पावापुरी के इस पवित्र स्थान पर उस महान् मानव ने अपना आत्म सर्वस्व उडेल कर दुनिया को यह मार्ग बताया था और बाद में शान्ति में प्रवेश किया था। शान्ति की जिन्हे प्यास है ऐसे दुनिया के लोग नम्र बनकर, निर्लोभ, निर्मत्सर और निरहंकार बनकर जब फिर से वह दिव्य वाणी सुनेगे तभी दुनिया में शान्ति की स्थापना होगी। अशान्ति, कलह, विद्रोह न दुनिया का कानून है, न नियम है, न स्वभाव है। वह तो विकार है। दुनिया जब निर्विकार बनेगी तभी महावीर का अवतार-कृत्य पूर्णता को प्राप्त होगा।

•

अहिंसा की पुण्यभूमि

राजगीर में हम पावापुरी के लिए रवाना हुये। राजगृह के आसपास जो पाँच पहाड़ एकत्र हैं, उनमें से लम्बे विपुलगिरि को दाहिनी तरफ करके हम चले। रास्ते में काम आयेगा, इस खयाल से मकदूम-कुण्ड का पानी भरकर साथ ले लिया। मकदूम-कुण्ड का स्थान स्वाभाविक रूप से ही रमणीय है। वहाँ नहाने की व्यवस्था करने में इन्सानियत का खयाल रखा गया है, देखकर सन्तोष हुआ। परन्तु आमपाम मछलियों की और मुरगी की हत्या होती हुई देख कित्त में ग्लानि पैदा हुई। जिम इस्लाम ने पहले से यह निश्चय कर लिया था कि काबा के मन्दिर में मनुष्य या पशु की हिंसा नहीं होनी चाहिए वह इस्लाम क्या ऐसा नियम भी नहीं बना मरुना कि जहाँ-जहाँ तीर्थ स्थान या इबादन की जगह ह वहाँ-वहाँ अमुक एक निर्दिष्ट मर्यादा तक प्राणी की हत्या नहीं हानी चाहिये। इस्लाम का यह दावा है कि आखिरी प्रौर सहूल धर्म है। ऐसे धर्म में भी इतनी बात ता जाड़ी जा सकती है कि जा अभय-दान काबा के मन्दिर में है, वही अभय-दान हर एक पवित्र स्थान के लिए भी हाना चाहिये।

मेरे विचार तेजी के साथ अहिंसा की खोज में भविष्य काल की तरफ दौड़ रहे थे और उनसे ही वेग में हमारी मोटर अहिंसा की पुण्य भूमि की तरफ हमें ले जा रही थी।

विपुलगिरि के साथ हम मात मील तक पूरब की तरफ चले और वहाँ सूर्य के अस्त की तैयारी के साथ-साथ हमारा भाग्य का उदय हुआ, क्योंकि यहाँ हमने जो प्राकृतिक दृश्य देखा, वह मरुज नहीं मुलाया जा सकता। जहाँ विपुलगिरि का उत्तुंग शिखर समाप्त होता है, वही मुभग-मल्लिना पचान या पचानवेद नदी के रास्ते में आड़े आती है। यह स्पष्ट दिखाई देता था कि वह हमसे कहना चाहती थी, 'यहाँ एक रात ठहरकर न जाओ ?' पर, हमारी मोटर की तरफ ध्यान जाते ही उसने सोचा—'य लोग जीवन-प्रवाही नहीं है, तैल-प्रवाही है।' (या पेट्रोल-प्रवाही कह ?) ये ठहरेगे नहीं।

सचमुच यह स्थान इतना सुन्दर था कि अगर सीता माता यहाँ आई होती, तो कम-से-कम तीन रात ठहरे बिना आगे न जाती। भव्य पहाड़ की

छाया, पूजा के अक्षत जैसी धवल रेत और 'हम कोई सामान्य पादप नहीं हैं, कुदरत के दरबार के दरबारी हैं,' ऐमे गर्व से झूमने वाले ताड के वृक्ष और बीच-बीच में घास और हरियाली का गलीचा सभी कुछ चित्त को तर करने वाला था। 'मैं आई, मैं आई' कहती हुई सध्या ने सोने के छोटें छिड़कना शुरू कर दिया था और पिता के समान पहाड उसे रोक रहा था।

रेत में मोटर चलाना कोई सहज काम नहीं था। परन्तु गाँव के लोगो ने ताड के विशाल हाथ रेत में समानान्तर पसार दिये थे। इसलिये, हम आसानी से उस पार जा सके और वहाँ से पीछे की तरफ मुँह फेरकर अतृप्त आँखों से उस सारे दृश्य का फिर से पान कर मके। हम जहाँ खडे थे, वहाँ हमारे पीछे छोटा-सा गिरियक गाँव ब्यालू की तैयारी कर रहा था।

गिरियक पार करते ही हम वज्रलेप रास्ते पर आये और बाईं ओर हमने पाँच मील की दौड लगाई। यह सारा रास्ता तय करने वक्त हमारी आँखें पश्चिम दिशा की तरफ लगी हुई थी। पहाड लाँघते ही सूर्यनागयण के फिर दर्शन हुए, जिनका प्रतिम अब सोने का रूप ग्रहण कर रहा था। ताड के पेड खिलाडी बालको की तरह दौड-दौड कर दर्शन में अन्तराय करते और दर्शन का आनन्द दस गुना बढ़ाते थे। अस्तायमान सूर्य अपनी शोभा से यह सिद्ध कर रहा था कि आर्यजन प्रत्येक स्थिति में आर्य ही रहते हैं और आदर के अधिकारी होते हैं। क्या यहाँ की खेती, क्या ताड के और दूसरे पेड, क्या रास्ता सभी कलामय नजर आते थे। आधे बुने हुए खेत अपनी सीधी लकीरो से सारे चित्र को रेखांकित कर रहे थे और सूरज हलके-हलके अपना ऊचा स्थान छोडकर पृथ्वी को पुचकारने और सहलाने के लिए नीचे उतर रहा था। आँखों को चौधियाने वाला अपना तेज अब उसने उतार रखा था। सूर्यास्त को आखिर तक देखते रहे या नहीं, इसका निर्णय कर सकने के पहले ही हमारी दाहिनी तरफ रास्ते पर के खम्भ, ने 'पावापुरी रोड' की गर्जना की और हमने तुरन्त ही दाक्षिण्य का सेवन किया।

हरे-हरे खेतों के विस्तार में पावापुरी के शुभ्र मन्दिर कैसे शोभा देते हैं ? इस जगह एक आर्य-हृदय के जीवन-काल का अन्त हुआ था। इस जगह 'वायु अनिल, अमृत अग्नेद भस्मान्त शरीर' की वेदवाणी कृतार्थ हुई थी और यही से भगवान् महावीर के गणधर अहिंसा का सन्देश लेकर दस दिशाओं में फैल गये थे। जिसने उस स्थान को 'अपापापुरी' का नाम दिया, उसे अति-शयोक्ति करने की आदत थी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अहिंसा अपरिग्रह

और तपस्या अगर पाप को हटाने में समर्थ न हो, तो मनुष्य को कभी पुण्य के मार्ग का सेवन करना ही नहीं चाहिए ।

कहते हैं कि गोरखपुर जिले में काशिया के पास पुष्पोर नाम का जो गाँव है, वही महावीर का वास्तविक निर्वाण-धाम है । बेशक पावापुरी की अपेक्षा पुष्पोर नाम ही अपापपुर से अधिक मिलता-जुलता है । कनिंघम और राहुल साकृत्यायन भले ही सिद्ध करते रहे कि पुष्पोर ही असली स्थान है । लेकिन अगर जैनो की श्रद्धा उसे वहाँ से घसीटकर पावापुरी में लाई हो, तो वैसा करने का उमें अधिकार है । हम तो इतिहास को खोद-खोदकर देखने वाली दृष्टि की अपेक्षा भक्तों की श्रद्धा का ही अधिक आदर करेंगे ।

और हमने लगभग बीस वर्ष पहले यह स्थान देखा था । इसलिए, अब तो मन-ही-मन हमारा यह निश्चय बँध चुका है कि अपापपुर दूसरा हो नहीं सकता ।

राम्ने की एक बड़ी सर्पकृति मोड़ पार करके हम जल-मन्दिर के महाद्वार के पास जा पहुँचे । दूम्ने तीर्थ-स्थानों में जैसी एक तरह की घब-राहट होती है, वैसी यहाँ नहीं हुई । यहाँ सब कुछ शान्त और प्रमन्न था । नया महाद्वार और उस पर बना हुआ नक्कारखाना, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जल-मन्दिर तक बना हुआ चौड़ा पुल सब कुछ एक खास किस्म के लाल पत्थर से पटा हुआ है । पुल के दोनों तरफ बगीचे हैं और तालाब के अन्दर कमल के पत्त, सारे तालाब को ढक देना उचित होगा या नहीं, इसके अनिश्चय में सहज भाव से डोल रहे हैं । नीचे घाट के सामने वाला मन्दिर पुल से ठीक ममकोण में नहीं है, यह विशेषता तुरन्त ध्यान खीचती है । इसलिए कुछ अटपटा-सा लगता है । परन्तु, अन्त में मन में यही निर्णय होता है कि इसमें भी एक प्रकार की विशेष सुन्दरता है ।

पानी की तरह पैसा खर्च करके स्थापत्य-कला की मिट्टी-पलीद करने का आरोप मैंने आजकल के जैनो पर किया है । परन्तु पावापुरी का जल-मन्दिर एक आह्लाददायक अपवाद है ।

यहाँ आने के बाद भला अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर याद आये बिना कैसे रह सकता ? पर अमृतसर का तालाब एक तो कुछ छोटा है, दूसरे वह है मनुष्य की बस्ती के बीच और तीसरे उसमें कमल नहीं है । इसके अतिरिक्त स्वर्ण-मन्दिर में कबूतरों का उपद्रव आध्यात्मिक शान्ति का नाश करता है ।

यहाँ पावापुरी में धान के खेतों के बीच शोभा देने वाला यह कमल-कासार अपनी स्वाभाविकता से राज करता है और उसमें बना हुआ जल-मन्दिर किसी लोभी मनुष्य की तरह सारे द्वीप को व्याप नहीं लेता। उसने अपने चारों तरफ घूमने-फिरने के लिए काफी खुली जगह रख छोड़ी है और अपरिग्रह का वातावरण बनाया है। मदुरा के विशाल मन्दिरों में अगर भव्यता है, तो पावापुरी के इस छोटे-से मन्दिर में लघिमा और लावण्य की सिद्धि है।

यहाँ की तरह अगर जैन लोग अपने मन्दिरों में सगेमरमर का उपयोग करे, तो उनकी कोई निन्दा नहीं करेगा। हाँ, उन्हें एक बात छोड़ देनी चाहिए। मालूम होता है कि जैनो में भगवान् की भक्ति की अपेक्षा अपने नाम की अभिलाषा कुछ अधिक होती है। जहाँ पर नजर डालिए, दरवाजों या महाद्वारों पर बड़ी-बड़ी तख्तियाँ दिखाई देगी और उन पर नाम लिखे हुये पाये जायेंगे। कई एक तो उन्होंने कितने पैसे दिये हैं, इसका व्यापारी हिमाव भी खुदवाते हैं। यह सब जाहिर ही करना हो, तो दरवाजों के माथे की अपेक्षा यदि दरवाजे के दोनों तरफ की दीवार पर जमीन से दो-तीन फुट की ऊँचाई पर ही किया जाय, तो ख्याति भी मिलेगी और नम्रता की भी क्षति नहीं होगी।

कुछ वैष्णव भक्त दूसरे छोर को जाकर मन्दिर के महाद्वार के सामने के फर्श पर अपने नाम और आकृतियाँ खुदवाने हैं। मशा यह होती है कि दर्शन के लिए आये हुए असंख्य भक्तों की चरणरज हमारे नाम पर पड़ेगी, तो उसमें हम पावन होंगे। इसमें नम्रता की पराकाष्ठा का परिचय मिलता है, लेकिन मुझ-जैसे दर्शनार्थियों को जो परेशानी होती है, उसका तो कोई खयान ही नहीं किया जाता। उस भाई को नम्रता ने घेरा, इसलिए क्या मैं उसके उद्धार के लिए लापरवाही अख्तियार करूँ और धूल से मलिन पैर उसके नाम पर रखूँ? वैष्णव भक्तों का जरा तो दया-धर्म निवाहना चाहिए।

इस बार पावापुरी के सरोवर में साँप न देख सकने में कुछ निराशा हुई। साँप जब पानी में नाचता है, तब वह दृश्य मछलियों के बिहार से कहीं अधिक कलात्मक होता है और पावापुरी को छोड़ दूसरे किस स्थान में ऐसा

दृश्य देखने को मिलन वाला था। मद्रास की 'जलचरी' (एक्वेरियम) है सही, किन्तु वह है छोटी। ग्रीर, काच-कुण्ड के कगार। से बिजली के प्रकाश में देखने की सुविधा होते हुए भी उसे कृत्रिम ही कहना चाहिए।

सध्या की शान्ति का समय था। हम सीधे मन्दिर के भीतर पहुँचे। वहाँ एक भाई ग्रीर एक बहन बीचोबीच बैठकर कुछ पाठ कर रहे थे। भाई को पढ़ने में कहीं कठिनाई हुई, तो बहन तुरन्त उसकी सहायता के लिए दौड़कर उसकी कठिनाई दूर कर देती थी। हमारे देश में ऐसा दृश्य स्वागत के योग्य है।

अहिंसा का साक्षात्कार करने वाले तपस्वी महावीर का कुछ क्षण के लिए ध्यान करके मैं बाहर निकला और गुँघा हुआ आटा लेकर मनोविनोद के लिए मछलियों को चूगाने के हेतु द्वीप की सीढियों के पास गया। हिन्दू-मात्र को यह कार्य पुण्यप्रद मालूम होता है। मैंने इसमें पुण्य तो कहीं नहीं पाया परन्तु विनोद खूब पाया। मछलियों का आकार कलापूर्ण ही है। खासकर जब वे झुँड में इकट्ठी होती हैं और क्रीडा करती हैं अथवा खाने के लिए छीना-झपटी करती हैं तब। मोडो, ऐठनो का नृत्य एक जीवित काव्य बन जाता है। मैंने अखिरे फाड़कर साँपा को खोजा और निराश होकर इस मन्थ्य-नृत्य में ही सतोष माना।

यह जल-मन्दिर महावीर का निर्वाण-स्थान नहीं है, वह तो गाँव-मन्दिर के नाम से पहचाने जाने वाले स्थल-मन्दिर में है। जल-मन्दिर के स्थान पर महावीर की देह का अग्नि-संस्कार किया गया था। जैनो को बड़ी भारी सत्या और अतिशयोक्ति के बिना कभी सतोष नहीं होता। उन्होंने एक कहानी गढ़ डाली है। अग्नि संस्कार के वक्त यहाँ तालाब नहीं था। परन्तु उस समय जो अरब, स्त्री-पुरुष आखिरी दर्शन के लिए यहाँ एकत्र हुए थे, उन्हें अपने माथे में लगाने के लिए एक-एक चूटकी मिट्टी ली। इससे अग्नि-संस्कार के स्थान के चार ओर गहरा गड्ढा हो गया और उसमें पानी भर जाने से इस तालाब का निर्माण हुआ।

बलकृता के कता-रसिक श्री ब्रह्मादुर्गसिंह मिश्री की धर्मशाला में गंगा सा-गराम किया। प्रकाश और ग्रन्थकार के बीच होने वाले गजग्राह के समय उस तरफ में हमने जल-मन्दिर का अग्निम दर्शन किया। मैं उसके

काव्य का अनुभव करने जा रहा था कि पड़ोस के किमी मन्दिर से उदात्त-स्वरित घटानाद सुनाई दिया और सध्या-काव्य सहसा मुखरित हो उठा। मेरा शरीर हर्षोत्फुल्ल होने लगा कि इतने में आकाश के तारों ने प्रकट होकर रात्रि के आकाश को भी पुष्पित कर दिया। इस स्थिति का उन्माद अरसिक क्या जाने ?

जल-मन्दिर देखने के बाद गाँव-मन्दिर में जाना क्रम प्राप्त ही था। अँधेरे में हाथ में बिजली की कर-दीपिकाएँ लेकर हम गाँव-मन्दिर में गये। हमारे साथ सदाकत-आश्रम के मधुरा बाबू जैसे विज्ञापनपट्ट सज्जन होने के कारण लोगों को मानूम हो गया कि यह तो 'महात्माजी के साथ रहने वाले काका कालेलकर है।' एक स्थानीय महाशय ने शायद 'जैनेतर दृष्टि से जैन' नामक पुस्तिका पढ़ी होगी, इसलिए उन्होंने मेरे विषय में यह और भी जानकारी दी कि काका साहब अट्ठारह साल पहले पावापुरी में आये थे और समोसरण के स्थान पर उन्हें एक प्रवचन भी दिया था। अब तो एकान्त का अनुभव करने की गुँजाइश ही नहीं रह गई। वहाँ एकत्र हुए भक्तों में राजमहेन्द्री की तरफ से आया हुआ एक गुजराती परिवार था। एक बार मैं उनका मेहमान रह चुका था। फिर तो पूछना ही क्या ! बहुत सी बातें हुईं।

गाँव-मन्दिर में किसी साधु की अनेक उक्तियाँ जहाँ-तहाँ लिखी हुई थी। स्वर्ग, नरक और जैन तीर्थ स्थानों के चित्र तो होने ही चाहिए। ये वचन चाहे जितने बोधप्रद हों और ये चित्र-प्रसंग चाहे जितने भव्य हों, तो भी मेरी दृष्टि में मन्दिर में अप्रस्तुत है। अगर रहा ही न जाता हो, तो मन्दिर के पास एक स्वतंत्र मण्डप बनवाकर उसमें चित्रों और वचनों के प्रदर्शन का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन मन्दिरों को तो अपने-आप अपनी सहज मौन भाषा में बोलने देना चाहिए। मन्दिरों में फूल रखे जा सकते हैं, धूप दीप जलाये जा सकते हैं और सगीत भी गूँज सकता है। भक्ति-रस में इनसे बाधा नहीं पहुँचती, उल्टे कुछ सहायता ही मिलती है। परन्तु, चित्र और अक्षर तो दूसरी ही सृष्टि के प्रतिनिधि हैं।

पुराने जमाने में तीर्थ करने गये होते, तो पण्डों की बहियों में नाम, गाँव, ठौर-ठिकाना लिखाना पड़ता। आजकल कोई सस्था देखने जाइये, तो भेट-सग्रह में कुछ-न-कुछ लिखना पड़ता है। अब तो अजायबघरों की तरह

मन्दिरों में भी अभ्यागतों की सम्मतियों की पुस्तक रखी जाती है। 'देखा हमारा मन्दिर? लिख दीजिए आपके दिल पर जो छाप पड़ी हो और आपको जो आनन्द हुआ हो उसे,' ऐसा कहकर जब किताब आगे रखी जाती है, तब मैं असमजस में पड़ जाता हूँ। आनन्द व्यक्त करने में मुझे मकोच नहीं होता। अगर वैसा होता, तो मैं यह यात्रा सम्मरण नहीं लिखता। परन्तु आनन्द को भी जमने और पकने में समय लग जाता है। अगर पुजारी वनिता की तरह उतावली करेंगे, तो उसमें से विकलाग ग्रहण का ही जन्म होगा।

बड़े प्रेम से सबसे विदा लेकर हम तैल-वाहन में सवार हुए और समय पर पटना पहुँचने के लिए मुख्य रास्ते पर आ पहुँचे। आकाश के सितारों ने हमें समझाया कि अब हम पश्चिम को जा रहे हैं, दोनों तरफ के पुराण-पुरुष जैसे वृक्ष यात्रा की सफलता का आशीर्वाद दे रहे थे। अब तो रास्ते के दोनों तरफ मोटर के प्रकाश से चार-छह क्षणा के लिए प्रकट होने वाले और फिर तिरोहित होने वाले वृक्षों के सिवा देखने की कोई चीज नहीं थी। एकाध खरगोश या लोमड़ी मोटर के प्रकाश से भडककर भागने लगती थी, तो अलबत्ता ध्यान खींचती थी। परन्तु पावापुरी की अहिंसा-भूमि के जी-भर के दर्शन करने के बाद और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। आकाश के निव्य-नूतन तारे भी बड़े प्रेम से कहने लगे, "हम तो हमेशा के लिए ही हैं। आज हमारे साथ बातें न करो तो हर्ज नहीं है। हम चिर-साक्षी हैं। यहाँ हमने अनेक अवतारों को देखा है। कई घटनाएँ हमने अपनी आँखों के निमेष और उन्मेषों में नोच कर रखी हैं। आज हम तुम्हारे ध्यान में अन्तराय नहीं करेंगे। तुम ध्यान करते जाओ और हम अपने आध्यात्मिक ताल में तुम्हारा साथ करेंगे।"

उपासना के योग्य अगर कोई मावभौम देवता है, तो वह जीवन है। परन्तु जीवन-देवता की उपासना विकट होती है। मनुष्य के लिए अगर कुछ हिततम है, तो जीवन को पहचानना ही है। जीवन-देवता बहुरूपिया है। वह देता है और लेता भी है। जन्म और मृत्यु उसकी दो विभूतियाँ हैं। दोनों को उसके कृपा-प्रसाद के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। इस प्रसाद का हमारी ओर से दान करने से काम नहीं चलेगा। चाहे हम किसी को जन्म दे या मरण, जीवन-देवता तो असन्तुष्ट ही होता है। जीवन-रहस्य परखने की साधना के लिए मनुष्य जन्म ग्रहण करना है, इसी साधना के लिये जान-बूझकर मृत्यु को न्योता देने में आध्यात्मिक प्रगति नहीं है।

जन्म और मृत्यु जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों के प्रति जिसे मोह हो, वह जीवन-निष्ठ नहीं हो सकता। भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा दोनों जीवन-द्रोही हैं। इसलिए, जो कोई जीवन-देवता की उपासना करना चाहे, उसे अहिंसा के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और तपस्या के द्वारा जीवन का साक्षात्कार करना चाहिए।

मृत्यु को जीतने के अनेक प्रयत्नों का उल्लेख हर एक धर्म के ग्रन्थों में पाया जाता है। हजारों वर्षों तक शरीर को बनाये रखना, वार्षिक टालना, रसायन खा कर वज्रकाय होना आदि अमर होने के सच्चे उपाय नहीं हैं। अमर होना हो, तो मृत्यु को परास्त करना चाहिए। जिसका मृत्यु में विश्वास है, वही दूसरे को मारने का और अपने लिए मृत्यु टालने का प्रयत्न करेगा। जिसने यह जान लिया कि मृत्यु निर्वार्य है, वह किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध मारेगा नहीं और जहाँ मर जाना आवश्यक हो, वहाँ मृत्यु का स्वागत करने में हिचकेगा नहीं, उसी को हम मृत्युजय कह सकते हैं।

ऐसे जो इने-गिने मृत्युजय महापुरुष संसार में हो गये हैं, उनमें महावीर का स्थान अग्रोखा है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य-जाति में विश्वास करके अहिंसा के अन्तिम स्वरूप का उपदेश किया। आज हम कहते हैं, "मनुष्य-मनुष्य का वैर शान्त नहीं हुआ है, भाई की हत्या से भाई नहीं हिचकता। जिसका वह दूध पीता है, गाय आदि पशु को मारकर खाने में भी मनुष्य ने कोई कोर-कसर नहीं की। जिन जानवरों को पालकर अपने परिवार में दाखिल किया, जिनकी मेहनत से अपना आहार जुटाया, उसको कत्ल करने में भी जिमका दिल नहीं पिघलता, उस मनुष्य प्राणी से यह कहना कि 'तू हिंस्र पशुआ की भी हत्या न कर, कृमि-कीटको को भी यथाशक्ति बचाने की कोशीश कर और वनस्पति आहार में भी जहाँ तक हो सके, जीव रक्षा का ध्यान रख,' शुद्ध मूर्खता है।"

परन्तु, किसी ने यह नहीं कहा है कि जीव-मात्र के लिए आदर भाव रखना हमारा धर्म नहीं है। और, अगर, हिंसा के आत्यन्तिक त्याग में ही जीवन की सफलता हो, तो जिम उसका साक्षात्कार हुआ हो, उसे उस सिद्धान्त को जनता के सामने रखना तो अवश्य चाहिए। उस वस्तु को स्वीकार करने की पात्रता आज मनुष्य-जाति में भले ही न हो, उसमें से कहीं-कहीं केवल हास्यास्पद दम्भ भले ही पैदा होता हो, तो भी सत्य वस्तु

मनुष्य-जाति के सामने रखनी तो जरूर चाहिए। जो अहिंसा-सिद्धि के क्रम को नहीं पहचानेंगे, उनका जीवन विफल होगा। वे आगे बढ़ने के बदले पिछड़ जायेंगे। परन्तु, ज्ञान के अभाव से या साधना की त्रुटि के कारण साध्य को छिपाकर नहीं रख सकते।

जिसे अहिंसा का अधिक से अधिक साक्षात्कार हुआ था और जिसने अहिंसा की साधना सिद्ध करने के लिये अपनी और अपने साथियों की जिन्दगी श्रद्धापूर्वक न्योछावर करदी, उस महावीर की वाणी जहाँ सुनाई दी, उस स्थान के दर्शन होते ही यह स्वाभाविक है कि मन अहिंसामय हो जाय और अहिंसा के बिना मनुष्यता किस तरह निस्तेज हो रही है, इसकी तरफ ध्यान जाय।

जो जीवन-देवता का म्वरूप और उसका हृदय जानकर उसकी अखण्ड उपासना तथा अनन्य भक्ति करना चाहता है, उसके लिए महावीर का जीवन और उनकी वाणी हमेशा आकर्षक रहेगी। हाँ, परन्तु इतनी सावधानी रखनी होगी कि कहीं यह सब यान्त्रिक और कृत्रिम न बन जाय, उपासना केवल धूप-दीप वाली पूजा न बन जाय और भक्ति केवल नामधारी अभियान में ही परिणत न हो। ज्ञान और तपस्या में ही जग लग जाय तो किसकी शरण ले ?

•

अजितवीर्य बाहुबलि

१. ज्येष्ठ या श्रेष्ठ

बाहुबलि अथवा गोमटेश्वर का जीवन-चरित्र किसी भी महाकाव्य का विषय हो सकता है। वाल्मीकि का रावण, व्यास का दुर्योधन और मिल्टन का शैतान—तीनों ही सुन्दर विभूतियाँ हैं और अपनी दुष्टता में भी उदारता का प्रदर्शन करती हैं, परन्तु अन्त तक अपने रजोगुण को नहीं छोड़ती। बाहुबलि इनमें बिल्कुल भिन्न प्रकार के वीर पुरुष हैं। वे अपनी सामाजिक और मानसिक शक्तियों का रजोगुणी उत्कर्ष दिखलाते हैं और फिर इससे कहीं अधिक ऊँचे उठ कर सत्वगुण में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार वे आत्म कल्याण के साथ-साथ मानव समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

महाराज ऋषभदेव के सौ पुत्र थे। भाइयों में आपस में झगडा न हो और प्रजा का शोषण भी न हो इन बातों से बचने के लिए यह निश्चय किया गया कि ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी दे दी जाय और शेष सब भाई गृहस्थ-धर्म को छोड़कर स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधना करें।

इस निश्चय के अनुसार 98 पुत्रों ने दीक्षा ले ली और सासारिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया। ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी मिल गई लेकिन उसका सीतेला भाई बाहुबलि इस व्यवस्था का विरोधी था। उसने यह आपत्ति उठाई और कहा—जो ज्येष्ठ होने के साथ-साथ श्रेष्ठ भी हो उसे राजगद्दी मिलनी चाहिये—यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ न हो तो आयु की अपेक्षा, योग्यता की ओर ही ध्यान देना चाहिये। क्योंकि राज्य प्रजा के हित के लिये होता है, राजा के आसीन-प्रमोद के लिये नहीं। भरत भले ही ज्येष्ठ हो, लेकिन मैं उनकी अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ हूँ और राजगद्दी मुझे ही मिलनी चाहिए।

जब यह विवाद खडा हुआ तो अत्येक को अपनी-अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए कहा गया। राजा में दृढता का होना परमावश्यक है। इसके लिए दोनों की परीक्षा की गई। इस परीक्षा में बाहुबलि श्रेष्ठ प्रतीत हुये। राजा में अपने वाक्चातुर्य से जनता को मुग्ध करने की शक्ति होनी चाहिये—

इस परीक्षा में भी बाहुबलि श्रेष्ठ निकले। राजा में बुद्धिमत्ता और प्रत्युत्पन्न मतित्व होना चाहिये—इस प्रतियोगिता में भी बाहुबलि विजयी हुए। सामन्तो को अपने अधीन करके साम्राज्य स्थापित करना चक्रवर्ती राजा का प्रधान गुण है इस कसौटी पर भी बाहुबलि भरत की अपेक्षा खरे निकले। राजा में दूरदर्शिता तो होनी चाहिये—इस गुण में भी बाहुबलि ने भरत की अपेक्षा अपनी ही योग्यता सिद्ध की। अब रहा युद्ध। राजाओं के पारस्परिक द्वेष के कारण प्रजा की भी हानि हो यह न्याय सम्मत नहीं है। यह सोचकर सभी दरबारियों ने सैन्य युद्ध के लिए मना किया। उस समय के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जब दो भाईयों के पक्ष को लेकर प्रजा में दो दल हो जाते हैं तो समस्त जाति का नाश हो जाता है। इसलिए द्वन्द्व युद्ध का निश्चय किया गया। फिर क्या था ? बाहु-युद्ध, दण्ड (गदा) युद्ध, मल्ल युद्ध आदि अनेक प्रकार के युद्ध हुए। इसमें तो बाहुबलि आसानी से विजयी होने वाले थे ही। अब सब प्रकार से बाहुबलि की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। लोग उनकी जय बोलने लगे। यह देख कर भरत खीझ गये। उन्होंने आपा (अपनापन) भूल कर भाई को मार डालने का इरादा किया और बाहुबलि पर प्रहार कर दिया। भरत की राज्य लिप्सा यहाँ तक बढ जायगी इसका किसी को खयाल तक न था। नेजस्त्री बाहुबलि इस कठिन प्रहार का बदला लिए बिना कैसे रह सकते थे ? उन्हें ने पूरे जोर से मुट्ठी बाँधी और भरत पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया। लोगों के हृदयों में हाहाकार मच गया और सबको ऐसा लगा कि भरत अब बच नहीं सकते। बाहुबलि को अपनी विजय पर विश्वास तो था पर प्रहार करते समय विजय की लालसा में वे विवेक को न भूले। यदि वे दुर्बल होने तो क्रोध से अन्धे हो जाने। लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का पूर्ण ज्ञान था। इसलिये उन्हें ने शीघ्र ही विजय प्राप्त करली। उन्होंने क्रोध पर ही विजय प्राप्त करली। उन्होंने सोचा—मेरी योग्यता और श्रेष्ठता तो सिद्ध हो ही चुकी है। अब भाई यदि राज्य-लिप्सा के कारण क्षुद्र बन गया है तो मैं उसके साथ नीच क्या बर्नू ? भाई को मार कर राज्य-संचालन करते हुए मैं प्रजा के सामने क्या आदर्श रखूंगा ? जाने-दो ऐसे राज्य को और छोडो इस बन्धु-हत्या को।

जिस जोर से उन्होंने मुट्ठी बाँधी थी उसी जोर से उसे खोलते हुए उन्होंने केशलोच (अपने हाथ से सिर और शरीर के बाल उखाडना) किया और त्याग की दीक्षा ली। भरत निर्भय हो कर राज्य करने लगे और बाहुबलि ने

वीराग्य-मार्ग ग्रहण कर लिया। रजोगुण से सतोगुण प्रकट हो गया। महत्वाकांक्षा की अश्रेयता श्रुति-प्रेम, स्वजन-वात्सल्य और विरक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई।

गुरु की शरण में जाने से आध्यात्मिक मार्ग में सरलता हो जाती है। बाहुबलि के लिए भी अठ्यानवे भाइयों द्वारा ग्रहण किये मार्ग पर जाना और भगवान् ऋषभदेव की शरण लेना, स्वाभाविक मार्ग था, परन्तु स्वाभिमानी बाहुबलि को यह असंगत जान पड़ा। छोटे भाइयों ने पहले दीक्षा ले ली थी, इसलिए वे बन्धनीय हो गये थे। बाहुबलि को दीक्षा लेकर उनकी बन्धना करना अनिवार्य था, यह उनसे कैसे हो सकता था? श्रेष्ठत्व तो चला ही गया, अब रहा ज्येष्ठत्व भी खो दिया जाय, यह नहीं हो सकता। इससे तो अपनी तपस्या के बल पर केवल-ज्ञान प्राप्त करना कहीं अधिक अच्छा है। बाहुबलि ने यह निश्चय कर लिया। इस प्रकार साधना के आरम्भ में ही दर्प और अहंकार ने अपना अधिकार जमा लिया।

बाहुबलि ने इस निश्चय पर कठिन तपस्या आरम्भ कर दी। वे जहाँ खड़े थे, वहाँ दीमक मिट्टी के ढेर लग गये। उसमें बड़े-बड़े काले सर्प आ-आकार रहने लगे। माधवी लता ने दीमक-मिट्टी के इस ढेर को घेर लिया और बाहुबलि के पैरों तथा हाथों से लिपट गई। ससार इस अपूर्व तपस्या को देख कर दग रह गया पर बाहुबलि को केवल-ज्ञान की प्राप्ति न हुई। वे आकुल हो कर अपनी तपस्या को और भी उग्र करने लगे। अन्त में उन सौ भाइयों की दो प्यारी बहिनें—ब्राह्मी और सुन्दरी जो स्वयं त्याग की दीक्षा ले चुकी थी—वहाँ आ पहुँची। स्त्री-हृदय परिस्थिति की गहराई को क्षण पहचान लेता है सो उन बहिनों ने भाई से प्रेम के साथ कहा—“वीरा गज से नीचे उतरो” अर्थात्—हे प्यारे भाई, हाथी से नीचे उतरो। बाहुबलि को यह सुन कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा—“मैं तो इतने दिनों से कठिन तपस्या कर रहा हूँ और बहिनें कह रही हैं कि मैं हाथी से नीचे उतरूँ।” क्षण भर बाद ही उन्हें पता चला कि वे अभिमान और अहंकार के हाथी पर चढ़े हुए थे, जहाँ सभी प्रकार के सत्कारों से मुक्त होने का निश्चय किया गया है, वहाँ श्रेष्ठ अथवा ज्येष्ठ होने का अभिमान रह नहीं सकता। जहाँ सम्पूर्ण विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करना है, वहाँ अठ्यानवे भाइयों से ईर्ष्या कैसी? बाहुबलि की बहिनें ही उसकी गुरु बनीं। उन्होंने अहंकार को छोड़ कर सभी त्यागी भाइयों के चरण छुए और जिस स्थान पर वे खड़े-खड़े तपस्या कर रहे थे, वहाँ से पैर उठाने से पहले ही उन्हें केवल-ज्ञान (सर्वज्ञता) हो गया। इस प्रकार वह वीर पुरुष अपनी तपस्या में सफल हो गया।

बाहुबलि ने भावोचित रजोगुण का पूर्ण उत्कर्ष दिखा कर अपने तेज को प्रकट कर दिया और उसमें अन्तर्हित प्रकाश को पहचान कर वे स्वयं सात्विकता के शिखर पर चढ़ गए। सबसे नीचे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तो शिखर की ओर जाते हुए बीच में रुक जाने में है। निस्सन्देह प्रत्येक प्रतापी पुरुष बाहुबलि के जीवन की ओर अवश्य आकर्षित होगा, क्योंकि करनी करके नर से नारायण हो जाना वाला यह उदाहरण प्रत्येक मनुष्य को ऊंचा उठाने वाला है। बड़े-बड़े शिल्पकारों ने बाहुबलि की विशाल मूर्तियाँ बनाई हैं। इन मूर्तियों में बाहुबलि के जीवन के एक-एक प्रसंग को चित्रित खोद कर अंकित करने में कारीगरों ने अपनी सारी शक्ति लगाई है। इस प्रकार की दो सुन्दर मूर्तियाँ दक्षिण भारत में अब भी मौजूद हैं। इन्हीं मूर्तियों के सौन्दर्य के कारण ही इनका नाम 'गोमटेश्वर' पड़ा है।

मैं सन् 1925 में कारकल गया था। वहाँ की पहाड़ी पर बाहुबलि की 47 फीट ऊंची एक मूर्ति देखी थी। इस वर्ष जुलाई के महीने में श्रवण-बेलगोल की 57 फीट ऊंची मूर्ति भी देख आया हूँ। कारकल पश्चिमी घाट पर मंगलूर और उडपी-मालपे के कोने में है, जब कि श्रवणबेलगोल मैसूर राज्य के हासन जिले में चन्द्रगिरि और विध्यागिरि के बीच बसा हुआ है। श्रवणबेलगोल की मूर्ति विध्यागिरि की चोटी के पत्थर में से ही काट कर बनाई गई है। जब कि कारकल की मूर्ति पहाड़ी से भिन्न प्रकार के पत्थरों में से बना कर, पहाड़ी के ऊपर दूर से लाकर खड़ी की गई है। यह सब किस प्रकार किया गया होगा, इसका अन्दाज लगाना भी आज मुश्किल है। श्रवणबेलगोल के दर्शनो की याद अब भी ताजी है।

२. श्रवण-बेलगोल

हिन्दुस्तान में मैसूर राज्य को विशेष अर्थों में स्वर्ण-भूमि कहा जा सकता है। उरगाव कोलार की सोने की खानों में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का मोना निकलता है, इस वजह से मैसूर राज्य को स्वर्ण-भूमि कहा ही जा सकता है। लेकिन वहाँ की सरस तथा उपजाऊ भूमि, स्थान-स्थान पर चमकते हुए तालाब, बीच-बीच में मस्तक ऊंचा कर वर्षा को पकड़ ले आने वाले छोटे-बड़े पहाड़ और उनमें वे अमृत-जल पाने वाली नदियाँ, प्रातः और सध्या के रंग-बिरंगे बादल और वहाँ के हूँट-पुँट तथा आतिथ्य-सत्कार करने

वाले किसान, इन सबको देख कर भी मैसूर को स्वर्ण-भूमि ही कहना पड़ेगा। मैसूर राज्य के दो बड़े-बड़े भाग हैं। पश्चिमी भाग को शालनाड अर्थात् पहाड़ी प्रदेश कहते हैं और पूर्वी भाग को मैदानी। दानो-भागों में छोटे-बड़े सुन्दर मन्दिर और तीर्थ-स्थान फैले हुए हैं। प्राचीन समृद्धि, सुव्यवस्था, सात्त्विक पुरुषों के भक्ति और जनता के धार्मिक उत्सव आदि के साक्षी रूप ये स्थान मैसूर राज्य की ऐतिहासिक सम्पत्ति हैं। लेकिन इनमें भी हासन जिले में स्थित तीर्थ-स्थान मैसूर को भारत-विख्यात ही नहीं, विश्व-विख्यात भी बना देते हैं। उत्कल प्रान्त में पुरी, भुवनेश्वर, कोनार्क आदि स्थान, आड़ के पहाड़ में देलवाड़ा के मन्दिरों, नर्मदा के किनारे के असह्य देवालय तथा तामिलनाड में आज भी खड़े भव्य मन्दिरों की स्थापत्य-समृद्धि के कारण समस्त विश्व का ध्यान हमारे देश की ओर अधिकाधिक खिंचता चला आ रहा है। उनमें भी कलारसिकों के कथनानुसार, अजिता की चित्रकला और बेलूर हलेबीड का मूर्ति-विधान सारे ससार में अद्वितीय हैं। बेलूर और हलेबीड हासन जिले में एक दूसरे से दस-बारह मील के फासले पर हैं। किसी समय ये दोनों स्थान राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थे, आज भारत की कलाधानी के रूप में उत्तरोत्तर प्रसिद्धि पा रहे हैं। दोनों स्थानों के आस-पास जैन मन्दिर हैं, जिन्हें 'बस्ती' कहते हैं। सभी बस्तियाँ दिगम्बर (एक भेद) सम्प्रदाय की हैं और उच्च कोटि की कारीगरी व्यक्त करती हैं। इस प्रदेश के गाँव-गाँव में बिखरी मूर्तियाँ और कारीगरी से खण्डित पत्थरों को इकट्ठा करके किसी भी राष्ट्र के गर्व करने योग्य अद्भुत-संग्रहालय (Musium) तैयार हो सकता है। लेकिन यह काम इतना कठिन और व्यय-साध्य है कि उसके लिए छोटे और साधारण स्थिति के राजाओं की तो हिम्मत ही नहीं हो सकती। बेलूर के मन्दिर में मैसूर राज्य की ओर से विशेष बिजली का प्रबन्ध किया गया है, जिसके कारण उसकी कला को भली प्रकार देखने की सुविधा हो गई है। परन्तु इन मन्दिरों का संक्षेप में वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तो मुझे हासन से पश्चिम में, मोटर से चार घण्टे का रास्ता पार कर आने वाले श्रवणबेलगोल नामक स्थान की ही चर्चा करना है और उसमें भी विध्यागिरि पर स्थित श्री गोमटेश्वर की विशाल मूर्ति की।

महिषमण्डल अथवा मैसूर का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के दादा चन्द्रगुप्त अपने गुरु भद्रबाहु को लेकर जीवन के अन्तिम दिन बिताने के लिए यहाँ आये थे। अपने राज्य में बारह वर्ष का अकाल देख कर और स्वयं को प्रजा के बचाने में असमर्थ

पाकर, उन्होंने राज-पाट छोड़ दिया और पुत्रों को राज्य-भार सौंप कर, गुरु के साथ, जैनियों की इस तपोभूमि में रहना पसंद किया। गुरु ने जब देखा कि वृद्धावस्था आ रही है तो सलेखना (समाधि-मरण—मरण समय सब कुछ त्याग देना) द्वारा शरीर को छोड़ दिया। चन्द्रगुप्त ने बारह वर्ष तक गुरु पादुकाओं की पूजा की और अन्न में स्वयं ने भी सलेखना कर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी।

कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले चन्द्रगुप्त अशोक के दादा मौर्यवंशी नहीं, प्रत्युत समुद्रगुप्त के द्वितीय पुत्र चन्द्रगुप्त थे। इस मान्यता के पीछे जबर्दस्त ऐतिहासिक प्रमाण हो सकते हैं। इतने पर भी यदि यह मान लिया जाय कि ये मौर्य ही थे तो अशोक के शिलालेखों में उसके दादा का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चन्द्रगुप्त ने जैनधर्म की दीक्षा ली, इससे अशोक ने उसकी उपेक्षा की अथवा वह यहाँ आया ही नहीं, यह कौन कह सकता है?

चन्द्रगिरि और विध्यागिरि दोनों पहाड़ियाँ इतनी पास-पास हैं और इनके आस-पास का प्रदेश इतना सुहावना है कि कवि-हृदय यहाँ आकर निवास किये बिना नहीं रह सकता। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि ससार में पीड़ित और जीवन से उदासीन साधुओं ने सलेखना के लिए ऐसा सुन्दर-स्थान चुना। जिस प्रकार भैरवघाटी आत्म-हत्या के लिए पसंद की जाती है, उसी प्रकार असह्य जैनियों ने चन्द्रगिरि को सलेखना के लिए पसंद किया था। आज भी कितने ही जैन दिगम्बर साधु इस पर्वत पर आकर अपने अन्तिम दिन पूरे करते हैं।

इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक सुन्दर, स्वच्छ और चौरस तालाब है। इसी का नाम बेलगोल अथवा सफेद तालाब (धवल सरोवर) है। श्रमणों (साधुओं) के यहाँ रहने के कारण ही इसका नाम श्रवणबेलगोल पड़ा होगा और आगे चलकर लोग ने इसी को श्रवणबेलगोल कहना पसंद किया होगा। बेलगोल का अर्थ सफेद बेंगन भी होता है और गोमटेश्वर के अभिषेक के साथ सम्बन्ध रखने वाली एक भक्त बुढ़िया के साथ बेंगन का सम्बन्ध है। जो हो, श्रवणबेलगोल जैनियों का एक बड़ा तीर्थ-स्थान है।

हासन से हम दोपहर को रवाना हुए। पाँच-छ घादमियों का सग था। रवाना होने में काफी वक्त लग गया। तेईस मील की दौड़ पूरी कर हमारी बस (मोटर-लारी) चन्नरायपट्टण आ पहुँची। वहाँ से आठ मील

आगे चल कर हम विंध्यागिरि की तलहटी में आ गए। गोमटेश्वर की विशाल मूर्ति के सम्बन्ध में पहले से ही सुनने के कारण मैं तो हासन से ही उसकी तलाश में था। कोई चौदह मील की यात्रा शेष थी कि चन्द्रगिरि और विंध्यागिरि दिखाई देने लगे। साथ ही शिखर (चोटी) पर एक अस्पष्ट बिन्दु अथवा झण्डेर के सत स्तम्भ की चोटी जैसा भी एक पत्थर दिखाई देने लगा। मुझे विश्वास हो गया कि यही बाहुबलि है और मैंने शीघ्र दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया।

कारकल में भी बाहुबलि की मूर्ति है वह भी 47 फीट से कम ऊँची नहीं है। उसके आस-पास बाँध-काम न होने से वह बहुत दूर-दूर से दिखाई देती है। श्रवणबेलगोल के आस-पास बहुत दर्शनीय स्थान हैं। यदि हमारे पास समय होता तो हम सबको देखे बिना न रहते, लेकिन सूरज ढल रहा था। फिर यह सोचकर कि यदि सब देखने का लोभ रहेगा तो कुछ ध्यान से नहीं देख पायेंगे। हमने निश्चय किया कि केवल गोमटेश्वर देखकर ही लौट आयेंगे। हम छोटी-छोटी छ सौ सीढियाँ चढ़ कर चार सौ सत्तर फीट ऊँची पहाड़ी पर पहुँचे। जीने के द्वार पर ही एक मुन्दर दरवाजा है। इसका नाम गुल्लकायजी बागलु है। कन्नड भाषा में गुल्लकायजी का अर्थ है—बैंगन, बहन अथवा माता और बागलु का अर्थ है—दरवाजा।

अब इस गरीब बैंगन-मैया का भी थोड़ा वृत्तान्त सुन लीजिए। जिस समय चामुण्डराय ने गोमटेश्वर की इस मूर्ति का निर्माण कराया और सन् 1208 में तीसरी मार्च को रविवार के दिन इस मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने का निश्चय किया, उस समय गुल्लकायजी नाम की एक बुढ़िया भी मूर्ति के अभिषेक के लिए एक फल के छिलके में थोड़ा सा गाय का दूध ले आई और लोगो से अनुनय-विनय के साथ कहने लगी कि मुझे भी अभिषेक के लिए इतना-सा दूध ले जाने दो। बेचारी बुढ़िया की और कौन ध्यान देता? वह रोज सबेरे गाय का ताजा दूध लाती और शाम को गोधूलि समय निराश होकर लौट जाती। महीने पर महीने इसी प्रकार बीत गये और अभिषेक का दिन आ गया। अभिषेक के लिए बास और लकड़ी का ऊँचा मंचान बनाया गया। चामुण्डराय राजा का प्रधान सेनापति लोगो की श्रद्धा का पात्र और स्वयं भक्ति की मूर्ति, उसके होते हुए दूध की कमी कैसे रह सकती थी। लेकिन दूध के घड़े पर घड़े उँडेले जाने पर भी दूध और पचामृत मूर्ति की कमर तक न पहुँच सका। लोग धबराए। कुछ-न कुछ भूल अवश्य हुई है। दैव का प्रकोप है। अन्त में बुद्धिमान लोगो को भूल मालूम हो गई। बैंगन मैया को दूध लेकर आने की आज्ञा दी गई और उसके पास के फल के छिलके का दूध बाहुबलि के मस्तक

पर चढ़ाया गया। कितने आश्चर्य की बात थी कि वह दस तोले से भी कम दूध बढ कर बाहुबलि के मस्तक से पैर तक ही नहीं पहुँचा बरन् और भी आगे तक बहने लगा। लोगो ने अनुभव किया की गुल्लकायजी का हृदय निस्सदेह सच्चा भक्त-हृदय है। आदर और प्रतिष्ठा की भावना उनके हृदय में है ही नहीं। चामुण्डराय ने देखा कि इतना श्रम, इतना व्यय और इतना वैभव एक छिलके पर दूध की भक्ति के आगे तुच्छ है। चामुण्डराय ने गुल्लकायजी की भी एक मूर्ति इस पहाड़ी पर स्थापित कराई और इस प्रकार अपनी विनम्रता प्रदर्शित की। हम आधी दूर गये थे कि वहाँ 'अखण्ड बागलु' नामक दरवाजा आया।

यह दरवाजा एक ही पत्थर से खोद कर यहाँ खड़ा किया गया है। यह भी हो सकता है कि कोई मोटा पत्थर इस जीने के बीच में बाधा डालता हो और लोगो ने उसे हटाने या तोड़ने की अपेक्षा उसे ही खोद कर दरवाजा बना दिया हो। उस दरवाजे पर गजलक्ष्मी की प्रतिमा खोदी गई है। लक्ष्मीजी पद्मासन पर बैठी हुई है और दोनों ओर के हाथी घडो से उन पर अभिषेक कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर लक्ष्मी जी के एक ओर हाथी और दूसरी ओर गाय अथवा सबत्स-गाय खोदी गई है। इसके पौराणिक रहस्य को भी समझ लेना चाहिए।

हम सीढियाँ पूरी करके दीवाल के नीचे आ पहुँचे। यहाँ हम भीतर जाकर बाहुबलि की दिगम्बर मूर्ति के दर्शन करने के लिए अधीर हो रहे थे, फिर भी हम ऊपर से पीछे का तालाब और सामने के चन्द्रगिरि को देखने का लोभ सवरण न कर सके। हवा सनसना रही थी। यदि उसे हम लोगो को उडा देने का अवसर मिलता तो वह कभी न चूकती। सूरज देख रहा था कि बादलो के आँचल से हाथ फैला कर वह हमे सहला सकता है या नहीं? और वर्षा स्वयं आकर हमे आशवासन दे रही थी कि तुम घबराओ नहीं। तुम लोग जब तक दर्शन करके मोटर तक नहीं पहुँचते तब तक मैं बरसने की नहीं।

हमने फिर चढना आरम्भ किया तो गुल्लकायजी बागले ने कहा— केवल दशक बनकर टूरिस्ट (यात्री) बन कर आगे मत जाना। हिन्दू हो, आत्मारथी हो, श्रद्धालु हो, भक्त हो, तीर्थ यात्री बन कर जाना। मूर्ति में व्यक्त होने वाले चैतन्य के दर्शन करके जाना।

आधे रास्ते पर थे कि अखण्ड बागलु (दरवाजा) कहने लगा— 'शैब और वैष्णव, शाक्त और जैन सब भेद नाम मात्र के हैं— व्यर्थ है। भारत की सांस्कृतिक लक्ष्मी एक है, अखण्ड है, शक्तिशाली है। जिस दिन इस एकता का साक्षात्कार

होगा, उस दिन भरत-पुत्र बाहुबलि (जिसकी भुजाओं में, बल हो) जन्म लेगा और आत्म विजय द्वारा विश्व विजय करके विश्व कल्याण की स्थापना करेगा।”

इस सदेश द्वारा प्रेरणा के पख लगा कर हम ऊपर चढ़ने लगे और इसी कारण वे कठिन सीढियाँ भी हमे सरल हो गईं ।

३ चामु डराय की खोज

किसी राजपुरुष की माता घर्मनिष्ठ थी। रजोगुण मे से सतोगुण का उदय कैसे हुआ ? अभिमान के पत्थर मे से आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई ? ऐसी इस कथा को सुन कर उसके हृदय मे श्रद्धा का स्रोत उमड़ पडा। उसे लगा कि यदि बाहुबलि के दर्शन न हो तो यह जीवन व्यर्थ है। किसी से उमने यह भी सुना कि कही बाहुबलि की एक हजार हाथ ऊँची स्वर्ण मूर्ति है। उसने उस मूर्ति के दर्शन करने का सकल्प किया। पुत्र ने देखा कि यदि माता को जीवित रखना है तो बाहुबलि की खोज किये बिना छुटकारा नही। राजपुरुष क्षत्रिय था। भारी सेना लेकर चल पडा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारो दिशाएँ खोज डालने का उसने निश्चय किया। लाखो मेरे सैनिक है, चारा दिशाओ मे फैला दूँगा। एक हजार हाथ की मूर्ति कहाँ तक छिपी रहेगी ! कभी न-कभी तो मिलेगी ही। मेरी माता की आँखे कृतार्थ होगी और मैं सुपुत्र कहलाऊँगा।

सेना के साथ घूमता हुआ राजपुरुष दक्षिण मे आया। वहाँ उससे एक जैन मुनि ने पूछा—“हे शूरवीर, इतनी बडी सेना लेकर क्यों निकले हो ? किस प्रजा का सहार करना है ? कितने घरों मे हाहाकार मचाना है ? कितने हृदयों के शाप के भागी बनना है ?” राजपुरुष ने कहा—“इनमे से मुझे कुछ भी नही करना। मैं तो मात्र गोमटेश्वर के दर्शन कराने आया हूँ। मेरी माता उनके दर्शनों के लिए विकल है।” साधु ने कहा—“वह मूर्ति है अवश्य, पर इस लोक मे नही। लाख-लाख यक्ष उसकी रक्षा करते है, चर्म-चक्षुओ से कोई उसके दर्शन नही कर सकता। लेकिन तुझे, बाहुबलि—गोमटेश्वर के दर्शन अवश्य कराऊँगा। देखो, इस चन्द्रगिरि पर कितने ही जैन साधु तप करते है। इसके सामने वह विध्यागिरि दिखाई देता है। उसी के शिखर पर बाहुबलि खडे-खडे तप कर रहे हैं। दुनिया के दुखो से दुखी हो कर, करुणामयी आँखा से वे कह रहे हैं—“कामये दुखतप्ताना, प्राणिना आतिनाशनम्।” यदि इस चन्द्रगिरि के शिखर से तू एक सोने का बाण फेंकेगा तो बाहुबलि की

मूर्ति वहाँ प्रकट हो जायेगी। राजपुरुष ने अपना रत्न-जडित धनुष हाथ में लिया और उस पर तीन हाथ लम्बा सोने का बाण चढ़ाया। बाण सनसनाता हुआ हवा में चला। विध्यागिरि का शिखर आया, पत्थरो की पपड़ियाँ खिरी (गिरी) और मैत्री, करुणा, प्रसन्नता तथा विरक्ति का प्रकाश प्रकाशित करता हुआ गोमटेश्वर का मस्तक प्रकट हुआ। राजपुरुष यह देख कर आनन्दातिरेक में तिहल हो गया। उसकी माता की ओर से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तत्काल अनेक मूर्तिकार वहाँ आ पहुँचे। प्रत्येक मूर्तिकार के हाथ में हीरे की एक-एक छेनी थी। वे बाहुबलि के दर्शन करते और आसपास के पत्थरो का हटाते जाते। कन्धे प्रकट हुए, छाती निकली। भुजा और भुजा के ऊपर लिपटी माधवी-लता स्पष्ट दिखाई देने लगी। वे पैरो तक आए। नीचे पुरानी दीमक मिट्टी का ढेर था। इसमें से विकराल सर्प बाहर निकलते थे, लेकिन थे सब अहिसक। मूर्तिकार ठीक पैरो पर आए, पैरो के नाखून चमकने लगे। पैरो के नीचे एक खिना हुआ कमल दिखाई दिया। उसे देख कर सेना सहित सब के मुख-कमल खिल गये। भक्त माता का हृदय-कमल भी खिल गया। अब उमें अधिक जीने की लालसा नहीं। उसने कृतार्थ होकर अपने जीवन-रुमी कमल को वही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया।

आकाश में पुष्प-वर्षा होने लगी। सभी जय-जयकार करने लगे। वह मूर्ति कितनी सुन्दर थी? दिगम्बर और पवित्र, मोहक और ज्वलन्त, तारक और उद्धारक। जिनने आदमिय, ने उस मूर्ति को देखा, मान। उन सभी का पुर्नजन्म हो गया। वे अब समार को विचित्र दृष्टि से देखने लगे, जैसे उनके हृदय-प्रदेश से राग-द्वेष लोप हो गया हो। उनके हृदय में नवीन सात्विक आनन्द का अनुभव होने लगा और वे सभी 'जय गोमटेश्वर' "जय-गोमटेश्वर" की ध्वनि करने लगे।

४. गोमटेश्वर के दर्शन

जिस समय हम बाहुबलि के दर्शन करने गये, उस समय हमने शास्त्र की मर्यादा के अनुसार बार-बार आपाद-मस्तक दर्शन किये। उस मूर्ति के नीचे दोनों ओर दो शिलालेख हैं। एक ओर प्राचीन नागरी लिपि में और दूसरी ओर प्राचीन कन्नड लिपि में, लेकिन दोनों में एक ही मराठी वाक्य लिखा है— 'चामुण्डराये कविले'—चामुण्डराय ने बनवाया। मराठी भाषा के इतिहास लेखक कहते हैं कि मराठी भाषा में लिखी पुस्तकों और शिलालेखों में यह वाक्य

सबसे पुराना है। आज भी उपलब्ध सामग्री के अनुसार मराठी भाषा का उद्घाटन इसी वाक्य के साथ हुआ। चामुण्डराय का पिता किसी देवी का भक्त होगा। इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम चामुण्डा माता के नाम पर चामुण्डराय रखा होगा। उस समय के इतिहास से यह भी व्यक्त होता है कि किसी शाक्त का पुत्र भी अहिंसात्मक मार्गी जैन-धर्म का उपासक हुआ था। मराठी भाषा के प्रारम्भ में लिखने के लिए इन दोनों लिपियों का समान प्रयोग होता होगा। और तब मराठी एव कन्नड दोनों भाषाएँ सगी बहनों की तरह साथ रहती होगी। इसीलिये तो ये शिलालेख इस प्रकार खोदे गए हैं।

चामुण्डराय राजपुरुष था। अपनी भाषा मराठी होते हुए भी वह प्रजा की दोनों लिपियों का प्रसार करना चाहता था। अपनी मधुर और भोली मराठी भाषा का ऐसा द्वि-विध दर्शन कर में गद्गद् हो गया। मराठी भाषा का उद्गम यही है, यह सोचकर मराठी भाषा की इस गगोत्री में स्नान कर मैं पवित्र हो गया।

तदनन्तर मेरा ध्यान दीमक के धरोदो से निकलने वाले सर्पों की ओर गया। यदि लोहे की तलवार से पारस मणि का स्पर्श हो जाय तो इस सोने की हुई तलवार का आकार भले ही तलवार रहे पर उससे किसी की हत्या नहीं हो सकती। यदि उससे किसी पर प्रहार भी किया जाये तो वह प्रहार करने की अपेक्षा स्वयं ही नम जायगी और इस प्रकार अपना 'सोनापन' प्रकट कर देगी। उसी प्रकार कारुण्य-मूर्ति, अहिंसाधर्मी बाहुबलि के चरणों में स्थान प्राप्त करने के कारण भयकर सर्प भी पूर्ण अहिंसक बन गये हैं और अपने फन फैला कर माना दुनियाँ को अभय दान दे रहे हैं।

दृष्टि कुछ ऊपर बठी। वहाँ दोनों ओर दो माधवी-लताएँ बाहुबलि के सहारे अपना विकास करती दीख पडी। जैसे धीरोदात्त नायक से कोमलांगी नायिका लिपट जाती है, उसी प्रकार इस वीर तपस्वी से माधवी-लता लिपटी हुई है। उस लता ने कहा—“इस तपस्वी की मैं क्या सेवा करूँ ? मेरा काम तो केवल इतना ही है कि इसकी कठोर तपस्या को छिपा कर, इसमें से प्रकट होने वाली कोमलता और पसन्नता को दुनिया के लिए व्यक्त कर दूँ। बाहुबलि से मैं लिपट कर रह गई हूँ—यह ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए बन्धन-स्वरूप नहीं हूँ। इस बन्धन-मुक्त मुक्तात्मा का हृदय कितना कोमल है, यह निर्देश करने के लिए मैं इसके पैरों से हृदय तक चूब आई हूँ।”

सासारिक शिष्टाचार में फसे हुए हम उस मूर्ति की ओर देखते ही सोचने लगते हैं कि यह मूर्ति नग्न है। हम अपने हृदय और समाज में तरह-तरह की गन्दी वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं, परन्तु उनके लिए न तो हमें घृणा होती है, न लज्जा। इसके विपरीत बाहर केवल नग्नता देख कर चौंक उठते हैं और समझते हैं कि नग्नता में अश्लीलता है। इसमें सदाचार के प्रति द्रोह है। यह सब लज्जास्पद है। यहाँ तक कि अपनी नग्नता से बचने के लिए लोग ने आत्म-हत्या तक की है। लेकिन क्या नग्नता वास्तव में हेय है ? अत्यन्त अशोभन है ? यदि ऐसा होता तो प्रकृति को भी इसके लिए लज्जा आती। फूँ नगे रहते हैं, पशु-पक्षी भी नगे ही रहते हैं, प्रकृति के साथ जिनकी एकता बनी हुई है, वे शिशु भी नगे ही फिरते हैं। उनको अपनी नग्नता में लज्जा नहीं लगती और उनकी ऐसी स्वभाविकता के कारण ही हमें भी उनमें लज्जा जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देती। लज्जा की बात जानें दीजिए। इस मूर्ति में कुछ भी अश्लील, बीभत्स, जुगुप्सित अशोभन और अनुचित लगा है। ऐसा किसी भी मनुष्य का अनुभव नहीं। इसका कारण क्या है ? यही कि नग्नता एक प्राकृतिक स्थिति है। मनुष्या ने विकारों का ध्यान करने-करते अपने मन को इतना अधिक विकृत कर लिया है कि स्वभाव से ही मुन्दर नग्नता उससे सहन नहीं होती। दोष नग्नता का नहीं, अपने कृत्रिम जीवन का है। बीमार मनुष्य के आगे फले फल, पीष्टिक मेवे और सात्विक आहार भी स्वतंत्रतापूर्वक नहीं रखा जा सकता। यह दोष खाद्य पदार्थ का नहीं, बीमार की बीमारी का है। यदि हम नग्नता को छिपाने हैं तो नग्नता के दोष के कारण नहीं बल्कि मनुष्य के मानसिक रोग के कारण। नग्नता छिपाने में नग्नता की लज्जा नहीं है, वरन् उसके मूल में विकारी मनुष्य के प्रति दयाभाव है, उसके प्रति मरक्षण-वृत्ति है। ऐसा करने में जहाँ ऐसी श्रेष्ठ (आर्य) भावना नहीं होती, वहाँ कोरा दम्भ है।

परन्तु जैसे बालक के सामने नराधम भी शान्त और पवित्र हो जाता है—वैसे ही पुण्यात्माओं तथा वीतरागों के सम्मुख भी मनुष्य, शान्त और गभीर हो जाता है। जहाँ भय्यता है, दिव्यता है, वहाँ भी मनुष्य दब कर शुद्ध हो जाता है। यदि भूतिकार चाहते तो माधवी-लता की एक शाखा को लिंग के ऊपर से कमर तक ले जाते और नग्नता का ढकना असंभव न होता लेकिन तब तो बाहुबलि ही स्वयं अपने जीवन दर्शन के प्रति विद्रोह करते प्रतीत होते। जब बालक सामने आकर नगे खड़े हो जाते हैं, तब वे कात्यायनी

व्रत करती मूर्तियों की तरह अपनी नग्नता छिपाने का प्रयत्न नहीं करते । उनकी निर्लज्जता ही जब उन्हें पवित्र करती है, तब दूसरा आवरण उनके लिए किस काम का ?

जब मैं कारकल के पास गोमटेश्वर की मूर्ति देखने गया था, तब मेरे साथ स्त्री और पुरुष, बालक और वृद्ध सभी थे । हममें से किसी को मूर्ति के दर्शन करते समय अस्वस्थता का अनुभव नहीं हुआ । अन्धभा पैदा होने का प्रश्न ही नहीं था । मैंने अनेक नग्न मूर्तियाँ देखी हैं, परन्तु उनके दर्शन से मस्त मन विकारी होने की अपेक्षा निर्विकारी ही हुआ है । मैंने ऐसी भी प्रतिमाएँ तथा तस्वीरें देखी हैं जो वस्त्राभूषणालङ्कृत होने पर भी केवल विकारोत्पादक तथा उत्तेजक जान पड़ी हैं । केवल एक मामूली-सी लगोटी लगाने वाला नागा साधु हमें वैराग्य का पूरा-पूरा अनुभव करा देता है, जब कि सिर में पैर तक ढके हुए व्यक्ति की एक ही कटाक्ष और उसका तनिक-सा नखारा मनुष्य को अस्वस्थ बना कर पतित कर देता है ।

नग्नता के प्रति हमारी दृष्टि और विकारों के प्रति हमारा रुख दोनों ही बदलने चाहिए । हम विकारों का भी पोषण करना चाहते हैं और विवेक को भी रक्षा करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है ?

यद्यपि बाहुबलि बलवान है, फिर भी उनका शरीर यहाँ पहलवान जैसा नहीं दिखाया गया है । ऐसा करने की प्रवृत्ति तो यवन मूर्तिकार में थी । हमारे यहाँ के मूर्तिकार तो जड़ द्वारा चैतन्य की सृष्टि करना चाहते थे । वे मनुष्य की पाशविक शक्ति के व्यक्तिकरण की अपेक्षा पाशविक शक्ति पर विजय होने वाले वैराग्य और आत्म-सयम की प्रसन्नता का भाव प्रकट करने के लिये अधिक प्रयत्न करते थे । बाहुबलि की कमर में दृढता है, उनकी छाती विशाल है, सारी दुनिया का भार उठाना उनके लिए मामूली बात है । यदि वे कम्बुग्रीव होते, गूढजानु होते तो सम्पूर्ण मूर्ति अधिक शोभायमान होती—यह ठीक है, परन्तु यह छोटा और मोटा गला अनायास ही 'कॉलर' की शोभा देता है, और अपने ऊपर शोभित मस्तक के कौमार्य को भली प्रकार व्यक्त करता है ।

सम्पूर्ण शरीर कटा हुआ, यौवनपूर्ण, कोमल और कांतिमान है । ऐसी मूर्ति में अंगों के प्रमाण (Proportion) की रक्षा करना सयोग की ही बात है । एक ही पत्थर में से छोटी हुई ऐसी सुन्दर मूर्ति ससार में कोई दूसरी

नहीं है। मिश्र देश में बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं, लेकिन वे ऐसी अकड़ कर बैठी हैं कि राजत्व के सब लक्षणों और चिन्हों से युक्त होते हुए भी ऐसी मालूम पड़ती हैं, मानो बलात् बैठने के लिए बाध्य की गई हों। यहाँ ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी मूर्ति भी इतनी सलोनी और सुन्दर है कि भक्ति के साथ-साथ प्रेम की भी अधिकारी हो गई है।

बहुधा मूर्तिकार सम्पूर्ण मूर्ति को तो सुन्दर बना देते हैं, परन्तु जिसके द्वारा व्यक्तित्व का उभार दिखाया जाता है, उस चेहरे को नहीं बना पाते। इसलिए किसी मूर्ति को देखने समय मैं उसकी मुहामुद्रा की ओर निराशा की अपेक्षा लेकर ही डरते-डरते देखता हूँ। अच्छी से अच्छी मूर्तियों में भी कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। दूध-शक्कर में नमक की ककड़ी मिल ही जाती है। इस मूर्ति का सहज आगे आया हुआ अधरोष्ठ देख कर मन में शका हुई कि अब मेरा उत्साह नष्ट होने वाला है। इसलिए विशेष ध्यान पूर्वक देखने लगा। आगे से देखा, बगल में देखा, छिद्रान्वेषी की दृष्टि से देखा और भक्ति की दृष्टि से देखा। किसी न किसी निर्णय पर तो आखिर पहुँचना ही था। जब-तक मैं मूर्ति के सौन्दर्य को देखाता रहा, तब-तक कुछ निश्चय न कर सका। चित्त में अनिश्चितता की अस्वस्थता फैलने लगी। परन्तु शीघ्र ही मैं सचेत हो गया और मैंने पायल मन से कहा—“सौन्दर्य का तो यहाँ ढेर है, लेकिन यह स्थान सौन्दर्य खोजने का नहीं है। यदि मुख-मण्डल पर रूप-लावण्य हो, पर भाव न हो तो वह मूर्ति पूजनीय नहीं हो सकती। वह कुछ प्रेरणा ही नहीं दे सकती। यह मूर्ति यहाँ दुनियादारी की दीक्षा देने नहीं खड़ी है। इस मूर्ति से पूछो, यह स्वयं तुमसे सब कुछ कह देगी।”

नज़र बदली और उस मूर्ति की भावभंगिमा की ओर ध्यान गया। फिर तो कहना ही क्या था? क्षण भर में ही वैराग्य और कारुण्य का स्रोत बहने लगा। नहीं-नहीं, वैराग्य और कारुण्य का झरना झरने लगा और मन उसके प्रवाह में नहा कर भव्यता के शिखर पर चढ़ने लगा। एक आचार्य ने ऐसी ही किसी मूर्ति के दर्शन करते समय कहा है—यत्कारुण्यकटाक्षकान्तिलहरी प्रसालयत्याशयम्—“जिसकी कारुण्यपूर्ण कृपादृष्टि के जल प्रवाह से हृदय के भाव धुल कर स्वच्छ हो जाते हैं।” इस वर्णन की यथार्थता का पूरा-पूरा अनुभव हमें यही हुआ। मूर्ति के मुख पर सहज विषाद है। दीर्घकाल तक मनुष्य की दुर्बलता, उसकी नीचता, निस्मार जीवन के प्रति उसका

मोह आदि देखकर मानव-जाति के प्रति अपार दुःख मूर्ति की आँखों और होठों में समा गया है। इतना होने पर भी निराशा और खीझ का कहीं आभास तक नहीं मिलता। दुनिया तो ऐसी ही होती है, ऐसी ही है, इसीलिए तो उसके उद्धार का प्रश्न खड़ा होता है। मनुष्य की पापमय प्रवीणता अधिक बलिष्ठ है अथवा महापुरुषों, बोधिसत्वों, तीर्थंकरों और अवतारों की क्षमा तथा करुणा वृत्ति? इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य को सदा एक ही तरीके से जो मिला है, वही उत्तर हमें इस मूर्ति की मुख मुद्रा से मिलता है।

नीचे लटकते हुए कान, शरीर-रचना के अनुपात की रक्षा नहीं करते परन्तु मूर्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। यही क्यों, वे हमें सौन्दर्य दर्शन की दृष्टि भी देते हैं। इस मूर्ति की आँखें, इसके होठ, इसकी ठोड़ी, इसकी आँखों के ऊपर की भीह और इसके सम्पूर्ण चेहरे का कारुण्य, सभी कुछ असाधारण रूप से सुन्दर है। आकाश के नक्षत्र जैसे लाखों वर्षों तक चमकते हुए भी सदैव नवीन रहते हैं, उषा वैदिक काल से लेकर आज तक जैसे अपने लावण्य और नवीनता की रक्षा करती आई है, उसी तरह एक हजार वर्ष से यहाँ खड़ी यह मूर्ति भी वैसी ही नवीन, वैसी ही सुन्दर और वैसी ही बुद्धिमान है, धूप-हवा और पानी के कारण पीछे की ओर की पतली-पतली पपड़ी भले ही खिर गई हो, पर इससे मूर्ति का लावण्य नष्ट नहीं हो गया है। कहते हैं कि अमेरिका के किसी फण्ड के ट्रस्टी इस मूर्ति के पत्थर को जीर्ण होने से बचाने के लिए इसके ऊपर किसी प्रकार का मसाला लगाना चाहते थे, लेकिन जैनियों ने ऐसा नहीं करने दिया। उनका कहना है कि जब हजार वर्ष से यह मूर्ति ज्यों की त्यों खड़ी है तो भगवान् की कृपा होगी तो दूसरे हजार वर्ष तक भी यह ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी और यदि न रहेगी तो जिस स्थिति में होगी उसी में हम इसकी पूजा करेंगे। दूसरी ओर -- रक्षा करने वाले लोग कहने हैं कि इस मूर्ति पर अधिकार भले ही जैनियों का हो परन्तु इस सारे ससार की अपूर्व सम्पत्ति है, शिल्पकला का यह अद्वितीय रत्न है, अशेष मानव-जाति की अमूल्य विरासत है। हम बार्निश चढा कर इस मूर्ति को खराब नहीं करना चाहते। मूर्ति तो जैसी है, वैसी ही रहेगी, इसके प्रभाव में तनिक भी कमी न आयेगी। इस में जरा-सा भी और परिवर्तन न होगा। इसकी रक्षा करते हुए ही हम इसकी आया बढ़ाना चाहते हैं। वैज्ञानिक उपायों द्वारा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें इस मूर्ति की रक्षा करनी चाहिये। अन्यथा प्रभु के द्वारा प्रदत्त विज्ञान का हमारे लिए क्या उपयोग है? एक बार तो विज्ञान का सदुपयोग होने दीजिये।

दोनो ओर से कहने के लिए काफी है। दोनो ओर की दलीलो पर विचार करते-करते नजर फिर गोमटेश्वर की ओर गई। देखता हूँ तो मूर्ति, मूर्ति ही नहीं रह गई। स्वयं गोमटेश्वर ही मूक वाणी में कहने लगे — 'कितने नीच हो तुम ? मैंने वैराग्य की साधना की है, और तुम इस मूर्ति को कृपा की दृष्टि से देखते हो ! इसकी सुन्दरता पर मुग्ध होते हो ! मैंने तो क्षण भर में सारे ससार का चक्रवर्तित्व छोड़ दिया और तुम इस पत्थर की विरासत को भविष्य की पीढिय के लिए सुगन्धित रखना चाहते हो ! तुम आधुनिक भौतिकवादी इस पत्थर के रूप-लावण्य की उपासना करते हो और वे सनातनी जैन मेरी जीवन-कथा पर मुग्ध है और मेरे नाम पर रचे गये शास्त्र-वचनों के शब्दार्थ मात्र से चिपके हुए है। मेरे जीवन का ज्ञान इनको बहुत ऊँचा लगता है, इसलिए पूजा का लालच देकर मुझे, अपने जितना नीचा लाने का प्रयत्न करते रहते है। तुम दोनो एक में हो। अपनी इस चर्चा को एक ओर रखो। वैराग्य का सदेश सुनाने, समय की शिक्षा देते मैं नौ-सौ इक्कीस वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता ? तुम दिन-दिन अपने कल्याण मार्ग से दूर होते जा रहे हो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी कारण मेरे मुख पर विषाद का भाव गहरा होता जा रहा है ? तुम सर्दी-गर्मी, हवा और बरमान से मेरी रक्षा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बेहोशी और पागलपन की बढ़ती मात्रा को देख कर मेरे मुँह पर जो दुःख, ग्लानि और विषाद अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है, इससे मेरी रक्षा करने के लिए तुम क्या करने के लिए तैयार हो ? उसकी चर्चा करो, इसकी चिन्ता करो, विचार करो। पत्थर तो किसी न किसी दिन चूर्ण होता ही है। जो मूर्ति है वह तो कभी न कभी नष्ट होगी ही, लेकिन जो अब तक अवसर मिला उसका तुमने क्या उपयोग किया ? इस पत्थर की मूर्ति की रक्षा करनी हो तो भले ही करो। इसके बनाने वाले कारीगरो के प्रति यह तुम्हारा कर्तव्य है। परन्तु तुम्हारा मुख्य धर्म तो, जो बोध मुझे हुआ है और जिससे मेरा जीवन सफल हुआ है, उसकी परम्परा को अखण्डित या अविचलित बनाए रखना है। यही नहीं, यदि तुम्हारे बाद भी हजारों लाखों वर्ष तक यह मानव जीवन की परम्परा चले तो उन सब मनुष्यों को - अशेष सत्वों को मोक्ष का ज्ञान—केवल ज्ञान और मोक्ष की साधना का धर्म भी सुलभ हो जाय, इसका विचार करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही प्रत्येक का जीवन—कला, लावण्य और आनन्द से पूर्ण हो जायगा।”

जैन समाज से परिचय

जैन समाज के साथ मेरा परिचय

जैनेतर

हिन्दू की दृष्टि से जैनधर्म

समस्त हिन्दू

जैन समाज के साथ मेरा परिचय*

जैनो के सामने खड़े होकर जैन समाज या जैन धर्म के साथ का अपना परिचय बताना कोई सरल काम नहीं है। मैं तो अंग्रेज मनीषी एडमंड-बर्क के मत का हूँ कि किसी भी जाति, समाज अथवा राष्ट्र के बारे में सार्वत्रिक सिद्धान्त बनाये ही नहीं जा सकते। प्रत्येक सस्कृति की विशेषताएँ हो सकती हैं, परन्तु समाज में तो अनेक प्रकार के लोग होते हैं। अमुक जाति या वर्ग के सब लोग अच्छे और अमुक के बुरे जैसा भेद किया ही नहीं जा सकता। मनुष्य जाति सब जगह एकसी ही है।

और, जैन समाज के साथ मेरा परिचय भी कहाँ कितना व्यापक है ? मैं तो कुछ मित्रों को ही पहचानता हूँ। मैंने मुसाफिरी खूब की है। लेकिन वह तो नदियों और पर्वतों को, तीर्थों और मंदिरों को, गाँवों और उनकी परेशानियों को देखने के लिए की है। समाज की विविध प्रवृत्तियों के साथ मेरा परिचय सीमित ही है।

परन्तु, मनुष्य का परिचय कम हो या अधिक, उसके साथ उसे अपना अभिप्राय तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अभिप्राय बनाये बिना जीवन में व्यवहार सम्भव ही नहीं होता। परन्तु ऐसा अभिप्राय शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपने मन में भी उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अभिप्राय निश्चित हो तो भी वह अव्यक्त ही रह सकता है।

अपने अनुभव के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी समाज अपने लिए श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अन्य जातियों से अधिक अहिंसक होने का दावा भी जैनो को नहीं करना चाहिए। तफसीलों में या रीति-रिवाजों में भले ही भेद हो, लेकिन गुजरात की सभी जातियाँ समान रूप से अहिंसक हैं। आप चाहे तो इतना दावा जरूर कर सकते हैं कि जैन धर्म के प्रचार के कारण और आपके सहवास के कारण लोगों में इतनी अहिंसा आई है। ऐसे दावे में तथ्य जरूर है।

*ता 27-8-29 को जैन युवक सच, बम्बई में दिया हुआ भाषण।

किसी भी व्यक्ति या समाज के बारे में बोलते समय एक और असुविधा भी बाधक होती है। अगर गुण बताये जाय तो वह खुशामद अथवा ऊपरी शिष्टाचार माना जाता है, मानो मनुष्य दूसरो के दोष बताते समय ही सच बोलता हो। और, दोष बताते समय मनुष्य तटस्थ बुद्धि रखे तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मेरे जितने भी जैन मित्र हैं उनकी उदारता और सहिष्णुता पर मैं मुग्ध हूँ। कट्टर जैन समाज में उनकी प्रतिष्ठा कितनी है, यह मैं नहीं जानता। किन्तु मेरी दृष्टि में वे मित्र अहिंसा के सच्चे उपासक हैं। जैनो की सकुचितता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है वे दान करेंगे तो वह उनकी अपनी जाति तक ही मर्यादित रहेगा, मदद करेंगे तो वह अपनी जाति के नौजवानों की शिक्षा के लिए ही होगी, फंड एकत्र करेंगे या छात्रालय ख लेगे तो भी वह अपनी जाति के प्रति रही भावना के कारण ही होगा इस विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव इससे भिन्न है। मैं जिस राष्ट्रीय विद्यापीठ में काम करता हूँ, उसका विशाल भवन एक जैन सज्जन ने बनवाया है, समस्त धर्मों के धर्मग्रन्थों से अहिंसा शास्त्र की शोध करने की सुन्दर सुविधा एक अन्य जैन सज्जन ने वहाँ कर दी है। देश की दुर्दशा की दवा के रूप में हमने अभी-अभी ग्राम-सेवा की जिस योजना पर अमल शुरू किया है, उसका आर्थिक बोझ भी एक उदार हृदय वाले जैन सज्जन ने ही उठा लिया है। ऐसे किन्ने उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ।

परन्तु आप कहेंगे कि 'प्रत्येक जाति में ऐसे उदार सज्जन हो सकते हैं, आप एक जाति के नाते हमारा कुछ दोष बताइये।' मैं दोष बता सकू इतना निकट परिचय अभी जैन समाज के साथ मेरा नहीं है। किन्तु जो शकाये मेरे मन में उठी है उन्हें ही यहाँ प्रश्न के रूप में पूछ लूँ।

गुजरात के जैन अधिकतर गाँवों में रहते हैं या शहरों में ? यदि वे शहरों में ही रहते हों, तो आपको इस विषय में गहरा विचार करना चाहिये। जैन लोग अधिकतर खेती करते ही नहीं। क्या यह बात सच है ? यदि सच हो तो मुझे कहना चाहिये कि यह स्थिति गंभीर है। यदि ऐसा ही हो तो मैं कहूँगा कि आपको अपने अस्तित्व के बारे में और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में जितनी सावधानी रखनी चाहिये उतनी आप नहीं रखते। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहूँगा कि आप अहिंसा-धर्म के पालन की पूरी तैयारी नहीं करते। आहार पर जीने वाला मनुष्य खेती से विमुख रहे, यह कोई साधारण दोष है ?

समाजशास्त्र के आज तक के अपने अध्ययन के आधार पर मैंने एक अधूरा नियम ढूँढ निकाला है। जिस जाति ने जमीन के साथ अपना सीधा सम्बन्ध नहीं रखा है, उसने अपनी जड़ें कमजोर बना ली हैं। मैं यह मानता हूँ कि जो अनाज हम खाते हैं वह कैसे और कहाँ उत्पन्न होता है, यह हमें अनुभव से जानना चाहिये। कहीं-कहीं खेती में होने वाली हिंसा के कारण खेती से दूर रहने की बात कही जाती है। लेकिन मेरा अनुमान है कि जैन लोग ऐसा तर्क नहीं कर सकते क्योंकि जैनमत ने तो किये हुए, कराये हुए और अनुमोदित कार्य में समान दोष बताया है। जो अनाज खाया जाता है उससे सम्बन्धित खेती का दोष खाने वालों को लगता ही है। इतने पर भी यदि आपका धर्म इससे भिन्न कुछ कहता हो, तो मैं लाचार हूँ। मुझे जो कुछ उचित लगता है उसे आपके सामने रखना मैं अपना धर्म मानता हूँ।

धनी होने के दो ही मार्ग हैं (1) व्यापार उद्योग और (2) लूटपाट। व्यापारी व्यापार करते हैं और खूब धन इकट्ठा करते हैं। सरकार कानूनन लूटपाट करती है और धन के भण्डार भरती है। सरकार से मेरा मतलब केवल अंग्रेज सरकार से ही नहीं, आज की प्रत्येक सरकार यही काम करती है। वह व्यक्तियों को चूसती है और पशुबल से सर्वत्र राज्य चलाती है। व्यापार में समाज में पैसा आता है, परन्तु जमीन के साथ सम्बन्ध रखे बिना समाज में स्थिरता नहीं आती। पैसा शहर की चीज है। इसमें कोई शका नहीं कि हमने शहर में ही रहने के कारण अपने अनेक गुण खो दिये हैं। कुदरत के साथ सीधा सम्बन्ध तो गाँव में रहने से ही स्थापित हो सकता है। जो मनुष्य गाँव में रहता है वह ऋतु के परिवर्तनों का, खुली हवा का, खूली धूप, ठण्ड-गरमी और बरसात का, भव्य आकाश तथा पक्षियों के मीठे कलरव का अनुभव कर सकता है। जिसे खेती करनी होती है वह आकाश की ओर टकटकी लगाकर बैठता है और रात के तारों तथा दिन के सूर्य-प्रकाश के साथ एक रूप होकर जीवन बिताता है। आत्म-रक्षक वृत्ति का विकास करने के लिए भी खेती अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि किसान को कुदरत के तथा पशु-पक्षियों के अनेक आक्रमणों के सामने निरन्तर जूझना पड़ता है। इसी दृष्टि से मैं कहता हूँ कि क्षत्रिय और क्षत्रीय (किसान) में मैं बहुत भेद नहीं करता। गाव के किसानों ने सदा ही आत्म-रक्षक वृत्ति दिखाई है। शिवाजी ने और बारडोली के किसानों ने यह बात सिद्ध कर दिखाई है। जब सत्ताधारी का आदेश निकलता है कि 'you shall yield' (तुझे झुकना ही पड़ेगा) तब किसान ही यह उत्तर दें

सकता है कि 'I shall neither break nor bend' (मैं न तो टूटूँगा और न झुकूँगा)।

हम विश्व में अहिंसा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसे आप और मैं दोनों मानते हैं। फिर भी इस शरीर के साथ इस जीवन में सपूर्णतया अहिंसा का आचरण करना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सका। भविष्य में भी कभी यह संभव नहीं होगा। हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी वर्तमान प्रवृत्तियों में हिंसा को यथासंभव कम करना ही हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हमारी सासारिक प्रवृत्तियाँ चलती रहे तब तक अहिंसा-धर्मियों को अहिंसा के नये-नये प्रयोग चानू रखने ही होंगे, इसी प्रकार हमें यह भी देखना चाहिए कि खेती के काम में अहिंसा की ओर बढ़ने की कितनी संभावना है, क्योंकि खेती को हम जितनी अहिंसक बना सकेंगे सम्पूर्ण जगत उतना ही अहिंसक बनेगा। बाहर के जीवन में हम अहिंसा की चाहे जितनी बातें करें, परन्तु जिस अन्न के बिना हमारा और जगत का जीवन एक दिन के लिए भी नहीं चलता, उसे उत्पन्न करने वाली खेती को जब तक हम विशुद्ध नहीं बनायेंगे तब तक अहिंसा-धर्म हमारे जीवन के मूल को स्पर्श नहीं कर सकता। सन्यासी समस्त प्रवृत्तियों से दूर रहकर स्वयं बड़ा अहिंसक होने का दावा कर सकता है, परन्तु उसके दावे की बहुत कीमत नहीं है। अहिंसा-धर्म जीवित और जाग्रत विश्वधर्म है और उसकी पूर्णता हम जीवन में कभी सिद्ध कर ही नहीं सकते। इस अहिंसा-धर्म का आचरण हिंसक मानी जाने वाली प्रवृत्तियों से दूर रह कर तथा दूर रहते हुए भी उन प्रवृत्तियों के फलों का लाभ उठाकर हम कभी करा ही नहीं सकते। मैं इस बात की ओर जैन मित्रों का खास तौर पर ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य ससार की स्थिति के लिए अनिवार्य प्रवृत्तियों से हिंसा के तत्त्व को यथासंभव दूर करने में निहित है।

इस तरह विचार करने पर मैं यह मानता हूँ कि जैन समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, स्वास्थ्य-विषयक दृष्टि अथवा अत में मोक्ष की दृष्टि से भी जमीन के साथ अपना सम्बन्ध बढ़ाना ही चाहिये। मैं यह कहने की इजाजत लेता हूँ कि जब तक जैन लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनकी प्रतिष्ठा स्थिर भूमि पर टिकी हुई नहीं मानी जा सकती।

जैन समाज के साथ मेरा बहुत गहरा अथवा विस्तृत परिचय नहीं है। मेरा परिचय है पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों के साथ तथा जिन लोगों की सेवा

का मैं सदा लाभ उठाता रहता हूँ, उनमें से कुछ गरीब भाइयों के साथ। मेरे जीवन का मुख्य कार्य है शिक्षा। विद्यापीठ, मेरे साथी, मेरे विश्वार्थी और मैं—यही मेरी दुनिया है। इन सबके होते हुए भी मुझे जो थोड़े से जैन मित्र मिले हैं, वे बड़े अच्छे—प्रेमल, उदार और पूरे सहिष्णु हैं और उनके कारण मेरा जैन समाजके विषय में हमेशा बहुत ऊँचा ख्याल रहा है। मैंने तो उन मित्रों में ऊँचा जैनत्व और अहिंसक वृत्ति देखी है। यहाँ अहिंसकता का अर्थ मैं उदार सहिष्णुता करता हूँ। मेरा विश्वास है कि यही एक ऐसी चीज है, जिसकी आज की दुनिया को बड़ी आवश्यकता है, और जैन लोग यदि चाहे तो दुनिया को यह चीज दे भी सकते हैं। आज आप दुनिया में प्रचलित मासाहार को नहीं रोक सकते, क्योंकि आज तो कुछ स्थानों में इसके विपरीत बड़ी विचित्र हवा बह रही है। जैन शास्त्रों का सर्वत्र खूब अध्ययन हो, इसके लिए जैन मित्र बहुत आतुर रहते हैं। मुझे कोई भी जैन पुस्तक छपवानी हो तो उसके लिए पैसे प्राप्त करने में मुझे बहुत कठिनाई नहीं हो सकती। लेकिन आज हमें यह काम नहीं करना है। आज तो हमें दुनिया की पीड़ा जाननी है और उसे दूर करने का उपाय सुझाना है। यह उपाय अहिंसा में है, और यदि जैन धर्म का समुचित निरूपण किया जाय, तो दुनिया उससे बहुत स्वस्थता प्राप्त कर सकती है।

आज जब मैं जैन शब्द का प्रयोग करता हूँ तब जैन नाम धारण करने वाले को जैन मानकर मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता, इस शब्द का प्रयोग मैं ऐसे लोगों के लिए करता हूँ, जिनमें जैन-भावना अंतर्भूत हो गई है। 'Hindu view of Life' के लेखक श्री राधाकृष्णन् के शब्दों में मैं भी यह मानता हूँ कि धर्म-परिवर्तन कराने का प्रयत्न जब तक रुकेगा नहीं तब तक जगत में शान्ति नहीं होगी। प्रत्येक धर्म में अपना विकास करने की पूरी गुंजाइश और पूरी सामग्री होती ही है। प्रत्येक धर्म कम या अधिक मात्रा में अहिंसा-परायण है और उतने अंश में उसमें जैनत्व है।

मुझे तो आपसे दो ही बातें कहनी हैं आप सहिष्णु बनिये, और जीवन की जरूरतों को यथासंभव कम कीजिये। आप अपनी जरूरतें कम नहीं करेंगे तब तक आप सच्चे अहिंसक बन ही नहीं सकते। हमारा साधारण जीवन तरह-तरह के द्रोहों से भरा है। धन-सम्पत्ति अद्रोह से मिल ही नहीं सकती। अपने में से कुछ लोगों के लिए आप जप-तप करने की सुविधा जुटा दें और

बाकी के लोग जो कुछ करते हो वही किया करे, तो इससे समाज कभी अद्रोही अथवा अहिंसक बन ही नहीं सकता ।

हिन्दू धर्म ने एक ही बात कही है—और जैन धर्म उसमें आ जाता है, वह यह है कि कोई भी धर्म झूठा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक धर्म के सत्याश का आश्रय लेकर मनुष्य परम कोटि को प्राप्त कर सकता है और इसलिए धर्म-परिवर्तन करना व्यर्थ है । इसी विचार में स्याद्वाद के तत्त्व का मार आ जाता है । 'दूसरे लोग जो कुछ कहते हैं वह बिलकुल झूठ कहते हैं', ऐसा कहने वाले लोग पहले तो स्याद्वाद-मूलक जैन धर्म का ही द्रोह करते हैं ।

आप पैसा खर्च कर के जो पंडित उत्पन्न करेंगे उनसे आपका साहित्य तो खूब बढ़ेगा, परन्तु धर्म का या जगत का उद्धार नहीं होगा । गांधीजी को कितने ही लोग उत्तम जैन—उत्तम हिन्दू—के रूप में स्वीकार करते हैं । इसका कारण गांधीजी का पांडित्य नहीं है, परन्तु उनका चारित्र्य, उनका अनुभव और उनकी तपस्या है । वे ही गांधीजी कहते हैं कि इनमें से कुछ अच्छी-अच्छी बातें मुझे श्रीमद् राजचन्द्र में मिली हैं । और इन राजचन्द्र में भी असाधारण पांडित्य नहीं था, उनमें था तपोमय जीवन और, विश्वव्यापी विशाल भावना । इन दोनों सद्गुणों को अपना कर आप जगत को जैन धर्म का सच्चा दर्शन करा सकते हैं । आज कुछ पाश्चात्य विचारक यह मानने हैं कि भारत ने अपना सदेश जगत को मुना दिया है और जगत ने उसे ग्रहण कर लिया है । अब भारत के पास जगत को देने के लिए कुछ रहा नहीं है, और इसलिए अब भारत को जीने का कोई अधिकार नहीं है । यदि अब हमें जगत को कुछ नहीं देना है और यदि हम मृतप्राय बन गये हैं, तो हमें ऊपर का अभिप्राय स्वीकार कर लेना चाहिये । यदि ऐसा न हो तो हमें अपने में प्रेरणा, उत्साह, ओजस्विता और नव-निर्माण की शक्ति दिखानी होगी, अपनी विरासत को उत्तरोत्तर बढ़ाना होगा और अपने अस्तित्व से जगत को समृद्ध तथा गौरवान्वित करना होगा ।

जैनेतर*

एक बार एक पुस्तक मेरे हाथ में आई। उसका नाम था 'जैनेतर दृष्टि से जैन।' उसमें मेरे भी दो लेख थे। अनेक बड़े-बड़े लोगो की पक्ति में अपना नाम देखकर मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन विशेष शोध तो उस दिन मैंने यह की कि हम जैनेतर हैं। उसके पहले मैं ऐसा कुछ जानता नहीं था।

'इतर' शब्द बड़े मजे का है। यह शब्द मैंने पहले-पहल सुना था कॉलेज में पढाये जाने वाले, तर्कशास्त्र में। 'मनुष्येतर भिन्न मनुष्य'—ऐसी शास्त्रशुद्ध, तर्कशुद्ध परन्तु ज्ञान में शून्य की वृद्धि करने वाली व्याख्याये तर्कशास्त्र में आती थी। 'जो मनुष्य नहीं है उससे जो भिन्न है वह मनुष्य है।' इसलिए घानी के बेल की तरह घूम-फिर कर जहाँ से चलते वही फिर आना होता था। तर्कशास्त्र की भी कैसी बलिहारी है कि इस प्रकार की व्याख्यायें देकर वह ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है ?

इसके बाद 'इतर' शब्द सुनने में आया मद्रास की ओर के 'ब्राह्मणेतर' पक्ष के नाम में। मैं यह मानता था कि ब्राह्मणेतर लोग हिन्दू तो होंगे ही। एक बार मैं मदुरा के एक ईसाई मित्र के घर ठहरा था। मैं उनका मेहमान था इसलिए घरके सब लोगो को शाकाहार करना पडता था। मैंने उनसे मजाक में कहा 'शाकाहारी बनकर आप कुछ समय के लिए तो हिन्दू हो ही गये।' लेकिन बाद में पता चला कि वे वास्तव में 'ब्राह्मणेतर' पक्ष के माने जाते हैं। मैंने यह भी देखा कि वहाँ के ब्राह्मणेतर पक्ष का नेता भी दूसरा एक ईसाई ही है। जो मनुष्य ब्राह्मण नहीं है वह ईसाई हो या पारसी, ब्राह्मणेतर क्यों नहीं माना जा सकता ? तर्क की दृष्टि का उपयोग करके मैंने पूछा 'यह टेबल ब्राह्मणेतर मानी जायगी या नहीं ? यह लालटेन भी ब्राह्मणेतर है न ?'

जो लोग हम से भिन्न हैं उनके बारे में कुछ न जानना और उन सबको एक ही नाम के नीचे लाना, यह मनुष्य-समाज का पुराना रिवाज है। वेदों में भी यह दिखाई देता है कि जो आर्य नहीं हैं वह दास या अनार्य हैं। इस प्रकार

* पर्युपण-पर्व के उपलक्ष में अहमदाबाद में आयोजित व्याख्यान-माला में ता० 12-9-31 को दिया गया भाषण।

आर्योतंगे में आर्यों से भिन्न संपूर्ण सृष्टि आ सकती है। जो मनुष्य इस्लाम को स्वीकार नहीं करता, वह मुसलमानों की दृष्टि में काफिर है। जो मनुष्य यहूदी नहीं है उसे यहूदी लोग 'जेन्टाइल' मानते हैं। 'जेन्टाइल' सब अपवित्र और अशुचि मान जाते हैं। ईसाइयों की दृष्टि में जो ईसा मसीह की शरण में नहीं गया है वह 'हीदन' है, उसका जीवन ही पापमय है। दक्षिण भारत में लिगायत लोग होते हैं। वे मन्दिर नहीं बनाते, लेकिन शिवलिंग को गले में बांधकर घूमते हैं। जो लोग उनकी जाति के नहीं होते उन्हें वे 'भवी' कहते हैं। 'भवी' मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। वे सब भव-सागर के प्रवाह में बह जाने वाले हैं। ग्रीक लोग में भी यही वृत्ति पाई जाती है। जो लोग ग्रीक नहीं हैं वे सब असस्कारी 'बार्बरियन' हैं।

इस मारी मनो-रचना के पीछे एक प्रकार का समूह-धर्म है। आप समूह के धर्म को मानें, तो आपका उद्धार होगा। समूह से बाहर के सब लोग जगली, गड़े, मैने अथवा विचित्र हैं। ऐसा समूह-धर्म यदि 'जन्म से जाति' के सूत्र को मानने वाले हमारे सनातनियों में हो, तो उसे समझा जा सकता है। यहूदियों में भी उसे समझा जा सकता है। लेकिन जैन धर्म में वह क्यों होना चाहिये? फिर भी जैन को भी इस समूह-धर्म की छूट लगी है। महाराष्ट्र के जैन शुरु-शुरु में तो सनातनियों की तरह ही रहते थे। वे गणपति की पूजा करते थे और छुआछूत भी पालते थे। शास्त्र के जानकार किसी मुल्ला के मिलने पर जिस प्रकार मुसलमान, धर्म का जोश पैदा हो जाता है, उसी प्रकार किसी जैन पंडित के मिलने और कहने से हमारे यहाँ के जैनो ने गणपति का उत्सव मनाना छोड़ दिया। तभी हमें पता चला कि जैन नाम का कोई स्वतंत्र पथ है। उस समय तक हम इतना ही जानते थे कि जो लोग रात में भोजन नहीं करते और अपने मन्दिर में दूसरों को जाने नहीं देते वे जैन हैं। यह जैन और जैनेतर का भेद 'जैनेतर दृष्टि से जैन' नामक पुस्तक मेरे हाथ में आई उस समय फिर से ताजा हो गया।

सामान्यतः धर्म दो प्रकार के होते हैं सामाजिक धर्म और मोक्ष धर्म। सामाजिक धर्म में इहलोक और परलोक का विचार तो होता है, किन्तु मोक्ष का इतना आग्रह नहीं होता—उनावली तो होती ही नहीं। सनातनिय में केवल सन्यास-धर्म में ही मोक्ष की उत्कठा दिखाई देती है। बाकी सब को भुक्ति (भोग) भी चाहिये और यथासमय मुक्ति (मोक्ष) भी चाहिये। सनातनी लोग दूसरों को अपने धर्म में निमंत्रित नहीं करते, पारसी भी नहीं करते और यहूदी भी नहीं

करते। लेकिन जिन लोग को मोक्ष का, निर्वाण का अथवा कैवल्य का मार्ग मिल गया है, उन्हें तो सभी को निमंत्रित करना चाहिये। उनके यहाँ सबका स्वागत होना ही चाहिये। किसी धर्म की दीक्षा मिलने पर ही वास्तव में मनुष्य उस धर्म का अनुयायी माना जा सकता है। जिस धर्म में सबका स्वागत होता है, उसमें अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इस्लाम में अस्पृश्यता नहीं है। ईसाईयो में नहीं है, बौद्धों में भी नहीं है। जैनो में भी नहीं हो सकती। लेकिन निरीक्षण करने से पता चलता है कि सनातन धर्म का असर जैनो पर भी हो गया है। मुसलमानों और ईसाईयो को भी इस बुराई की छूत लग गई है।

सिन्ध में एक मुसलमान से मेरी बात हो रही थी। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हिन्दुओं के अनेक दोष दिखाकर अंत में उसने मुझसे कहा “मैं तो हिन्दुओं के हाथ का पानी भी नहीं पीता” उसकी बात चुपचाप सुन लेने के बाद मैंने कहा ‘तब तो हिन्दू धर्म की विजय ही हुई न ? सनातनियों में यह रिवाज है कि वे अपने से नीची कक्षा के लोगों के हाथ का पानी नहीं पीने। इस बात को आप जिस हद तक स्वीकारें उस हद तक आप हिन्दू हो गये। मुझे आप नीची कक्षा का आदमी बनें वही, लेकिन यह ऊँच-नीच का भेद तो हिन्दू कमीटी में ही मापा जायगा न ? और एक बार आपने हिन्दू कमीटी स्वीकार की फिर तो ऊँचा कौन और नीचा कौन, यह अपने आप सिद्ध हो जायगा।’

मजाक की बात को छोड़कर मैं कहूँगा कि जैनो को इस ऊँच-नीच-भेद तथा इस अस्पृश्यता को अपने समाज में नहीं घुसने देना चाहिए था। मेरी दृष्टि में तो जो अस्पृश्यता में विश्वास रखता है वह जाति से भले ही जैन हो, लेकिन वास्तव में जैनतर ही है ? मोक्ष धर्म में अस्पृश्यता कैसे हो सकती है ? जो मनुष्य उत्साह-पूर्वक आत्मा का विकास करना चाहे, केवल आत्मा के कल्याण की दृष्टि से ही जीये, वह जैन है। दूसरों के प्रति जनूनी होने के बजाय स्वयं अपने प्रति जनूनी होना और तपोमय जीवन व्यतीत करना कितना उत्तम है ? सनातनियों ने एक आसान रास्ता खोज निकाला है। जो लोग मोक्ष के लिये आतुर हैं, उन्हीं के लिये उसने मोक्ष धर्म रख छोड़ा है। सन्यास धर्म की दीक्षा लेकर यदि कोई उस के पालन में शिथिलता दिखाये, तो सब कोई उसे धिक्कारते हैं। मोक्ष की लगन न हो तो कोई सन्यासी बनेगा ही क्यों ? मैं तो मानता हूँ कि जिसे मोक्ष की, कैवल्य पद की लगन लगी है वही जैन है। बाकी के सब लोग जैनतर हैं। उन्हें सनातनी भले ही कह लीजिये। सनातनियों में सब के लिए स्थान है। समूह धर्म की कमीटी को सामने रखकर यदि जैन और जैनतर का भेद हम करें तब तो जैन धर्म टिक ही नहीं सकता।

एक बार मैं नागपुर की और रामटेक की पहाड़ी देखने गया था। उसकी तलहटी में एक जैन मन्दिर है। उस मन्दिर के पास धन-दौलत होगी, अतः उसकी रक्षा के लिए सिपाही, बन्दूक, तलवार सब कुछ रखा गया था। मैं तो वह सब देखकर दग रह गया। मैंने पूछा “क्या यह शाक्त मंदिर है? यहाँ मैं दुर्गापाठ करूँ?” मन्दिर के पुजारियों ने मुझ से कहा “नहीं, नहीं, यह तो जैन मन्दिर है।” मेरी बात वे लोग समझे नहीं, और उनकी बात मैं नहीं समझा मैं वहाँ से लौट आया। मन में विचार उठा जहाँ धन का सग्रह है और उसकी रक्षा के लिये जहाँ राज्यसत्ता की सहायता ली जाती है, जहाँ हिंसा के हथियार खुले तौर पर रखे जाते हैं, वहाँ जैन धर्म कैसे हो सकता है? आखिर समूह धर्म ने जैन धर्म पर विजय प्राप्त कर ली है। आत्मा को भूल जाने के बाद और अनात्मा को ऊँचा मानने के बाद छोटे-छोटे आचारों का पालन किया तो भी क्या और न किया तो भी क्या?

आज के दिन का उपयोग हृदय शुद्धि के लिए किया जाना चाहिये। हृदय शुद्धि तो होगी तब होगी, लेकिन हम विचार शुद्धि तो कर ले। जो मनुष्य आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं करता, जो मनुष्य केवल आत्मा को ही पहचानने और उसकी रक्षा करने का प्रयत्न नहीं करता, वह धार्मिक नहीं है, जैन तो वह किसी भी हालत में नहीं है।

इस्लाम में एक सिद्धान्त का बड़े जोरा से उपदेश किया गया है। ईश्वर एक है, अद्वितीय है, उसके साथ किसी दूसरे मनुष्य को या पदार्थ को मिलाया नहीं जा सकता, शरीक नहीं-किया जा सकता, यह इस्लाम का एक महान् सिद्धान्त है। ईश्वर के साथ दूसरे किसी को मिलाने के गुनाह को शिक कहा जाता है। जो मनुष्य शिक का गुनाह करता है वह मुशरिक है— काफिर है। इस्लाम का यह सिद्धान्त मुझे अच्छा लगता है। हम अपनी परिभाषा में इस सिद्धान्त का विचार करें। अनर्यामी परमात्मा ही हमारी शुद्ध आत्मा है। उसके साथ हम अनात्मा को मिला दें, तो यह ‘शिक’ का गुनाह होगा। जो मनुष्य केवल आत्मा के प्रति ही सच्चा है, आत्मा की उन्नति के लिए ही जीता है, अनात्मा के मोहजाल में नहीं फसता, वही जैन है। बाकी के सब लोग जैनेतर हैं। इस शुद्ध विचार की दृष्टि से क्या हम सभी जैनेतर नहीं हैं? कौन आत्मा परायण है और कौन नहीं है, यह तो मनुष्य का अपना अन्तर ही उससे कह सकता है। बाहरी जीवन से तो लगता है कि मैं भी जैनेतर हूँ और आप लोग भी जैनेतर हैं। फिर भी यदि इस समाज में कोई जैन हो तो उसे मेरे हजार-हजार प्रणाम।

हिन्दू की दृष्टि से जैन धर्म*

जैनियों के साथ मेरा ऋणानुबन्ध कुछ अजीब-सा है। मेरे बचपन में एक दिगम्बर जैन-परिवार हमारे पड़ोस में रहता था। मैं उनके घर में खेलने जाता। लेकिन देखा कि इर्द-गिर्द के लोग उनसे सम्बन्ध नहीं रखते। कहते कि “ये बोपारी लोग अच्छे नहीं।” मेरे साथ तो उनका सलूक अच्छा था, इसलिए मैंने अपने लोगों से पूछा कि “इनमें क्या बुराई है ?” कहा गया कि “इनके मन्दिर में नग्न मूर्ति की उपासना होती है।” दूसरा कारण यह बताया कि “ये लोग अहिंसा को मानते तो हैं, लेकिन चलने-फिरने में जो अपरिहार्य हिंसा होती है उसका पाप बड़ी खूबी से दूसरे किसी के सिर पर डाल देते हैं।” इस जवाब से मुझे सन्तोष नहीं हुआ, लेकिन जैनों के बारे में जानकारी हासिल करने का कुतूहल जागा।

मैं देखता हूँ कि अपने देश में हम हजारों वर्षों से ऐसा कूप-मडूक का जीवन व्यतीत करते हैं कि पड़ोसियों के बारे में भी घोर अज्ञान रहता है। लोग अपने सम्प्रदाय के बाहर का कुछ जानते ही नहीं। जो जानते हैं वह विकृत रूप में और सशोधन तो कभी करते ही नहीं। नग्न मूर्ति की पूजा का नाम सुनते ही शावत-सम्प्रदाय की कल्पना मन में खड़ी हो जाती है और स्वाभाविक रूप से मन में जुगुप्सा पैदा होती है। किन्तु वीतराग मुनियों की नग्नता कुछ और चीज है। आज मैं कला और नीति दोनों दृष्टियों से इस नग्नता का समर्थक हूँ और अहिंसा के बारे में तो कह सकता हूँ कि अपना पाप दूसरे के मत्थे मढ़ देने की बात जैन धर्म में नहीं है। कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा का स्वरूप पहचानते-पहचानते जैन-मुनि बहुत गहराई तक पहुँचे हैं। हिंसा करना, करवाना या उसका अनुमोदन करना—तीनों को वे एक-सा पाप समझते हैं।

धर्मों की स्थापना भले ही शुद्ध, सात्विक लोगों ने की हो, किन्तु उनके सम्प्रदायों का विस्तार और प्रचार करने वालों में रजोगुण की कमोबेश मात्रा होने के कारण सब धर्म-परम्पराओं में कुछ न कुछ दोष आ ही जाते हैं।

* 28 फरवरी 1959—फिरोजाबाद में श्री वर्णा अभिनन्दन सभा में दिया गया भाषण।

अतिशयोक्ति, अहंकार, अभिमान, परतिन्दा, असहिष्णुता आदि दोष सब धर्म के लोगो मे पाये जाते हैं। जहाँ आग्रह आया, वहाँ एकागिता आ ही जाती है। यह सब जानते हुए भी जिम तरह मैं अपने धर्म के प्रति श्रद्धा-भक्ति रखता हूँ, वैसे ही और धर्मों के प्रति भी रखता हूँ। अपने दोषो के प्रति जैसा सौम्यभाव रहता है वैसा ही सबके दोषो के प्रति भी आवश्यक समझ गया हूँ। अगर भेद-भाव रखना ही है तो हम अपने दोषो के प्रति कठोर बन सकते है। स्याद्वाद ने मुझे सिखाया है कि औरो की स्थिति को हम बराबर समझ नही सकते, इम कारण भी औरो के दोषो के प्रति क्षमाभाव और मौम्यता धारण करनी चाहिये।

‘हिन्दू’ शब्द हमारे धर्मशास्त्र मे कही नही आता। औरो ने हमारे देश, हमारी सस्कृति और हमारे समाज के लिए ‘हिन्दू’ शब्द लगाया है। सिन्धु नदी के किनारे जो सस्कृति सगठित हुई और सारे देश मे फैली, वह सस्कृति हिन्दू-सस्कृति है। सस्कृति के मानी है, जीवन-दृष्टि और जीवन-व्यवस्था। इस हिन्दू-सस्कृति के अन्तर्गत अनेक धर्म, अनेक सम्प्रदाय, अनेक साधनाएँ पथ और फिर्के पाये जाते है, उनके अन्दर सूक्ष्म और मौलिक भेद जरूर है, लेकिन जिस तरह एक ही परिवार के लोगो की शक्लो मे पारिवारिक साम्य दीख पडता है, वैसे ही हिन्दू-सस्कृति के सब सम्प्रदायो मे एक-जानीयता पायी जाती है। इन सब का स्वभाव एक-सा है, इनकी समाज-व्यवस्था करीब-करीब एक-सी है। गुण-दोष भी एक-से पाये जाते है। यह सब देखकर ‘हिन्दू’ शब्द की व्याख्या करनी चाहिये, निरुक्ति के सहारे हम कह सकते है कि—

‘हिसया दूयते चित्त यस्या सौ हिन्दुरीरित —‘हिसा की कल्पना मात्र से ही जिसका चित्त दुखी होता है, उद्विग्न होता है, वह है ‘हिन्दू’।’ हिन्दू का स्वभाव ही है कि वह ‘भूतानुकूल्य भजने’ सब प्राणी स्वभाव से ही औरो का द्रोह करके जीते हैं। धर्म कहता है कि द्रोह बुरी चीज है। ‘अद्रोहेणैव भूताना अल्पद्रोहेण वा पुन’ अपनी-अपनी आजीविका प्राप्त करनी चाहिये। मनुष्य से लेकर सूक्ष्म जीवो तक सब के प्रति प्रतिकूल भाव छोड देना और गव के प्रति अनुकूल बनना—यही है हिन्दू-वृत्ति, हिन्दू-स्वभाव। इस स्वभाव का विकास सब मे एक-सा नही हुआ है। कोई बहुत आगे बढे है, कोई कम, लेकिन सब का प्रस्थान उस एक ही दिशा मे है। इसीलिये ये सब हिन्दू है। इन हिन्दुओं की धार्मिक जीवन-धारा प्राचीन काल से श्रमण और ब्राह्मण इन दो

प्रवाहो मे वहनी आयी है । इन दोनों के बीच गुणो और दोषो का आदान-प्रदान हमेशा चलता आया है । ब्राह्मण यानि वैदिक धारा मे जो हिंसा मूलक यज्ञ-सम्या चल रही थी, वह श्रमण सस्कृति के और सन्तो के प्रभाव से नाम शेष हो गयी ।

यज्ञ-सम्या का प्रारम्भ शायद हिंसा से नही हुआ होगा, लेकिन उसका विस्तार पशु हिंसा के रूप मे ही हो गया ।

जात-पात भेद शायद शुरू मे वैदिक सस्कृति मे नही थे । आज के रूप मे तो वे नही ही थे । लेकिन वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था ही वैदिक सस्कृति का प्रधान रूप बन गया । यह वर्ण और जाति-व्यवस्था श्रमण सस्कृति से अनुकूल नही थी, तो भी उसका आक्रमण श्रमण-सस्कृति पर काफी मात्रा मे हुआ है । जब वैदिक-परम्परा के हम लोग इस जाति-व्यवस्था को धर्म-विरोधी समझकर तोड़ने को तैयार हुये है, तब श्रमण-सस्कृति के लोग उसे अपने समाज का प्राण समझकर कभी-कभी मजबूत करने की कोशिश करते है ।

जाति-भेद तो सकुचितता और ऊँच-नीच भाव पर ही आधारित है । वर्ण व्यवस्था मे व्यक्ति का जीवन-विकास एकागी ढग से होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण मानो किसी एक यन्त्र के पुर्जे है । यन्त्र मे सम्पूर्णता भले हो, पुर्जो का जीवन एकागी ही होता है । अथवा यो कहे कि जीवन उनका स्वतन्त्र है ही नही । आज की मानवता का तकाजा है कि व्यक्ति के जीवन मे एकागिता का प्रवेश समाज के लिये खतरनाक है ।

श्रमण-सस्कृति ने वर्ण-व्यवस्था को न स्वीकार किया और न उसका विरोध ही । उसकी उपेक्षा ही की । वैदिक-परम्परा के विकास मे जब क्रिया-काण्ड चेतनहीन हो गया, तब सन्तो का प्रादुर्भाव हुआ । सन्तो ने भी वर्ण और जाति को अप्रतिष्ठित किया, और इतना तो स्पष्ट कहा कि मानवी विकास के लिये वर्ण और जाति पोषक नही, बाधक है । श्रमण-सस्कृति का ही यह फल था । इस प्रकार यह साफ है कि श्रमण-सस्कृति और ब्राह्मण-सस्कृति दोनों धाराए समानान्तर बहती आयी हैं । दो नो के बीच आदान-प्रदान चलना रहा है अच्छाइयो का भी और बुराइयो का भी ।

अब हम इन दोन. के बीच समान भाव से बढी और एक सस्था का विचार करें । वह है मन्दिरो की सस्था । मूल वैदिक-सस्कृति मे शायद

मूर्तिपूजा नहीं थी। मन्दिर तो थे ही नहीं। यज्ञ-संस्था ही उस संस्कृति का बाह्य स्वरूप था। सम्भव है, मूर्तिपूजा और मन्दिर की संस्था इस देश में बाहर से ही आयी हो। बौद्ध विद्वान् धर्मानन्द कोसबी का कहना था कि 'हमारे यहाँ मूर्तिपूजा शायद अरबस्तान से आयी है।' मेरा खयाल है कि यूनानी और रोमन लोगों का अनुकरण करके हमने अपने यहाँ मूर्तिपूजा और मन्दिरों का विस्तार किया होगा। मूर्ति और मन्दिर की स्वीकृति शायद श्रमण-संस्कृति में पहले हुयी, बाद में वैदिक लोगों ने उसे अपना ली होगी। इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे चलकर जब श्रमण और ब्राह्मण दोनों धाराओं में शान्त पद्धति का प्रचार हुआ, तब मूर्तिपूजा में अनेक दोष भी आ गये और मन्दिरों द्वारा अनेक बुराइयों का समर्थन होने लगा। सनातनी मन्दिरों में खान-पान, भोग-नैवेद्य का झंझट बहुत है। मन्दिरों में किसी बड़े राजा के सुखोपभोग और विलास का अनुकरण ही होता है। जैन मन्दिरों में यह झंझट नहीं है। भोग-नैवेद्य के रूप में जहाँ खान-पान का व्यवहार आया वहाँ स्पर्शास्पर्श का पाखण्ड आ ही जाता है। जैन मन्दिरों में नैवेद्य का विधान न होने से दर्शन की इजाजत हर किसी को आसानी से दी जा सकती है। जैन-धर्म विश्व-धर्म है। वह सब को अहिंसा, तप और आत्मोन्नति की ओर बुलाता है। ऐसे मन्दिर में किसी को भी दर्शन की रुकावट नहीं होनी चाहिये।

हिन्दू धर्म की श्रमण धारा में उच्च-नीच भाव का और स्पृश्यास्पृश्य का विधान हो नहीं सकता। मन्दिर में जाकर दर्शन और पूजा करने से अगर कोई धार्मिक या आध्यात्मिक लाभ होना हो, तो हरिजनों को उससे वंचित नहीं रखना चाहिये।

यहाँ मैं जरा अपनी भूमिका भी स्पष्ट कर दूँ। जो लोग आजकल मन्दिर में जाते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति कहीं तक होती है, इसका हिसाब किसी ने नहीं लगाया। ऐसी हालत में हमारी मन्शा यह नहीं कि हरिजन मन्दिर जाने के आदी बनें। हम इतना ही चाहते हैं कि मन्दिर चलाने वाले लोगों की सकुचितता और बहिष्कार-वृत्ति दूर हो। मन्दिर निर्माता, व्यवस्थापक और मन्दिर में जाने वाले सब को मैं मन्दिर-संस्था के आधार-स्तम्भ समझता हूँ। इनके मन में जो रूढ़िवादी सनातनी-वृत्ति घर कर गयी है, वह समाज-स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है। उसे दूर करना ही मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन का प्रधान उद्देश्य है। मन्दिर-संस्था के प्रति हमें

आदर है। उस सस्था मे फिर से चैतन्य लाया जा सकता है, इस विश्वास से ही हम मन्दिर-प्रवेश की ताईद करते हैं।

पारसी लोगो का जरथुस्त धर्म, मुसलमानो का इस्लाम, ईसाइयो का बिषवासी धर्म, तीनों परदेश से आये धर्म है। यहूदी धर्म भी वैसा ही है। इनको छोड बाकी के धर्म इसी भूमि से निकले है। यहाँ की समाज-व्यवस्था भी उन्हे मान्य है। ये सब हिन्दू धर्म की शाखाएँ हैं। ऊपर बताये परदेशी धर्म भी आदान-प्रदान द्वारा आहिस्ता-आहिस्ता स्वदेशी बन रहे हैं। उनके असर के कारण पूरे हिन्दू धर्म मे भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे है। हिन्दू धर्म की यही खूबी है कि उसने कभी भी आदान-प्रदान से इनकार नही किया है।

मूर्तिपूजा का प्रश्न अब बिल्कुल गौण हो गया है। एक ही मन्दिर मे दिगम्बर और श्वेताम्बर मान्यता की मूर्तियाँ रखकर भेदभाव क्या न मिटा दिया जाय ?

आहार के बारे में भी नये ढग से सोचना चाहिये। जो लोग मासा-हार नही करते, उनको अपने शुभ सिद्धान्तो मे दृढ रहने के लिये क्या मासाहारी लोगो के बहिष्कार की आवश्यकता है ?

अप्रगतिशील रूढिवादी ही बहिष्कार और पार्थक्य का सहारा लेते है। जैन लोगो ने हिन्दू धर्म मे रह कर अहिंसा का जितना प्रचार किया है, उतना प्रचार वे हिन्दू-समाज से अलग रह कर नही कर सकेगे। किन्तु आज-कल कई जैनियो मे धार्मिक व्यक्तिवाद घुस गया है और दो-एक कानूनो से बचने के लिये वे कहने लगे हैं कि हम 'हिन्दू' नही है। मैं उसका प्रतिवाद नही करूँगा। जो बाहर जाना चाहता है उसके लिये दरवाजे खुले रखना हिन्दू समाज का स्वभाव ही है। पहरा रखा जाता है अन्दर आने वालो के लिये। मेरा दिल इनना ही कहता है कि हिन्दू-समाज के सब से बडे पाप अस्पृश्यता को जिन्होंने अपनाया है, कम से कम वे तो पूरे-पूरे हिन्दू ही हैं।

अहिंसा के कई क्षेत्र हैं। आहार के बारे मे सब लोग जानते ही है। किसी का भी द्रोह किये बिना, किसी की मेहनत से नाजायज फायदा उठाये बिना आजीविका प्राप्त करना, यह है अहिंसा का सब से बडा क्षेत्र। बिना अपराध किसी को हीन या नीच समझना सामाजिक हिंसा है। अफ्रिकन या चीनी या यूरोपियन किसी भी वश के लोगो को अपने से हीन समझना, उनका

बहिष्कार करना भी हिंसा है। मानवता का और विश्व-बन्धुत्व का उसमें द्रोह है।

गाँधीजी के बाद यानी सत्याग्रह का शुद्ध सात्त्विक शास्त्र पाने के बाद भी शस्त्र-युद्ध भी अनावश्यक, परिहार्य हिंसा है। यह बात दुनिया के राष्ट्रों को किसी न किसी दिन मान्य होने वाली है। जैन-धर्म की एक बात मुझे अच्छी लगी है। प्रचार धर्म होते हुये भी उसने और किसी धर्म की तरह अपने अनुयायियों की सख्या बढ़ाने को कौशिश नहीं की है। जो भी आदमी जरा राजी हुआ कि तुरन्त उसको अपना लेबल लगा कर सख्या-वृद्धि का अधार्मिक सतोष और लाभ पाने का प्रयत्न जैन-धर्म ने नहीं किया है। सख्या वृद्धि नहीं, किन्तु चारित्र्य वृद्धि ही सच्चे प्रचार का फल है।

मेरे मित्र श्री धर्मानन्द कोसबी जन्मना ब्राह्मण थे। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध-धर्म सीखने के लिये नेपाल, तिब्बत, सिचोन, ब्रह्मदेश, सियाम आदि देशों में वे घूमे। बाद में सेवा के हेतु कई बार अमेरिका और रूस गये। मेरे आग्रह से जब वे गुजरात विद्यापीठ में आकर रहने लगे, तब उन्होंने जैन धर्म का अध्ययन किया, भगवान् पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म उनको भाया। पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म नामक उन्हें ने एक किताब भी लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 'पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म से ही भगवान् बुद्ध और भगवान् महावीर की दो परम्पराएँ प्रवृत्त हुयीं'। पार्श्वनाथ के उपदेश का कोसबीजी पर इतना गहरा असर हुआ था कि मरणान्तिक सलेखना भी उन्होंने ली थी।

मैं मानता हूँ कि जैन-धर्म अगर रूढिवाद के बन्धन से मुक्त हुआ, तो वह अवश्यमेव सर्व-समन्वयकारी विश्व-धर्म बनेगा। स्याद्वाद की परिणति सर्व-समन्वय में ही होनी चाहिये।

समस्त हिन्दू

एक समय था जब हमारे देश में बहुत चर्चा चली कि 'हिन्दू' कौन ? इसी चर्चा के सिलसिले में हिन्दू शब्द की अनेक व्याख्याएँ हुईं और लक्षण बाँधे गये । 'जो अपने को हिन्दू समझता है वही हिन्दू है' ऐसी एक व्याख्या उन दिनों की गयी थी । लोकमान्य तिलक की बनायी हुई व्याख्या में 'प्रामाण्यबुद्धिर्वेदेषु' यही मुख्य लक्षण था । 'साधनाना अनेकता और 'उपास्याना अनियम,' यह था हिन्दू समाज की विविधता, उदारता और सर्व सप्राहकता का लक्षण ।

इसी परम्परा को आगे चला कर विनोबाजी ने हिन्दू की व्याख्या की है । मुझ जैसे बहुत से लोग उनके लक्षण को मजूर करेंगे । उनका विवरण खूबीदार और रोचक है । अब इसी सवाल को हम एक दूसरे पहलू से देखें ।

आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चार वर्णों में बँटे हुये और अनेक जातियों में विभक्त सब सनातनी लोग, निगायत, वैष्णव, भागवत आदि अनेक पंथों के लोग, आर्य-समाजी, ब्राह्मों (प्रार्थना समाजी), जैन, बौद्ध, सिक्ख आदि सम्प्रदाय के लोग ये सब के सब हिन्दू माने जाते हैं । हिन्दुस्तान की आदिम जातियाँ भी हिन्दू समाज के अन्तर्गत ही हैं ।

हम यों भी कह सकते हैं कि जो लोग पारसी, मुसलमान, ईसाई आदि विदेश में आये हुये धर्मों के अनुयायी हैं, वे सब हिन्दू ही हैं ।

अगर किसी आदमी का ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो उससे उसका हिन्दुत्व मिट नहीं जाता । जो व्यक्ति जान-पात, वर्ण और आश्रम को नहीं मानता वह भी हिन्दू रह सकता है । दार्शनिक खयाल से कहा जाता है कि ईश्वर को मानने, न मानने पर मनुष्य की नास्तिकता निर्भर नहीं । जो वेद को नहीं मानता वही नास्तिक है । 'नास्तिको वेदनिन्दक' । किन्तु स्वामी विवेकानन्द ने वेद का अर्थ किया है 'ज्ञान' । वेद को मानना, वेद के प्रति आदर रखना एक चीज है और वेद-वचन को प्रमाण समझना दूसरी बात । आर्य-समाजी लोग प्रॉटेस्टेंट ईसाई लोगों की वृत्ति के हैं । प्रॉटेस्टेंट ईसाई बायबिल को प्रमाण मानते हैं, लेकिन बायबिल का अर्थ करने में अपने को

स्वतन्त्र समझते हैं। आर्य-समाजी वेद को प्रमाण तो मानते हैं, लेकिन वेद का अर्थ करने में स्वतन्त्र हैं। केवल सायणाचार्य के ही नहीं, किन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वती के किये वेद के अर्थ से भी वे तत्त्वतः बँधे नहीं हैं। ब्राह्मों या प्रार्थना-समाजी वेद के प्रति आदर अवश्य रखते हैं लेकिन हर एक वेद-वचन का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते। आज-कल के बहुत से सनातनी लोग वेद के प्रति सर्व-सामान्य आदर रखते हैं। वे लोग न वेद पढ़ते हैं, न उसका अर्थ समझते हैं, न उनके वचन से अपने को बँधा समझते हैं। वैदिक साहित्य हिन्दू सस्कृति की गगोत्री है, इसलिये उसके प्रति सर्व-सामान्य प्रेम-भक्ति वे अवश्य रखते हैं। गाँधीजी की यही भूमिका है। वेद के वचनों का जो अर्थ युक्तियुक्त, धर्मानुकूल न होता हो, वहाँ हम कहेंगे कि 'वह अर्थ हमारे ध्यान में नहीं आता' या 'अर्थ करने में कुछ भूल हुयी है' या 'वह वचन सार्वत्रिक नहीं है', 'जिस सदर्थ को हम नहीं जानते, ऐसे, कुछ तान्कालिक या मर्यादित सदर्थ के अनुसार ही वह वचन योग्य होता होगा'। याने हम लोग वेद-वचनों में से उन्हीं को स्वीकार करते हैं, जो बुद्धिग्राह्य, युक्तिमग्न, और धर्मानुकूल हो। बाकी वचनों के प्रति हम या तो उदासीन रहेंगे या सहानुभूतिपूर्वक उसका व्यापक अर्थ करेंगे या आदर के साथ उसे अलग रख देंगे। निर्दोष ही ग्राह्य हो सकता है। यह सारा भाव विनोबाजी ने 'श्रुतिमानुष' में भर दिया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अन्य धर्मावलम्बी या अन्य पथावलम्बियों की अपने 'सत्यार्थ-प्रवाश' में बड़ी ही कड़ी समालोचना की है। किन्तु ब्रह्म समाजियों से अपील करते समय अनुनय की वृत्ति बतायी है, यह बात अत्यन्त महत्त्व की है। ब्रह्म समाजियों के सिद्धान्तों का खण्डन करने पर वे तुले नहीं दीख पड़ते। किन्तु उनके साथ राष्ट्रीय, सांस्कृतिक रक्षा के भाव से वे अनुनय करते दीख पड़ते हैं।

लिंगायन या कबीर सम्प्रदायी लोग वेद के प्रामाण्य के बारे में विलकुल उदासीन हैं। कुछ वैष्णव कहते हैं कि हम वैष्णव तो हैं, लेकिन हिन्दू हैं या नहीं, यह नहीं जानते। उनका भाव यह है कि वैष्णव धर्म व्यापक धर्म है। मुसलमान ईसाई पारसी, यहूदी आदि सब लोग वैष्णव धर्म स्वीकार कर सकते हैं। बौद्ध और जैन तो वेद-प्रामाण्य से इनकार ही करते हैं। बौद्धों को तो आत्मा का अस्तित्व भी मान्य नहीं। वर्ण के साथ भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं। सिक्ख लोग ईश्वर भक्त हैं, जाति को नहीं मानते। वर्ण के प्रति कम से कम उदासीन तो हैं ही। अवतारवाद के बारे में भी हर एक

की दृष्टि अलग-अलग है। आर्यसमाजी लोग मूर्ति-पूजा का विरोध करते हैं। पुनर्जन्म के बारे में हर एक की दृष्टि अलग-अलग है। पुनर्जन्म और सापराय (भरणोत्तर जीवन) एक वस्तु नहीं है। दयानन्द सरस्वती और पूर्वमीमांसावादी आत्यतिक मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। पूर्वमीमांसी लोग सन्यास आश्रम को भी नहीं मानते।

ऐसी हालत में सनातनी, आर्य-समाजी, ब्राह्मो, जैन, बौद्ध, लिंगायत, सिक्ख आदि सब विभाग का अतर्भाव हो सके ऐसा लक्षण हमें चाहिये। 'सर्व धर्म समादर, भूतानुकूल्य भजते', और 'हिसया दूयते चित्तम्' यह सच्चे और अच्छे हिन्दुओं का लक्षण जरूर कहा जा सकता है। सर्व धर्म समादर वृत्ति प्राचीन रोमन लोगों में भी थी। चीनी लोगों में भी यह पायी जाती है। भूतानुकूल्य धर्म-मात्र का लक्षण होना चाहिये। हिन्दू वृत्ति में वह विशेष रूप से प्रकट हुआ है। हिन्दू ने आज तक कई बार हिंसा की है। आहार के लिये भी, आत्मरक्षा के लिये भी और अन्याय के प्रतिकार के लिये भी। लेकिन वह हिंसा का पुरस्कार नहीं करता। 'हिसया दूयते चित्तं यस्यासी हिन्दुरीरित,' यह लक्षण हिन्दू स्वभाव के लिये और हिन्दू संस्कृति के लिये यथार्थ दीख पड़ता है। एक परदेशी ईसाई मिशनरी ने राधाकृष्णन का Hindu View of Life पढ़ा। उससे प्रभावित होकर उनसे कहा If this is Hinduism I am a Hindu—'यदि वह हिन्दूधर्म है तो मैं हिन्दू हूँ।'

आज तक हम कहते आये हैं कि दुनिया के तीन धर्म ऐसे हैं, जो अपने लोगों का अपना धर्म छोड़ कर दूसरे धर्म में जाना बरदाश्त कर सकते हैं। लेकिन औरों को किसी भी शर्त पर अपने धर्म में लेने को तैयार नहीं हैं। ये तीन धर्म हैं सनातनी हिन्दू, यहूदी और जरथुस्त्री पारसी। हिन्दू समाज के बारे में यह बात बहुत कुछ सही है। लेकिन आर्य-समाजी और बौद्ध औरों को अपने फिरके में ले सकते हैं और लेते भी हैं। स्वामी विवेकानन्द ने सिस्टर निवेदिता आदि शिष्यों को हिन्दू धर्म में ले लिया। एक यूरोपियन ईसाई महिला ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसे काशी विश्वनाथ के मन्दिर में प्रवेश मिलना ही चाहिये—ऐसा आग्रह गांधीजी का था। हम तो मानते हैं कि मूर्तिपूजा के जो घोर विरोधक नहीं हैं, ऐसे सब लोगों को हमारे मन्दिरों में आने देना चाहिये। चमड़े की जूतियाँ मन्दिर में न लाने की मर्यादा का और शिष्टाचार का वे पालन करें, इतने से हमें सन्तोष रखना चाहिये।

श्री विनोबा की दी हुयी व्याख्या सनातनी हिन्दू के लिये ठीक है। आज के व्यापक और सग्राहक समस्त हिन्दू समाज का उसमे अतर्भाव नहीं होता। मैं तो ईसाई धर्म को भी हिन्दू धर्म के ही एक पथ की दृष्टि से देखता हूँ। शिव, विष्णु, गणपति, देवी और सूर्य इन पाँच देवताओं के या उन्ही के अवतार-स्वरूप अन्य देवताओं की उपासना का समन्वय करके श्री शंकराचार्य ने पचायतन पूजा चलायी। उसके बाद सिक्ख आदि अनेक सम्प्रदायों ने गुरु-पूजा को छट्ठा आयतन बनाया। उसके जैसे गुरु-पूजा को प्रधानता देने वाला पथ विश्वामी या ईसाई कहलाता है। हिन्दू धर्म के अन्दर उसे स्थान देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

अभी-अभी मर्दुम-शुमारी (जन-गणना) के एक अधिकारी हमारे पास आये थे। नाम, उम्र, भाषा आदि जानकारी पूछने के बाद उन्होंने कहा— “आप हिन्दूधर्मी ही हैं”। उनके इस कथन का मुझे प्रतिवाद नहीं करना था। मैं हिन्दू हूँ ही। लेकिन और धर्म ग्रंथ पढ़ने में और उन धर्मों के सत्पुरुषों के साथ जो कुछ सन्सर्ग मिला, उससे मेरा सर्वधर्म समभाव बढ गया और मेरा अपना अपनी ही दृष्टि का सर्वधर्म सम-भाव विकसित हुआ। इसलिये मैंने उन महाशय से कहा “हाँ मैं हिन्दू तो हूँ, लेकिन सर्वधर्मी हूँ”।

सर्व धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्षपात सहानुभूति और आदर रखने वाली हमारी सरकार को चाहिये कि वह मर्दुमशुमारी के द्वारा इस बात की भी जाँच और गणना करे कि मेरे जैसे सर्वधर्म सम-भाव वाले सर्व-धर्मी कितने हैं।

फरवरी, १९५७

•

महावीर का जीवन सन्देश

महावीर का विश्वधर्म

•

महावीर का जीवन सन्देश

•

महावीर का विश्वधर्म

[१]

‘महावीर’ नाम श्री विष्णु को दिया गया है। उनके वाहन गरुड को भी महावीर कहते हैं। श्री रामचन्द्र जी को भी महावीर कहते हैं और उनके एकनिष्ठ सेवक हनुमान भी महावीर ही है। आज हम श्री पार्वनाथ के अनुगामी श्री वर्धमान को महावीर के नाम से पहचानते हैं।

‘महावीर’ शब्द से कौनसा अर्थबोध होता है ? सर्वत्र फैलकर, आसुरी शक्ति को हराकर विश्व का पालन करने वाले विष्णु महावीर हैं। अमृत प्राप्त करने की शक्ति रखने वाला मानृ-भक्त गरुड महावीर है। पिना के वचन का पालन करने के लिए, प्रजा का कल्याण करने के लिए और धर्मनिष्ठा का आदर्श प्रस्थापित करने के लिए राज्य, सुख और पत्नी का त्याग करने वाले श्री रामचन्द्र जी महावीर हैं। किसी प्रकार के प्रतिफल की इच्छा रखे बिना सेवा करने वाले और शक्ति का उपयोग शिव ही की सेवा में करने वाले ब्रह्मचारी सेवानन्द हनुमान भी महावीर हैं। मातृभक्ति सुख-त्याग, भूतमात्र के प्रति अपार दया और इन्द्रियजय का उत्कर्ष दिखाने वाले ज्ञातृपुत्र वर्धमान भी महावीर हैं। आर्य-जानि ने सर्वोच्च सद्गुणा की जिस मनोमय मूर्ति की कल्पना की है, जिस आदर्श को निश्चित किया है उस तक पहुँचने वाले व्यक्ति महावीर हैं। विजय प्राप्त करने वाला वीर है। जो अन्तर्बाह्य दुनिया पर विजय पाता है, वह है महावीर। वीर यानि आर्य और महावीर यानि अर्हत् !

हिन्दू-धर्म राष्ट्रीय-धर्म है। एक महान् राष्ट्र का धर्म होने से उसे महाराष्ट्रीय-धर्म भी कह सकते हैं। लेकिन हिन्दू-धर्म के तत्त्व सार्वभौम हैं विश्व-धर्म के हैं। उनका प्रचार सर्वत्र होने लायक है। हिन्दू धर्म ने मनुष्य जाति का जीवन-धर्म खोज निकाला है। हिन्दू धर्म ने बहुत पहले से निश्चित कर रखा है कि क्या करने से मनुष्य जाति शान्ति से रह सकेगी, उसका उत्कर्ष होगा, तथा वह परम तत्त्व को पहचान कर उसे प्राप्त कर सकेगी। ‘स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्’ (इस धर्म का अल्प-सल्प (पालन) भी बड़े-बड़े भया से रक्षा करता है)। ‘न हि कल्याणकृत् कश्चित्दुर्गतिं तात गच्छति’ (हे तात, शुभ कर्म करने वाले किसी की दुर्गति नहीं होती)। ‘धर्मो रक्षति रक्षित’ (जो धर्म का रक्षण करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है)।

इस तरह की श्रद्धा या अनुभव को इस धर्म ने अंकित कर रखा है। फिर भी हिन्दू धर्म प्रचार-परायण (मिशनरी) धर्म नहीं है। सारी दुनिया में अपना प्रचार करने का हिन्दू धर्म का आग्रह नहीं है। हिन्दू अपने धर्म को अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करता रहता है। उसमें अगर उसे सफलता मिल गयी तो उसकी छाप पड़ोसियों पर पड़ेगी ही। यह समझ कर कि प्रभाव डालने के लिए जानबूझ कर कोशिश करने में उतावली और अधीरता है, यानि जीवन का कच्चापन है, हिन्दू व्यक्ति अधिक प्रयत्न पूर्वक आत्मशुद्धि ही करता रहेगा।

सामाजिक हिन्दू धर्म के मानी है इन सनातन तत्त्वों को अपने विशिष्ट समाज के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना। दूसरा समाज इन्हीं तत्त्वों को अलग तरीके से अपने जीवन में ला सकता है। हिन्दू धर्म के इन सनातन तत्त्वों को समाज में दाखिल करने के अनेक प्रयत्न इस देश में हुये हैं। रूढ़ सनातन धर्म इस देश के बाहर बिन्कुल नहीं फैला है। उसे फैलाने के प्रयत्न किमी समय हुए हैं या नहीं, इसका हमें पता नहीं है। इस देश में ही उसे नष्ट करने के प्रयत्न हुये हैं और वे प्रयत्न निष्फल हुये हैं इतना हम जानते हैं। लेकिन रूढ़ सनातन पद्धति को छोड़ दूसरे ढंग पर किये गये प्रयोग दुनिया में अच्छी तरह फैल गये हैं। बौद्ध धर्म इस बात का सबूत है। यही सबसे पहला मिशनरी धर्म दिखाई देता है। इसमें पहले अगर मिशनरी कार्य हुआ हो तो उसका हमें ठीक ठीक पता नहीं है। ऐसा भी लगता है कि वर्ण-व्यवस्था युक्त जीवन-धर्म प्रचार का धर्म हो ही नहीं सकता। (जीवन-धर्म यानि केवल मानने के लिए रचा हुआ धर्म नहीं, बल्कि जीने के लिए विकास हुआ धर्म)।

बौद्ध और जैन धर्म में काफी भेद है, फिर भी दोनों में साम्य भी कुछ कम नहीं है। दोनों मिशनरी धर्म होने लायक हैं दोनों विश्व-धर्म हैं। म्यादावाद रूपी बौद्धिक ग्रहिसा, जीवनदया रूपी नैतिक ग्रहिमा और तपस्या-रूपी आत्मिक ग्रहिसा (भोग यानि आत्महत्या—आत्मा की हिसा। तप यानि आत्मा की रक्षा—आत्मा की ग्रहिसा)। ऐसी त्रिविध ग्रहिसा को जो धारण कर सकता है, वही विश्वधर्म हो सकता है। वही अकुतोभय विचर सकता है। 'यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य' (जो लोगों से नहीं ऊबता, जिमसे लोग नहीं ऊबते) यह वर्णन भी उसी पर चरितार्थ हो सकता है। ऊपर बताई हुई प्रस्थानत्रयी के साथ ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवनयात्रा हो सकती है। आत्मा की खोज में यही पाथेय काम आने योग्य है।

मिशनरी धर्म अपने तत्त्वों के प्रति अवश्य वफादार रहे, लेकिन अपने स्वरूप के सम्बन्ध में आग्रह न रखे। 'जैसा देश, वैसा वेश' का नियम धर्म पर भी—खासकर विश्वधर्म पर—घट सकता है। विश्वधर्म यदि सच्चा विश्वधर्म है तो वह अपने नाम का भी आग्रह नहीं रखेगा।

ऐसा समझने के लिए कोई कारण नहीं कि किसी समय दुनिया में विश्वधर्म तो एक ही हो सकता है। जिस तरह किसी कमरे में रखे हुये चार-पाँच दीपक अपना-अपना प्रकाश सारे कमरे में सर्वत्र फैलाते हैं, सारे कमरे के राज्य का उपभोग करते हैं, और फिर भी अपने-अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं, उसी तरह अनेक विश्वधर्म एक साथ सारे जग के राज्य का उपभोग कर सकते हैं। धर्म में द्वेष या मत्सर कहीं से आयेगा? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेगी, एक दरबार में दो मुत्सद्दी (राज नेता) कार्य नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में एक साथ चाहे जितने धर्म साम्राज्य का उपभोग कर सकते हैं, क्योंकि धर्म तो स्वभाव से ही अहिंसक होता है। धर्म के मानी ही हैं अद्रोह। जहाँ धर्म-धर्म के बीच झगड़े चलते हैं और सख्यावल की आकाक्षा दिखाई देती है, वहाँ यह मान ही लेना चाहिए कि उन लोगों के धर्म में धार्मिकता नहीं रही है, धर्म के नाम से अधर्म की हुकूमत चल रही है। उनके हृदय में धर्म का वीर्य क्षीण हो गया है। ऐसी हालत में वही दुनिया को उन्नत करेगा जो धर्मवीर होगा। महावीर होगा।

अहिंसा के सम्पूर्ण स्वरूप को हमें समझ लेना चाहिये। अहिंसा महावीर का धर्म है। सारी दुनिया को जीतने की आकाक्षा रखने वाले जिनेश्वर का धर्म है। जब तक दुनिया के एक कोने में भी हिंसा होती रहेगी, तब तक यह अहिंसा धर्म पराजित ही है। सिर्फ सूक्ष्म जन्तुओं को कृत्रिम तरीकों से भ्रमण-पोषण देकर जिलाने से ही अहिंसा धर्म को सन्तोष नहीं होना चाहिए। जो महावीर है उसको चाहिए कि वह महावीर की तरह तमाम दुनिया का दर्द—पाँचों खण्डों का दर्द—खोजकर देख ले, और अपने पास की सनातन दवा वहाँ पहुँचा दे। महावीर के अनुयायियों को हृदय की विशालता और उत्साह की शूरता प्राप्त करके सभी जगह संचार करना चाहिए। सग्राम का वीर शस्त्रास्त्र लेकर दौड़ेगा। अहिंसा का वीर आत्म-शुद्धि और करुणा से सुमज्जिन होकर दौड़ेगा। सारी दुनिया को एक 'उपासरे' (जैन साधुओं का मठ) में बदल देना चाहिए। छोटे से उपासरे में कितनों को आश्रय मिल सकेगा?

[२]

महात्मा गाँधीजी के साबरमती आश्रम में रहकर मैंने गाँधीजी की अहिंसा समझने की पूरी कोशिश और साधना की और हिंसात्मक क्रान्ति का मार्ग छोड़कर अहिंसात्मक सत्याग्रह की ओर मुड़ा। मेरा अहिंसा का अध्ययन केवल दार्शनिक नहीं था। मैं अपना जीवन अहिंसामय करने की कोशिश करता था। स्वाभाविक था कि गुजरात के अनेक जैनियों से मेरा परिचय बढ़ा। उन्हें मुझे अपनी बिरादरी में ले लिया। यहाँ तक कि पर्युषण-पर्व में व्याख्यान देने के लिए मेरे बम्बई के मित्र मुझे वर्षों से बुलाने आये है। क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी जैसे जैन धर्म के प्रचारक को अभिनन्दन ग्रथ अर्पण करने के लिए मुझे बुलाया गया था। इस तरह से जैन स्नेही मुझे अपनाते गये और धीरे-धीरे मैं भी मानने लगा कि मैं जैन हूँ। एक जैन कन्या ने मेरी पुत्रवधु बनकर उस भावना को मजबूत किया। मैं अनेक जैन मन्दिरों में श्रद्धा-भक्ति में गया हूँ और वहाँ प्रेम और आदर में मेरा स्वागत भी हुआ है। पालीनाणा के पास शत्रुजय के पहाड़ पर भी जैन मन्दिरों की यात्रा मैंने की है। आबू के जैन मन्दिरों की शिल्पकला का आस्वाद मैंने लिया है।

लेकिन हरिजन और देवद्रव्य का सवाल लेकर जैनियों में शायद कुछ परिवर्तन हो रहा है। कुछ दिन हुए, मैं अजमेर में, जैनियों के मुवर्ण-मन्दिर में गया था। इसके पहले भी एक बार गया था। अब की बार देखा तो जैनतरो को अन्दर प्रवेश नहीं है। वैसे नोटिस लगी थी। मैंने कहा कि नोटिस के अनुसार शायद मैं अन्दर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन दर्शन की अभिलाषा है। मुझे नहीं जाने दिया। मेरे साथ पदमचन्द्र सिन्धी थे। वे जा सकते थे, लेकिन वे अन्दर नहीं गये। अजमेर में मुझे अनुभव कराया गया कि मैं जैनेतर हूँ।

आजकल चन्द जैन कहने लगे हैं कि वे हिन्दू नहीं हैं। मरजी उनकी। मैं तो हिन्दू उसे कहता हूँ, जिसका चित्त हिंसा से दुखी होता है।

हिंसा मनुष्य जाति के मन में धीरे-धीरे प्रकट होती है, पहले स्थूल रूप में। बाद में वह सूक्ष्म होती है। हर एक युग में अहिंसा कुछ आगे बढ़ती है। भगवान् महावीर ही एक ऐसे थे जिन्होंने अपने जमाने से बहुत आगे जाकर सूक्ष्मानिसूक्ष्म अहिंसा का उपदेश दिया।

जिस जमाने में कहीं-कहीं मनुष्य का मांस खाने वाले भी लोग थे मनुष्य को गुलाम बनाकर बेचा जाता था, सैन्यो के बीच युद्ध होते थे और पशु मांस का आहार तो करीब सार्वत्रिक था। ऐसे जमाने में पानी में और हवा में जो सूक्ष्म जन्तु होते हैं उनके प्रति भी आत्मीयता बतलाना और सारे विश्व में अहिंसा की स्थापना करने का अभिप्राय रखना और यह विश्वास रखना कि इतनी व्यापक अहिंसा भी मनुष्य हृदय कबूल करेगा और किसी दिन उसे सिद्ध भी करेगा, यह उच्च कोटि की आस्तिकता है। ईश्वर पर या शास्त्र पर विश्वास रखना गौण वस्तु है। मनुष्य-हृदय पर विश्वास रखना कि वह विश्वात्मैक्य की ओर अवश्यमेव बढ़ेगा, यह सबसे बड़ी आस्तिकता है। इसलिए मैंने भगवान् महावीर स्वामी को आस्तिक शिरोमणी कहा है। उनका जमाना किसी-न-किसी दिन आयेगा ही।

आप हिन्दू का सकुचित अर्थ क्यों करते हैं ? सनातनी, वैदिकधर्मी, ऋषिवादी तक हिन्दू धर्म भीमित नहीं है। श्रमण और ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, लिंगायत, सिक्ख, आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी आदि सब मिलकर हिन्दू समाज बनता है। इस विशाल हिन्दू परम्परा में जीवन को अखण्ड और अनुन्यून माना है। जीवन की यह अखण्ड धारा पवित्र है। सब के प्रति आत्मीयता रखनी है।

समं पश्यन् हि सर्वथ समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परा गतिम् ॥

यह गीता का श्लोक भी किमी भावना का एक उद्गाह है।

ऐसी व्यापक आत्मीयता में ऊँच-नीच भाव और अस्पृश्यता को स्थान ही नहीं सकता। सनातनियों में जो मलिनता आ गई थी, उसे दूर करने के लिए गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्म-मुधारक ने बड़ा पुरुषार्थ किया। उन्हीं के अनुयायी अगर सकुचित बन जाये तो कैसे चलेगा।

रामटेक के जैन मन्दिर के द्वार पर अहिंसा के परम प्रचारक महावीर स्वामी के मन्दिर की रक्षा के लिए हिमा के शस्त्र और प्रतिनिधि क्यों आये ? इसलिये आये कि मन्दिर में महावीर के साथ उनके गहने भी हैं। धानि वहाँ कुबेर की उपासना हो रही है। सम्पत्ति को मैं लक्ष्मी नहीं कहूँगा। लक्ष्मी तो कुदरत की समृद्धि है, पवित्रता की शोभा है। लक्ष्मी तो

परम मंगल सौभाग्य की प्रसन्नता है। स्वयं शुभ और पावन है। इधर धन-दौलत तो बड़े पेट में समाया हुआ सामाजिक द्रोह है। उसका प्रतीक तो कुबेर ही हो सकता है।'

इस कुबेर की उपासना सारी दुनिया में चलनी है। इसीलिये एटम बॉम्ब और हायड्रोजन बॉम्ब तक शस्त्रास्त्र की तैयारी करनी पड़ती है।

हमें हरिजन तो क्या, दुनिया के किमी भी देश के और जाति के, पथ के या वश के मनुष्य का बहिष्कार नहीं करना है।

और, जैन मन्दिरों में भोग और प्रसाद, कच्ची रसोई, पक्की रसोई की कोई झड़त नहीं है। कोई अजैन जैन-मन्दिर में गया तो उसे अहिंसा की दीक्षा मिलने की सम्भावना अधिक है। मन्दिर या मन्दिर की मूर्ति भ्रष्ट कैसे हो सकती है? जब साग भारत, हमारे पूज्य राष्ट्रपति और प्रधान-मन्त्री विश्व में परम धर्म अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे समय में जैनियों का कर्तव्य क्या है? जैन शास्त्रों का सम्पादन करना, उन पर व्याख्या और टीका टिप्पणी लिखना, प्राचीन जैन ग्रंथों का सशोधन और अध्ययन करना, यह सब अच्छा है। लेकिन इतने से सतोष नहीं मानना चाहिए। समस्त दुनिया के सामने जो महान् आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और वाशिक सवाल खड़े हुए हैं, उनका हल अहिंसा के द्वारा, प्रेम-धर्म के द्वारा कैसे हो सकता है, इस के लिए कौनसी तपश्चर्या आवश्यक है, इसका चिन्तन होना जरूरी है। हम प्रार्थना करें कि विश्वसेवा की हमारी इस साधना में भगवान् महावीर का प्रसाद और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो और हमारी अहिंसा वृत्ति सबको अपनावे।*

* महावीर जयन्ती के निमित्त ता ७-४-५५ को नयी दिल्ली में दिया गया भाषण।

महावीर का जीवन संदेश

आज ससार की स्थिति विचित्र है। हिंसा से यदि कोई अधिक से अधिक डरते हैं, तो वे आज के यूरोपियन हैं। २५ वर्ष पहले प्रथम विश्वयुद्ध में हुए सहार और नाश को वे आज भी भूले नहीं हैं। उन्हें भय है कि यदि फिर से युद्ध की ज्वाला भड़क उठी तो हमें अपने सारे वैभव, सारे मौज-शौक, भोग-विलास और ऐश्वर्य से हाथ धोने पड़ेंगे। यूरोप का मनुष्य यह सोचकर काँप उठता है कि आज सभ्यता के नाम पर जिस वैभव-विलास का आनन्द हम भोगते हैं, वह युद्ध होने पर नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। युद्ध को टालने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार है। इसके लिए वह दिये हुए वचनों को भंग करेगा, किये हुए कौल-करारों को भुला देगा, अपमानों का कड़वा घूट पी जायगा, अपने साथियों को धोखा देगा और कैंसे भी अप्रिय लोगों के साथ मित्रता बाँधेगा। युद्ध को टालने के लिए वह अपने जीवन-सिद्धान्तों को भूमी की तरह हवा में उड़ा देगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वह युद्ध को टाल नहीं सकेगा। इन्द्रिय-परायण जीवन, भोग-विलास, वारानाये, लोभ, भय, महत्वाकांक्षा और परस्पर अविश्वास उसे शांति से बैठने नहीं देंगे। हिंसा से भयभीत बना हुआ यूरोप का मनुष्य सारी दुनिया को हिंसा की दीक्षा दे रहा है और मारने की कला का विकास करने के लिए जीवन की कई अच्छी शक्तियाँ को नष्ट कर रहा है। आज वह जिस युद्ध को टालना चाहता है उमी युद्ध को जोरो से खींच कर अपने निकट ला रहा है।

ऐसी विचित्र परिस्थिति में आज हम एक बार फिर भगवान् महावीर के सन्देश को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं।

इस धार्मिक सन्देश को ग्रहण करने के लिए आज की दुनिया तैयार नहीं है। यह शान्ति का मार्ग तो है, किन्तु इस मार्ग पर चलने में मनुष्य को अभी आनन्द नहीं आता। पहले वह दूसरे सारे मार्ग आजमायेगा और सब तरह से हारने के बाद ही लाचारी से इस सच्चे मार्ग पर आयेगा।

मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह ऐसे उपायों पर विश्वास रख कर उन्हें पहले आजमाता है, जिनमें कोई सार नहीं होता। आज यूरोप में जो अनेक मार्ग सुझाये जाते हैं, उनसे हमें आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ के पुराने

लोग जब तर्क और न्याय, दर्शन और सीमासा की बात को ले बैठते हैं और घटत्व तथा पटत्व का और अवच्छेदकावच्छन्न का पिष्ट-पेषण करने हैं, तब हम उन पर हँसते हैं और कहते हैं कि जिनका जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, तत्त्व से जो सर्वथा दूर है, ऐसी निरर्थक बातों की चर्चा में ये लोग क्यों पड़ते होंगे ? हम कहते हैं कि उनकी इन बातों में जीवन को स्पर्श करने वाला थोड़ा भी अंश नहीं होता। यूरोप में भी जब लोग व्यक्तिवाद और समष्टिवाद, समाजवाद और साम्यवाद की चर्चा करते हैं तब मन में विचार आता है कि इन अनेक 'वादों' से क्या लाभ होने वाला है ? मनुष्य जब तक अपने स्वभाव और जीवन में परिवर्तन न करे तब तक हम कोई भी 'वाद' (Isim) क्यों न चलाये, अंत में हम वहीं आ पहुँचेंगे जहाँ पहले थे। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि जगत का दुःख सधिवात (गठिया रोग) जैसा है। ऊपर के लेप से वह मिटने वाला नहीं है। सिर से उम्रे निकालो तो वह पैर में बैठ जाता है। पैर से उस निकालो तो वह कंधे में धस जाता है। वह अपना स्थान तो बदलता रहेगा, लेकिन शरीर को नहीं छोड़ेगा। आप यदि व्यक्तिवाद को चलायेंगे तो दुनिया को एक प्रकार का दुःख भोगना पड़ेगा। व्यक्तिवाद के स्थान पर यदि आप समष्टिवाद को स्वीकार करेंगे, तो पुराने दुःख मिटकर उनके स्थान पर नये दुःख पैदा हो जायेंगे। जकात को टालने के लिए रात भर जगल में भटकने के बाद सबेर गाड़ी जब रास्ते पर आई तो ठीक जकात-नाके के सामने ही ! जकात के पैरे तो चुकाने ही पड़े, ऊपर से रात भर जगल में व्यर्थ भटके सो अलग ! यही दशा आज की दुनिया की है। आचार्य एल पी जैक्स ने ठीक ही कहा है कि आज की दुनिया मम्पत्ति को सामाजिक बनाना चाहती है, राज्यसत्ता को सामाजिक बनाना चाहती है, किन्तु मनुष्य को और उसके स्वभाव को सामाजिक बनाने की बात उसे नहीं सूझती। जब तक यह नहीं होता तब तक किसी भी 'वाद' की सच्ची स्थापना नहीं होगी, और यदि मनुष्य का चरित्र सुधर गया तब तो किसी भी 'वाद' से हमारा काम चल जायगा। इसका एक सुन्दर उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ।

शराब की बुराई से सारी दुनिया त्रस्त है। अमेरिका ने कानून बनाकर इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न किया। जिन लोगों ने कानून बनाने की सम्मति दी, उन्हें स्वयं शराबबंदी की कोई परवाह नहीं थी। समाज में प्रतिष्ठा भोगने वाले बड़े-बड़े स्त्री-पुरुष भी खुले आम कानून का भंग करने

में बहादुरी मानने लगे और एक-दूसरे के सामने इस बात की डींग हाँकने लगे कि उन्होंने शराबबंदी का कानून कैसे तोड़ा है। इसी शराबबंदी का हमारा इतिहास अमेरिका से भिन्न है। हमारे देश में बसने वाली सारी ही जातियों के दिल में शराब के लिए नफरत है। नियमित रूप में और खुले आम शराब पीने वाले लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि शराब बुरी चीज है। उससे छूटने की शक्ति भले ही उनके भीतर न हो, लेकिन इसमें कोई उनकी मदद करे तो वे निश्चित रूप से शराब की लत से मुक्त होना चाहते हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र का चरित्र शराबबन्दी के पक्ष में होने के कारण हमारे देश में शराबबन्दी का कानून बनाना आसान साबित हुआ। कुछ आधुनिक वृत्ति वाले विकृत लोग शराब के पक्ष में दलील करते हैं सही। लेकिन ऐसे लोग तो इने-गिने ही हैं, और उनमें से कुछ तो यह कहते भी हैं कि हमारी पार्टी की नीति के नाते ही हम ऐसी दलील करते हैं।

ऐसे लोगों की बात हम छोड़ दें। मुझे कहना तो यह है कि यदि हम राष्ट्र के चरित्र का विकास कर सकें, तो किसी भी 'वाद' की समाज रचना में हम मनुष्य-जाति को सुखी बना सकेंगे।

महावीर जैसे सत पुरुषों ने ससार को यह मार्ग दिखाया है। चरित्र-बल बढ़ाओ, सयम सिद्ध करो, वासनाओं को जीतो, असामाजिक वृत्तियों का नाश करो और राग-द्वेष में निहित हीनता को पहचान कर दोनों को हृदय में निकाल फेंको, तो हिंसा का मार्ग अपने आप क्षीण हो जायगा। यदि हिंसा को टालना है और अहिंसा की स्थापना करनी है, तो केवल राजतंत्र को बदलने से यह ध्येय सिद्ध नहीं होगा, राष्ट्रसंघ रचने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए तो मनुष्य के स्वभाव में सुधार करना होगा, सयम-रूपी तप करना होगा। यही सच्ची साधना है। कोई पामर मनुष्य यह कार्य नहीं कर सकता। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान है, किन्तु भीतर के विकारों का नाश करना कठिन है। इसके लिए वीरत्व की आवश्यकता होती है। महावीर ने अपने भीतर इस शक्ति का विकास किया और दुनिया को उसे दिखा दिया।

महावीर स्वभाव से ही प्रयोग-वीर थे। उन्होंने जो अनेक प्रयोग किये थे उन्हें हम तप कहते हैं। उस तप का मार्ग सब के लिए एक-सा नहीं

हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को अपना प्रयोग करना चाहिये और अपना मार्ग खोज लेना चाहिये। जो मनुष्य प्रयोग-वीर नहीं है वह यदि बिना सोचे-विचारे महावीर के बचनों के अनुसार केवल बाह्य जीवन ही जीने का प्रयत्न करेगा, तो उसे महावीर की सिद्धि नहीं मिलेगी। इसके विपरीत, जो मनुष्य महावीर से प्रेरणा लेकर और उनके प्रयोगों के रहस्य को समझ कर, उनके मुख्य जीवन-सिद्धान्ती के अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए निजी ढंग का स्वतन्त्र प्रयत्न करेगा, वही महावीर की परम्परा का माना जायगा और भगवान् महावीर उसी को अपना आत्मीय जन समझे।

आज जब संसार अनेक दृष्टियों से व्याकुल हो उठा है तब इस व्यापक जीवन की मुख्य उलझन का हल ढूँढना जरूरी हो गया है। इसके लिए महावीरों की आवश्यकता है, प्रयोग-वीरों की आवश्यकता है। ऐसे लोग अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिए महावीर के जीवन को समझे और स्वयं ही ऊँचे उठने का प्रयत्न करेंगे। महावीर के स्मरण और चिंतन से हम ऐसी प्रेरणा प्राप्त करें और अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का उद्धार करें।*

□

* १४-९-३९ को बम्बई में दिये गये भाषण से।

धर्म संस्करण की आवश्यकता

धर्म संस्करण

•

सुधारक धर्म में सुधार

•

धर्म-संस्करण : १

कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म प्राचीन से प्राचीन है, इसलिये वह अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म अन्तिम से अन्तिम है, इसलिये वह ताजा है। कुछ और लोग कहते हैं कि अमुक पुस्तक आद्य धर्मग्रन्थ है, इसलिये उसमें सब कुछ आ जाता है। दूसरे लोग कहते हैं कि अमुक ग्रन्थ ईश्वर के द्वारा जगत को दिया हुआ अन्तिम से अन्तिम धर्मग्रन्थ है, इसलिये उसे स्वीकार करना चाहिये।

सनातन-धर्मी इस बारे में दूसरी ही दृष्टि से विचार करते हैं। आज की सृष्टि का आदि और अन्त हो सकता है। धर्मग्रन्था का भी आदि और अन्त हो सकता है। परन्तु धर्म अनादि और अनन्त है, इसीलिये वह सनातन कहलाता है। सनातन का अर्थ क्या है? जो इस सृष्टि के आरम्भ से पहले भी था और इस सृष्टि के अन्त के बाद भी रहेगा वह सनातन है। इस अर्थ में केवल आत्मा और परमात्मा ही सनातन माने जायेंगे।

लेकिन सनातन का एक दूसरा अर्थ है। जो स्वभाव से ही नित्य-नूतन है, वह सनातन होता है। जो जीर्ण होता है वह मर जाता है, जो बदलता नहीं वह सड़ जाता है, जिसकी प्रगति नहीं होनी उसकी अधोगति होती है। रुधी हुई हवा बदबू करती है। न बहने वाला पानी स्वच्छ नहीं रहता। पहाड़ के पत्थर बदलते नहीं, इसीलिये धीरे-धीरे उनका चूरा हो जाता है। घास बार-बार उगती है, इसलिये वह ताजी रहती है। जंगल की वनस्पति हर साल मूख जानी है और हर साल फिर से उगती है। बादल खाली होते हैं और फिर पानी से भर जाते हैं। प्रकृति को नित्य-नूतन बनने की कला प्राप्त हो गई है, इसीलिये प्रकृति सदा नवयौवना दिखाई देती है।

इस सिद्धान्त को जानने के कारण ही सनातन धर्म के व्यवस्थापकों ने युगधर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्मों की व्यवस्था की है। काल की महिमा जानने के कारण ही वे काल को जीत सके हैं। धर्म के आध्यात्मिक सिद्धान्त अचल और अटल हैं। परन्तु उनके व्यवहार को देश-काल के अनुसार बदलना पड़ता है। इसका ज्ञान होने के कारण धर्मकारों ने हिन्दू धर्म की बुनियादी

रचना मे ही परिवर्तन का तत्त्व रख दिया है। इसीलिये वह धर्म मनातन पद प्राप्त कर सका है। अनेक बार क्षीणप्राण होने पर भी वह निष्प्राण नहीं हुआ है। मनुष्य की जड़ता के कारण अनेक बार इस धर्म मे सडाध पैठी है, फिर भी किसी प्रकार के विप्लव के बिना उसका पुनरुद्धार हुआ है।

सामाजिक व्यवस्था मे अथवा धार्मिक विधियों के रिवाज मे समय के अनुकूल परिवर्तन होना चाहिये, परन्तु जब से हिन्दू समाज मे अबुद्धि ने जड जमायी है तब से ऐसे परिवर्तनों की ओर हिन्दू लोग शका की दृष्टि से देखने लगे है। पूर्वजो की अपेक्षा हमारा सयानापन बड ही नहीं सकता, पूर्वज तो त्रिकाल का विचार करने वाले थे, उनकी रची हुई व्यवस्था मे यदि हस्तक्षेप करेये तो पता नहीं कौनमे सकट मे हम पड जायेगे—ऐसा कायर भय अथवा नास्तिकता हमारे भीतर घुस गई है। सच पूछा जाय तो परिवर्तन का भय सनातन धर्म के स्वभाव के विरुद्ध है। गहरे विचार के बिना चंचलता के कारण किये जाने वाले परिवर्तन की कोई हिमायत नहीं करेगा, परन्तु अज्ञानता के कारण प्रगति से डरकर निष्प्राण स्थिरता खोजने मे पुरुषार्थ नहीं बल्कि मृत्यु ही है।

अपने धर्म को त्याग कर दूसरो का धर्म ग्रहण करना एक बात है, और अपने तथा दूसरो के धर्म की जाँच करके अपने धर्म मे आवश्यक परिवर्तन और सुधार करना दूसरी बात है। ईश्वर प्रत्यक युग मे हमारे सामने नई-नई परिस्थितियाँ खडी करके हमारी बुद्धिशक्ति को सक्रिय बनाये रखता है और इस प्रकार धर्म के मूल सिद्धान्तो के हमारे परिचय को जाग्रत रखता है। यदि धर्म के बाह्य आकार मे परिवर्तन न हो, तो उसके भीतरी तत्त्व का शुद्ध आकलन हो ही नहीं सकता। हमारे जमाने मे यदि पूर्वजो की ही नकल करने का काम रह जाय, नया कुछ भी करना, जानना अथवा खोजना बाकी न रह जाय, तब तो कहा जायगा कि हमारी शताब्दी निरर्थक और वध्या ही सिद्ध हुई है।

हमारे देश मे प्राचीन काल से हर तरह एक-दूसरे से अलग पडने वाले धर्म और वश साथ-साथ रहते आये है। ऐसे सहवास के कारण हमे हर समय धर्म-प्रवचन अलग-अलग ढग से करना पडा है। जिस प्रकार की शका दूर करनी हो, जिस प्रकार के दोष मिटाने हो, उसी के अनुसार हमे एक ही धर्म-सिद्धात को नई-नई भाषा मे और नये-नये रिवाजो के रूप मे प्रस्तुत

करना पड़ता है। इसीलिये हमारा धर्म अनेक पहलुओं वाले तेजस्वी रत्न के समान दिव्य से दिव्यतर बनता रहा है।

जब हम विदेशी सत्ता के अधीन रहते हैं तब धर्म को अत्यन्त कृत्रिम और हीन वातावरण सहन करना पड़ता है। जब किसी देश पर विदेशी लोगों का आक्रमण हो रहा हो उस समय धर्म-संस्करण में स्वाभाविक विकास नहीं रहता। हम कोई परिवर्तन करने जाय और हमारे विरोधी हमारी कमजोरी देखकर मर्मस्थान पर आघात करे तो ?—यह भय हमेशा बना रहना है। विदेशी सत्ता स्वभावतः समभाव से शून्य होती है। वह रूढ़ियों को तो टिके रहने देती है, लेकिन हमारी शक्ति को बरबाद नहीं कर सकती। इसीलिये विदेशी सत्ता के कानून कहते हैं 'तुम्हारे जो रीति-रिवाज परम्परा से चले आये हैं उन्हीं को संरक्षण मिलेगा। तुम नये रिवाज चानू नही कर सकते। तुम जहाँ हो वहाँ से हट नहीं सकते। पुराने कलेवर को हमारा अभय-दान है। लेकिन यदि हम तुम्हारे प्राण को, तुम्हारी शक्ति को राज्य की मान्यता दे, तब तो हमारा प्रभुत्व तुम्हारे देश में टिक ही नहीं सकता।' ऐसी समभाव-शून्य तटस्थता में सड़ी-भूमी रूढ़ियाँ भी कानून की कृत्रिम सहायता से टिक सकती हैं।

ब्रिटिश राज्य के कारण हमारे यहाँ 'हिन्दू लाँ' के अमल में यह स्थिति कदम-कदम पर बाधक सिद्ध हुई है। न्य-यमूर्ति तेजग अक्सर इस स्थिति के विरुद्ध अपनी नाराजगी और खीज प्रकट किया करते थे। प्रत्येक धर्म और प्रत्येक समाज को अपनी व्यवस्था में चाहे जैसा परिवर्तन करने का अधिकार होना ही चाहिये। परन्तु ऐसा करने के लिए जो स्वतंत्रता, एकता और योजना-शक्ति आवश्यक है, वह उस-उस समाज में होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी कीमत चुका कर भी हमें इन गुणों का विकास करना चाहिये। हिन्दू धर्म को यदि टिकाये रखना हो और जगत में इसका स्वाभाविक स्थान फिर से दिलाना हो, हिन्दू धर्म को यदि समाज के लिए कल्याणकारी बनाना हो, तो हमें साहस के साथ उसका मैल धो डालना चाहिए। ऐसे कितने ही रिवाज और और अन्ध-विश्वास हमारे समाज में घुस गये हैं, जो धर्म के सनातन सिद्धांतों के विरोधी हैं और जिनकी वजह से समाज की सारी प्रगति रुक जाती है। इन सब को दुरन्त जलाकर भस्म कर देना चाहिये।

अस्पृश्यता एक ऐसी ही बुराई है। जाति के विषय में उत्पन्न होने वाला अहंकार और प्रेम की सकुचितता, व्यापक आत्मीयता का अभाव—यह

दूसरी बुराई है। जहाँ रुढ़ि के नाम पर दयाधर्म का खून होता है, जहाँ आत्मा अपमानित होती है, जहाँ धर्म-प्रीति के स्थान पर लालच और भय को स्थान दिया जाता है वहाँ धर्म को इन सब के खिलाफ अपनी अधिकार पूर्ण बुलद आवाज उठानी चाहिये। हर जगह सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत देकर अपना मतलब निकालना सीखे हुये लोग एक ईश्वर को छोड़कर उसके स्थान पर अनेक भयानक शक्तियों को प्रलोभन देने में अपना धर्म समझने लगे। निरकुश, क्रोधी, तरगी और खुशामद-पसंद अधिकारियों के जुल्म में रहकर नामर्द और कायर बने हुए लोगों ने देवी-देवताओं के बारे में भी वैसी ही निरकुशता, क्रोध आदि की कल्पना करके उनके प्रति भी अपने भीतर डरपोक की वृत्ति बढ़ा ली। इस प्रकार हमने धर्म में ही अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर दिया। सत्यनारायण से लेकर शीतला माता तक के सब देवी-देवताओं को हमने डराने वाले गुण्ड (bullies) का रूप दे दिया। आकाश के तारे और ग्रह, जगल के पेड़-पौधे और वनस्पतिया, हमारे भाईबंद जैसे पशु और पक्षी, ऊषा और सध्या, ऋतु और सवत्सर—सब में हमारे पूर्वज ऋषि-मुनि परम मागत्य की प्रेममय विभूतियों के दर्शन करते थे और उनके साथ आत्मीयता तथा एकता का अनुभव करते थे, लेकिन हमें आज इन सब में शाप का और कोप का भय ही भय दिखाई देता है। धर्म के शुद्ध और उदात्त स्वरूप को जानने वाले लोग हमारी धार्मिक विधियों में निहित काव्य को समझ सकते हैं, परन्तु अज्ञानी जन-समुदाय उस काव्य को सनातन सिद्धान्त अथवा वास्तविक स्थिति मानकर विचित्र अनुमान लगा लेता है और धर्म के कार्य को विफल बना देता है।

आज हिन्दू धर्म का उत्कर्ष चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने समाज में धर्म का शुद्ध स्वरूप प्रकट होने की आतुरता से प्रतीक्षा करे। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और दूसरों का समझाना चाहिये कि जिस धर्म में सत्य की निर्भयता और प्रेम की एकता नहीं है, जिसमें नि स्वार्थ त्याग की भावना नहीं है, जिसमें उदारता की सुगंध नहीं है, वह धर्म नहीं है। अब हिन्दू धर्म के संस्करण और परिष्करण का समय आ गया है, क्योंकि उसके ऊपर जमी हुई अशुद्धि की परतें अब उसका दम घोटने लगी हैं।

धर्म-संस्करण : २

१

एकमात्र धर्म ही मानव-जीवन का सब पहलुओं से और समय रूप में विचार करता है। जीवन का स्थायी अथवा अस्थायी एक भी अंग ऐसा नहीं है, जिस पर विचार करना धर्म अपना कर्तव्य नहीं मानता।

इसलिये धर्म मनुष्य के सनातन जीवन जितना ही अथवा उससे भी अधिक व्यापक होना चाहिये, और चूंकि समस्त जीवन उसका क्षेत्र है, इसलिये उसे अत्यन्त उत्कट रूप में जीवत और प्राणवान होना चाहिये।

आज जगत के जितने भी प्रसिद्ध धर्म हैं, वे अधिकांश ऐसे व्यापक धर्म हैं। अपनी स्थापना के समय तो वे सब जीवत थे ही। परन्तु धार्मिक पुरुषों ने उनकी चेतना को बार-बार जगाकर उन्हें जीवत बनाये रखा है। सिगड़ी की आग जिस प्रकार स्वाभाविक रूप में ही बार-बार मद पड़ जाती है और इसलिये बार-बार उसमें कोयने डाल कर और फूक कर उसका संस्करण करना पड़ता है, उसे प्रज्वलित रखना पड़ता है, उसी प्रकार समाज में धर्म तेज को जाग्रत रखने के लिए धर्म-परायण समाज-पुरुषों को उसे फूकने और उसमें ईंधन डालने का काम करना पड़ता है। यह काम यदि समय-समय पर न किया जाय, तो धर्म-जीवन क्षीण और विकृत हो जाता है, और धर्म का क्षीण और विकृत रूप अधर्म के जितना ही हानिकारक होता है। धर्म को चेतनावान और प्रज्वलित रखने का कार्य केवल धर्म-परायण व्यक्ति ही कर सकते हैं। यह शक्ति न तो धर्मग्रन्थों में होती है, न धार्मिक रीति-रिवाजों या संस्कारों में होती है, न धार्मिक संस्थाओं में होती है और न धर्म को सहारा देने वाली राज्य-व्यवस्था में होती है। शास्त्रग्रन्थ, संस्कार, रीति-रिवाज और धार्मिक तथा राजकीय संस्थाएँ धार्मिक जीवन के लिए कम-अधिक मात्रा में उपयोगी हैं जरूर, यह भी सच है कि धार्मिक वातावरण को स्थिर बनाने में उनकी सेवा बहुमूल्य सिद्ध हुई है। परन्तु मूल शक्ति तो धर्मप्राण ऋषियों की, सतों की और महात्माओं की ही होती है। पवित्र मनुष्य-हृदय ही धर्म का अन्तिम आधार है। उपनिषद् का यह वचन बिलकुल यथार्थ है 'धर्मशास्त्र महर्षीणा अतःकरण-संभृतम् ।'

धर्म-जिज्ञासा और धर्म-चिन्तन मनुष्य का स्वभाव ही है। इस कारण से प्रत्येक युग में और प्रत्येक प्रदेश में उन्नति की कक्षा के अनुसार मनुष्य के हृदय में धर्म का आविर्भाव होता ही रहा है। यह हृदय-धर्म कितना ही कलुषित, कितना ही मलिन क्यों न हो जाय, फिर भी मूल वस्तु तो शुद्ध ही रहती है। अशुद्ध सोना पीतल नहीं है, और पीतल चाहे जितना शुद्ध, चमकीला और सुडौल हो, फिर भी वह सोना नहीं है। इसी प्रकार केवल बुद्धि के जोर पर खड़ा किया गया, लोगों के हृदय में रहने वाले राग-द्वेष से लाभ उठाकर आरम्भ किया गया और थोड़े या बहुत से सामर्थ्यवान लोगों के स्वार्थ का पोषण करने वाला धर्म सच्चा धर्म नहीं है। असंस्कारी हृदय की क्षुद्र वासना और दभ से उत्पन्न होने वाली विकृति को ढकने वाला शिष्टाचार अथवा चतुर्गई से भरे तर्क द्वारा किया हुआ उमका समर्थन भी धर्म नहीं है। अज्ञान (अर्थात् अल्पज्ञान), भोलापन और अधश्चन्द्रा— इन तीन दोषों से कलुषित बना हुआ धर्म अधर्म की कक्षा को पहुँच जाय, यह एक बात है, और मूल में ही जो धर्म नहीं है वह केवल चालाकी में धर्म का रूप धारण कर ले, यह दूसरी बात है। मनुष्य-समाज अब इतना प्रौढ़ और अनुभवी हो गया है कि मानव-इतिहास में धर्म के ऊपर कहे गए दोनों प्रकार व्यापक रूप में पाये जाते हैं। परन्तु इन दोनों प्रकारों का पृथक्करण करके इनके सच्चे स्वरूप को पहचानने का कष्ट अभी तक मनुष्य ने नहीं किया है।

हृदय-धर्म जब बुद्धि-प्रधान लोगों में अपना कार्य आरम्भ करता है, शिष्ट लोगों द्वारा मान्य किया हुआ धर्म बनता है और इसलिये जब वह सस्थाबद्ध हो जाता है तब उसके शास्त्र रच जाते हैं, शास्त्रों का अर्थ लगाने वाली मीमांसा-पद्धति उत्पन्न होती है और अन्तिम निर्णय देने वाले शास्त्रज्ञा का एक वर्ग खड़ा होता है, अथवा पोष या शकराचार्य के समान अधिकार-रूढ व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त होती है।

धर्म को शास्त्रबद्ध और सस्थाबद्ध बनाने का कार्य बुद्धि-प्रधान और व्यवहारकुशल लोगों के हाथों होता है, इसलिये धर्म की स्वाभाविक भविष्योन्मुख दृष्टि क्षीण हो जाती है और उस पर भूतकाल की ही परतें चढ़ जाती हैं। भूतकाल में सदा अग्नि की अपेक्षा भस्म ही अधिक होती है, इसलिये धर्मतेज मद पड़ जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म का समय-समय पर संस्करण या परिष्करण करना जरूरी हो जाता है।

सत तुकाराम जब बाजार जाने को निकलते थे तब उनकी सज्जनता का लाभ उठाने के लिए कई लोग अपनी-अपनी तेल की नली तेल लाने के लिए उन्हें सौंप देते थे और तुकाराम भी सतोष के साथ उन नलियों की भारी माला को गले में डालकर सौंपा हुआ काम नियमित रूप से पूरा कर देते थे। जन-स्वभाव ही ऐसा होता है। कोई बालक या कोई आदमी किसी की बात सुनता है, यह मालूम होते ही निकम्मे लोगों का समाज उससे अपना काम करवाने के लिए तैयार हो जाता है। कोई नाव या जहाज नियमित रूप से और तेजी से अपने नियत स्थान पर पहुँचता है, ऐसा पता चलने पर लोग उसी में अपना माल भरने का आग्रह रखते हैं—और वह भी इस हद तक कि उसकी गति मंद पड़ जाय और अत्यधिक बोझ से वह डूबने लगे ! धर्म की भी इसी तरह की सार्वभौम उपयोगी शक्ति को देखकर हर गरजमंद आदमी ने अपनी गरज को किसी न किसी रूप में धर्म के गले में लटकाया है। इस कारण से भी धर्म का तेज बार-बार हीन और क्षीण होता आया है।

जिस प्रकार कोई चालू दूकान अपनी तरक्की को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये पुगना और निक्कमा हो चुका माल बार-बार हटाया करती है और केवल पड़े रहने के कारण बिगड़े हुए माल को साफ-स्वच्छ करके उजला और चमकीला बना देती है, उसी प्रकार धर्म का भी बार-बार संस्करण और परिष्करण करना चाहिये। परन्तु यह संस्करण ऐसे कुशल और धर्मज्ञ समाज-सेवकों द्वारा ही होना चाहिये, जिनमें खरे सोने को परखने और उमें सुरक्षित रखने की शक्ति है। आज दुनिया में बड़ी हुई अधिकतर प्रचलित नास्तिकता का मुख्य कारण धर्म-संस्करण का अभाव ही है।

२

किसी भी समाज के वृद्ध अथवा क्षीणवीर्य होने के मुख्य कारण दो हैं इन्द्रिय-परायण विलासिता और धर्म-जडता।

समाज जब विलासी बन जाता है तो उसके पाम की धन-दीलत उसके लिए पर्याप्त नहीं होती, उसका पुरुषार्थ अपने आप घट जाता है और 'ऐसा हो तो भी क्या और वैसा हो तो भी क्या ? किसी में कुछ नहीं है' इस तरह की निष्क्रियता और आलसीपन उस पर सवार हो जाता है। उसके बाद नये-नये अनुभव लेने के बजाय वह प्राचीन अनुभवों के बारे में कृत्रिम तथा दभ-

पूर्ण आदर और आग्रह को बढ़ाकर उन्हें ढाल के रूप में अपने सामने रखता है।

दूसरी ओर जब मनुष्य में बौद्धिक जागृति मद पड़ जाती है और प्रयोग की अपेक्षा प्रामाण्य पर ही अधिक भार देने की वृत्ति बढ़ जाती है, तब समाज में एक प्रकार की धर्म-जड़ता उत्पन्न होनी है। यह धर्म-जड़ता दिखती तो है धर्माभिमान जैसी ही, परन्तु वास्तव में उसका रूप लापरवाही का होना से वह एक प्रकार की नास्तिकता ही होती है। अनुभव यह नहीं बतलाता कि अभिमान और आग्रह के मूल में सच्चा आदरभाव अथवा सच्ची श्रद्धा होती ही है।

आज भारत में ग्रामीण समाज की दुर्दशा का कोई पार नहीं है। शहरों से विदेशी माल और भोज-शीक की चीजें गाँवों में पहुँचती हैं, लेकिन उद्योग धन्धे नहीं पहुँचते। शहरों का उडाऊपन, असंस्कारिता तथा अन्य समाज घातक दुर्गुण गाँवों में तेजी से फैलने लगे हैं। लेकिन शहरों में जो धार्मिक विचार-जागृति, राजनीतिक प्रगति और समाज-सुधार कुछ अंशों में दिखाई देता है, उसका प्रभाव बहुत ही कम मात्रा में गाँवों में पहुँचता है। जिस हिन्दू धर्म से और आर्य तत्त्वज्ञान से आज हम जगत को प्रभावित और चकित कर देते हैं, वह धर्म और वह तत्त्वज्ञान जिस विकृत रूप में आज के ग्राम समाज में प्रचलित है, उसे देखकर यही कहना पड़ेगा कि 'नेद यदिदमुपासते।' देश-देशान्तर में प्रशंसा पाने वाला हमारा धर्म और गाँवों में पाला जाने वाला धर्म एक ही नहीं है। गाँवों में कन तक मन्वी धर्म निष्ठा, पवित्र आस्तिकता और ऊँचा चरित्र-बल था, आज भी कहीं कहीं जिनके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। परन्तु अबुद्धि, जड़ता और छिपी नास्तिकता का ही साम्राज्य वहाँ सर्वत्र फैलता दिखाई दे रहा है। इस कारण से गाँव के समाज मानस में वृद्धत्व अधिक मालूम होता है। गाँवों में अज्ञान है, रोग है, गरीबी है। इन तीनों को यदि गाँवों से हटाया नहीं गया, तो ग्राम-समाज अब टिक ही नहीं सकेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि ज्ञान, स्वास्थ्य और उद्योग बाहर से गाँव के लोगों पर कहीं तक लादे जा सकते हैं? बाहर से लादे जाने वाले उपायों की एक मर्यादा होती है। इस तारक त्रिपुटी का स्वीकार गाँव के लोगों को स्वेच्छा से ही करना चाहिये। और तीनों का स्वेच्छा से स्वीकार हो इसके पूर्व ग्राम-समाज का वृद्धत्व दूर होना चाहिये। उस समाज में उत्साह और जागृति आनी चाहिये। धर्म-मस्करण के बिना यह बात संभव नहीं होगी। अतः दूसरी सब बातों से पहले गाँवों में धर्म संस्करण का समुचित प्रयत्न होना चाहिये।

गावों में जिस धर्म का पालन होता है उसमें भय, रिश्वत, दैववाद और जतर-मतर का कर्मकाण्ड ही मुख्य होता है—फिर वह धर्म हिन्दुओं का ही, मुसलमानों का हो या ईसाइयों का हो। गाँव के लोगों को अपनी दुर्बलता का, अज्ञान का, भोलेपन का और अनाथ स्थिति का अनुभव से उत्पन्न इतना कड़वा ज्ञान होता है कि वे स्वाभाविक रूप में ही शक्ति के उपासक बन जाते हैं, फिर भले वे लोग जैन हो या लिगायत हो। इस अज्ञान-मूलक शक्तिपूजा से ही जादू-टोने और जतर-मतर पर लोगों की आस्था जमती है। धर्म यानी बलवान की आराधना अथवा खरीदा हुआ उनका संरक्षण—सामान्य जनता धर्म का अर्थ यही समझती है।

धर्म के द्वारा मागल्य पर मनुष्य की श्रद्धा बढ़ानी होती है, चरित्र की तेजस्विता को स्वाभाविक बनाना होता है। ससार के अनुभव में पद-पद पर जो विषाद प्राप्त होता है उसे दूर करने में समर्थ दैवी आश्वासन प्राप्त करना होता है और जीवन के अगभूत प्रत्येक तत्त्व का नूतन दृष्टि से नया ही मूल्यांकन करना होता है। सफलता और निष्फलता के खयालों को ही बदल कर इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक स्वातन्त्र्य सिद्ध करना होता है।

सैद्धान्तिक विवेचन की दृष्टि से यह दृष्टिभेद बहुत कठिन मालूम होगा लेकिन जहाँ हृदय के साथ हृदय बात करता है वहाँ उन्नत भूमिका का आमंत्रण हृदय पर गहरा असर करता है, और एक बार हृदय में परिवर्तन हो गया कि फिर किसी भी उपाय से उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। हृदय का ऐसा आमंत्रण देने वाले व्यक्ति के अपने हृदय में किसी के बारे में तुच्छता का भाव नहीं होना चाहिये। हमारा आमंत्रण अमोघ है, ऐसी अमर आस्तिकता उसमें होनी चाहिये। साथ ही मनुष्य मात्र के हृदय के बारे में उसके दिल में प्रेम और आस्था—आदर होना चाहिये।

धर्मज्ञान देते या लेते समय उसे ग्रहण करने वाले के अधिकार के विषय में आज तक अपार चर्चा हुई है। लेकिन अब धर्मज्ञान देने वाले व्यक्ति के अधिकार की गहरी चर्चा करने के दिन आये हैं। ऊपर बताई हुई आस्तिकता जिन लोगों में हो, उन्हीं को धर्मबोध और धर्म-संरक्षण का कार्य अपने सिर लेना चाहिये।

आज गाँवों में धर्मान्धता के रूप में नास्तिकता कितनी फैली हुई है, इसका सच्चा खयाल होने पर मन को गहरा आघात ही लगना चाहिये—और खगता भी है।

प्रत्येक धर्म अनेक तरह के जीवन-काव्य से भरपूर होता है। सच पूछा जाय तो धर्मज्ञान का समर्थ बाहन दलील या युक्ति और तर्क नहीं है, उसका सच्चा बाहन काव्य है। इसलिए काव्य-विहीन धर्म हो ही नहीं सकता। परन्तु जहाँ-जहाँ समाज में अज्ञान और जड़ता का साम्राज्य होता है वहाँ धार्मिक काव्य के शब्दार्थ को ही सच्चा मान लिया जाता है, और अपने अज्ञान के कारण मनुष्य जहाँ न हो वहाँ भी गूढता और जादू का आरोपण करने लगता है। इस वृत्ति से अधिक धर्मविघातक वृत्ति कोई हो सकती है या नहीं, इसमें मुझे शका ही है। इसके विपरीत, धर्म के विषय में बढने वाले इस पागलपन से ऊबे हुए लोग ऐसे मौकों पर धर्म में भरे हुए काव्य को जड़ से मिटा देने का निरर्थक और निष्फल प्रयत्न करते हैं। सच्चा उपाय तो यह है कि लोगों की बुद्धि को तीव्र बनाया जाय और उनकी काव्यरसिकता को विवेक पूर्ण बनाकर धर्म में काव्य की वृद्धि की जाय। लोगों की काव्यरसिकता बढने पर वे धर्म को आसानी से समझ सकेंगे और धर्म में घुस हुए अधविश्वासों को भी पहचान सकेंगे।

परन्तु यह सब करने के लिए ज्ञानवान लोगों को शहरी आदतें छोड़कर गाँवों की जनता के श्रम से पवित्र और प्रकृति से मधुर बन हुए दैनिक जीवन में श्रोतप्रोत हो जाना चाहिए। ग्रामवासियों के जीवन से अलग रहकर उनके सरपरस्त, आश्रयदाता बनने से अब काम नहीं चलेगा।

कोई भी समाज युग कल्पना से पीछे रहकर सफल नहीं हो सकता। आज का युग केवल सैद्धान्तिक मानव-समानता का युग नहीं है। स्त्री-पुरुष की समानता को और जानियों की समानता को आज असली रूप में स्वीकार करना होगा। इतना ही नहीं, सब धर्मों को भी समान प्रतिष्ठा और समान आदर मिलना चाहिये। आज सब धर्मों के प्रति एक से अनादर की समानता पसंद की जाती है, और उनके प्रति एक सी अनास्था अथवा एक से अज्ञान को भी समानता का एक मार्ग समझा जाता है। लेकिन यह मार्ग धातक है। आज के युग में समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को मुख्य-मुख्य धर्मों का सामान्य ज्ञान होना चाहिये। परन्तु ऐसा ज्ञान लेने या देने में केवल तार्किक, आलोचनात्मक अथवा ऐतिहासिक दृष्टि रखने से काम नहीं चल सकता। प्रेम, आदर और सहानुभूति के साथ जाग्रत जिज्ञासा बुद्धि में सब धर्मों का परिचय प्राप्त करना चाहिये। गाँवों का धर्म-ज्ञान बहुत पिछड़ा हुआ होता है, उनकी दृष्टि सकुचिन होती है और उनका जीवन का हेतु बहुत उन्नत नहीं होता। आज के

जमाने में दुनिया के विभिन्न धर्मों के सत्पुरुषों, ने और चरित्र-परायण सघों ने जो प्रयत्न किये हैं, उनकी जानकारी उन्हें बड़े प्रेम से देनी चाहिये। इसमें ध्येय धर्म-जागृति का और लोक-कल्याण का होना चाहिये, केवल पण्डिताऊ बहुश्रुतता का नहीं।

आज के समाज का एक महान दोष है वर्ग-विग्रह। लोगों को ईर्ष्या, द्वेष या मत्सर करने के लिए कोई ध्यानमूर्ति चाहिये। स्त्रिय को पुरुषों के खिलाफ, नीजवानों को वृद्धों के खिलाफ, गरीबों को अमीरों के खिलाफ, हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के खिलाफ और गोरे लोगों को काले और पीले लोगों के खिलाफ लडना है। इस प्रकार सर्वत्र विग्रह का—लडाई का वातावरण फैला हुआ है। कम या ज्यादा लोगों को सगठित करके उनका नेतृत्व ग्रहण करने की नीयत हो, तो इसके लिए उन सब की द्वेषबुद्धि को केन्द्रित करके उन्हें द्वेष के आलम्बन के लिये एक ध्यानमूर्ति देकर सशय का और परायेपन का वातावरण खडा करना बहुत आसान है।

यह रोग धर्म में बड़ी जल्दी से घुस सकता है। आजकल इस दिशा में प्रबल प्रयत्न भी चल रहे हैं। इन सब का परिणाम परस्पर हत्या और अंत में आत्महत्या में ही आयेगा। हम जिस धर्म-संस्करण का विचार करते हैं, उसमें इस रोग से मुक्त रहने की पूरी सावधानी रखनी चाहिये।

धर्म के बुरे तत्त्वों-को दूर करते समय इतना ध्यान में रखना चाहिये कि उनके स्थान पर शुभ, सात्त्विक और ठोस तत्त्वों का धर्म में प्रवेश हो। केवल शून्यता, रिक्तता भयकर सिद्ध होती है।

व्यवहार-कुशल लोग कहेंगे कि यह सारा विवेचन सुन्दर और उद्बोधक है, परन्तु इसमें योजना जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता।

विधान-सभा में कोई कानून बनाते समय पहले उसके उद्देश्यों का व्यवस्थित निरूपण किया जाता है और उसके बाद ही उस कानून की धारायें आती हैं। परन्तु व्यवहार में देखा जाता है कि कानून की धारायें हाथ में आते ही उसका हेतु और उद्देश्य गौण बन जाता है और अन्त में भुला दिया जाता है। समाज को ऐसी धाराबद्ध योजना की आदत पड गई है। परन्तु इससे जीवन यात्रिक बन जाता है। भावना का स्थान योजना कैसे ले सकती

है ? भावना का क्षेत्र शिक्षा से नव-पल्लवित होता है, जबकि योजना अन्त में व्यवस्था का रूप ले लेती है। यहाँ मैंने जिस परिवर्तन की बात कही है, वह किसी सत्ता के बल पर नहीं हो सकेगा। वह शिक्षा के द्वारा और प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा लोगों का हृदय परिवर्तन कराने से ही हो सकेगा। इसके लिए कोई सार्वजनिक योजना तैयार करने की जरूरत नहीं है। यदि भावना मूल में शुद्ध होगी और सुरक्षित तथा जीवित रहेगी तो हमारी आवश्यकता के अनुसार अनेक योजनाएँ उत्पन्न होगी और बदलती रहेगी।

सुधारक धर्म में सुधार

आपका आमंत्रण स्वीकार करके मैं यहाँ आया, इसमें एक उद्देश्य यह था कि इस निमित्त से एकाध दिन परमानन्द भाई के साथ रहने का आनन्द मिलेगा। अभी-अभी उनके अहमदाबाद के भाषण के विरुद्ध एक बड़ा झगडा खडा हुआ है। मुझे बार-बार आश्चर्य होता है कि परमानन्द भाई के समान सौम्य और सतुलित व्यक्ति के भाषण में लोगों को ऐसा क्या मिल गया कि वे उन्हें मार्टिन ल्यूथर बनाने के लिए तैयार हो गये हैं! तीव्र विचार रखने वाले प्रत्येक मित्र को वस्तु का दूसरा पहलू बनाकर उसे सौम्य और जिम्मेदार बनाना ही आज तक परमानन्द भाई का प्रिय कार्य रहा है। उनका पूरा भाषण पढे बिना ही मैं कह सकता हूँ कि उसमें उत्पात मचाने वाला अथवा विनाशक कोई तत्त्व नहीं है। उसका अर्थ इतना ही है कि क्रांतिकारी या सुधारक युग परमानन्द भाई के समान सौम्य मूर्ति के द्वारा भी अपनी आवाज प्रकट कर सकता है।

मैं सुनता हूँ कि अमुक समाज ने अथवा समुदाय ने उनका बहिष्कार कर दिया है। इसलिये मैं पहले इस बहिष्कार के बारे में ही दो शब्द कहूँगा।

बहिष्कार प्रत्येक सुसंस्कृत और सगठित समाज का स्वाभाविक अधिकार है। वह सभ्य समाज के हाथ में एक प्रभावशाली और सात्त्विक शस्त्र है। लेकिन यह शस्त्र दुधारी तलवार है। जिनके खिलाफ इसका उपयोग किया जाता है उन्हें तो जब यह मारेगा तब मारेगा, परन्तु जो लोग इस शस्त्र का उपयोग करते हैं वे यदि उचित अवसर, उचित पद्धति और स्वाभाविक मर्यादा को न जानें, तो यह पहले उन्हीं का नाश करना है। एक समय हमारी जाति के एक सयाने वृद्ध पुरुष ने बहिष्कार की जो मीमांसा की थी उसे इस समय मैं अपनी भाषा में आपको सुना दूँ। सत्याग्रहाश्रम में जाकर मैंने हरिजन के हाथ का खाना खाया था। इसलिये जब मैं अपने गाँव गया तो मैंने अपने जाति वालों से कहा कि मैं इस तरह व्यवहार करता हूँ। गुजरात के जैसी जातियों की रचना और जातियों द्वारा खड़ी की जाने वाली परेशानी हमारे प्रदेश में बिलकुल नहीं है। फिर भी जाति के लोग

चाहते तो मेरा बहिष्कार कर सकते थे । मैंने हरिजनो के साथ भोजन करने की बात उनके सामने कबूल की, तो कुछ भाई बोल उठे “बैठो, बैठो । हम पूछने आयेँ तब तुम ऐसी बातें हमसे कहना ।” इसी रुख के समर्थन में एक वृद्ध पुरुष ने कहा “कोई बड़ा श्रमीर आदमी होता है तब तो उसका बहिष्कार करने की हम बात भी नहीं करते । दभी आदमी समाज में पाखंड चलाते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने शिकजे में पकड़ नहीं सकते । तब यदि एकाध मन के शुद्ध और सज्जन आदमी का ही हम बहिष्कार करें तो क्या यह हमें शोभा देगा ? ऐसा करने से समाज का कल्याण भी नहीं होगा । इनके जैसे लोग रूढ़ आचार को जरूर तोड़ते हैं, परन्तु वे अनाचार नहीं करते । इसलिये जाति उनके खिलाफ हो जाय, तो भी उनकी प्रतिष्ठा को कोई धक्का नहीं पहुँचता । उल्टे बहिष्कार करने वाले लोगो की ही बदनामी होती है । यदि निर्मल और शुद्ध-हृदय लोगो का बहिष्कार करके हम उन्हें खो देंगे तो फिर जानि में रह ही क्या जायगा ? इसलिये समझदारी का मार्ग यही है कि ऐसे लोगो का हम नाम ही न लें । यह कलियुग है, इसमें जो कुछ हो उसे हम चुपचाप देखते रहे ।” इन वृद्ध पुरुष की मुख्य दृष्टि सच्ची थी, यद्यपि कलियुग की उनकी दलील निरर्थक थी ।

यह जरूरी है कि समाज के आचारो की (रहन-सहन की) प्रत्येक युग में जाँच की जाय । उनमें आवश्यक परिवर्तन होना भी जरूरी है । शरीर को हम रोज नया पोषण देते हैं और गदगी भी रोज शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, जिससे शरीर निरोग रहकर अच्छी तरह अपना काम करता है । यही बात समाज-शरीर पर भी लागू होती है । जिस प्रकार खाये हुए आहार का कुछ समय बाद रक्त बनता है और उसका निकम्मा भाग गदगी के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार अच्छी से अच्छी प्राचीन व्यवस्था अपने-अपने समय को पोषण देने के बाद सड़ाध के रूप में बची रहती है । उसे यदि हम समाज से निकाल न फेंकें, तो समाज-शरीर बदबू करता है और रोगी हो जाता है । प्रतिदिन होने वाले विकास को जब हम रोक देते हैं, तो किसी समय सन्निपात की तरह समाज में एका-एक क्रांति फूट पड़ती है । विकास को रोकने का अर्थ है क्रांति को निमंत्रण देना, फिर यह क्रांति विदेशी आक्रमण के रूप में हो या भीतरी विद्रोह के रूप में ।

सामयिक सुधारो के बिना धार्मिक जीवन टिक नहीं सकता, इसलिये सामाजिक सुधार—सामाजिक प्रगति—के सार्वभौम नियमो को हमें जान

लेना चाहिये। जिन लोगों के पास हजारों वर्षों का अनुभव और इतिहास है, वे यदि धर्म-विकास और जीवन-परिवर्तन का शास्त्र न रचें, तो वे ऋषि-मुनियों की परम्परा को कलंकित कर देंगे। हमारे स्मृतिकार समय-समय पर धर्म-व्यवस्था में परिवर्तन करते ही आये हैं। अब हमें ऐसे परिवर्तनों का एक सम्पूर्ण शास्त्र बनाना चाहिये। तभी हम अपने समाज का जहाज जीवन-सागर में सुरक्षित रूप में चला सकेंगे। इस प्रकार जीवन-व्यवस्था की बार-बार परीक्षा करके जीवन के तत्त्वज्ञान को नये सिर से रचने वाले लोगों में भगवान् महावीर एक अग्रगण्य महापुरुष थे। अब हम देखें कि उनका युग कैसा था ?

महाभारत के युद्ध की घटना आर्यों के जीवन में बड़ी से बड़ी क्रांति करने वाली सिद्ध हुई। अग्रेजों और जर्मनों के बीच के भातृद्वेष का विग्रह जिस प्रकार विश्वव्यापी बनकर आज की दुनिया को अभी भी परेशान कर रहा है, उन्हीं तरह कौरव-पांडवों के बीच का वह सर्वनाशी महायुद्ध भारत की प्राचीन सस्कृति के लिए घातक सिद्ध हुआ। इस भारतीय युद्ध के पहले रतिदेव जैसे सम्राट् इस प्रकार के महायज्ञ करने में जीवन की मार्थकता मानते थे, जिनमें प्रतिदिन पच्चीस-पच्चीस हजार पशुओं का वध होता था। उस समय के राजा लोग सम्राट् बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करके एक-दूसरे का नाश करते थे और एक दिग्विजय सिद्ध करने के लिए किये गये राज-संहार का पाप धोने के लिए उतना ही हिंसक दूमरा यज्ञ करते थे। इसी कारण से भीष्माचार्य तथा धर्मराज के समान पुण्य-पुरुषों ने क्षात्र धर्म को पापपूर्ण मानकर उसे धिक्कारना चाहा। मनुष्य की अखण्ड सेवा के कारण उसके कुटुम्बी बने हुए असंख्य पशुओं का—गाय, बैल और घोड़ों का—यज्ञ के नाम पर संहार करने की सिफारिश करने वाले वेदों से सशस्त होकर एक ऋषि यह विद्रोही वचन बोल उठे 'धिग्वेदा' वैदिक सस्कृति के सुवर्ण-काल में ऐसा वचन कहना उतना ही साहसपूर्ण था जितना बरडून का युद्ध लड़ रहे हिंडनबर्ग के समक्ष युद्ध का निवेद्य करना। हमारे वैदिक धर्म के अभिमान्नी पूर्वजों ने यह वचन भी लिख रखा है। यह बात उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को सूचित करती है, साथ ही यह उस काल की ऊँची हुई धर्म-बुद्धि की भी द्योतक है।

भारतीय युद्ध, काठियावाड की भूमि पर परस्पर लड़ा गया यादवों का संहारक युद्ध तथा आस्तिक ऋषि द्वारा बंद कराया हुआ राजा जनमेजय

का सर्पसत्र—इस सारे वातावरण का जिन लोगो को स्मरण था, उन्होंने सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि में परिवर्तन करने का निश्चय किया ।

यह विचार धीरे-धीरे परिपक्व और दृढ़ होता गया, छह सौ वर्ष तक यह प्रक्रिया चलती रही और उसमें से आर्य-परम्परा के दो पन्थो का जन्म हुआ । इन पन्थो को हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से पहचानते हैं ।

नहि वेरेण वेराणि सम्मन्तीध कुदाचन ।

अवेरेण च सम्मति एस धम्मो सनन्तनो ॥

इस प्रकार कहकर बुद्ध भगवान् ने अरुंर का संदेश दिया । 'दुख सेते पराजितो'— प्रजा का यह अनुभव होने से उसने इस संदेश को अपना लिया । बुद्ध भगवान् ने भासाहार का निषेध भले ही न किया हो, किन्तु यह उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब मानव-जाति यज्ञ के नाम पर पशुहत्या नहीं करती थी उस समय मनुष्यो में रोग नहीं-जैसे ही थे । पशुहत्या के फलस्वरूप ही मानव-जाति को अनेक रोग लग गये हैं ।

और, जातृपुत्र वर्धमान महावीर ने तो अहिंसा को ही परम धर्म कहकर मानव-जीवन के सम्पूर्ण आधार को ही बदल डाला । वैदिक काल में अरुंर, अहिंसा और गोरक्षा की कल्पना थी ही नहीं ऐसा नहीं, परन्तु धर्म का पूर्ण साक्षात्कार भी तो अनुभव से ही होता है । बुद्ध और महावीर के समय में ही ऋषि-दृष्ट अहिंसा का प्रेम-धर्म लोक-दृष्ट हुआ । यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनके समय के बाद भारत में यज्ञ हुए ही नहीं, परन्तु राष्ट्र-धर्म के हृदय में यज्ञ अप्रतिष्ठित बन चुके थे । वे प्राचीन संस्कृति की शूँज की तरह सुने गये और अनादर के मौन में विलीन हो गये । जहाँ-तहाँ जन-हृदय पूछने लगा कि वृक्षो का सहार करने से, पशुओ की हत्या करने से और रक्त-मांस का कीचड फैलाने से यदि स्वर्ग में जाया जाता हो, तो फिर मरक में जाने का मार्ग कौनसा है ?

जब अनुकूल और प्रतिकूल तटो पर बसने वाले किसानो में बीच की नदी के पानी के लिए युद्ध होने का अवसर खडा हो गया, तब बुद्ध भगवान् ने दोनो के नेताओ को इकट्ठा करके पूछा 'पानी कीमती है या भाइयो का खून ?' 'पानी के लिए भाइयो का खून बहाना कहाँ की बुद्धिमानी है ?'

राजा ययाति ने अपने और अपने पुत्र के जीवन का अनुभव करके सम्राट् के लिए सुलभ सारे भोग भोग लेने के बाद यह अनुभव-वचन कहा कि जगत में जितने भी चावल और तिल है, जितने भी ऐश-आराम के साधन हैं, उन सब को कोई अपना बना ले, तो भी एक के सुखोपभोग के लिए वे पर्याप्त नहीं होंगे, वे उसके मन में तृप्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिये स्वयं वासना का ही त्याग करके सतोष मानने में जीवन की सफलता की कुञ्जी है। भगवान् महावीर ने भी लोगों से यही कहा। हिंसा के द्वारा दूसरे को दबाने की अपेक्षा तप के द्वारा अपनी वासनाओं को दबाना ही विश्वजित् यज्ञ है। इसी में जीवन की सफलता और कृतार्थता है। मनुष्य का जीवन अपने आस-पास के लोगों के लिए आप रूप और त्रास रूप बनने के बदले आशीर्वाद बने, इसी में धर्म निहित है। तप के मूल में यही बात है। तप के बिना मनुष्य का जीवन निष्पाप नहीं बन सकता।

जिस प्रकार यज्ञ के जैसे भव्य जीवन-सिद्धान्त को उस समय के लोगों ने पशुहत्या कर के भ्रष्ट कर दिया, उसी प्रकार उसके बाद के लोगों ने तप के सर्वमंगलत्व को भूखकर उसे निरर्थक देह-दमन का रूप दे दिया। सब-मुच हगारे देश के लोगों ने महान् से महान् धर्म-सिद्धान्तों को अर्थ-विहीन यात्रिक क्रिया का रूप देकर बहुत बड़ा बुद्धि-द्रोह और समाज-द्रोह किया है।

आहार-शास्त्र, जीवन-शास्त्र, प्राणी-शास्त्र, समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, मानस-शास्त्र, तर्क-शास्त्र आदि मनुष्योपयोगी शास्त्रों का जिन्होंने उत्तम और अद्यावधि (Up-to-date) अध्ययन किया है, उन समाज-हितैषी लोगों को धर्मशास्त्रों पर बार-बार विचार करना चाहिये और अपने जमाने के स्वजनों का मार्गदर्शन करना चाहिये।

यदि यह मनातन आवश्यकता न होती तो भगवान् बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों को पुरुषार्थ करके जनता को सनातन धर्म की नये सिरे से दीक्षा देना आवश्यक नहीं लगता। धर्म कितना भी उज्ज्वल क्यों न हो, मानवीय बुद्धि अथवा अबुद्धि की जड़ता के कारण उस पर राख चढ़ ही जाती है। इस राख को हटाकर तथा प्राचीन धर्म-तत्त्वों का संस्कार कर के धर्म को नये सिरे से गति देने का कार्य प्रत्येक युग में होता आया है, इसीलिये धर्म टिका है। धर्म के ग्रन्थ, धर्म के मन्दिर तथा अहिंसा, सत्य और शान्ति

सबको भूलकर धर्म का ही द्रोह करने वाले धर्मान्ध आचार्य धर्म की रक्षा नहीं कर पायेंगे। शान्ति, नितिक्षा और उदारता जिनमें है, विरोधी पक्ष के तर्क में रहे सत्याश और शुभ हेतु को समझने और स्वीकारने जितना स्याद्वाद जिन के गले उतर गया है, ऐसे धर्म-परायण लोग ही धर्म के रक्षक होते हैं। उच्च धर्म में जन्म पाने से मनुष्य उच्च नहीं होता, परन्तु उच्च जीवन से ही वह उच्च बनता है, यह बुद्ध और महावीर ने अनेक बार कहा है।

धर्म का अर्थ ही है जीवन-सुधार। प्राकृत मनुष्य का जीवन सामान्यतः आहार-निद्रादि आवश्यकताओं के, राग-द्वेषादि वासनाओं के तथा दम्भ-मत्सरदि विकृतियों के अनुसार ही बहता रहता है। इसमें सुधार करके जीवन को सु-संस्कृत बनाना ही धर्म का मुख्य कार्य है। जिस प्रकार जीवन पर जग चढता है उसी प्रकार धर्म-वचनों और धार्मिक सस्थाओं पर भी जग चढता है। इस जग को दूर करने का कार्य यदि धर्म स्वयं न करे तो दूसरा कौन करेगा? सामाजिक सुधार ही धर्म का प्रयोजन है। यदि कोई यह कहे कि बुद्ध और महावीर के बाद समाज-सुधारको की आवश्यकता नहीं रही, तो इससे यही सिद्ध होगा कि बुद्ध और महावीर की भी उनके जमाने में कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक धर्म-संस्थापक पर यही न्याय लागू होता है, भले ग्रन्थ-वचन कुछ भी कहे। 'ऐसा एक भी देश नहीं है और ऐसा एक भी युग नहीं है, जिसे समाज सुधार करने के लिए धर्म-संस्थापक प्राप्त न हुए हों।' इसलिये हमें धर्म से ही समाज-सुधार के सिद्धान्त मिल सकते हैं। और इन सिद्धान्तों का उपयोग सर्वप्रथम हमें प्रगति सिद्ध करने, धर्म सस्था को सुधारने के लिए ही करना चाहिये।

प्रगति का अर्थ क्या है? यह प्रश्न हमेशा उठता है जहाँ जीवन के आदर्श बार-बार बदलते हैं वहाँ प्रगति की दिशा निश्चित करना आसान नहीं होता। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक समय के लोगों को तात्कालिक जो कुछ वाञ्छनीय मालूम हो उसकी और जाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करना प्रगति है। लोगों को जो दिशा पसंद होगी उसी दिशा में वे जायेंगे। एक समय हमारे लोगों ने सगीत और नृत्य की निन्दा की थी। उन्होंने इन दोनों कलाओं को सामाजिक बुराई मान लिया था। उस समय के कुछ लोगों ने इन कलाओं के खिलाफ जोरो का आन्दोलन किया था।

भ्राज उसी सगीत और नृत्य को अपनी सस्कृति की विशेषताओं के रूप में हम सीखते हैं और उनका विकास करते हैं तथा दुनिया को उनकी कद्र करने के लिये निर्मंत्रित करते हैं। एक जमाने में अपने बालको को खेतकूद में समय बिगाड़ने के लिये हम सजा देते थे, भ्राज खेदकूद में जो विद्यार्थी भाग नहीं लेते उनसे हम नाराज होते हैं। हमारी पोशाक के बारे में भी यही बात लागू होती है। हमारे देश में एक ऐसा जमाना भी हो गया है, जो मास और मंदिर के सेवन में ही प्रगति मानता था। आदर्श सदा झूले की तरह दो मिरो के बीच झूलते रहते हैं। फिर भी प्रगति जैसी कोई स्याई चीज अवश्य है, और सभी जमानों को वाछनीय लगे ऐसे कुछ तत्वों का भी विकास होना चाहिये। इसका विचार हम आगे करेंगे।

सामान्यत यह देखा गया है कि समाज को स्थिरता और प्रगति दोनों तत्वों की रक्षा करनी होती है। यदि स्थिरता न हो तो सामाजिक सद्गुणों की पूँजी एकत्र नहीं हो सकती चरित्र का विकास नहीं हो सकता और मनुष्य का सामाजिक जीवन में विश्वास भी नहीं बैठ सकता। उलटे यदि हम अपरिवर्तनवादी बन जाये, तो जीवन को जग लग जायेगा, जीवन सड़ जायेगा और सारे जीवन-रस सूख जायेगे। स्थिरता और प्रगति ये एक साथ रहने वाले तत्व कभी-कभी श्रम और विश्वास की तरह एक के बाद एक आते हैं। यह भी प्रगति का एक बड़ा सिद्धान्त है। इन दोनों की अपरिहार्यता को ध्यान में रखकर ही सामाजिक जीवन के नियम बनाये जाने चाहिये। धर्मशास्त्रों ने समय-समय पर सामाजिक नियमों की रचना की है। हमारे समाज की मान्यता ऐसी बना दी गई है कि नियम ईश्वर के दिये हुये हैं अथवा सामान्य बुद्धि से परे रहने वाले अलौकिक दृष्टि के लोग ही नियम बना सकते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार में तो सभी लोग इस विचार को ही प्रोत्साहन देते हैं कि धर्म की दी हुई समाज व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का अधिकार समाज को नहीं है। समाज-व्यवस्था प्रत्यक्ष अनुभव, उस अनुभव के आधार पर होने वाला विचार, समाज की भावनायें और समाज में विकसित होने वाली सनातन श्रद्धा-इन्हीं सब पर आधार रखती है। इनमें से श्रद्धा प्रत्येक समाज का मूलधन है। इस धन की रक्षा करना सामाजिक शक्ति का मूल-मंत्र है।

यदि हम प्रतिक्षण परिवर्तन करते रहेगे तो, समाज बालू के ढेर जैसा हो जायेगा। उसमें धृति (Cohesion) का गुण आयेगा ही नहीं। और यदि

हम किसी भी तरह का परिवर्तन न करने का निश्चय कर लें, तब तो समाज मुर्दे की तरह सड़ने लगेगा।

समाज में आवश्यक परिवर्तन करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं ऐसा मानने-मनवाने में प्रत्येक समाज अपना श्रेय समझता आया है। न्यायाधीश प्रत्येक मुकदमे में अपना निर्णय देते समय कानून में परिवर्तन करते हैं, परन्तु उनका प्रयत्न यह दिखाने का होता है कि कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसे Legal fiction कहते हैं। समाज-व्यवस्था को धर्म शास्त्रों के हाथों में सौंपने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ऐसा दिखाना पड़ता है। इसके लिए भाष्यकार भाष्य रचते हैं और एक ही शास्त्र में श्रद्धा रखते हुए भी अलग-अलग भाष्यकारों के अर्थ के अनु-सार लोग के गुट बन जाते हैं। लोग शास्त्र-वचन के प्रामाण्य की रक्षा करके अपने स्वीकृत भाष्यकार के वचन को अधिक महत्त्व देते हैं। सब देशों के आज तक के इतिहास को देखते हुए प्रगति का यह भी एक सार्वभौम नियम कहा जा सकता है।

सामाजिक प्रगति का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भी सर्वत्र देखा गया है। एक जमाना धर्म-व्यवस्था के बाह्य आकार की रक्षा करके उस आकार में पूरे या भरे जाने वाले मसाले में परिवर्तन करता है। पशु के मास का यज्ञ करने के बदले वह मास का (उडद का) पशु बनाकर उसकी बलि देता है और मानता है कि मास-यज्ञ की रक्षा हो गई। इस प्रकार भीतर का मसाला पूरी तरह बदल जाने के बाद नये लोग तर्क करते हैं कि मुख्य चीज मसाला है, आकार तो गौण चीज है। इसलिये भीतर की चीज की रक्षा करके उसे कैसा भी आकार देने में धर्मद्रोह नहीं होता, तत्त्व की रक्षा का ही वास्तविक महत्त्व है। इस प्रकार आकार के बदल जाने के बाद नये आकार को ही महत्त्व प्रदान किया जाता है। उडद के आटे के पशु बनाने के बदले गेहूँ के आटे के पिण्ड बनाये जाते हैं और फिर उसमें नया मसाला स्वीकार करने की तैयारी हो जाती है। एक प्राचीन वचन है 'चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन पिण्डत' एक पैर को उठाकर आगे रखने के लिए दूसरा पैर अडिग और स्थिर रखना होता है। उठाया हुआ पैर आगे स्थिर हो जाय उसके बाद पीछे से अडिग पैर के टिकने की या उसे टिकाने की बारी आती है। इसी तरह समाज की प्रगति होती आई है। जो लोग इस सिद्धान्तों को जान लेते हैं, उनकी समाज सेवा करने की शक्ति खूब बढ़ जाती है।

भ्राज का जमाना चर्चा का है। प्राचीन नियम यह था जिस बात के लिए मन में परम आदर हो, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। माता, पिता या गुरु की आज्ञा पर कोई विचार किया ही नहीं जा सकता था—'आज्ञा गुरुणा ह्यविचारणीया।' गुरुजनो के आचरण के काजी हम न बनें, वे जो कुछ करते हैं यह उत्तम ही है 'वृद्धास्ते न विचारणीयचरिता' इस वृत्ति का भी खूब विकास हुआ था। भ्राज एक भी वस्तु इतनी पवित्र नहीं रही, जिसकी चर्चा ही न की जा सके। सभी लोग सभी वस्तुओं की चर्चा करें, इसमें एक प्रकार की शिक्षा भी है और अनधिकार चेष्टा भी है। इससे समाज का नेतृत्व क्षुद्र-वृत्तियों को उत्तेजित करने वाले गैर-जिम्मेदार लोगों के हाथ में आसानी से चला जाता है। परन्तु इस दोष से बचने के लिए यदि यह नियम बना दिया जाय कि 'अधिकारी पुरुष ही चर्चा करने योग्य माने जाने चाहिये,' तो इसके भी अपने अलग गुण-दोष हैं ही। ऐसा करने से समाज-हित का विचार एक तरह से परिपक्व रूप में होता है, लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं होता, स्थिरता बनी रहती है और समाज प्रचण्ड सामर्थ्य का विकास कर सकता है। परन्तु ऐसी स्थिति में लोक-शिक्षण बहुत बार रुक जाता है और नेताओं की ही एक जाति खड़ी हो जाती है। समाज की कार्य-शक्ति बढ़ने पर भी उसकी सूझ-बूझ की शक्ति को जग लग जाता है और नेता वर्ग का नैतिक अधःपतन होने पर सारा समाज टूट जाता है।

धार्मिक सुधार करने वाले लोग परम धार्मिक और त्रिकालज्ञ होने चाहिये। जो लोग धर्म के विधि-विधान में और बाह्य प्रथाओं में क्रांति कर सकते हैं, उनके पास धर्म की आत्मा अखण्ड जागृत होनी चाहिये। उन्हें धर्म तत्त्व का आकलन स्वयं करना चाहिये। ऐसे लोग हर समाज में और हर देश में अथवा समाज में उत्पन्न होते ही हैं, यह धर्म-ग्रन्थों में लिखा हुआ है और इतिहास में देखा गया है।

त्रिकालज्ञ शब्द का अर्थ हमें भली-भाँति समझ लेना चाहिये। 'लाखों वर्ष पहले कौन-कौन सी घटनाएँ घटी हैं और लाखों वर्ष बाद कौन-कौन सी घटनाएँ घटने वाली हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या-क्या कर चुका है और आगे क्या करने वाला है, यह सब विस्तार से जानने वाला मनुष्य त्रिकालज्ञ है,—ऐसी जड़ मान्यता समाज में फैली हुई है। ईश्वर की ओर से संदेश प्राप्त करने का दावा करने वाले मुहम्मद पैगम्बर कहते हैं कि दूररे क्षण क्या होने वाला है

यह न तो खुदा ने अपने नबियों से कह रखा है और न अपने फरिश्तों से। भविष्य-सम्बन्धी ज्ञान खुदा ने अपने पास ही रखा है। कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च मनुष्य को भविष्य का ब्यौरेबार ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सब त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या है ?

जो मनुष्य दीर्घकालीन इतिहास के अध्ययन से भूतकाल के स्वरूप को अच्छी तरह जानता है और लोक-स्थिति का सूक्ष्म और व्यापक निरीक्षण करने के फलस्वरूप वर्तमान काल की वस्तु-स्थिति से पूर्ण परिचित होता है, उसे यदि उसने शास्त्रीय-वृत्ति का विकास अपने भीतर किया हो तो—समाज शास्त्र की रचना करना आता है और इस शास्त्र के बल पर वह आसानी से यह समझ सकता है कि भविष्य का प्रवाह—विचार प्रवाह तथा घटना प्रवाह—किस दिशा में बहेगा। ऐसे शास्त्रीय दृष्टि वाले मनुष्य को हम त्रिकालज्ञ कहते हैं। प्रत्येक देश के और प्रत्येक युग के सर्वोच्च नेता इस प्रकार कम या अधिक मात्रा में त्रिकालज्ञ होते ही हैं। और जो लोग इस अर्थ में त्रिकालज्ञ रहे हैं, वे ही समाज की नौका को जीवन-सागर में भली-भाँति चला सके हैं।

ऐसे मनुष्य में एक विशिष्ट शक्ति की आवश्यकता होती है। वह है भविष्य के आदर्श की झाँकी करने की शक्ति। जिस प्रकार जहाज का कप्तान अपने पास के नक्शे के अनुसार जहाज को चलाता है, जिस प्रकार मकान बनाने वाले लोग अपने नक्शे के अनुसार मकान की सारी रचना करते हैं, जिस प्रकार महाकाव्य का कोई कवि निश्चित किये हुए उद्देश्य के अनुसार अपने काव्य का विस्तार करता है, उसी प्रकार समाज की धुरा को धारण करने वाला, समाज का नेता अपने मन में निश्चित किये हुए आदर्श की दिशा में समाज को निश्चिन्त भाव से ले जाता है। उसके सामने अपने आदर्श का चित्र जितना स्पष्ट और जीवित होगा, उतने ही विश्वास के साथ वह समाज का मार्गदर्शन करेगा। बुद्ध और महावीर ऐसे ही समाज-सुधारक थे, इसीलिये वे अपने पीछे इतनी समर्थ संस्कृति छोड़ गये हैं।

लेकिन बाद के लोग धर्म के रहस्य को भूलकर केवल रूढ़ि और अपनी प्रतिष्ठा से चिपटे रहते हैं। अहिंसा-धर्म की सर्वत्र विजय देखने की इच्छा रखने वाले जैनों में जब धर्म के नाम पर मार-पीट होती है तब धर्म कलंकित होता है। शम-दम का उपदेश करने वाले आचार्य जब क्रोधित होते हैं और किसी का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तब जिस धर्म के

नाम पर उनको प्रतिष्ठा मिली है वह धर्म गहरे सोच में पड़ जाता है कि 'अब मैं कहाँ जाऊँ ? जिनके आधार को मैंने मुख्य माना था वे मेरे रक्षक होने का दावा तो करते हैं, परन्तु अपने जीवन से ही मेरा गला घोटते हैं।' महाराष्ट्र में नागपुर के पास रामटेक नामक एक स्थान है। वहाँ का एक जैन-मन्दिर देखने में गया था। उसके द्वार पर बन्दूक, तलवार आदि शस्त्र रखे गये थे और सिपाही उस मन्दिर की रक्षा करते थे। इस तरह मन्दिर में एकत्र की हुई धन-दौलत की रक्षा जरूर होती थी, लेकिन अहिंसा-धर्म की तो निरन्तर बिड़बना ही होती थी।

धन-दौलत के भंडार और अहिंसा का मेल कभी बैठ ही नहीं सकता। यूरोप में अहिंसावादी क्वेकरों को और भारत में अहिंसावादी जैन लोगों को काफी धनी देखकर मेरे मन में शका होती है कि इन लोगों की समझ में अहिंसा-धर्म अच्छी तरह आता होगा या नहीं ? गरीबों का वृत्तिच्छेद किये बिना कोई धनवान ही नहीं सकता और वृत्तिच्छेद में शिरच्छेद से कम हिंसा नहीं है। यदि धर्माचार्य धर्म की विजय देखना चाहते हों, तो उन्हें समाज की अन्याय मूलक व्यवस्था को बदलना ही होगा और ऐसी स्थिति लाने का प्रयत्न करना होगा जिसमें प्रत्येक मनुष्य को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले।

यह अच्छा ही हुआ कि प्राचीन काल में आहारशास्त्र के सूक्ष्म नियम बनाये गये। परन्तु आज वे नियम बदलने ही चाहिये। नया आहारशास्त्र बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। धर्म की दृष्टि से उसका लाभ उठाकर धर्माचार्यों को चाहिये कि वे अपने समाज को नया रास्ता दिखायें। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि प्याज, आनू, बैंगन या टमाटर न खाने में धर्म मानने वाले लोग कीड़ों को उबाल कर तैयार किये हुए रेशम के कपड़ों का धर में और उपाश्रय में कैसे उपयोग करते होंगे ! लेकिन यह तो तुलना में एक गौण बात हुई। आज स्त्रियों, हरिजनों, गरीबों, किसानों और मजदूरों के प्रति जो जीवन-व्यापी अन्याय चल रहा है, उसे गोकने के लिए धर्मवीरों को कटिबद्ध होना चाहिये।

जैन का अर्थ है बीर। उसे तो सदा लड़ने की तैयारी रखनी ही चाहिये। उसका शस्त्र अहिंसा है, लेकिन इस कारण कम बीरता से उसका काम नहीं चल सकता। जिस धर्म की स्थापना एक महान् सुधारक ने की

उसके अनुयायी स्वयं ही सुधार का विरोध करे, यह एक आश्चर्यजनक घटना है। बुद्ध और महावीर ने जाति-भेद का विरोध किया था, अस्पृश्यता का अवगणना की थी, फिर भी उनके अनुयायी जाति के अभिमान से ओतप्रोत हैं और अस्पृश्यता को टिकाये रखने में धर्म समझते हैं।

यह स्थिति देखकर ही एक मित्र ने कहा है 'सत लोग धर्म चलाते हैं और छड़ि-पूजक आचार्य उस धर्म का खून करते हैं और बाद में उसकी 'ममी' (सुरक्षित शव) की पूजा करते हैं।' मैं नहीं मानता कि ऐसा होना ही चाहिये। इसलिये मेरी यह आशा है कि धर्माचार्य अपनी प्रतिष्ठा को नहीं परन्तु धर्म को जीवित रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे।

संवत् १९६२—सन् १९३५

धर्म संस्करण का समाजशास्त्र

हम भूतपरस्त बनें या भविष्य के सर्जक ?

•

नया आध्यात्मिक समाजशास्त्र

•

परस्परा किसे कहें ?

हम भूतपरस्त बनें या भविष्य के सर्जक ?

भारत में प्रचलित लोककथाओं में भूत-प्रेत आदि दुर्देवी योनियों का वर्णन आता है। उसमें बताया जाता है कि भूतों के पाँव उलटे होते हैं और उनकी आँखें भी मनुष्य के जैसी मुख के आगे रहने के बदले पीछे रहती हैं।

बचपन में ऐसे वर्णन पढ़ते घबराहट होती थी। आज उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जो लोग भूतकाल की खोज करते हैं, भूतकाल के आदर्श की ओर जाते हैं और आदर्श सामाजिक जीवन भूतकाल में ही था ऐसी मान्यता रखते हैं उनकी आँखें सिर के पीछे ही होनी चाहिये और उनके कदम आगे न बढ़ते हुये पीछे-पीछे भूतकाल की ओर ही प्रयाण करते होंगे।

हम मानते हैं कि सब से अच्छा युग भूतकाल में ही था। उसका ह्रास होते-होते आज कलियुग आया है। आदर्श धर्म वेदकाल में ही पाया जाता था। त्रिकालज्ञ ऋषि-मुनि प्राचीन-काल में ही थे। प्राचीन-काल का जीवन शुद्ध पवित्र था। प्राचीन-काल के लोग नीरोगी थे, बलवान थे, सामाजिक उत्कर्ष के सब नियम जानते थे और उनका पालन करते थे। उनकी शरीर-यष्टि ऊँची रहती थी, वे दीर्घायु थे। दिन-पर-दिन वह सारा आदर्श जीवन बिगड़ता गया। अब लोगों की ऊँचाई भी कम होने लगी है। आगे जाकर लोग और भी वामन बनेंगे, अर्थात्पुष्पी बनेंगे। भूतकाल ही स्वर्णयुग था।

ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक अनुसंधान और उत्खनन द्वारा हजारों वर्षों का जो इतिहास मिलता है उस पर से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल के मनुष्य आज के जितने ऊँचे नहीं थे। प्राचीन-काल में मृत व्यक्तियों के शरीर सुरक्षित ढग से जमीन में गाड़ने के लिये बड़े-बड़े पत्थरों में शरीर की आकृति जितना हिस्सा खोदकर उसमें शव को रखते थे और उस पर दूसरी शिला का ढक्कन रख कर पत्थर की वह शव-सदृक जमीन में गाड़ देते थे। ऐसी जो प्राचीन सदृकें मिली हैं, उन से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों की शरीर-यष्टि कितनी ऊँची थी। ईजिप्ट की मम्मी पर से भी पता चलता है कि प्राचीनकाल के लोगों की ऊँचाई आज से अधिक नहीं थी।

जो हों, भूतकाल की भक्ति करने वाले लोगों के लिये भविष्यकाल में कोई आशास्पद स्थिति है नहीं।

ऐसे लोगों की विचार-पद्धति में धर्मों का आदर्श स्वरूप भूतकाल में ही था। याज्ञवल्क्य, जनक, अष्टावक्र, गौडपाद, शंकर, रामानुज, मध्व, बुद्ध, महावीर आदि लोगो में मानवता का पूर्ण विकास हुआ था। उनके आगे अब कोई जा नहीं सकता। वे सर्वज्ञ थे, हम अल्पज्ञ हैं। वे पूर्ण पुरुष थे। अब वह पूर्णता फिर से आने वाली नहीं। इसलिये हमें मान ही लेना चाहिये कि जो कुछ भी श्रेष्ठता कल्पना में आ सकती है वह इन आद्य धर्मसंस्थापको में ही ही। अगर इतिहास कुछ दूसरी बात कहता है तो इतिहास गलत है अथवा उसका अर्थ दूसरे ढंग से करना चाहिये।

अगर कोई कहे कि आजकल के कोई युगपुरुष प्राचीनकाल के अवतारी पुरुषों से भी श्रेष्ठ थे अथवा है, तो उनके लिये ऐसी बात सुननी भी असह्य होगी। धार्मिकों की बात दरकिनार, अगर मैंने कहा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर महाकवि कालिदास से कई दर्जे श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली थे तो हमारे लोगो को अच्छा नहीं लगेगा।

हम लोगो ने एक और भी तरीका चलाया है। प्राचीनकाल के श्रेष्ठ पुरुषों को हम ईश्वर का अवतार बनाते हैं और ईश्वर की सम्पूर्णता का उन पर आरोप भी करते हैं। फिर तो ऐतिहासिक तथ्यों के लिये कोई जगह ही नहीं रही। राम, कृष्ण, शंकर, बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस सब के सब परमात्मा के अवतार ही थे। उनमें कुछ अपूर्णता थी ही नहीं। अपूर्णता का अवकाश ही उनमें कहीं से हो सके ?

जो बात धर्मसंस्थापको की और अवतारी पुरुषों की, वही बात धर्मग्रन्थों की। उन ग्रन्थों में सम्पूर्ण ज्ञान और पूर्ण विकसित ज्ञान पाया जा सकता है। उन में गलती होने की संभावना ही नहीं है। धर्म का पूर्ण विकसित रूप इन ग्रन्थों द्वारा प्रकट हो सके ऐसा ही उनका अर्थ करना चाहिये।

जिन लोगो ने ऐसी मनोभूमिका धारण की उनके लिये भविष्यकाल कुछ मानी ही नहीं रखता।

अहिंसा धर्म लीजिये। अगर शुद्ध दृष्टि से प्राचीन इतिहास और प्राचीन धर्मग्रन्थों का अध्ययन हम करें तो हमें पता चलता है कि अहिंसा धर्म का आकलन कही स्थूल था, कही सूक्ष्म था। उसके पालन में पहले क्षति ज्यादा होती थी। सामान्य जनता तो प्रमादी ही रहती है। हर एक जमाने के श्रेष्ठ

पुरुषों के जीवन की तुलना की जाय तो अहिंसा के बारे में भगवान् पार्श्वनाथ से भगवान् महावीर आगे बढ़े हुये थे। याज्ञवल्क्य की अपेक्षा सभव है, गौडपाद और शंकर ऊँची भूमिका पर पहुँच गये थे। टॉलस्टॉय को अहिंसा का जो दर्शन हुआ था, उससे महात्मा गाँधी को अनेक गुना ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा उज्ज्वल दर्शन हुआ था। लेकिन भूतकाल के उपासक और विभूतिपूजक लोग ऐसी बातें आसानी से मानने को तैयार नहीं होते। वैदिक काल के धर्मग्रन्थों में वेदांग ज्योतिष भी है। उसके गणित में आज हम गलतियाँ देखते हैं क्योंकि वह स्थूल गणित था। धर्मग्रन्थ दोषरहित, निर्व्रान्त होते हैं ऐसा मानने वाले लोगों के लिये वेदांग ज्योतिष की पहेली सोचने लायक है।

हमने जैन धर्म के एक भक्त को पूछा, 'जैन धर्म की अहिंसा में उत्तरोत्तर विकास के लिए कुछ अवकाश है या नहीं? क्या इस धर्म के लिए केवल भूतकाल ही है? भविष्यकाल है ही नहीं?' तब उन्होंने जवाब न देते हुये मुझ ही से सवाल पूछा, 'आपकी राय क्या है?' मैंने कहा कि जैसे गणित-शास्त्र दिन पर-दिन आगे बढ़ता है और सूक्ष्म बनता जाता है, ज्योतिष शास्त्र में नये-नये आविष्कार होते जाते हैं और उसका क्षेत्र कल्पनातीत बढ़ रहा है, वैसे ही धर्मशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र अधिकाधिक सूक्ष्म होने जाते हैं और उनमें आइन्दा के लिये अभूतपूर्व विकास के लिए अवकाश है। विज्ञान बढ़ता है, वैद्यक शास्त्र बढ़ता है, मानसशास्त्र गहरा होना जाता है, उमी तरह अध्यात्म-विद्या भी बढ़ती आई है और आगे बढ़ेगी। महावीर स्वामी को अहिंसा का जो दर्शन हुआ था उससे आगे बढ़ने वाले किसी पुरुष को देखकर महावीर स्वामी को ऐसा ही लगेगा कि अपना जीवनकार्य कुतार्थ हुआ।

इस बात को हम इन्कार नहीं कर सकते कि कभी-कभी सारा पुराना जमाना बिगड़ जाता है, धार्मिक श्रद्धा क्षीण होती है, ऐसे अवसर पर अपने श्रेष्ठ पुरुषों का स्मरण करना और उनसे प्रेरणा पाना हितकर ही है। लेकिन भविष्यकाल के बारे में अश्रद्धालु बनना केवल नास्तिकता है। सच देखा जाय तो दुनिया के सब के सब धर्म अपना बाल्यकाल पूरा करके प्रौढ अवस्था को पहुँचे हैं। शायद पूरे पहुँचे भी नहीं हैं। धर्म के विकास में पाँच सौ या हजार बरसों का कोई हिसाब ही नहीं।

मनुस्मृति के समाज-शास्त्र में चन्द बातें जरूर अच्छी होंगी, जो आज हम भूल गये हैं या खो बैठे हैं। लेकिन हम यह कह नहीं सकते कि मनुस्मृति में जो समाज-विज्ञान पाया जाता है वही श्रेष्ठ था या उस में कोई दोष थे ही

नहीं। आज अगर मनुस्मृति में बताया हुआ जीवन फिर से शुरू हो जाय तो समाज-सेवकों को, उसकी चन्द बातों के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा।

धर्मपरायण धर्मप्राण व्यक्तियों को इतना तो समझ ही लेना चाहिये कि भूतकाल की विरासत अत्यन्त कीमती खाद है। उसे खाद्य समझने की भूल हम न करें। अपने पुरुषार्थ से अन्न की नई-नई फसल हर साल पैदा करके उसी अन्न को हम खावें, खाद को नहीं। हम भूतपरस्त न बनें। भविष्य के और सर्जक बनने के लिए हमारा जन्म है और हमारा धर्म भी आवाहक दिन-पर-दिन व्यापक, गहरा और उज्ज्वल बनने वाला है।

३१-१२-१९५७

•

नया आध्यात्मिक समाजशास्त्र

मनुष्य-स्वभाव में जो अनेक सद्गुण हैं उनमें सहयोग और सहकार का सामाजिक महत्त्व बहुत है। बहुत से लोग एक कल्पना से या ध्येय से प्रेरित होकर जब एकत्र काम करने लगते हैं तब असाधारण शक्ति पैदा होती है। अगर ये लोग केवल एक ध्येय से ही नहीं, बल्कि एकतन्त्र से चलने लगे, तो उनकी शक्ति करीब-करीब अमर्यादित हो जाती है। यह सहकार शक्ति आज के युग में ही विशेष विकसित हुई है ऐसा कहा जा सकता है। जब लोग व्यक्तिगत जिम्मेवारी पहचान सकते हैं और सोच समझकर कोई तन्त्र पैदा करके उस तन्त्र के अधीन निष्ठा से बरतने लगते हैं तब उनका सच-सामर्थ्य शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों तरफ से सर्वसमर्थ बनता है।

पशुओं में चन्द्र पशु जगत् में अकेले-अकेले रहते हैं और चन्द्र बड़े-बड़े झुण्ड बना कर रहते हैं। हिरन, भेड़िये आदि प्राणियों के झुण्ड और उनकी तन्त्रनिष्ठा विख्यात है। पक्षियों में और कीटों में भी इस प्रकार की समूह निष्ठा दिखाई देती है। चींटियाँ, मक्खियाँ, दीमक आदि क्षुद्र लगने वाले कीट भी बड़े-बड़े समाज चलाते हैं। जिस टिड्डी दल के हमले से देखते-देखते हमारा भारी नुकसान हो जाता है उस टिड्डियों के दल में भी एक तरह की व्यवस्था होती है। कोट्यवधि टिड्डियाँ मील के मील फैलती हैं और एक साथ मिलकर प्रवास करती हैं। कभी-कभी बिलकुल अकस्मात् वे सब की सब अपनी दिशा बदलती हैं। यह फेरफार कौन सुझाता है ? हुकुम कौन देता है ? और वह सर्वत्र एकदम कैसे फैलती है ? यह एक गूढ रहस्य ही है।

लेकिन क्या पशु पक्षियों और कृमि कीटों की इस समूहवृत्ति को हम सहकारिता कह सकते हैं ? मनुष्य की सहकारिता में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। वह व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का प्रेमी होता है। समूह से अलग होकर स्वतन्त्रता से जीने की उसमें हिम्मत होती है। उसको मालूम होता है कि तन्त्रनिष्ठा को स्वीकार करने में व्यक्तिगत जीवन के महत्त्व का भाग छोड़ देना पड़ता है। उसके गुण दोष भी वह जानता है। और फिर विचारपूर्वक स्वेच्छा से वह तन्त्रनिष्ठा को स्वीकार करता है। क्या पशु-पक्षियों के टोली-धर्म को इस तरह सहकारिता कहना ठीक होगा ? शायद ठीक नहीं होगा।

उनमें व्यक्ति स्वानन्वय का विकाम हुआ है ऐसा कही भी प्रमाणित नहीं हुआ है। और, इसीलिये उनका जीवन वनस्पति जीवन के समान एक ही ढाँचे में ढला हुआ होता है। उनका जीवन-प्रवाह एक ही पात्र में से बहता है।

हिन्दुस्तान में पहले बड़े-बड़े अविभक्त कुटुम्ब होते थे। एक ही कर्ता पुरुष के अनुशासन में तीन-तीन चार-चार पीढ़ियों तक के लोग एकत्र रहते थे। इन सभी के जीवन की सुसूत्रता देखकर आश्चर्य व आदर पैदा होता है। ऐसे कुछ कुटुम्ब आज भी दिखाई देते हैं।

चन्द जाति सम्प्रदाय भी इसी तरह सुचारु रूप से चलती आई है और उनमें असाधारण सामाजिक शक्ति पायी गई है। इन कुटुम्बों की और जातियों को इस समूह वृत्ति को सहकारिता कहे या यह केवल एक टोली धर्म है? Herd instinct है? दोनों में से एक भी पक्ष लेना मुश्किल है। कुटुम्ब-निष्ठा में और जाति-निष्ठा में बौद्धिक और आध्यात्मिक सद्गुणों का विकास होता स्पष्ट दिखाई देता है। इसके विपरीत सहकारिता के मूल में जो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिये वह बहुत ही कम दिखाई देता है।

जो बड़े-बड़े कुटुम्ब चला सकते हैं या जिनको बड़े कुटुम्बों के घटक बनकर रहना साध्य होता है, जाति-निष्ठा के कारण जिन्होंने असाधारण जीवनमिद्धि मिद्ध कर वतार्ई है, इतना ही नहीं, बल्कि धर्म के क्षेत्र में जिन्होंने साम्प्रदायिक सघ पीढी दर पीढी चलाये है, ऐसे हमारे लोग बदली हुई परिस्थिति में सघटित क्यों नहीं हो सकते? समाज का सकट वे क्यों पहचान नहीं सकते? युग-धर्म के अनुकूल सघ कैसे बनाने चाहिये, वह कितने बड़ होने चाहिये आदि सघ-विद्या का व्याकरण उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है?

तो फिर क्या आज तक का हमारा साघिक इतिहास केवल एक Herd instinct ही थी? भगवान् बुद्ध ने सब जातियों में से शिष्य बनाये और उनका एक सघ बहुत अच्छी तरह से चलाया। इस सघ का प्रकार और उसका इतिहास विनयपिटक में सविस्तर देखने को मिलता है। जो वैष्णव धर्म सारे हिन्दुस्तान में फैला हुआ है उसमें मुसलमान आदि अन्य धर्म के लोग भी दाखिल हुए और उनको स्वीकार भी किया गया। इतनी व्यापक दृष्टि और सघ-शक्ति का जिन्होंने विकास किया वे दुनियाँ में अपना स्थान किस तरह खो बैठे, यह समाजशास्त्रियों के सामने एक बड़ा मुश्किल सवाल है।

हमारी कहीं भूल हुई, उसकी चर्चा हम डेढ़ सौ साल से करते आये हैं। परस्पर विरोधी उपपत्तियाँ और भीमासा हम सुनते हैं। लेकिन आज भी नई परिस्थिति के नये आदर्शों की नई जीवन-सिद्धि का नया व्याकरण हमने अब तक हस्तगत नहीं किया है, हृदयगम नहीं किया है।

दुनियाँ की भिन्न-भिन्न महाजातियों और समाजों के इतिहास की छानबीन करके—अर्थ शास्त्र, मानव शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीति, संस्कृतियों का विकास आदि तत्त्वों का अध्ययन करके उसमें से हमें अपना समाजशास्त्र बनाना होगा। पदार्थ विज्ञान, रसायन, वनस्पति-शास्त्र, खनिज विद्या, प्राणी विद्या आदि भौतिक-शास्त्रों का अवलोकन करके उसमें जो कुछ बोध मिलेगा, जो कुछ सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होगी उस सब का लाभ उठाकर अपनी पूर्व परम्परा की बुनियाद पर अध्यात्म-शास्त्र के नियन्त्रण के नीचे हमें अपना नया आध्यात्मिक समाजशास्त्र तैयार करना होगा और तदनु रूप जीवन कलाओं का विकास करना होगा। यह सब करने का समय कब का आ चुका है। यह सब कौन कब करेगा ?

८ जुलाई १९५८

•

परम्परा किसे कहें ?

‘परम्परा निभाये’ इसका मतलब क्या ? पुराना सब जैसा का वैसा ही सम्भालकर रखना, उसमें कुछ भी परिवर्तन न होने देना, यही उसका अर्थ है ? हरगिज नहीं। पर यानी पीछे से आने वाला। परम्परा का अर्थ है एक स्थिति छोड़कर उसके जैसी दूसरी स्थिति को लेना, आगे चलकर उस दूसरी स्थिति को भी छोड़कर उसके साथ मेल खाये ऐसी या उसमें से पैदा होने वाली तीसरी कालानुकूल स्थिति को अपनाना। इसे कहते हैं परम्परा निभाना। हम मकान में नीचरी मजिल से ऊपर की मजिल को जाते हैं तो कूदकर या उड़कर नहीं जाते, जीना या सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। यानि जमीन पर से पहली सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, यो सीढ़ियों के क्रम से ऊपर जाने हैं। नीचे उतरने के लिये भी कूदने नहीं है, क्रम से उतरते हैं।

सामाजिक जीवन में ऐसा ही क्रम रहना है। समाज चढ़े या गिरे, उसकी गति, प्रगति या परागति क्रमश होती है। इसलिये मनुष्य परम्परा निभाकर उन्नति भी पा सकता है और अवनति भी।

परम्परा की खूबी दो वस्तुओं पर या तत्त्वों पर निर्भर है— (1) नित्य परिवर्तन करते हुये भी, (2) पुगनी परिस्थिति या पुराने तत्त्वों से सम्बन्ध या अनुबन्ध न छोड़ना। दूसरे शब्दों में कह तो परिवर्तनशीलता यह एक खूबी और सम्बन्ध अविच्छिन्न रखना यह दूसरी खूबी। ऐसी परम्परा ही प्रगति का उत्तम व्याकरण है। From precedent to precedent daily self surpasses—यह है सूत्र परम्परावाद का।

‘पुराना छोड़ना नहीं और नया लेना नहीं’, यह कोई परम्परावाद का सूत्र नहीं है, यह तो अपरिवर्तनवाद का है। जिन्दा शरीर बढ़ता है, मुर्दा सड़ता है, दोनों में से एक भी अपरिवर्तनवादी नहीं है। परम्परा की खूबी यही है कि उसमें परिवर्तन क्रमश होता है। सिर्फ क्रान्ति में क्रम की बात नहीं है।

कोई पुत्र जब पिता की कोठी सम्भालता है तो पिता की पूँजी पर साँप की तरह बैठे नहीं रहता। उस पूँजी का उपयोग कर के उसे बढ़ाता है और नये-नये क्षेत्रों में काम करता है। सिर्फ फर्म का नाम कायम रखकर

और कार्यपद्धति भी हो सके वहाँ तक वही चालू रखकर वह आगे बढ़ता है । सामाजिक सुधार इसी प्रकार होता है । बालकों के शरीर, मन और समझ शक्ति में भी जो प्रगति होती है वह भी परम्परा निभाकर ही होती है । परम्परा यानी क्रमयुक्त प्रगति ।

यही बात किसी कवि ने कही है कि—बुद्धिमान मनुष्य जब चलता है तब एक पैर स्थिर रखकर दूसरा आगे रखता है, बाद में उसे स्थिर रखकर पीछे का चठाकर आगे ले जाता है । नयी जगह निहार कर स्थिर करने के बाद ही पीछे की जगह छोड़ना, इसी में बुद्धिमानी है । ऐसी बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना, प्रगति करना तो होना ही चाहिये । ऐसी प्रगति जो धर्म करता आया है उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं । सनातन ही नित्य नूतन होता है ।

१५ मई १९६६

•

स्याद्वाद की समन्वय शक्ति

नया समन्वय

•

त्रिवेणी समन्वय

•

समन्वयकारी जैन दर्शन

•

प्राण और सस्कारिता

•

धर्मों से श्रेष्ठ धार्मिकता

•

धर्म के प्रकार और नये धार्मिक प्रश्न

•

सर्वत्याग या सर्वस्वीकार

•

स्याद्वाद की समन्वय शक्ति

जया समन्वय

जैनों का स्याद्वाद या अनेकान्तवाद कहता है कि सत्य एक ही है, फिर भी देखने वाले की दृष्टि एकांगी होने के कारण सत्य का उसे आंशिक साक्षात्कार होता है। एक मनुष्य एक तरफ से देखकर सत्य का एक तरह से वर्णन करता है, दूसरा मनुष्य दूसरी तरफ से देखकर उसी सत्य का बिल्कुल विपरीत शब्दों में निरूपण करता है। साँवला मनुष्य बिल्कुल काले मनुष्य के मुकाबले में गोरा साबित होता है और गोरे के साथ तुलना करने पर काला ठहराया जाता है। दिल्ली की दृष्टि से नागपुर शहर दक्षिण की ओर है। पूना के लोग उसे उत्तर की तरफ मानते हैं। नागपुर से अगर पूछा जाय तो वह कहेगा, 'मैं अपने विश्व के केन्द्र स्थान में हूँ'। 'और्दिच्य या दक्षिणात्य जैसे विशेषण मैं अपने-आपको क्यों लगाऊँ ? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पूना मेरी दक्षिण की ओर है और दिल्ली उत्तर की तरफ।'

स्याद्वाद ध्यान में आने के बाद बुद्धि और हृदय दोनों समन्वय की दृष्टि स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं।

स्याद्वाद की दृष्टि कहती है— भाइयों, अपने-अपने अनुभव दुनिया के सामने रखो। लेकिन दूसरे का अनुभव सही या गलत कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपके अनुभव की जड़ में आपकी दृष्टि या भूमिका होगी। दूसरे की दृष्टि उससे भिन्न हो सकती है। अपनी निजी भूमिका पर से उसको जो अनुभव हुआ वह आपसे भिन्न होगा ही। फिर भी वह आप से कम सच्चा हो, इसका कोई कारण नहीं है। आपको जिस तरह अपने अनुभव का विश्वास होता है और आप उसका आदर भी करते हैं उसी तरह दूसरा भी अपने खुद के अनुभव के बारे में करेगा ही। भले आप दूसरे के अनुभव को स्वीकार न करें। उसके बारे में तटस्थ रहिये। लेकिन दूसरे की दृष्टि के लिए आपके मन में आदर अवश्य होना चाहिये। भिन्न-भिन्न दृष्टि के लिए आपके मन में आदर अवश्य होना चाहिये। भिन्न-भिन्न दृष्टियों के बारे में आदर होना समझदारी का और सस्कारिता का लक्षण है।

पुराने जमाने में लोग वाद विवाद करते थे और कहते थे कि जो हार जाय वह दूसरे का शिष्य बने। कई लोग अपना सिर देने को तैयार हो जाते

थे। आज का मनुष्य अपने प्रतिपक्षी से कहेगा, देखो, मेरी बात मैं तुम्हारे गले नहीं उतार सकता, इतनी मेरी हार मुझे कबूल करनी ही होगी। लेकिन तुम्हारी बात मुझे जँचती नहीं उसका क्या ? इसलिये उचित यही है कि हम अपना परस्पर मतभेद स्वीकार करने को तैयार हो जायँ। इस तरह की इस समझदारी से ही शान्तिमय सहचार मनुष्य-जाति को मान्य होने लगा है। आपका कहना आपको मुबारक, मेरा मुझे। अब हम समझदारी से तय करे कि कोई भी किमी का रास्ता न रोके। चिन्तन करते-करते एक की दृष्टि दूसरे को मान्य होगी तब होगी। सत्य एक ही होने के कारण कभी न कभी एक दूसरे का कहना एक दूसरे को मान्य होना ही चाहिये। तब तक धैर्य रखने की और राह देखने की दोनों ओर से तैयारी होनी चाहिये। कभी-कभी उच्च भूमिका पर पहुँचने के बाद ही भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ एक पाथ सहज मान्य होती है।

हमारे देण मे बौद्ध, जैन और वेदान्त ऐसी तीन धाराये चलती आई हैं। वेदान्त हमे आत्मोपम्य की साधना बताता है और आत्मैक्य का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ हमारे सामने रखता है। जीव और जगत् एक ही है, आत्मा और परमात्मा मे कोई भेद नहीं, सर्वत्र एक ही अद्वैत का अखण्ड स्फुरण हो रहा है—यह बात ध्यान मे आने के बाद कौन किसकी हिंसा करेगा ? हर एक हिंसा तत्त्वत आत्म-हत्या ही है। इतना समझने के बाद हर एक के लिए अहिंसा स्वाभाविक ही बन जाती है।

सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परा गतिम् ॥

इस एक श्लोक मे वेदान्त का रहस्य आ जाता है और वेदान्तमूलक आचार की नीति भी।

जैन दर्शन अनेकान्त की भूमिका पर से 'केवलज्ञान' की कल्पना करा देता है। 'ईश्वर है या नहीं' इस चर्चा मे वह नहीं उतरता। जीवन-साधना को ईश्वर से क्या लेना-देना है ? तपम्या के द्वारा सब दोषों को जला दिया, स्याद्वाद से दृष्टि को निर्मल किया कि फिर आत्म-साक्षात्कार होगा ही और जीवन भी सार्थक होगा।

बौद्ध दर्शन कहता है—आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर की झड़त में आप पड़े ही क्यों ? हमारा सम्बन्ध आत्मा है जीवन के साथ। जीवन की उन्नति करना हमारा ध्येय है। हमारा नित्य का अनुभव है कि जीवन दुःखमय है। वह दुःख वासना के कारण पैदा होता है। वासना-विजय से दुःख दूर होकर जीवन शुद्ध होता है। ऐसी जीवन-सिद्धि का मार्ग है—शुद्ध जीवन-दृष्टि, शुद्ध सकल्प, शुद्ध प्रवृत्ति, शुद्ध जीविका आदि आठ प्रकार की साधना। हमारा कर्तव्य है जीवन के प्रति। एक बार जीवन शुद्ध हो गया और अहंकार का नाश हुआ तो फिर जो स्थिति होगी उसी को निर्वाण कहते हैं।

‘निर्वाण परमा शान्ति’ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिये। हम आज जिसे धर्म कहते हैं वह वस्तु बहुत जटिल बन गई है। शास्त्र, पुराण, तरह-तरह के पन्थ, त्यौहार, व्रत-वैकल्य, आढ्यादि सस्कार, भूत-प्रेतों की पूजा, दान-धर्म, सदाब्रत—कौन-सी बात का धर्म में समावेश नहीं होता ? भगवान् बुद्ध अपने उपदेश में जिस धर्म का उल्लेख करते थे, उसी को हम ‘धम्म’ कहे। सब पाप कर्मों का त्याग करना, कुशल कर्म करते रहना, चित्त-शुद्धि के लिए प्रयत्न करना, समयपूर्वक जीवन व्यतीत करना और अहंकार छोड़कर अन्तिम शान्ति तक पहुँचने की तैयारी करना इसको भगवान् ‘धम्म’ कहते हैं। ‘कल्याणो धम्मो’। धर्म का पालन करने से, अनुशीलन करने से ही व्यक्ति का, समाज और विश्व का कल्याण होता है।

आयु के अस्सी वर्ष तक इस ‘कल्याण धम्म’ का उपदेश करके और उसके प्रचार के लिए एक धर्म-सेना तैयार करके सिद्धार्थ गौतमबुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया।

इस बात को ढाई हजार साल हो चुके। भगवान् महावीर भी उसी समय के थे। ढाई हजार साल के बाद दुनिया के राष्ट्रों की स्थिति का खयाल करते और मानव सस्कृति का तय किया हुआ रास्ता देखते आश्चर्य होता है कि भगवान् बुद्ध का उपदेश भगवान् महावीर का उपदेश और वेदान्त की सिखावन अभी तक ‘बासी’ नहीं हुई है और गौडपादाचार्य के अनुसार कहना पड़ता है कि वाद-विवाद का अखाड़ा छोड़कर समन्वय की उच्च भूमिका पर चने। हर एक दृष्टि और हर एक भूमिका का सहानुभूति के साथ चिन्तन

करें और ससार के सवर्षों को मिटाकर शान्ति स्थापना की तैयारी करें। निर्विकार प्रेम के बल पर ही यह साधना सिद्ध होने वाली है। इसके लिए जातिभेद, भाषाभेद, सस्कृतिभेद, वंशभेद, मतभेद आदि सब भेदों को लाघ कर हर एक स्थिति में मूलभूत विश्वात्मैक्य को पहचानने की साधना सारी दुनिया को करनी है।

१२ फरवरी १९५७

•

त्रिवेणी समन्वय

हर साल महावीर-जयन्ती आनी है और हर साल हम वही बातें करते हैं और मानते है कि महावीर प्रभु के प्रति हमने अरना कर्त्तव्य अदा किया ।

वही-की-वही बातें सुनते जब नाविन्य नष्ट हो जाता है और हम कुछ ऊब मे जाते है तब जयन्ती के समारोह मे नई दृष्टि या नई चीज लाने के लिए मेरे जैसे जैनेतर को बुलाया जाता है । लेकिन अब तो दस-बीस बरस से जयन्ती के अवसर पर और पर्युषण पर्व के अवसर पर व्याख्यान देना-देता मैं भी पुराना हो गया हूँ । मैंने कई बार कहा है कि, दो ढाई हजार वर्ष के पहले अहिंसा, सयम और तपस्या का मन्देशा मनुष्य-जाति के सामने रखकर भगवान् महावीर ने सिद्ध किया कि वे सच्चे अथ मे आस्तिक-शिरो-मणि है । ईश्वर पर विश्वास रखना या शास्त्र पर विश्वास रखना कोई सच्ची आस्तिकता नहीं है । सच्ची आस्तिकता तो यह है कि मनुष्य के हृदय पर विश्वास किया जाये । आस्तिकता का लक्षण यह है कि मनुष्य विश्वास करे कि किसी-न-किसी दिन मनुष्य अपना स्वार्थी, ईर्ष्यालु या क्रूर स्वभाव छोडकर समस्त मानव जाति का एक विश्व-कुटुम्ब स्थापित करेगा और यह कुटुम्ब-भाव बढाते-बढाते भले-बुरे सब प्राणिय का उसमे अन्तर्भाव करेगा । आजकल के युग मे आस्तिकता इस बात मे होगी कि हम विश्वास करे कि रशिया और अमेरिका दोनो किसी-न-किसी दिन मानवता के सिद्धान्त को सर्वोपरि होना स्वीकार करेगे । आस्तिकता का लक्षण है कि हम हृदय से माने कि हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई होकर ही रहेगे और हम माने कि पाकिस्तान की नीति भी किसी-न-किसी दिन सुधर जायेगी ।

आज विनोबा जो भूदान का काम कर रहे है वह आस्तिकता का काम है । उनका विश्वास है कि आज के स्वार्थी युग मे भी मनुष्य अपना सर्वस्व दे सकता है ।

आज के भारत की अन्तर्राष्ट्रीय नीति आस्तिकता का सर्वोत्तम नमूना है । अविश्वास और ईर्ष्या के इस जमाने मे भारत सब-के-सब राष्ट्रों पर विश्वास रखने को तैयार है । इन सब राष्ट्रों का इतिहास और उनकी

करनें दम नहीं जानने, मो बात नहीं। हम अपने दोष भी कहाँ नहीं जानने ? हम दुनिया में अलग थोड़े ही हैं, तो भी हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य कल्याण की ओर प्रस्थान अवश्य करेगा।

आज लोग दुनियों के सामने मानवी प्रेम का, विश्व-कुटुम्ब का आदर्श रखते सकोच करते हैं। सिर्फ Peaceful co-existence ग्रहिक सह-जीवन या सहचार की बातें करके ही सतोष मानते हैं। जब कि भगवान् महावीर ने प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का, सब प्राणियों के एक परिवार होने का सदेश दुनिया के सामने रखा और विश्वास किया कि इसका स्वीकार भी मनुष्य जानि अवश्य करेगा। उसीलिये मैं भगवान् महावीर को आस्तिक-शिरोमणि कहता हूँ।

लेकिन आज मैं यह पुरानी बात विस्तार के साथ दोहराना नहीं चाहता। आज मुझे एक कदम आगे बढ़कर एक नये समन्वय की बात करनी है - Synthesis और harmony की बात करनी है।

हम सनातनी लोग उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, और भगवद् गीता को 'प्रस्थान-त्रयी' कहते हैं। और, तीन में जो कोई पुरुष एकवाक्यता या समन्वय सिद्ध कर बतावे उसको 'आचार्य' कहते हैं। यह पुरानी बात हो गयी। अनेक आचार्यों ने अपने-अपने ढंग से 'प्रस्थान-त्रयी' की एकवाक्यता कर दिखाई है और हमारे जमाने में कई विद्वानों ने इन सब आचार्यों के बीच भी सामंजस्य स्थापित कर दिखाया है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आदि आचार्य जो कहते हैं वह एक-दूसरे का मारक नहीं है, किन्तु समर्थक है, ऐसी भूमिका पर हम पहुँचे हैं। और, इसी कारण भारतीय दर्शन-शास्त्र एक नई समृद्धि पा सका है।

अब हमें सस्कृति समन्वय की दृष्टि बढाकर अपने देश के लिए तीन धाराओं का समन्वय करना आवश्यक हो गया है। बौद्ध-दर्शन, जैन-दर्शन, और वेदान्त-दर्शन आपस में चाहे जितना विवाद करे, सस्कृति की दृष्टि से इन तीनों में सुन्दर समन्वय देखना आज का युग-कार्य है। बुद्ध भगवान् को हम डम युग के अवतार मानते हैं। बुद्ध भगवान् ने अपने जमाने के दार्शनिक झगड़े को देखकर लोगों से कहा कि भले आदमी, इस आत्मा-परमात्मा की झगड़ में मत फँसो। आत्मा-परमात्मा अगर है तो अपने स्थान पर सुरक्षित

होगे, हमे उनकी चर्चा में नहीं पड़ना है। हम केवल 'धम्म' को मानते हैं। उसी के पालन में अपना कल्याण देखते हैं। 'धम्म' के मानी है सदाचार का सार्वभौम नियम। 'धम्म' ही सच्चा सत्पुरुष धर्म है। बुद्ध भगवान् का कहना था कि मुझको भी 'धम्म' का ही प्रतीक समझो—'यो म पश्यति सो धम्म पश्यति यो धम्म पश्यति सो म पश्यति।' 'कल्याणो धम्मो।' बुद्ध भगवान् के आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रचार जगत् के विशाल क्षेत्र में और अधिकांश मानव जाति में स्थूल रूप से हो चुका है।

बुद्ध भगवान् के समकालीन भगवान् महावीर ने भी ऐसा ही एक युग-सन्देश दे दिया। ययाति जैसे सम्राट् ने अपने सौ लड़कों का जीवन अनुभव करने के बाद और हर तरह के विलास में डूबने के बाद कहा था— "इस सारी दुनियाँ में जितने चाँवल हैं, गेहूँ हैं, तिल हैं—यानी साधन सम्पत्ति है—और जितने भी दास-दासियाँ हैं, एक आदमी के उपभोग के लिये भी पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये भोग-विनास को बढ़ाने मत जाओ, मयम करना सीखो।" भगवान् महावीर ने भी यही तपस्या का व समय का मार्ग सिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का अनुभव एकांगी होता है, दृष्टि एकांगी होती है, इन सब दृष्टियों के समन्वय से ही केवल सत्य का, सम्पूर्ण सत्य का ज्ञान होगा। भगवान् महावीर ने यह भी बताया कि लोभ और वासना पर विजय पाने के लिये और सर्वकल्याणकारी समन्वय दृष्टि प्राप्त करने के लिये आत्म-शक्ति बढ़ानी चाहिये। स्याद्वाद या अनेकान्तवाद को मैंने बौद्धिक अहिंसा का नाम दिया है। जिस तरह peaceful Co-existence राजनीतिक या सामाजिक अहिंसा है, उसी तरह एकान्तवाद बौद्धिक अहिंसा है।

इस एकान्तवाद को परिपूर्ण समन्वय का रूप दिया भगवान् गौड-पादाचार्य ने। लोग उन्हें अद्वैताचार्य कहते हैं। मैं उन्हें समन्वयाचार्य कहता हूँ। वेदान्त की सर्व-सप्राहक दृष्टि का वर्णन करते हुये उन्होंने कहा कि "और दर्शन आपस में लड़ सकते हैं, हमारा किसी से झगडा नहीं है। हम ऐसी भूमिका पर खड़े हैं कि जहाँ से हम सब दर्शनों की खूबियाँ देख सकते हैं। इसलिये हम सब को स्वीकार करते हैं और उनकी व्यवस्था भी कर सकते हैं।" यह वेदान्त-दर्शन आज दुनिया के दार्शनिकों में अधिकाधिक प्रतिष्ठा पाने लगा है। यह दर्शन कहता है कि "धर्म" की स्थापना आत्म-शक्ति से ही होगी जल्द, लेकिन उसकी बुनियाद में विश्वात्मैक्य भाव होना

चाहिये। सब की आत्मा एक है। सब राष्ट्र, सब जातियाँ, सब महावश (रेसेज) एक ही है। इनमें, हम द्वैत चलायेंगे तो मानव जाति का जीवन विफल होगा। गोरे और काले, लाल और पीले और हमारे जैसे गेहुएँ सब एक ही आदि मानव की सन्तान है। रंग-भेद, भाषा-भेद, धर्म और देश-भेद से हमारा अद्वैत, हमारा ऐक्य टूट नहीं सकता। यह है वेदान्त धर्म की सीख। कोई शुद्ध पुण्यवान नहीं, कोई शुद्ध पापी नहीं, सारी दुनिया सद् और असद् से भरी हुई है, और इसलिये उसमें अद्वैत यानी ऐक्य है। यह है सच्ची दृष्टि।

कुछ दिन हुये मैं भोपाल, भेलसा और साची की ओर गया था। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश भारत के केन्द्र में है। बौद्ध धर्म के समर्थ प्रचारक सारपुत्त और मोग्गलान के कारण यह एक तीर्थ स्थान है ही। भगवान् महावीर के परम कल्याणमय उपदेश का प्रचार इस प्रदेश में कम नहीं हुआ है।

और, वेदान्त का प्रचार तो भारतवर्ष के जर्ने-जर्ने में पहुँच गया है। भारतवर्ष के हृदय के समान उस स्थान को देखकर मेरे मन में यह समन्वय की नयी 'प्रस्थान-त्रयी' विशेष रूप से स्पष्ट हुई। अनेकान्त का सन्देशा समझने वाले लोगो को चाहिये कि वे इस स्थान पर ऐसी एक प्रचण्ड प्रवृत्ति को दे कि जिनका प्रकाश सारे भारत में ही नहीं, दशो दिशाओं में फैल जाये। आज का युग समन्वय का युग है। महावीर की जयन्ती के दिन हम सकल्प करें कि बौद्ध, जैन और वेदान्त इस त्रिमूर्ति की हम अपनी सगम-संस्कृति में स्थापना करेंगे और भगवान् महावीर की कृपा से सर्व-धर्म-समन्वय का भी अनुशीलन करेंगे।

समन्वयकारी जैन दर्शन

बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, वेदान्तदर्शन इन तीनों का अगर हम समन्वय कर सके तो हमारी तमाम दार्शनिक कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी। समन्वय के इस प्रयास में हमें अधिक से अधिक सहायता मिलती है जैनदर्शन से इसका कुछ चिन्तन करें इसके पहले हम इन तीनों की भूमिका फिर से थोड़े में समझ ले।

हमने कहा ही है कि तत्त्व ज्ञान के क्षेत्र में जितने भी दर्शन हैं, जीवन-रहस्य को ढूँढने की और जीवन की सफलता पाने की कोशिश करते हैं। इनमें बौद्धदर्शन का कहना है कि जीवन की गुथियाँ हल करने के लिये हमें आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि तत्त्वा की तनिक भी जरूरत नहीं है। हमारा जीवन है, उसके राग-द्वेष है, उनको प्रेरणा देने वाली तृष्णा पाने वासना है, इनके पीछे "मैं हूँ, मैं हूँ" इस प्रकार अपने अस्तित्व का अनुभव कराने वाला अहंकार है। इनका स्वरूप समझने में हम देख सकते हैं कि जीवन जैसा हम जी रहे हैं, दुःखपूर्ण है। तृष्णा दूर करो, अहंकार को खत्म करो (अस्मि मानस्म यो विनयो) तो जीवन में सुख ही सुख है, शान्ति और सन्तोष है, जो हमारे साथ स्थायी रूप से रहेंगे। इस दोष-मुक्त स्थायी शान्ति को बौद्ध 'निर्वाण' कहते हैं।

जैनदर्शन के अनुसार परमात्मा-परब्रह्म की तो कोई दार्शनिक आवश्यकता है ही नहीं, किन्तु आत्मा को मानना जरूरी है। जिस अवस्था को बौद्ध लोग 'निर्वाण' कहते हैं, उसे जैन परिभाषा 'केवलज्ञान' कहती है। केवलज्ञान ही सम्पूर्ण ज्ञान है, वह जब तक नहीं हुआ, मनुष्य के जीवन का आकलन एकांगी ही रहता है। जब एक अंग से देखता है, तब उसे जीवन के एक अंग का साक्षात्कार होता है। दृष्टि दूरी और चलायी तो उसी चीज का दूसरी बाजू से किन्तु एकांगी दर्शन होता है। सोचने के जितने तरीके उतने अलग-अलग दर्शन बनते हैं। इसको जैनदर्शन सप्तभंगी-न्याय कहना है और उदाहरण देता है सात अन्धों को स्पर्श से हाथी का जो दर्शन होता है, उसके कारण उनके बीच कैसा झगडा हुआ। पाँव को स्पर्श करने वाला अन्धा कहता है हाथी खम्भे के जैसा है, हाथी के पेट को स्पर्श करने वाला

अन्धा कहता है हाथी छत के जैसा है, सूँढ को पहचानने वाला हाथी को अजगर की उपमा देता है और हाथी के कान तो सूप के जैसे हैं ही। वे सब अन्धे, जहाँ तक उनका ज्ञान था, सही थे। लेकिन एक देश को सर्व देश समझाने की भूल वे करते थे। जैनियों का स्याद्वाद इन सब की एकांगिता बताकर अन्ध के झगडो को मिटा देता है। स्याद्वाद नहीं कहेगा, खम्भा, छत, अजगर और सूप एक ही चीज है, सब अन्धों का अनुभव एक ही है, झगडा केवल शब्दों का ही है। स्याद्वाद अन्धों के वचन। में एकवाक्यता लाने की कोशिश नहीं करता। स्याद्वाद कहेगा, इन अन्धों के अनुभव में एकांगिता होन से उनके वचना में परस्पर विरोध स्पष्ट है। अगर इन अनुभवों का दृष्टि दी जाये और उनको सारे पूरे हाथी का दर्शन हो जाय तो सब हँस पडेगे और कहेगे, हम क्यों दूसरों के अनुभव को तोडने गये थे। सबकी बात सही है, सिर्फ गलत है विरोध की कल्पना। यही खूबी है समन्वयवृत्ति की।

समन्वय कहता है कि जीवन एक अद्भुत वस्तु है। इसका साक्षात्कार सब को अखण्ड होता ही रहता है, किन्तु आकलन की मर्यादा के कारण अथवा भूमिका में स्थूल-सूक्ष्म आदि भेद होने के कारण आकलन में फर्क आता है। उसे दूर करने का काम समन्वय का है। समन्वय ही मनुष्य को जीवन का सम्पूर्ण-परिपूर्ण ज्ञान पाने में मददगार होता है।

कोई ऐसा नहीं समझे कि हमारे समन्वय से हम एकदम अन्तिम ज्ञान तक पहुँच जाते हैं। समन्वय से इतना तो बोध होता ही है कि ज्ञानप्राप्ति क्रमशः होनी है। हमारी साधना जैसे बढ़ती है, अनुभव का क्षेत्र अधिकाधिक होता है, व्यापक, गहरा और विशाल होता जाता है।

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी।

एक सीधे रास्ते पर में एक मोटर दूर से हमारी ओर आ रही है। प्रारम्भ में मोटर का दर्शन बिल्कुल सूक्ष्म, एक बिन्दु के जैसा होता है। जब मोटर नजदीक आती है, तब मोटर का धब्बा बनता है और नजदीक आ गई तो हम पहचान सकते हैं, मोटर का ही वह आकार है। हम मोटर को ही देखते हैं। लेकिन उसके और नजदीक आने पर मोटर के भिन्न-भिन्न हिस्से-अवयव देखने लगते हैं। मोटर का साक्षात्कार बढ़ता जाता है। मोटर नजदीक आने पर उसका पूर्ण दर्शन होता है। उसके अन्दर बैठने वाले कौन

हे उनको भी हम पहचान लेते हैं। आखिर जब स्वयं हम अन्दर जाकर बैठते हैं, तब हमें मोटर का दर्शन ही नहीं, अनुभव होने लगता है। मोटर हमारी सेवक है। हम उसके लाभ उठाने वाले स्वामो हैं और उसकी गति अब हमारी गति हुई है, इतना साक्षात्कार हमें होता है।

जीवन के साक्षात्कार की भी ऐसी ही कुछ है प्रक्रिया और उसमें समन्वयवृत्ति हमें हर तरह से मददगार होती है।

बौद्धिक क्षेत्र में स्याद्वाद नम्रता सिखाता है, झगड़े को दालता है। यह हो गयी बौद्धिक अहिंसा। समन्वय हमें व्यापक दृष्टि देता है, समझाता है कि झगड़े के लिये अवकाश ही नहीं है। यह है नैतिक अहिंसा। इस तरह से जब मनुष्य को आगे बढ़ने-बढ़ने केवलज्ञान होता है, तब उसकी एकागिता नष्ट होती है और वह अहिंसा-मूर्ति ही बनता है। जहाँ केवलज्ञान हुआ वहाँ आप-पर-भाव ही नष्ट होता है। फिर कौन किसकी हिंसा करेगा? अगर हम हिंसा करे तो वह अपनी ही हिंसा होगी।

स्याद्वाद और सप्तभगी न्याय हमें समन्वय के लिये बौद्धिक भूमिका देते हैं। और यही भूमिका हमें शुद्ध वेदान्त की ओर ले जाती है।

अगर जैन दर्शन केवल दार्शनिक चर्चा छेड़कर और जीवदया प्रेरित मामाहार निषेध तक अपने को मर्यादित नहीं करेगा और समन्वय का विकास करेगा तो ममस्त दुनिया की आज की सब की सब समस्याएँ हल करने की दृष्टि और शक्ति उसमें आयेगी। जैन दर्शन और वेदान्त दर्शन परस्पर पूरक हैं, पोषक हैं। समन्वय के लिये दोनों अत्यन्त आवश्यक हैं, इतना साक्षात्कार होगा तब हम आसानी से आगे बढ़ सकेंगे।

१ अक्टूबर १९६५

प्राण और संस्कारिता

धर्म का प्रयोजन जीवन के विकास के लिये—जीवन-शुद्धि और जीवन-समृद्धि के लिये है, इतना तो हमने देख लिया। असली वस्तु जीवन है। उसे कृतार्थ करने के लिये धर्म की प्रवृत्ति है।

जीवन का आधार है प्राण। प्राण व्यक्तिगत भी होता है और सामुदायिक भी होता है। इस प्राण की अदम्य स्फूर्ति के कारण जीवन अखण्ड चलता आया है। जीवन में अगर प्राण (Vitality) है तो धर्म में प्रयोजन है, सयम है। इस सयम का अगर योग्य उपयोग किया तो प्राण-शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं। जिम तरह लगाम खींचने में घोड़ा अधिक जोर से दौड़ सकता है अथवा जिस तरह भाप (Steam) को कोठी में बंद करने में शक्ति हासिल होती है उसी तरह सयम के द्वारा प्राण-शक्ति का कार्य बढ़ता है, प्राण-शक्ति कार्य-समर्थ होती है।

मामान्य रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि संस्कारिता बढ़ने पर प्राण-शक्ति कुछ सौम्य होती है, कुछ क्षीण भी होती है, लेकिन अधिक कारगर होती है।

अगर जीवन-शक्ति को अनिच्छित काम करने दिया तो उस में जोश आता है। लेकिन वह कार्य कृतार्थ नहीं होता। अगर सयम की मात्रा हद में ज्यादा बढ़ाई तो प्राण क्षीण होता है, अथवा उसमें विकृति आती है।

जब धर्म अपनी जीवन-निष्ठा छोड़ सिद्धान्तनिष्ठ बनता है तब उस में जीवन-शुद्धि का काम कुछ हद तक अच्छी तरह से होता है। लेकिन सारा-का-सारा समाज उस के तकाजे को न कभी मान सकता है, न निभा सकता है।

प्राकृत लोग कहते हैं कि 'धर्म का सिद्धान्त तो ठीक ही है, बुद्धि उस को स्वीकार भी करती है। लेकिन जीवन उस के लिये तैयार नहीं है। जो लोग सर्वोच्च सिद्धान्त का पालन कर सकते हैं, वे महात्मा हैं। उन की श्रेष्ठता हम मजूर करते हैं। हम अन्यात्मा हैं। हम आदर्श तक नहीं पहुँच सकते। आदर्श तक पहुँचने का हमारा अधिकार भी नहीं। हम महाव्रत का पालन भी नहीं कर सकते, अणुब्रत से सतोष करेंगे।'।

इस तरह धर्म में अधिकार भेद आ गया और समाज में ऊँच-नीच श्रेणी बँध गई। जिनका सर्वमान्य आदर्श एक है, किन्तु अनुशीलन-शक्ति कम या अधिक है, वैसे ही लोग ऊँच नीच की श्रेणी-व्यवस्था खुशी से मान्य करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तब समाज में दब पाँदा होता है। लोग सिद्धान्त का पालन न करते हुए भी ऊपर से बताते हैं कि वे उस का पालन कर रहे हैं।

तीसरा मार्ग पर्याय-धर्म का है। जब मनुष्य फाका रखने का व्रत लेता है लेकिन भूखा नहीं रह सकता तब आहार का अर्थ करता है धान्याहार और फलाहार करने पर व्रत-पालन का मतोष मानता है। अगर मास का यज्ञ न कर सका तो माष का यज्ञ करके पिष्ट पशु का बलिदान देगे।

ऐसा पर्याय-धर्म चलाने में धर्म निष्प्रभ होता है और उसका फल नहीं मिलता। मनुस्मृति ने साफ कहा है कि प्रधान धर्म का पालन करने की शक्ति होने पर भी जो मनुष्य आपद्धर्म का आश्रय लेता है उसे धर्म-पालन का फल नहीं मिलता।

प्राण और सस्कारिता दोनों का यथाप्रमाण मिश्रण करने से मनुष्य का उत्तम विकास होता है। अपनी शक्ति की अपेक्षा कड़े धर्म का पालन करने से वह निष्फल होता है। ऐसे आदमी को गीता ने मिथ्याचारी कहा है।

केवल प्राण को समझने वाले को असुर कहा है। केवल समय को प्रधानता देने में मनुष्य ऋषि मुनि की कोटि प्राप्त करता है। जो दोनों का समन्वय करता है, वही सामाजिक दृष्टि रखने वाला धर्मकार, समाज-धुरीण बनता है। वह हर चीज की मर्यादा जानता है और समाज के कल्याण की भावना मन में रखकर लोगों का नेतृत्व करता है। आज ऐसे समाज-धर्म की सब से बड़ी आवश्यकता है। उसी से धर्म-तेज प्रकट होगा और सब का कल्याण होगा।

यह काम करने वालों को आचार्य कहते हैं। सब शास्त्रों का निरीक्षण-परीक्षण करके उस में से अपने जमाने के समाज के लिये हितकर भाग जो इकट्ठा करता है (आचिनोति हि शास्त्रार्थम्), उस के बाद ऐसे लोक-हितकारी धर्म की जो समाज में स्थापना करता है (आचारे स्थापयत्युत), और उस धर्म का लोग श्रद्धापूर्वक पालन करें इसलिये, और अपने कल्याण के

लिये भी, निष्ठा और दृढता के साथ उस धर्म का स्वयं पालन करता है (स्वयं आचरते वस्तु), ऐसे समाज-नेता को आचार्य कहा है । (स आचार्य प्रचक्षते) ।

समाज का प्राण बढे, उस की सस्कारिता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो और सामाजिक जीवन के आदर्श तक मनुष्य पहुँच जाय इसलिये जो धर्म की स्थापना करता है, प्रचार करता है और आचरण करता है ऐसो के द्वारा ही युग-धर्म कृतार्थ हो सकता है ।

‘आचिनोति हि शास्त्रार्थं, आचारे स्थापयत्युत ।
स्वयं आचरते यस्तु, स आचार्य प्रचक्षते ॥

धर्मों से श्रेष्ठ धार्मिकता

“केवल नीति का उपदेश करने से दुनिया सदाचारी नहीं बनती । धर्म-तेज प्राप्त करना केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है । उसके लिये श्रद्धा, निष्ठा तो चाहिये ही, इतना ही नहीं किन्तु जिन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान है ऐसे कोई ऋषि-मुनि, गुरु, पैगम्बर के वचन पर, उसके दिये हुए ग्रन्थ पर अनन्य निष्ठा चाहिये । अपनी बुद्धि का प्रामाण्य चलाने में खतरा है इसलिए शास्त्र का प्रामाण्य कबूल करना चाहिये । शास्त्र-वचन पर श्रद्धा-निष्ठा रखकर ही मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकता है और साक्षात्कार तक पहुँच सकता है ।”

यह है भूमिका धर्मनिष्ठा लोगों की । श्री राजगोपालाचारी कहते हैं कि ऐसी धर्मनिष्ठा के साथ अगर सकुचितता और एकागिता आती हो तो उसे बर्दास्त करके भी धर्मनिष्ठा का पक्ष मजबूत करना चाहिए ।

सच्ची धर्मनिष्ठा के साथ सकुचितता और एकागिता रह सकती है, लेकिन कभी भी जोर नहीं पकड़ती । अनुभव बढ़ने पर एकागिता और सकुचितता आप ही आप गल जाती हैं । क्योंकि एकागिता और सकुचितता असल में अधार्मिक चीजें हैं । धर्मनिष्ठा के साथ उनका कायम का मेल बैठ नहीं सकता ।

आज की दुनिया में धर्मनिष्ठा कम पाई जाती है । काफी मात्रा में पाये जाते हैं—धर्माभिमान और धर्मान्धता । अथवा यह कहना ठीक होगा कि असल में लोगों में होते हैं एकागिता, सकुचितता, दुरभिमान और असहिष्णुता । ये चारो चाण्डाल अपना राज्य मजबूत करने के लिये जिन-जिन चीजों का सहारा लेते हैं, उनमें मुख्य चीज है धर्माभिमान । धर्मान्धता की मदद से असहिष्णुता, ब द्वेषबुद्धि जोर पकड़ती है । जिस जमाने में जीवन-शुद्धि कम होती है उस जमाने में प्रेम, सेवा, सहयोग और समन्वय वाला सद्गुण-चतुष्टय क्षीण होता है । अभिमान, मत्सर, अविश्वास और शत्रुत्व जैसे इन दोषों को प्रश्रय मिलता है और मनुष्य मानता है कि यही है उसकी धर्म-सेवा की पूंजी ।

अब सवाल उठता है कि क्या शास्त्रनिष्ठा, ग्रन्थप्रामाण्य, गुरुवचन के प्रति अन्धश्रद्धा और सनातन रुढ़ि के प्रति पक्षपात ये सब धर्म-वृद्धि के लिए सचमुच आवश्यक है ?

जिस देश में एक ही धर्म चलता है, जहाँ का समाज एकजिनसी है, वहाँ ऐसी सकुचित श्रद्धा और निष्ठा शायद खतरनाक नहीं भी हो। लेकिन जिस देश में (और जिस दुनिया में) अनेक धर्मों का साहचर्य है वहाँ पर या तो हरेक मनुष्य अपने-अपने धर्म का अभिमान के साथ पालन करे और समय-समय पर और धर्मों के साथ झगड़े चलाने की तैयारी रखे अथवा सब धर्मों के प्रति सद्भाव रखकर अपने-अपने धर्म का पालन करे।

धर्माभिमानियों लोगों के लिए यह दूसरी बात कठिन होती है। अपने विचारा में या रिवाजों से जिनका मेल नहीं बैठता, उनके बारे में सहानुभूति रखना उनके लिये कठिन होता है। पूरी शक्ति लगाकर कोशिश करे तो वे सहिष्णुता तक जा सकते हैं। जो चीज नापसन्द होते हुए भी जिनका नाश करना मुनासिब नहीं है उमी को हम सहन करते हैं। जिसे सहन करते हैं उसे मन में बुरा तो मानते ही हैं। ऐसी हालत में मेल-जोल होना, प्रेम-सम्बन्ध बढ़ाना तभी शक्य होता है जब हम भेद के तत्वा को गौण मान सकते हैं, उसका महत्त्व कम करते हैं।

यह तभी बनेगा जब हम अपने धर्म की छोटी-छोटी बातों का महत्त्व कम करते हैं और मानवी सम्बन्ध के महत्त्व को बढ़ाते हैं। धर्माभिमान यह कैसे सहन करेगा ? अभिमान चीज ही कृत्रिम है। इसलिये उसके खजाने में कृत्रिम चीजे बहुत रहती हैं।

सच्चा रास्ता यह है कि जब ईश्वर की दुनिया में अनेक धर्म हैं और उनके अनुयायी हमारे जैसे होते हुये भी भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर, परस्पर विरोधी वस्तुओं पर कम या अधिक श्रद्धा रखते हैं, तब हमें उन सब बातों को सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिये।

पशु के बलिदान के जैसा रिवाज हमें पापमूलक और घृणित लगे तो उसके प्रति आदर हो नहीं सकता। लेकिन बलिदान के पीछे जो अर्पण भावना है, ईश्वर-भक्ति है, त्याग वृत्ति है उसकी ओर ध्यान देने की और उसका आदर करने की शक्ति तो हमारे पास होनी ही चाहिये।

और जा लोग श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पशु को बलिदान चढाने है, उनको पशु-हत्या का तनिक भी बुरा न लगता हो तो भी जिनको बुरा लगता है उनका भाव समझने की और उनके हृदय की वेदना की कद्र करने की शक्ति होनी चाहिये ।

इसके मानी ये हुए कि मनुष्य को भिन्न-भिन्न विचार और परस्पर विरोधी भावनाये समझने की और उनके साथ सहानुभूति रखने की शक्ति होनी ही चाहिये । यह तभी हो सकता है जब मनुष्य सभी धर्म-ग्रन्थ और सभी धर्म-सस्थापको के प्रति आदर रखे । और, यह भी तभी बन सकता है जब हरेक धर्म की छोटी-छोटी और गौण वस्तु के प्रति आदमी उदासीन बन जाये सर्व-धर्म-समभाव के साथ अपने धर्म की खामियाँ और उसकी कमजोरियाँ समझने की और उनका स्वीकार करने की शक्ति भी होनी चाहिये ।

अनेक देशों के कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले के पास एक सार्वभौम सर्वसामान्य कानूनी दृष्टि खडी होती है । फिर वह उस (Jurisprudence) को ही—सार्वभौम न्यायदृष्टि को ही—प्रधानता देने लगता है और सब देशों के कानूनों की कद्र करते हुए और उस-उस देश में वहाँ के कानून का पालन करते हुए, वह अपनी भूमिका उच्च रख सकता है । ऐसे मनुष्य की श्रद्धा-भक्ति कुछ हद तक—काफी हद तक—बुद्धिप्रधान ही होती है । नीति और सदाचार के कानून कभी-कभी सापेक्ष (relative) और साकेतिक (conventional) होते हैं । यह समझकर उनसे ऊपर उठने का कर्त्तव्य वह स्वीकारना है । ऐसे उदार व्यक्ति की धर्मनिष्ठा अन्धी न होने के कारण, एकांगी लोग उसे शिथिल भी कह सकते हैं । लेकिन मृत्युप्राप्ति का और आध्यात्मिकता बढ़ाने का वही तरीका है । सर्वधर्म-समभाव के साथ पक्षपात-राहित्य आ ही जाता है । क्योंकि मनुष्य धर्मों को पहचान कर उनमें रही हुई धार्मिकता पाता है और इस चीज का साक्षात्कार करता है कि सार्वभौम धार्मिकता धर्मों से भी श्रेष्ठ है ।

धर्म के प्रकार और नये धार्मिक प्रश्न

आज तक लोग धर्म के दो विभाग करते थे। वशमूलक और सिद्धान्त-मूलक। हिन्दू, पारसी और यहूदियों के धर्म वशगत धर्म हैं। यहूदी जाति में जन्मा हुआ मनुष्य ही यहूदी हो सकता है। हम लोग उस धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते। पारसियों का धर्म भी ऐसा ही है। आदमी जन्म से ही पारसी धर्मी हो सकता है। हिन्दू धर्म प्रधानतया वैसा ही है। किन्तु हिन्दू-धर्म की चन्द शाखाएँ ऐसी हैं जो धर्मन्तर के द्वारा लोगों को अपने में ले सकती हैं। आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज और बौद्धधर्म इस प्रकार के हैं। कोई अंग्रेज या चीनी आदमी भी आर्यसमाज में दाखिल हो सकता है। और फिर हम ऐसे आदमी को हिन्दू कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बौद्धों का ऐसा ही है। कोई भी हिन्दू के बौद्ध होने पर उसका हिन्दुत्व मिटता नहीं। कोई जर्मन या अंग्रेज जब बौद्ध धर्म में आता है—ऐसे कई उदाहरण हैं—तब उसे हम जरूर हिन्दू ही कहेंगे। किन्तु बौद्ध धर्म दुनिया में इतना फैला हुआ है कि बर्मा, सिलोन, थाइलैंड, श्याम, कम्बोडिया, चीन और जापान के बौद्धों को शायद हम हिन्दू नहीं कहेंगे। जब कि नेपाल और भूटान के बौद्ध लोग हमारे मन में हिन्दू ही हैं और मैं तो तिब्बत के बौद्धों को भी हिन्दू ही कहूँगा।

जाति या वंश के ऊपर निर्भर रहने वाले इन धर्मों को अंग्रेजी में 'ethnic religion' कहते हैं।

इसके विपरीत जो धर्म सिद्धान्त-समूह, धर्म-संस्थापक और धर्म-ग्रन्थ पर आधार रखते हैं उनको कहा जाता है *creedal religion*। दुनिया के सब लोगों को वे आमत्रण देते हैं कि तुम्हारा उद्धार हमारे ही द्वारा होगा, हमें स्वीकार करो। बुद्ध भगवान् ने अपने धर्म को 'एहि पश्येक' धर्म कहा है। 'आओ और देखो। जच जाय तो स्वीकार करो।' बौद्ध-धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम इस प्रकार के धर्म हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका जाकर हिन्दू धर्म का नहीं किन्तु वेदान्त धर्म का प्रचार किया। वेदान्त के सिद्धान्त जिसे मान्य हैं ६६

वेदान्ती हो सकता है। अमेरिका में इस वेदान्त का प्रचार हुआ। लेकिन उसका कोई अलप न्याय नहीं हुआ।

जैन धर्म हिन्दू धर्म का ही एक रूप है। जैन समाज हिन्दू समाज के बाहर नहीं है। जैन सस्कृति हिन्दू सस्कृति का अविभाज्य अंग है। हिन्दू समाज अगर जैन सस्कृति को छोड़ देगा तो उसे अधर्माङ्ग याने लकवा होगा।

जैन मत का प्रचार अकसर भारत में ही हुआ। इसलिये वह सिद्धान्त-निष्ठ होने हुए भी वस्तुतः वशनिष्ठ ही रहा है। दुनिया के किसी भी देश का, किसी भी Race याने वंश का आदमी, तीर्थंकरों की नसीहत को स्वीकार करके जैन बन सकता है। लेकिन वैसा प्रयत्न किसी ने किया नहीं है। सिन्धुओं का भी ऐसा ही है।

धर्मों का यह जो पुराना द्विविध वर्गीकरण है, उसका मैंने यहाँ तक चर्चों किया। पश्चिम के लोगों को ऐसे वर्गीकरण पसन्द होते हैं। लेकिन आज मैं एक नये ही ढंग से धर्मों का वर्गीकरण करना चाहता हूँ। मेरा वर्गीकरण त्रिविध है।

पहले वर्ग में ऐसे सब धर्म आते हैं जो ईश्वर केन्द्रिक हैं। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, हमारा वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, ब्राह्म धर्म ये सब ईश्वर केन्द्रिक हैं। दूसरा वर्ग है आत्म केन्द्रिक धर्म। इसका उत्तम नमूना है जैन-धर्म। इस सृष्टि का सर्जनहार कौन है? इसका नियन्ता तो कोई होगा ही ऐसी तर्क-प्रणाली में वे फँसते नहीं। वे कहते हैं कि आत्मा है। उसकी शक्ति अमर्यादित है। तपस्या के द्वारा यह शक्ति बढ़ाकर मनुष्य को अपना उद्धार करना है। यह है इस धर्म की मान्यता। आत्मशक्ति बढ़ाने का तरीका है अहिंसा, तप और ज्ञान। इसी से मनुष्य को केवलज्ञान प्राप्त होता है और वह मुक्त हो जाता है।

धर्मों का तीसरा प्रकार है जीवन-केन्द्रिक। इस वर्ग के धर्म आत्मा को या परमात्मा को नहीं मानते। वे मानते हैं जीवन को। व्यष्टि और समष्टि के सस्कार को। उनका कहना है कि सम्यक् ज्ञान और चारित्र्य के द्वारा मनुष्य अपने दोषों को क्षीण करता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है।

बौद्ध धर्म का यह हुआ प्रधान स्वरूप ! महायान पन्थ ने इस स्वरूप का विस्तार बहुत किया है ।

मेरा अभिप्राय है कि साम्यवादी समाज जब धर्म का रूप पकड़ेगा तब उसे इसी वर्ग में दाखिल होना पड़ेगा । साम्यवादी लोग ईश्वर को, आत्मा को और इन दोनों पर आधार रखन वाले धर्मों का इन्कार करते हैं ।

अगर हम गौर से सोचें तो ईश्वर केन्द्रिक और आत्म केन्द्रिक धर्म भी जीवन-परायण तो होते ही हैं । इसलिये इन तीनों का सामजस्य बैठ सकता है और वही करने के दिन अब आये हैं । केवल परमात्मा को ही प्राधान्य देने वाला वेदान्त धर्म, तपस्या और अहिंसा द्वारा आत्म-शक्ति का साक्षात्कार करने वाला जैन धर्म और सम्यक् दृष्टि द्वारा जीवन को शुद्ध और दुःख मुक्त करने वाला बौद्ध धर्म इन तीनों का समन्वय करने के दिन अब आये हैं । बौद्धों का धर्म-प्राधान्य, जैनों की अहिंसा-तपोमूलक आत्मनिष्ठा और विश्वात्मैव्य को परमपुरुषार्थ मानने वाले वेदान्त की ब्रह्मपरायणता या ब्रह्मनिष्ठा—तीनों का समन्वय करने से विश्वशान्ति की, सत्ययुग की और सर्वोदय की स्थापना होगी ।

बुद्ध परिनिर्वाण के ढाई हजार वर्ष पूरे हुए हैं । ऐसे मीके पर मारी दुनिया में बुद्ध भगवान् के उपदेश की ओर लोगों का ध्यान गया है । आज सब देशों में बुद्ध के उपदेश का स्मरण हो रहा है । यही मूर्त है कि हम बुद्ध के बनाये हुए अवैर के सिद्धान्त का कार्यान्वित करने का अहिंसा का तरीका फिर से आजमावे । जो बुद्ध ने कहा या गांधीजी ने देश के सामने रखा वही अहिंसा का सिद्धान्त महावीर ने बताया था, इतना कहने से नहीं चलेगा । अहिंसा के सन्देश को आज के युग को लेकर कार्यान्वित कैसे करे यही मुख्य सवाल है । अब जब आप सेमिनार चलाना चाहते हैं तब उसके लिए कुछ सशोधन के विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ ।

सेमिनार के मानी ही है सशोधन करने वाला विद्वत्मण्डल । इसलिये कुछ महत्व के सवाल हम अपने सामने रखकर उनका सशोधन—मनन करे ।

मैं मासाहार को पाप समझता हूँ । मैं मानता हूँ कि प्राणियों को मारकर उनका मांस खाने का अधिकार मनुष्य को नहीं है । अगर समस्त मनुष्य जाति मासाहार का त्याग करे तो मुझे सतोष होगा ।

इसजिये लोको को मासाहार-त्याग की सिफारिश करने के पहले मैं इस बात का पता लगा लूँ कि दुनिया में मनुष्य-संख्या कितनी है, इतने लोग को पेट भर खाने के लिए अन्न कितना चाहिये। मैं यह भी देख लूँ कि आज कुल मिनाकर अन्नोत्पत्ति कितनी होती है। वह अगर अपर्याप्त है तो उसे बढ़ाने के उपाय क्या-क्या हैं? मैं यह भी पता लगा लूँ कि दुनिया में आहार के लिए पशु-पक्षी और मछलियों का कितना सहार होता है। इतना आहार बन्द कराने के लिए मैं उनको दूसरी कौनसी चीज दे सकता हूँ?

पशु-पक्षी आदि प्राणी भी आहार की अपेक्षा रखते हैं। उनके आहार के लिए कितनी जमीन आवश्यक है, यह भी मुझे देखना पड़ेगा। पशु-पक्षियों, की हत्या न करने से उनकी संख्या कितनी बढ़ेगी, इसका भी हिसाब लगाना पड़ेगा और अगर घरेलू या पालतू पशुओं की संख्या हृद से ज्यादा नहीं बढ़ने देनी है तो उसका भी इलाज मुझे सोचना चाहिये।

और, वही नियम अगर मनुष्य को लागू करना है तो अहिंसावादी मनुष्य को लोभ-संख्या के सवाल में दिलचस्पी रखनी ही होगी।

अहिंसा धर्म के सामने आज सब से बड़ा सवाल है युद्ध का और मनुष्य-मनुष्य के बीच, वंश-वंश के बीच जो स्पर्धा चलती है और प्रयत्नपूर्वक द्वेष बढ़ाया जाता है उसका।

पचशील अहिंसा धर्म का एक बिलकुल प्राथमिक रूप है। उसको भी स्वीकार कराते कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। पश्चिम के विद्वान् जिस तरह अनेक सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक सवालों का सागोपास अध्ययन करते हैं और अपनी मति के अनुसार व्यवहार उपाय बताते जाते हैं उसी तरह हमें भी करना होगा। यह काम तीन दिन के सेमिनार का नहीं है। आज हम उसका प्रारम्भ कर सकते हैं।

अहिंसा का तीसरा सवाल है—मानव के द्वारा होने वाले मानव के शोषण का।

सवाल यह है कि क्या अहिंसावादी धनवान हो सकता है? अथवा दूसरे शब्दों में कहे तो क्या धनवान मनुष्य का जीवन अहिंसक है? अगर

नहीं है तो सम्पत्ति का इलाज क्या ? अहिंसक-समाज रचना में और Socialistic Pattern में फर्क क्या है ?

गांधीजी कहते थे कि अहिंसक समाज की स्थापना अहिंसक ढंग से ही होनी चाहिये । इसके मानी यह नहीं कि हम सामाजिक अन्याय को बर्दास्त करे और केवल अहिंसा धर्म का उपदेश करते रहे । अगर कोई हमारे घर की सम्पत्ति लूट ले जाय अथवा घर के लडके-लडकी को उठाकर ले जाय तो हम आराम से नहीं बैठते । अस्वस्थ होकर अन्याय का इलाज करते हैं । उसी तरह का कोई कारगर, अहिंसक तरीका हमें बताना चाहिये और उसे कार्यान्वित करके दिखाना चाहिये ।

आहार का सवाल, लोकसंख्या का सवाल, युद्ध का सवाल और सामाजिक अन्याय टालने के लिये समाज-रचना में परिवर्तन करने का सवाल, ये सारे सवाल हमारे सशोधन के विषय हैं । इनका अगर हमने रास्ता बताया तो हमारा धर्म फिर से सजीवन और तेजस्वी होगा ।

[दिल्ली में एक जैन सेमिनार में दिया गया उद्घाटन-भाषण]

•

सर्व-त्याग या सर्व-स्वीकार

धर्म का आविष्कार किसने किया ? मनुष्य-हृदय ने ? मनुष्य की बुद्धि सामान्यतः जितना दूर देख सकती है इससे भी दूर जो देख सकते थे ऐसे क्रान्तदर्शी ऋषि-मुनियो ने और नबी-पैगम्बरो ने या प्रत्यक्ष जन-गण-मन-अधिनायक स्वयं परमात्मा ने ?

धर्म शब्द के अर्थ अनेक हैं । लेकिन इनमें भी दो अर्थ प्रधान हैं । धर्म का एक अर्थ होता है स्वभाव या प्रकृति । जलाना अग्नि का धर्म है । गीला करना पानी का धर्म है । मौका मिलते ही बहते रहना हवा का धर्म है । इसी अर्थ में हम कहते हैं कि तनिक भी दुःख होते रोना बच्चा का धर्म है । तेज भूख लगने पर जो मिले सो खाना यह प्राणीमात्र का और मनुष्य का भी धर्म है । यहाँ धर्म का केवल अर्थ है प्रकृति या स्वभाव ।

धर्म का जो दूसरा अर्थ है वह एक ही वाक्य में स्पष्ट होगा—चाहे जितनी तीव्र भूख लगे, प्राण कठ में आ जाय तो भी चोरी करके नहीं खाना, दूसरे को मारकर नहीं खाना, अयोग्य वस्तु नहीं खाना, दूसरे को भूखे रखकर स्वयं नहीं खाना, यह है मनुष्य का धर्म ।

प्रथम अर्थ का धर्म स्वभावगत या प्राकृतिक धर्म केवल समझने की वस्तु है । उस में भले-बुरे का भाव नहीं आता । जब हम कहते हैं देखना आँखों का धर्म है तब हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आँखों में देखने की शक्ति है । अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि आँखें देखने को उत्सुक होती हैं । सामान्य तौर पर आँखों से देखे बिना नहीं रटा जाता । लेकिन जब हम कहते हैं कि अश्लील चीजें आँखों से नहीं देखनी चाहिये तब हम आँखों के प्राकृतिक धर्म से ऊँचा उठना चाहते हैं । प्रकृति को रोककर, स्वभाव को दबाकर किसी उच्च आदर्श को सिद्ध करना चाहते हैं । आँखों का जीवन कृतार्थ करना चाहते हैं । भूख लगे तब खाना, जो मिले सो खाना पशुओं के साथ मनुष्य का भी स्वभाव-धर्म है । किन्तु खाने की वासना के वश होने के पहले सोचना और खाने की क्रिया की योग्यता और अयोग्यता का खयाल करना यह है मनुष्य का धर्म । और, जैसा कि ऊपर कहा है भूख चाहे जितनी

तेज हो जब खाना हराम मालूम हो तब खाने से परहेज रखना, यह है मनुष्य का धर्म ।

मकट देखने ही जान बचाने के लिये भाग जाना यह है प्राणिमात्र का स्वभाव-धर्म । लेकिन किसी को सकट से बचाने के लिये अपने प्राण खतरे में डालना, प्राणों की परवाह नहीं करना, यह है मनुष्य का कर्त्तव्य-धर्म ।

ऐसे धर्म का आविष्कार किसने किया ? गीता कहेगी कि प्रजापति भगवान् ने स्वयं प्रजा के साथ-साथ ही उसके कर्त्तव्य-धर्म का भी सर्जन किया है । स्वभाव धर्म मनुष्य को प्रकृति ने दिया और जीवन को कृतार्थ करने वाला कर्त्तव्य धर्म भगवान् ने मनुष्य के हृदय में जागृत किया । (प्राणियों में भी अपने बच्चे की या अपने समूह की रक्षा का भाव भगवान् ने इतना उत्कट किया है कि नर-मादा अपने बच्चे की या समुदाय की रक्षा के लिये अपना प्राण भी देते हैं । इस बात में प्राणियों में कुछ हद तक मनुष्य के जैसा धर्मोदय हुआ है सही ।)

ऐसा धर्मोदय भगवान् की प्रेरणा से ऋषि-मुनियों के, साधु-संतों के, समाज नेता—धर्म सस्थापकों के हृदय में होता है । ऐसा धर्म धीरे-धीरे मनुष्य-हृदय में विकसित होता जाता है । लेकिन किसी भी देश में, किसी भी जमात में, किसी भी जमाने में देखिये, धर्मभेद होते हुए भी धर्म-विकास की दिशा एक ही होती है ।

अपनी वासनाओं के ऊपर विजय पाना, जो उचित है उसी को करना, अनुचित नहीं करना, अपने हृदय का विकास करते-करते अन्धों के साथ अपनी एकता का अनुभव करना, यह है धर्म का व्यापक स्वरूप । ऐसे धर्म का स्पष्ट उपदेश सुनते ही हृदय धीरे-धीरे उसके अनुकूल होने लगता है । ऐसे धर्म के पालन के लिये शक्ति इकट्ठा करना, यही है मनुष्य की साधना ।

मनुष्य-स्वभाव में और एक बात भरी पड़ी है कि जो कोई सच्चे धर्म का बोध कराता है अथवा धर्म-पालन के लिये जरूरी शक्ति कमाने में मदद करता है उस के प्रति कृतज्ञ बनना, उसके कहे अनुसार चलना, उस के हाथ में अपना जीवन अर्पण करना, मनुष्य के लिये स्वाभाविक है । ऐसी अर्पण बुद्धि जब बढ़ती है तब मनुष्य लोकोत्तर त्याग और पराक्रम कर सकता है ।

इसीलिये कहते हैं कि धर्म का प्रचार, धर्म-प्राण, तेजस्वी मनुष्य की प्रेरणा के बिना नहीं होता ।

बड़े-बड़े समाजों के लिये व्यापक सामाजिक धर्म का जिन्हें ने विस्तार से चिन्तन किया और लोगों को रास्ता दिखाया उनको हम धर्मकार कहते हैं । वैदिक ऋषि, मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकार, गौतम बुद्ध, महावीर आदि पथप्रदर्शन, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मुहम्मद, हजरत कन्फ्यूशियस आदि पैगम्बर ये सब मनुष्य-जाति के प्रधान नेता हैं । इन्होंने अपने-अपने वश के लोगों को रास्ता दिखाया । उनके बाद भी उनके अनुयायियों ने देश और काल की मर्यादा लाघकर इन धर्म-संस्थाओं के उप-देश का फैलाव किया ।

अब धर्म की मूल प्रेरणा कहाँ से आई यह सवाल गौण हो गया । अब तो धर्म-संस्थापक, उनके बचनों का संग्रह करने वाले धर्म-ग्रन्थ, उनको गद्दी पर बैठने वाले उनके शिष्य और उनके द्वारा स्थापित परम्परा, यही हो गया धर्म का मूल उद्गम या स्रोत । आज जो धर्म के नाम झगड़े होते हैं, अनाचार-अत्याचार होते हैं वे सब इस तन्त्रनिष्ठा के कारण ही होते हैं । धर्म-निष्ठा की जगह तन्त्रनिष्ठा आ गई । 'हमारा धर्म सच्चा, तुम्हारा धर्म झूठ या कच्चा । हमारे धर्म का हम फैलाव करेंगे । दूसरे धर्मों की खच्ची करेंगे । यही सघर्षात्मक प्रवृत्ति चली, फैल गई । धर्म के अनुसार जीवन-परिवर्तन करने की बात गौण हो गई । अपने धर्म का अभिमान रखना, दूसरों के धर्मों के प्रति अनादर या तिरस्कार रखना, दूसरे धर्म की नुक्ताचीनी करते रहना और धर्म के नाम पर मघर्ष बढ़ाना, यही एक बड़ी प्रवृत्ति हो गई ।

इस विषम और भयानक परिस्थिति से बचने के लिये मानव कल्याणकारी दीर्घदृष्टि उदार महात्माओं ने सर्व-धर्म-सहिष्णुता, सर्व-धर्म-समभाव का सार्वभौम युग-धर्म बताया ।

हमारा धर्म पर विश्वास है । हम मानते हैं कि सर्व-धर्म-समभाव वाला सार्वभौम धर्म अन्यान्य सब धर्मों में सामंजस्य स्थापित करेगा ।

लेकिन जिनके प्रति हमारे मन में गहरा आदर है ऐसे लोकहित-चिन्तक हमें कहते हैं धर्ममात्र के प्रति जिनके मन में कोई विशेष आदर, आस्था या निष्ठा नहीं रही ऐसे लोग आपकी बात मानेंगे सही । लेकिन क्या

किसी भी धर्म के निष्ठावान अनुयायी ने आपकी बात मानी है ? सर्व-धर्म समभाव की ही बात लीजिये । कोई कट्टर रोमन कैथोलिक, कट्टर मुसलमान तो क्या कोई कट्टर बौद्ध भी आपकी बात मानने को तैयार है ? ऐसा एक भी उदाहरण दिखाइये और बाद में सर्वधर्म-समभाव की अथवा सर्वधर्म समभाव की बातें करे । कट्टर लोगो की धर्मनिष्ठा इसी में है कि वे अपना धर्म छोड़कर और किसी धर्म को धर्म मानने के लिए तैयार नहीं ।

(स्मरण होता है कि जयपुर के एक सनातनी शास्त्री ने कहा कि सब धर्मों में सनातन हिन्दू धर्म ही श्रेष्ठ है । इतने पर कई पुराने सनातन धर्माभिमानी शास्त्री बिगड़ गये । उन्हें ने कहा, 'सनातन धर्म की श्रेष्ठता की बात करते आपने कबूल तो किया ही कि बाकी के भी धर्म है । अगर आपकी धर्मनिष्ठा सच्ची है तो आप केवल सनातन धर्म को ही धर्म कहे । बाकी सब अधर्म है ।' यही वृत्ति कट्टर इस्लामियों की और कैथोलिक आदि इसाइयों की है । लेकिन हमने घर का ही उदाहरण लेना अधिक उपयोगी मान लिया ।)

सर्वधर्म-समभाव या सर्वधर्म-समन्वय तक पहुँचने के लिये इतनी तो हृदय की उदारता आवश्यक है ही कि हर एक धर्म की खूबियाँ हम पहचाने । धर्म के विधि-निषेधों के पीछे रही केवल धार्मिकता ही हम पुरस्कार करे और कालग्रस्त या गौण बातों की उपेक्षा करे ।

इस पर नये लोग कहते हैं कि कालग्रस्त धर्मों की झलक में हम पड़े ही क्यों ? सब धर्मों की बलाये दूर रखकर हम लोगो से क्यों न कहे, "भले आदमी, अपने-अपने हृदय की प्रेरणा को ही मान लो । सगठित धर्मों की बातें ही छोड़ दो ।"

वासना-परतन्त्र मनुष्य को बचाने के लिये धर्म पैदा हुआ । उसी के पीछे वासनाएँ सगठित हुईं और उन्होंने मनुष्य को पथ-परतन्त्र फिर-काभिमानी बनाया । आप धर्मों को गौण करके धार्मिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं । लेकिन धार्मिकता तो कब की निष्प्राण हो चुकी है । परतन्त्र मनुष्य को धर्म-परतन्त्र बनाने की अपेक्षा स्वतन्त्र ही क्यों नहीं करते हैं ?

इन लोगो की बात सही है । लेकिन हम उन्हें पूछते हैं "इस रास्ते भी आपको सच्चे और पक्के कितने अनुयायी मिले ?" आप जवाब देंगे कि

अनुयायी तो सब से बड़ी बला है। कोई किसी का अनुयायी न रहे इसी बात का हम पुरस्कार करें।

बात फिर से यही आकर खड़ी होती है कि जिन लोगो में धर्म का आग्रह नहीं होता, जिनकी 'धर्म'-निष्ठा शिथिल होती है वे ही सर्व-धर्म समभाव की बात मानते हैं और वे ही धर्मों को गीण बनाकर हृदय की स्वतन्त्रता कबूल करते हैं।

ऐसी हालत में हृदय की स्वतन्त्रता स्थापित करने के लिये सब धर्मों का विरोध करने की अपेक्षा सब धर्मों के उत्तम तत्त्वों का स्वीकार करना ही अच्छा रास्ता है। हम सघर्ष में न उतरें। हृदय से सब धर्मों के प्रति आत्मीयता धारण करे और धार्मिकता की शक्ति पर विश्वास रखें, यही सच्चा मार्ग है। तत्त्वनिष्ठा और व्यवहार दोनों की दृष्टि से यही मार्ग ठीक है।

•

स्याद्वाद की समन्वय शक्ति

आज के युग की मुख्य माँग है, समन्वय । मतभेदों के प्रति हम आदर-भाव रखते हैं । लेकिन हम चाहते हैं कि भिन्न मतावलंबी लोग आपस में लड़े नहीं । केवल चर्चा से झगड़ों का अन्त नहीं आता । सत्य की प्रतीति चर्चा से नहीं, किन्तु हृदय में होनी चाहिये । बुद्धि के द्वारा सत्य का एकांगी दर्शन हो सकता है । स्याद्वाद ने यही बात हमें सिखाई है ।

हृदय के द्वारा और जीवन के द्वारा सत्य का अनुभव करते मतभेद का स्वरूप और मतभेदों का कारण धीरे-धीरे समझ में आने लगता है और भेद के अणु गौण बनते हैं ।

समन्वय का प्रयत्न कौन करे ? मैं मानता हूँ कि जो लोग स्याद्वाद का रहस्य समझते हैं, उन्हीं का प्रथम कर्तव्य है कि दार्शनिक चर्चाएँ छोड़कर हर एक वाद की भूमिका वे समझ लें और जीवन में सघर्ष रूपी हिंसा टाल-कर सहयोग रूपी अहिंसा का रास्ता खुला कर दें ।

मैं जापान तीन दफे गया हूँ । बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों से लका में, ब्रह्मदेश में, चीन और जापान में मिला हूँ । मैं मानता हूँ कि बौद्ध धर्म का यानी बौद्ध जीवन-साधना का रहस्य समन्वयकारी हृदय ही अधिक अच्छी तरह से समझ सकता है ।

एक दफे जापान से लौटते मैं श्री विनोबाजी से मिला था । मैंने कहा कि, “आपने और मैंने वेदान्त दर्शन का अध्ययन किया है । गौड़पादाचार्य ने अपनी कारिका में कहा है कि अद्वैतवादी की भूमिका इतनी ऊँची है कि वहाँ पर किसी से झगड़ा ही नहीं हो सकता । मैंने तो अद्वैत में समन्वय ही देखा है । तार्किक अद्वैत की बात मैं नहीं करता । जीवन के क्षेत्र में अद्वैत की साधना समन्वय ही सिखाती है । इस समन्वय के द्वारा वेदान्त और बौद्ध-दर्शन एक-दूसरे के नजदीक आ सकते हैं ।”

श्री विनोबाजी ने कहा, “मेरा मन भी उसी दिशा में काम कर रहा है । मैं बोधिगया में एक समन्वय आश्रम की स्थापना करना चाहता हूँ ।”

श्री विनोबाजी के कहने से मैंने इसी विषय पर सर्वोदय सम्मेलन में एक व्याख्यान भी दिया और श्री विनोबा ने अपने व्याख्यान में उस की पुष्टि की।

बुद्ध गया एशिया के लोगों को एकत्र करने वाला एक पवित्र स्थान है।

मैंने तुरन्त देखा कि बौद्ध जीवन-साधना, जैन जीवन-साधना और वेदान्त की जीवन-साधना तीनों का उत्तम समन्वय हो सकता है। और, ऐसा समन्वय ही भक्ति के वायु मंडल में दुनिया का उद्धार कर सकता है। स्याद्वाद अथवा समन्वय ही अहिंसा का सर्व-कल्याणकारी साधन अथवा औजार है। (अहिंसा के समर्थ शस्त्र को शस्त्र न कह कर औजार ही कहना चाहिये।)

समन्वय के इस सर्व-समर्थ औजार या साधन की मदद से सारे विश्व को हम एक परिवार बना सकते हैं। 'यत्र भवति विश्व एकनीडम्।'

जैन मुनियों की परम्परा सामान्य नहीं है। उन में जितनी रूढ़ि-निष्ठा है, उतनी ही तत्त्व-निष्ठा भी है। और, तत्त्व-निष्ठा की विजय रूढ़ि पर जब होगी, तभी जीवन सफल होता है। रूढ़ि-निष्ठा, मरण की दीक्षा है। तत्त्व-निष्ठा जीवन और प्रगति की दीक्षा है।

अब युग-धर्म कहता है कि तत्त्व-निष्ठा को समन्वय की दृष्टि से जीवन की ओर देखन चाहिये।

मैं मानता हूँ कि युग-धर्म समन्वय को ही सफल बनायेगा।

•

जैन धर्म और अहिंसा

जैन धर्म और अहिंसा

•

जीवन-व्यापी अहिंसा और जैन समाज

•

अहिंसा का नया प्रस्थान

•

अहिंसा का वैज्ञानिक प्रस्थान

जैन धर्म और अहिंसा*

धर्म की अनेक व्याख्यायें की गई हैं। मेरे विचार से धर्म की उत्तम व्याख्या यह है “जीवन-शुद्धि और समृद्धि की साधना जो दिखाये वह धर्म है।” प्रत्येक धर्म में आत्मोद्धार के लिये जो बातें बताई गई हैं, उनके द्वारा ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। यह साधना दो प्रकार से होती है। केवल अपना ही विचार करके आत्मशुद्धि से आत्म-विजय प्राप्त करना और अन्त में मुक्त होना, यह पहली साधना है। दूसरी साधना वह है जिसमें केवल व्यक्ति का विचार न करके समस्त समाज का विचार किया जाता है। सारे व्यक्तियों को मिनाकर समाज बनना है और वह समाज ही मुख्य माना जाता है। जैसे हम शरीर के एक-एक अवयव का विचार नहीं करते, परन्तु समग्र शरीर का विचार करते हैं, वैसे ही मुख्यतः विचारणीय प्रश्न यह है कि सगठन बनाकर रहने वाली मनुष्य-जाति अहिंसा की साधना कैसे कर सकती है।

मेरी मान्यता के अनुसार अभी तक मनुष्य-जाति की बाल्यावस्था थी, इसलिये केवल व्यक्ति के लिये मार्ग विचारने और बताने से हमारा काम चल जाता था। परन्तु अब जो कार्य हमारे सामने है वह विकट और व्यापक है। अब निश्चित तथा व्यवहार्य सामाजिक साधना बताने के दिन आये हैं। आज की साधना केवल आत्मशुद्धि की नहीं परन्तु समाज-जीवन की शुद्धि की साधना है।

प्रत्येक बालक को कभी न कभी ऐसा लगता ही है कि कल जो बात मेरी समझ में नहीं आती थी वह आज समझ में आ रही है। मनुष्य को भी अक्सर ऐसा लगता है कि अमुक महापुरुष के इस जगत में आने के बाद ही इतनी बात हमारी समझ में आई। प्रत्येक धर्म में साधना का मार्ग दिखाने वाले महापुरुष आते हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि इस्लाम के नबी मुहम्मद साहब ने जो कुछ कहा वह अन्तिम वचन है। सनातनी हिन्दू भी ईश्वर के अमुक सख्या के अवतारों में विश्वास करते हैं। जैन भी चौबीस

* तारीख 6-6-80 को बम्बई में हुई सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण का सारभाग।

तीर्थकरो मे विश्वास करते है। जैन लोग मानते है कि अन्तिम तीर्थंकर महावीर हुये है, अब आगे कोई तीर्थंकर नही होंगे।

लेकिन यह दलील मेरे गले नही उतरती। कोई एक व्यक्ति चाहे जितना महान् हो, फिर भी उसके साथ धर्मशास्त्र पूर्ण नही हो जाता। तब तो माना जायेगा कि मनुष्य-जाति की प्रगति का अन्त हो गया। इससे तो यही माना जा सकता है कि विश्व की रचना को चलाने वाली अगम्य शक्ति या तो तृप्त हो गई है या निराश हो गई है। परन्तु वास्तव मे ऐसा नही है। साधना का मस्करण और परिष्करण बार-बार होना ही चाहिये। यह कार्य करने वाले व्यक्ति भी बार-बार आने ही चाहिये। जिस समय चार व्रता की आवश्यकता थी उस समय चार व्रता मे काम चला। लेकिन जब उनमे परिवर्तन करके व्रतों की संख्या पाँच करने की आवश्यकता हुई तब ऐसा कहने वाला व्यक्ति निकल आये और चार के पाँच व्रत हो गये। इसी प्रकार समय-समय पर मार्ग-दर्शन करने वाले महापुरुष निकल ही आते है।

अहिंसा एक सनातन तत्त्व है। अमुक समय के पहले अहिंसा नही थी, यह नही कहा जा सकता। समय-समय पर अहिंसा का प्रचार करने वाले पुरुष निकल ही आते है। मुझे सदा यह लगा है कि अहिंसा की सच्ची साधना ब्रह्मचर्य मे, सयम मे है। जो मनुष्य भोग-विनास मे डूबा रहता है और वैसा करके मरने के लिये बच्चे पैदा करता है, वह अहिंसक नही है। जीवन मे विनासिता कामुकता कम हो तो ही सच्ची अहिंसा को जीवन मे उतारा जा सकता है और समाज मे उसे फैलाया जा सकता है।

पुण्य दुःखकर है, लेकिन उसका फल सुखकर है, जब कि पाप बाहर से अथवा प्रारम्भ मे सुखकर होता है, लेकिन उसका फल दुःखकर होता है। इसलिये भोग-विनास का सुखकर मानलू होना स्वाभाविक है। मनुष्य जिस हद तक विनासिता का त्याग करता है उसी हद तक वह अहिंसा-धर्म के निकट पहुँच पाता है। विनासिता को दूर करने के लिये इन्द्रियो की वृत्तियो को जीतना पडता है। इसी को तप कहा जाता है। यह तप ही अहिंसा है। यह साधना व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार मे होती है। उसे बताने वाले तीर्थंकर समय-समय पर आते ही रहने चाहिये। और, इस प्रकार सनातन अहिंसा-धर्म का विकास होना चाहिये।

अपराध के लिये सजा देना मनुष्य-जाति का बड़ा अपराध है। दूसरे को सजा देने वाले हम कौन होते हैं ? अपराध के लिये अपराधी को प्रायश्चित्त करना चाहिये। अपराध के लिये सजा देकर तो हम हिंसा को घटाने के बदले प्रतिहिंसा करते हैं। सजा देने से मनुष्य का सुधार नहीं होता। सजा देकर हम भले ही सतोष अनुभव करें, परन्तु वास्तव में उससे हिंसा दुगुनी होती है। अपराध करने वाले की हिंसा अप्रतिष्ठित मानी जाती है। जब किसी अपराधी को सजा होती है तो लोग उस कार्य को अच्छा मानते हैं, इसलिये यह प्रतिहिंसा प्रतिष्ठित मानी जाती है। यह उलठे मार्ग की साधना है। इतनी बात हम समझ ले, तो अहिंसा का मार्ग हमारी समझ में आ जायेगा। भावी तीर्थंकर हमें अवश्य कहेंगे कि अपराधी को सजा देना भी अपराध ही है। क्रोधी के मामले में अगर हम क्रोध न करें, तो अन्न में उसे शान्त होना ही पड़ेगा। 'अतृणं पतितो बलि स्वयमेवोपशाम्यति'—तृणरहित स्थान में पड़ी हुई आग अपने आप बुझ जाती है।

आज हम अहिंसा के बाल्यकाल में हैं। अहिंसा के विकास के लिये बड़े धीरज और अखूट साहस की जरूरत है। मार्ग लम्बा है। समाज में अहिंसा की शिक्षा का कार्य करना आवश्यक है। इसके लिये अनेक महापुरुष आयेगे और मार्ग दिखायेगे।

केवल स्थूल हिंसा का त्याग पर्याप्त नहीं होगा। जहाँ धन के ढेर जमा हो गये हैं वहाँ उनकी नींव में शोषण का पाप है—हिंसा है। अमेरिका में क्वेकर सम्प्रदाय के लोग अहिंसक हैं और धनी भी हैं। भारत में जैन लोग अहिंसक होने का सकारण दावा करते हैं। फिर भी वे धनाढ्य हैं। द्रोह के बिना धन नहीं मिलता। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि अहिंसा और धन का मेल कैसे बैठ सकता है। आप चींटियों के दर के मामले में आटा डालें, रात्रि-भोजन न करें, आतन खाएँ—यह सब तो अच्छा है। परन्तु यह आरम्भ की क्रिया है। हमें तो अहिंसा धर्म में आगे बढ़ना है। जगत में जब युद्ध चल रहा हो तब हम शान्त कैसे बैठ सकते हैं ? हमें उसे रोकने का मार्ग खोजना चाहिये। हमारे विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि युद्ध तो यूरोप में लड़ा जा रहा है, हमारे देश में तो गाँधीजी के प्रताप से सब ठीक चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे देश में प्रत्येक प्रान्त में भीतर ही भीतर फूट फैली हुई है, हर जगह अविश्वास फैला हुआ है। ये सब हिंसा के ही प्रतीक हैं। यूरोप के पास अस्त्र-शस्त्र है, इसलिये वहाँ के लोग

युद्ध करते हैं। हम एक-दूसरे के पैर खींचकर एक-दूसरे को नीचे गिराते हैं। वृत्ति से तो दोनों एक से ही हैं। वहाँ समर्थों की शस्त्राधारी हिंसा चलती है, यहाँ असमर्थों की अविश्वास, द्वेष, निद्रा और द्रोह-मूलक हिंसा।

अदालत में जाने के बदले पंच के द्वारा अन्याय दूर कराना और अन्याय करने वालों को अपना बनाकर उसकी शुद्धि का प्रयत्न करना - इस प्रकार की अहिंसक साधना का विकास विचारपूर्वक अभी तक हमने नहीं किया है।

सरकारी अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के बजाय सत्याग्रह करने की अहिंसक साधना हमारे जमाने में गाँधीजी ने ही बताई है। राज्य के विरुद्ध किये जाने वाले पुराने 'त्रागा' (धरना) या ऐसे ही दूसरे विद्रोह में अहिंसा नहीं थी। शायद ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें अहिंसक पद्धति के बीज थे।

राष्ट्रों के बीच जो युद्ध लड़े जाते हैं उनके बजाय चर्चा करने वाले शत्रु का अहिंसक पद्धति से प्रतिकार कैसे किया जाय, यह सोचन या सुझाने का मौका गाँधीजी को भी नहीं मिला है।

अमेरिका में या अफ्रीका में गोरों लोग काले लोगों पर जो जुल्म डालते हैं, उन्हें दूर करने का अहिंसक मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी अहिंसा के उपायों और आचार्यों की है। परन्तु आज तो ये लोग शास्त्र वचन की व्याख्या करने में और परम्परागत मार्ग से अपने तप या प्रतिष्ठा को बढ़ाने में ही मग्न हैं।

आज दुनिया में बड़ी से बड़ी हिंसा शोषण की चल रही है। दूसरों की कठिन परिस्थितियों का लाभ उठाकर उनकी सेवाओं का दुरुपयोग करना, और उन पर अनुचित अत्याचार करना अर्थात् उनके जीवन का शोषण करना बहुत बड़ी हिंसा है। इस तरह की हिंसा परिवारों में भी चलती है। जमींदार और काश्तकार खेत में काम करने वाले मजदूरों के मालिक और खेतीहर मजदूर, कारखानेदार और कारखाने के मजदूर उच्च वर्गों के लोग और श्रमजीवी लोग—इन सब के सम्बन्धों में शोषण की, दबाव की और जुल्मों की हिंसा सतत चला ही करती है। साहूकार मनमाना व्याज लेकर कर्जदार को चूसता है यह भी हिंसा ही है।

जैन समाज तथा जैन साधुओं और आचार्यों को यह सोचना चाहिये कि इस सारी हिंसा का सामना कैसे किया जाय और इस दृष्टि से समाज-जीवन का परिवर्तन करने के लिये कौनसे कदम उठाये जाने चाहिये ।

जब हमारा समाज धर्मप्राण था उस समय हमारे धर्माचार्य तत्कालीन विज्ञान की मदद से साहस पूर्वक जीवन परिवर्तन करने में हिचकिचाते नहीं थे और समाज की पुरानी रूढ़ियों का विरोध करने में भी डरते नहीं थे ।

शरीर-शुद्धि के लिए पचगव्य में गोमूत्र का भी प्राशन करने की प्रथा के पीछे वैज्ञानिक साहस स्पष्ट दिखाई देता है । पानी में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं इसलिये पानी को गरम करने और उसे तुरन्त ठण्डा करने की जो प्रथा जैनो ने चलाई, उसमें आज के डॉक्टरों आग्रहों से कम हिम्मत नहीं थी । जैन साधुओं का केशलुञ्चन तथा मुख पर बाँधी जाने वाली 'मुँहपत्ती' भी सामाजिक शिष्टाचार की परवाह न करके एक प्रकार के विज्ञान से चिपके रहने की हिम्मत का ही प्रतीक है । बहुबीज वनस्पति न खाना, रात्रि-भोजन न करना इत्यादि सुधारों का प्रचार जिन आचार्यों और साधुओं ने किया, वे आज के जमाने में विज्ञान का अनुसरण करके यदि चिन्तन करें और नये आचार का प्रचार करें, तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि आज के जैन आचार्य धर्म-परायण न रहकर रूढ़ि-परायण हो गये हैं और आज के जैन साधु अन्ध-परम्पराओं का निष्प्राण जीवन जीते हैं ।

जो चीज बुरी मानी जाती है वह कितनी ही सुखकर, प्रिय अथवा प्रतिष्ठित क्यों न हो, तो भी उसका त्याग करने के लिये तैयार होना और अद्यतन विज्ञान तथा धर्मज्ञान आज जो नई दृष्टि प्रदान करे उसका अनुसरण करने के लिये तैयार होना जीवन्त और प्राणवान रहने का लक्षण है । जो व्यक्ति जीवन पर विजय प्राप्त करता है वह जिनेश्वर है । अब ऐसे अनेक जिनेश्वर उत्पन्न होने चाहिये । उनके आने की हम तैयारी करें और उनके स्वागत के लिये लोक-मानस तैयार करें ।

जीवन-व्यापी अहिंसा और जैन समाज

लोग पूछते हैं, और अचरज की बात तो यह है कि मेरे जैन मित्र भी मुझे पूछने लगे हैं, कि आप इस युग में अहिंसा और मासाहार की बात क्या लेकर बैठे हैं ? एक पुराने जैन मित्र तो मुझे समझाने लगे कि “हम जैनियों का जो वर्तमान रख है उससे हमें सन्तोष है। हम प्राणी-हत्या नहीं करते। कीड़े-मकोड़े भी हमारे हाथों न मर जाँय इसकी सम्भाल रखते हैं। बहुबीज वास्तुपति भी नहीं खाते। इस तरह में अपना जीवन निष्पाप बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे साधु हम लोगों की इस वृत्ति को बढावा देते हैं। महावीर की वाणी सुनाने हैं। स्वयं सूक्ष्म हिंसा से भी बचने की कोशिश करते हैं। वे तप करते हैं। हम दान करने हैं। इससे अधिक आजकल के जमाने में क्या हो सकता है ? दूसरे लोग मासाहार करते हैं। प्राणी-हत्या करते हैं। इसका हमें दुःख है। लेकिन हम न कभी उनकी निन्दा करते हैं, न उनको रोकते हैं। दुःखी होकर बैठ जाते हैं। यही तो आपका Peaceful Co-existence है न ? इसी नीति से हम और हमारा धर्म बच गये हैं।”

मैं इस अलम् बुद्धि से और सन्तोष से डरता हूँ। इस भूमिका की बुनियाद में केवल बौद्धिक ही नहीं, किन्तु नैतिक अग्रगतिशील आलस्य और जडता है। भगवान् महावीर ने क्या चाहा था और हम कहाँ ठहर गये हैं यह गम्भीरता से सोचना चाहिये। हम निष्पाप बने इतना बस नहीं है। आज की स्थिति में अपने को निष्पाप मानना हृदय को धोखा देना है। क्या दुनिया भर की प्राणी-सृष्टि को हत्या से बचाने का, उसे अभयदान देने का हमारा कर्तव्य नहीं है ? मनुष्य मनुष्य के बीच जो वैर, द्वेष और हिंसा विश्वव्यापी बन रही है, उसे रोकना नहीं है ? ज्ञानी, बुद्धिमान और चतुर लोग सारी दुनिया को निचो रहे हैं यह क्या हम स्वस्थचित्त होकर बर्दाश्त कर सकते हैं ?

हमारी तिजारत और हमारी महाजनी हिंसा से सुक्त है ?

जब गाँधीजी ने विश्व के लिये अहिंसा का नया प्रयोग शुरू किया तब उसमें जैनियों का सहयोग कितना था ? जब सब राष्ट्रों के शान्तता-वाद के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं तब जैन धर्म के चन्द जागरूक प्रतिनिधि जीवदया

का साहित्य ले आते हैं। लेकिन विश्व समस्या के हल करने में अपना हिस्सा नहीं लेते।

आज जो अहिंसात्मक सामाजिक नवजीवन का क्रान्तिकारी प्रयोग भूदान-ग्रामदान के नाम से चल रहा है, उसे बढ़ावा देने में जैन-समाज अग्रसर क्यों नहीं ?

सम्पत्ति निर्माण में और उसके न्याय-विभाग में जो जीवन-व्यापी हिंसा चलती है उसे रोकने के लिये समाजवाद कोशिश कर रहा है। उसे जैन-धर्म का अविभाज्य अंग बनाने की और जैन साधुओं का मानस क्या नहीं काम कर रहा है ?

भारतीय समाज में ऊँच-नीच भाव दृढमूल बन गया है। यह जो भयानक विराट हिंसा भारत में चल रही है उसे जड़मूल से उखेड़ने का काम जैन-धर्म का अविभाज्य अंग नहीं है ? सम्पत्ति के उपभोग में और सम्पत्ति के उत्पादन में भी मर्यादा का स्वीकार करना जैन-धर्म में गुरु से कहा गया था। उसका क्या हुआ ?

ये सब बातें छेड़ने का मेरा इरादा नहीं था। स्वर्गम्य धर्मानन्द कोसवी के कुछ लेख के सिलसिले में मेरा ध्यान इस ओर खींचा गया। इसलिये जो कुछ लिखना पड़ा, उतना लिख करके मैं खामोश हो जाता। जैन समाज की अजायुति के बारे में स्वयं जैन ने और औरों ने काफी लिखा है। किसी व्यक्ति या समाज की तौहीन करने से किसी का भी भला नहीं होता। केवल कटुता बढ़ती है और कभी-कभी दुर्जनता की बाढ़ आती है।

लेकिन मैं देखता हूँ कि अब जैन समाज में विचार-जायुति के दिन आ रहे हैं। लोगों में अपने जीवन-क्रम के बारे में असन्तोष पैदा हो रहा है। जैन साधु भी अपना पुराना रूप छोड़कर नये ढंग से सोचने लगे हैं। दिगम्बर, श्वेताम्बर स्थानकवासी, तेरापन्थी ऐसे भेद से भी लोग अब ऊबने लगे हैं। पुराने ग्रन्थों का प्रकाशन करना, देशी भाषा में या अंग्रेजी में अनुवाद कराना और बढिया कागज पर ग्रन्थ प्रकाशित करना, इसी को जो लोग धर्म-सेवा का महत्त्वपूर्ण काम मानते थे उनमें भी नव-जायुति आने लगी है।

मैं देखता हूँ कि अब इस नव-जायुति में यथासमय बाढ़ आयेगी, और जैन समाज कायापलट करेगा। जैन समाज रुढ़िग्रस्त है, लेकिन

क्षीणवीर्य नहीं है, पुरुषार्थी है। मैं मानता हूँ कि इस जागृति का असर श्रावको पर प्रथम होगा। साधुओं पर देरी से होगा। साधु समाज चाहे जितना निस्पृह, अपरिग्रही या स्वल्प परिग्रही हो, जब तक वह निवृत्ति-परायण है तब तक परावलम्बी है ही। परावलम्बी लोग रूढ़ि को जल्दी-जल्दी तोड़ नहीं सकते। सम्भव है कि नये युग के अनुसार एक नया ही साधुवर्ग तैयार होगा और वह साधु सस्था में क्रान्ति लायेगा। यह बात केवल जैन साधुओं की नहीं। सब धर्म के साधुओं की ऐसी ही बात है। मैं उनका मानस जानता हूँ। जब उनमें परिवर्तन होगा तब वे अपना तेज प्रगट कर सकेंगे। धर्म-तेज के ऊपर समय-समय पर जो राख छा जाती है उसे दूर करने की शक्ति साधु सस्था के पास नहीं होती। लेकिन जो लोग यह काम कर सकते हैं उन्हीं के द्वारा नयी साधु सस्था स्थापित की जाती है, (जो अपने जमाने का क्रान्ति-कार्य पूरा करने के बाद फिर से रूढ़िग्रस्त हो जाती है)। शंकराचार्य के जैसे सुधारक सन्यासी के अनुयायी आज रूढ़ि धर्म के सब से बड़े समर्थक हो गये हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सस्कृति का जीवनक्रम ही ऐसा होता है।

अहिंसा का नया पस्थान

जीवदया, मासाहार का त्याग और अहिंसा, इन तीन बातों का प्रचार कुछ रिवाजी-सा हो गया है। जैन-धर्मियों की ओर से इन तीनों विषयों में कुछ-न-कुछ प्रकाशित होता ही रहता है। अनेक सस्थायें भी चलती हैं। गाँधीजी ने श्रीमद् राजचन्द्रजी से कुछ प्रेरणा पाई, इस बात से जैनियों का राजी होना स्वाभाविक है। गाँधीजी के अहिंसा प्रचार का स्वरूप कुछ अलग ही था। लेकिन जीवदया और मासाहार-त्याग दोनों के बारे में गाँधीजी का उत्साह कम नहीं था। मनुष्य के लिये मासाहार स्वाभाविक नहीं, शाकाहार, धान्याहार अथवा अन्नाहार ही मनुष्य के लिये योग्य आहार है ऐसा गाँधीजी का दृढ़ विश्वास था। पश्चिम के चन्द शाकाहारी अपने सिद्धान्त के प्रचार में शाकाहार के नैतिक तत्त्व पर भार न देते हुए मांसाहार मनुष्य शरीर के लिये बाधक है इस बात पर अधिक जोर देते हैं। गाँधीजी जब आखरी वक्त नन्दन गये थे जब वहाँ के शाकाहारी मण्डल को उन्होंने भारपूर्वक कहा था कि शाकाहार-प्रचार को केवल आरोग्य-प्रधान वैद्यकीय बुनियाद मत दीजिये। शाकाहार की बुनियाद तो नैतिक याने दयामूलक आध्यात्मिक ही होनी चाहिये।

गाँधीजी ने भारत के हम लोगों को समझाया कि मासाहारी लोगों को पापी कहने में या समझने में हमारा प्रचार बिगड़ जायेगा। यूँ देखा जाय तो शाकाहार और फलाहार में भी सूक्ष्म हिंसा तो है ही और दूध कोई वनस्पति-जन्य पदार्थ नहीं, प्राणीज वस्तु है। दुनिया की अधिकांश जनता मासाहारी है। वह मासाहार को पापमूलक नहीं समझती। ऐसी हालत में हम धैर्य के साथ और प्रेम के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करें। लेकिन उनके प्रति नफरत रखने का पाप न करें।

लेकिन गाँधीजी ने मानव-मानव के बीच जो भयानक संघर्ष और विद्वेष चल रहा है उसी को केन्द्र में रखकर अहिंसा का प्रचार किया। राष्ट्र-राष्ट्र के बीच, वंश-वंश के बीच, वर्ग-वर्ग के बीच और धर्म-धर्म के बीच जो विद्वेष और संघर्ष पाया जाता है उसे दूर करदे। अन्याय का प्रतिकार आत्म-बलिदान द्वारा करने का शास्त्र गाँधीजी ने बताया। विश्व के मानव-हित-चिन्तक गाँधीजी की यह बात समझ गये हैं और अपने-अपने ढंग से इस चीज

का अध्ययन, विचार और प्रचार कर रहे हैं। उनके इस प्रचार में गहरा चिंतन और चैतन्य है। गांधीजी के इस महान् अहिंसा-प्रचार का काम राजनैतिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर ५० जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवी सघर्ष टालने का महत्त्व जो लोग समझ गये हैं और इस दिशा में प्राणप्रण से प्रयत्न कर रहे हैं वे अधिकांश आहार में मासा-हागी हैं, इतने पर से अगर हम उनसे घृणा करेंगे या अलिप्त रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। अहिंसा के सच्चे पुजारी मनुष्य-मास खाने वाले ऋष्यादों को भी दूर नहीं रखेंगे। उनसे घृणा नहीं करेंगे।

(ऐसे लोग आज भी अफ्रिका में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। कल तक उनका मनुष्य-मासाहार जाहिरा तौर पर चलता था।) ऐसे लोगों के बीच जाकर अहिंसा का प्रचार करने की जो हिम्मत करेगा वही महावीर का शिष्योत्तम गिना जायेगा। ईसा मसीह के चन्द शिष्य अफ्रिका में जाकर प्रेम-धर्म का प्रसार कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वहाँ अहिंसा का आत्यन्तिक प्रचार हो नहीं सकता क्रमशः आमान सीढी के जैसा ही वहाँ प्रचार होना चाहिये। ऐसे प्रचार के लिये लोकोत्तर वीर और धैर्य की आवश्यकता है। वीर्य और धैर्य अहिंसा के प्रधान लक्षण हैं। यह बात जैसी गांधीजी ने समझाई वैसी ही अपने जमाने में भगवान् महावीर ने भी समझाई थी।

अहिंसा धर्म का प्रचार इस नये प्रस्थान के द्वारा ही होगा। रूढिग्रस्त बेजान प्रचार छोड़कर जिन लोगों ने इस नये प्रस्थान को समझा है और उसको स्वीकार किया है, उन्हीं को शतशः प्रणाम। भविष्य उन्हीं का है। भूतकाल की उपासना बहुत हुई। शास्त्रों की खदान में खोद-खोदकर अहिंसा निकालने की और मग्नहीन करने की प्रवृत्ति बहुत हुई। शास्त्र-वचनों का दोहन भी बहुत हुआ। अब तो जीवन का चिंतन और पुरुषार्थ का दोहन करने के दिन आ गये। हमारे सामाजिक जीवन में उच्च-नीच भाव मूलक जो हिंसा फैल गई है, प्रतिपक्षी के प्रति उग्र द्वेष भाव रखना जो हमारे लिये स्वाभाविक बन गया है उसका इलाज हम करें तो वह अहिंसा-साधना का प्रारम्भ होगा।

अहिंसा का यह युगांतर जो पहचानेगा उसी को अहिंसा का वीर्य और धैर्य प्राप्त होगा।

अहिंसा का वैज्ञानिक पस्थान

जैन दृष्टि की जीवन-साधना में अहिंसा का विचार काफी सूक्ष्मता तक पहुँचा है। उसमें अहिंसा का एक पहलू है जीवों के प्रति कृपा और दूसरा है स्वयं हिंसा के दोष से बचने की उत्कृष्ट कामना। दोनों में फर्क है। कृपा में प्राणी के दुःख निवारण करने की शुभ कामना होती है। प्राणियों का दुःख दूर हो, वे सुखी रहे उनके जीवनानुभव में बाधा न पड़े, इस इच्छा के कारण मनुष्य जीवों के प्रति अपना प्रेम बढ़ाता है, सहानुभूति बढ़ाता है और जितनी हो सके सेवा करने दौड़ता है।

दूसरी दृष्टि वाला कहता है कि सृष्टि में असंख्य प्राणी पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, एक-दूसरे को मारते हैं, अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। यह तो सब दुनिया में चलेगा ही। हर एक प्राणी अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव करेगा। हम कितने प्राणियों को दुःख में बचा सकते हैं? दुःख से बचाने का ठेका लेना या पेशा बनाना अहंकार का ही एक रूप है। इस तरह का ऐश्वर्य कुदरत ने या भगवान् ने मनुष्य को दिया नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने को हिंसा में बचावे। न किसी प्राणी को मारे, मरावे या मारने में अनुमोदन देवे। अपने को हिंसा के पाप में बचाना यही है अहिंसा।

इस दूसरी दृष्टि में यह भी विचार आ जाना है कि हम ऐसा कोई काम न करें कि जिसके द्वारा जीवों की उत्पत्ति हो और फिर उनको मरना पड़े। अगर हमने आस-पास की जमीन नाहक गीली कर दी, कीचड़ इकट्ठा होने दिया तो वहाँ कीट-सृष्टि पैदा होगी। पैदा होने के बाद उसे मरना ही है। वह सारा पाप हमारे सिर पर रहेगा। इसलिये हमारी ओर से जीवोत्पत्ति को प्रोत्साहन न मिले इतना तो हमें देखना ही चाहिये। यह भी अहिंसा की साधना है।

इसी वृत्ति से ब्रह्मचर्य का पालन अहिंसा की साधना ही होगी। जीव को पैदा नहीं होने दिया तो उसे पैदा करके मरणाधीन बनाने के पाप से हम बच जायेंगे।

कृपा इससे कुछ अधिक बढ़ती है। उसमें कुछ प्रत्यक्ष सेवा करने की बात आती है। प्राणियों को दुःख से बचाना, उनके भले के लिये स्वयं कष्ट

ठठाना, त्याग करना, समय का पालन करना यह सब क्रियात्मक बातें अहिंसा में आ जाती है ।

आजकल जैन समाज में इसकी चिन्ता नहीं चलती कि हम हिंसा के दोष से कैसे बचे । जो कुछ जैनियों के लिये आचार बताया गया है उसका पालन करके लोग सतोष मानते हैं । धर्मबुद्धि जाग्रत है, लेकिन धार्मिक पुरुषार्थ कम है तो साधक अणुव्रत का पालन करेंगे । साधना बढ़ने पर दीक्षा लेकर उग्र व्रता का पालन करेंगे ।

अब जिन लोगों ने जीवदया के अहिंसक आधार का विस्तार किया उन लोगों ने अपने जमाने के ज्ञान के अनुसार बताया कि पानी गरम करके एकदम ठंडा करके पीना चाहिये । आलू, बैंगन जैसे पदार्थ नहीं खाने चाहिये । क्या कि हर एक बीज के साथ और हर एक अकुर के साथ जीवोत्पत्ति की सम्भावना होती है । एक आनू खाने से जितने अकुर उतने जीवा की हत्या करने का पाप लगेगा । सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवों की हत्या से बचने के लिये इतना सतर्क रहना पड़ता है कि वही जीवन-व्यापी साधना बन जाती है । पानी गरम करके एकदम ठंडा करना, मुँहपत्ती लगाना, शाम के बाद भोजन नहीं करना इत्यादि रीतिधर्म का विकास हुआ ।

शुरु शुरु में यह सब वैज्ञानिक शोध-खोज थी । हमारा वैज्ञानिक ज्ञान जैसा बढ़ेगा उसके अनुसार हमारा अहिंसा का आकलन भी बढ़ेगा, बढ़ना चाहिये । और, उसके अनुसार आचार-धर्म में सूक्ष्मता भी आनी चाहिये । साथ-साथ अगर अनुभव से कोई बात गलत साबित हुई तो पुराने आचार-धर्म बदलने भी चाहिये । अहिंसा धर्म जड़ रूढ़िधर्म नहीं है । वह है वैज्ञानिक धर्म । विज्ञान के द्वारा जैसे-जैसे हमारा जीवविज्ञान, प्राणिविज्ञान बढ़ेगा वैसा हमारा अहिंसा का आचारधर्म भी अधिकाधिक सूक्ष्म बनेगा । विशिष्ट प्राणी में या वस्तु में जीव है या नहीं है इसकी खोज तो होनी ही चाहिये । जैन तीर्थंकर और आचार्यों के दिना में जीव-सृष्टि का विज्ञान जहाँ तक बढ़ा था, उसके अनुसार उन्हें ने अहिंसक धर्म का आचार-धर्म कैसा-कैसा होता है यह बताया । वे लोग अपने जमाने के विज्ञान-निष्ठ थे ।

आज उसी प्राचीन वैज्ञानिक दृष्टि का हम ने रूपान्तर कर दिया है वचननिष्ठा में और रूढ़िनिष्ठा में ।

इधर आज की दुनिया में, विशेष कर पश्चिम में जीव-विज्ञान बहुत कुछ आगे बढ़ा है। जीव किसे कहे, किस चीज में जीव तत्त्व कितना है, उसका विकास कैसे होता है, जीवों को मरण क्यों आता है, मरण से बचाने के लिये क्या-क्या करना चाहिये आदि अनेक बातें नये ढंग से, नई दृष्टि से सोची जाती है और सोचनी चाहिये। यह है अनुसंधान का विषय, न कि तीर्थकर, के, गणधर के, आचार्यों के आप्त-वचन का अर्थ करने का। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि छोड़ कर व्याकरण, तर्क और दृष्टि-समन्वय के आधार पर चर्चा ही करते रहे तो वह दृष्टि वैज्ञानिक न रह कर वकीलों के जैसी चर्चात्मक ही बन जायेगी।

इसलिये हमें जीवविज्ञान में, मनोविज्ञान में और समाजविज्ञान में अनुसंधान करना होगा। प्रयोग और चिन्तन चला कर गहरा अनुसंधान करना पड़ेगा और वह भी हमारी निजी मौलिक दृष्टि से।

पश्चिम के प्रयोग-वीरों ने जो आज तक अनुसंधान किया है, उससे हम लाभ उठायेगे जरूर, लेकिन उनका प्रस्थान ही हमें मान्य नहीं है। पश्चिम में वनस्पतिविज्ञान, जीवविज्ञान, कृमि-कीट आदि सूक्ष्म प्राणी-विज्ञान, आदि विज्ञान के अनेक विभाग अथवा क्षेत्र दिन-पर-दिन प्रगति करते जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रस्थान ही गलत है। सामान्य तौर पर नीचे दिये गये सिद्धान्त ही उनके बुनियादी सिद्धान्त हैं।

(1) जिस तरह मिट्टी, पत्थर, पानी, सोना, चाँदी, लोहा आदि धातु, यह सारी भौतिक सृष्टि मनुष्य के उपयोग के लिये है, उसी तरह सारी की सारी मनुष्येतर सृष्टि भी मनुष्य के उपयोग के लिये है। वृक्ष, वनस्पति, कद भूल, फल आदि वनस्पति-सृष्टि मनुष्य के उपभोग के लिये है, उसी तरह कीट-सृष्टि, पशु-पक्षी, आदि द्विपाद, चतुष्पाद और बहुपाद प्राणियों की सृष्टि, पशु-पक्षी आदि स्थलचर, साँप आदि सरिसृप और मछलियाँ आदि जलचर सब मनुष्य के आहार के लिये, सेवा के लिये, उपभोग और आनन्द के लिये हैं। इन्हें मार कर खाना, पकड़ कर काम में लाना और उन पर अपना स्वामित्व रखना यह सब मनुष्य के अधिकार में आता है।

(2) अगर इनकी संख्या कम होने लगी तो इनकी पैदाइश बढ़े, इनकी नई-नई नस्लें तैयार हो जाये और इनसे अधिक-अधिक सेवा मिल जाय इसलिये सब तरह से पुरुषार्थ करने का भी मनुष्य को अधिकार है।

(3) वनस्पति-सृष्टि का और प्राणसृष्टि का उपयोग करते अगर कुछ नुकसान होता है, रोग होते हैं, बाधाएँ पहुँचती हैं, खतरे उठाने पड़ते हैं तो अपनी बुद्धि चलाकर इन सब चीजों का और प्राणियों का उपयोग निराबाध बन सके इसका इलाज भी ढूँढना ।

(4) और, इस तरह से वनस्पति और प्राणि-सृष्टि पर अधिकार जमाने के बाद उनमें जो लाभ होता है वह सारी-की-सारी मनुष्य जाति को मिल सके इसलिये आवश्यक वैज्ञानिक संशोधन करना, संगठन बढ़ाने की शक्ति बढ़ाना और अधिक-से-अधिक लोगों को अधिक-से-अधिक लाभ आसानी से मिल सके ऐसी व्यवस्था काम में लाना ।

इन चारों पुरुषार्थों में मूल विचार है स्वामित्व प्राप्त करके उपभोग करने का । अहिंसा का प्रस्थान बिल्कुल इसके विपरीत होगा । इसलिये हमारी फिजिकल लैबोरेटरी में वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, एनिमल हसबैंडरी में— पशु-संवर्धन में हमारी दृष्टि ही अलग होगी ।

हम कहेंगे कि वनस्पति, पशु-पक्षी आदि मनुष्येतर जीवसृष्टि को जीने का स्वतन्त्र अधिकार है । न हम उनके मालिक हैं, न उन पर हमारा कोई अधिकार है । बात सही है कि इनके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन इन्हें मारने का, इन्हें चूटने का, इनके परिश्रम में लाभ उठाने का हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं है । इसलिये यह सारी स्वार्थी प्रवृत्ति घटाने की हमारी कोशिश हानी चाहिये । अहिंसा और मानवता की दृष्टि से हमें एक ऐसा ऋम बाँधना होगा, जिसके द्वारा अपने जीवन में हम हिंसा को उत्तरोत्तर कम करते जायें । आज गाय, बैल, भैंसे आदि बड़े-बड़े जानवरों को अभयदान दिया कल बकरे, भेड़ें, दुग्ध, हिरण आदि छोटे जानवरों को मारना छोड़ दिया, परसों मासाहार में मछलियाँ और अंडे के बाहर मासाहार न करने का नियम बनाया, आगे जाकर प्राणी के शरीर से उत्पन्न होने वाले दूध धी आदि स्वाभाविक आहार की मदद लेकर घान्द्य, फल, सब्जी, कदमूल आदि अन्नाहार से संतोष माना, उसके बाद हिंमत पूर्वक दूध आदि पदार्थ अंडे के जैसे ही त्याग मानकर उनके बिना चलाने की कोशिश करना और दूध, घी आदि मासाहार के प्रतीकों को जगह वनस्पति में से हम क्या-क्या पैदा कर सकते हैं इसके प्रयोग करना, यह होगी हमारी अहिंसावृत्ति की शोध खोज ।

अगर दूध देने वाली गाय पवित्र है, तो शहद देने वाली मधुमक्खी भी उतनी ही पवित्र है गौहत्या महापाप है तो शहद की मक्खियों को मारना,

उनके छत्तो का नाश करना, धुआँ और आग के प्रयोग से उनका नाश करना, यह सब हिंसा है, घातकता है और अनावश्यक क्रूरता है, यह भी समाज को समझाना चाहिये ।

रेशम के लिये जो हम कीटसृष्टि में भयानक सहार चलाते हैं उसका भी हमें विचार करना होगा । इसमें इतना कहने से नहीं चलेगा कि इतनी हिंसा हम मान्य रखते हैं, बाकी की मान्य नहीं रखते । केवल मान्यता की ही बात सोची जाय तो उसमें अनेक पथ पैदा होंगे ही और ऐसे पथों को मान्य रखना ही धर्म्य होगा ।

मनुष्य को मार कर खाने वाले समाज भी इस दुनिया में थे । प्राचीन या मध्यकालीन जैन मुनियों ने ऐसों के बीच जाकर भी उन्हें अहिंसा की ओर आकृष्ट किया । इसके आगे जाकर पशु-पक्षी का मांस खाने वाले लोगों ने गाय-बैल का मांस छोड़ा, यह भी एक प्रगति हुई । लेकिन इतने पर से गाय-बैल का मांस खाने वाले को हम पापी या पतित नहीं कह सकते, उनकी घृणा भी नहीं कर सकते । दुनिया में बहुमनी उनकी है । उनकी धर्मबुद्धि और हमारी धर्मबुद्धि में फर्क है । ऐसे करोड़ों हिन्दू हैं, जो पूज्यभाव के कारण गाय-बैल का मांस नहीं खाते, किन्तु इतर पशु-पक्षियों का मांस खाते हैं । ऐसे भी हिन्दू हैं जो बतक के अंडे खाते हैं, किन्तु घृणा के कारण मुर्गी के अंडे नहीं खाते । मुसलमान ऐसी ही घृणा के कारण सूअर का मांस नहीं खाते । यहूदियों के भी अपने नियम हैं ।

और, हिन्दुओं में भी गोमांस खाने वाले नहीं सो नहीं ।

यह सारा विस्तार इसलिये किया है कि हम केवल आदर और तिरस्कार पर आधारित मनोवृत्ति के वश न होकर वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करते जायें और सब के प्रति हम सहानुभूति रखें ।

और, अब अहिंसा की हमारी साधना केवल शास्त्र-वचनों पर और धार्मिक रस्म-रिवाजों पर आधारित न रखकर उसे वैज्ञानिक सशोधन का विषय बनावें ।

आज तक पशु-हिंसा, निरामिषाहार, तपस्या और आहार-शुद्धि इतनी ही दृष्टि प्रधान रख कर अहिंसा का विचार और प्रचार किया और पुराने जमाने की स्थूल वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार एकेन्द्रिय प्राणी, पचेन्द्रिय प्राणी आदि भेदों की बुनियाद पर अहिंसा के नियम बनाये । अब जब विज्ञान

और खास करके जीवविज्ञान बहुत कुछ बढ़ा है और हम नई बुनियाद लेकर जीवविज्ञान बढ़ा सकते हैं। तब पुराने, कालग्रस्त जीवविज्ञान से हम सतोष न मानें। जो बुनियाद मजबूत नहीं है उसे छोड़ दें और वचन-प्रामाण्य एव पुराने धर्मकारों के अनुयायित्व से सतोष न मान कर आध्यात्मिक दृष्टि से नये-नये प्रयोग करने के लिए हम तैयार हो जाएँ।

इसके लिए पश्चिम की प्रयोगशालाओं से भिन्न अहिंसा-परायण प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी होगी। प्रयोग-वीर अध्यापक उसमें काम करेंगे। मिद्धान्त और व्यवहार का समन्वय कर के मानव जाति के उत्कर्ष के लिए वे नसीहत देते जायेंगे। उनकी नसीहत धर्म-पुरुषों की आज्ञा का रूप नहीं लेगी। जिसमें सत्यनिष्ठा है, अध्यात्मनिष्ठा है और अहिंसा की सार्वभौम दृष्टि जिसे मजूर है, उसके लिए अन्दरूनी प्रेरणा से जो बात मान्य होगी सो मान्य। हर एक जमाने के मानव-हितचिन्तक तटस्थ तपस्वियों की नसीहत ही धर्मजीवन के लिए अन्तिम प्रमाण होगी और अन्तिम आधार हृदय के सतोष का ही होगा। 'शुद्धहृदयेन हि धर्मं जानाति।' इसलिये केवल प्राचीन धर्मग्रन्थ और धर्मकारों के वचन से बाहर नहीं सोचने का स्वभाव छोड़कर हम वैज्ञानिक ढंग से शुद्ध निर्णय पर आना होगा।

और, केवल आहार और आजीविका के साधन के क्षेत्र से अपने को मर्यादिन न करके अहिंसा-जैसे सार्वभौम, सर्वकल्याणकारी सिद्धान्त का उपयोग और विनियोग, युद्ध और शान्ति-जैसे जगत्-व्यापी सवालियों का सर्वोदयी हल ढूँढने में ऐसा करना जरूरी हो गया है। वशसघर्ष, वर्गसघर्ष आदि विश्वव्यापी भयानक सघर्षों का निराकरण करके समन्वय की स्थापना करने के लिये अहिंसा की मदद कैसी हो सकती है, यह देखने के लिये ऋषि-तुल्य चिन्तन और विज्ञानवीरों की प्रयोग-परायणता एकत्र करनी होगी। ऐसा मिलान करने से ही सजीवनी विद्या प्राप्त होगी।

इस दिशा में प्रारम्भ करना ही सब से महत्त्व की बात है। प्रारम्भ होने पर भगवान् की ओर से बुद्धियोग मिलेगा और योग्य व्यक्तियों का सहयोग तथा दिशा-दर्शन भी मिलेगा। पूर्व के ओर पश्चिम के मनीषियों ने आज तक जो चिन्तन किया है, अनुभव पाया है, और प्रयोग भी किये हैं, उनको एकत्र लाने से भविष्य की दिशा स्पष्ट हो सकेगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्राचीनी की योगविद्या और आधुनिक काल की प्रयोग-विद्या दोनों के समन्वय से सत्ययुग की और धर्मयुग की स्थापना हो सकेगी। यह समय ऐसे नये प्रस्थान का है।

महामानव का साक्षात्कार

क्षमापन का दिन

•

धार्मिक व्यक्तिवाद

•

धर्मभावना का सवाल

•

महामानव का साक्षात्कार

क्षमापन का दिन

[१]

लोग कहते हैं कि अहिंसा शब्द अभाव रूप है जैसे मोक्ष शब्द भी अभाव रूप ही है। मैं मानता हूँ कि इन शब्दों का यह दोष नहीं है किन्तु गुण है। अगर अहिंसा के लिये भाव रूप कोई शब्द रचा गया हो तो वह है प्रेम या मैत्री। प्रेम शब्द का दुरुपयोग हो सकता है। मैत्री शब्द में दुरुपयोग का वह डर नहीं है। असल में अहिंसा, मैत्री और प्रेम या स्नेह में आत्मीयता का भाव आता है। हम अपना भला चाहते हैं, अपने दोषों को छोटे कर देखते हैं, अपनी भूलों की झट क्षमा करते हैं और सुधर जाने के सकल्प पर तुरन्त विश्वास करते हैं। जहाँ-जहाँ हमारे मन में आत्मीयता होती है, वहाँ-वहाँ हमारी ये सब वृत्तियाँ स्वाभाविकता से प्रकट होती हैं।

अपने पराये का भेद भूलकर दूसरों का भी भला चाहना, दूसरों के भले के लिये, आराम के लिये, स्वयं कष्ट उठाना और दूसरों के दोषों के प्रति क्षमावृत्ति रखना, यही है अहिंसा, यही है मैत्री-भावना। जहाँ मैत्री-भावना है वहाँ बदला लेने की इच्छा नहीं होती। जब अमृतमर पजाब में जनरल डायर ने हमारे लोगों की कत्ल की और उनको तरह-तरह से पीड़ित और अपमानित किया, तब गाँधीजी ने सरकार से न्याय की माँग की। किन्तु साथ यह भी कहा कि हम जनरल डायर को सजा नहीं कराना चाहते। गाँधीजी ने यह जो नया रुख धारण किया उसमें कोई आश्चर्य नहीं था, किन्तु सारे राष्ट्र ने कुछ सोचने के बाद उनकी इस बदला न लेने की नीति को तुरन्त मान लिया। इस पर से सिद्ध होता है कि हमारे देश की सस्कृति में अहिंसा गहराई तक पहुँची हुई है। गाँधीजी जैसे समर्थ कर्मयोगी ही लोगों के हृदय में पैठकर उनकी सोयी हुई अहिंसा को जाग्रत कर सकते हैं।

आज का दिन क्षमा करने का और क्षमा माँगने का है। जिन महावीरों ने इस व्रत की, इस रिवाज की और ऐसे दिनों की स्थापना की, उनके हृदय में सच्ची और जीवित अहिंसा थी। वे शान्ति के साथ कायोत्सर्ग भी कर सकते थे। हम लोग मुँह से अहिंसा का समर्थन भी करते हैं, और अन्याय करने वालों को सजा भी दिलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु कई दफे पाप का बदला घोरतर पाप कर के ही लेना चाहते हैं।

हमारी सारी दुनिया इम दोष मे, इस नशे मे फँसी हुई है। हिटलर ने राष्ट्रीय पैमाने पर यहूदियों का ध्वंस किया। स्टालिन ने अपने लोगों को आदेश देकर जर्मनो का द्वेष सिखाया। उसने अपने लोगों को कहा कि जब तक काफी मात्रा मे जर्मनो का द्वेष न कर सको तब तक तुम्हे विजय मिलने की नहीं है।

आज अमेरिका हम से नाराज है, क्योंकि हम रशिया का द्वेष नहीं कर पाते, उस की ओर तथा चीन देश की ओर शक की निगाह से नहीं देखते। आज चंद लोग हम पर बहुत नाराज है, क्योंकि हम पाकिस्तान से प्रचारित द्वेष-धर्म का बदला द्वेष-प्रचार से नहीं लेते। हमारे पुण्य-पुरुषो ने सिखाया कि द्वेष का शमन द्वेष मे नहीं होता। वैर से वैर बढ़ता ही है। वैर का शमन अवैर से ही हो सकता है।

हिन्दू सस्कृति की बुनियाद का वचन है 'न पापे प्रति पाप स्याद्।' पापी का बदला लेने के लिये हम स्वय पापी न बने। मैत्री की दृष्टि मे हम सब की ओर देखे। सब की ओर यानी मित्र, उदासीन, तटस्थ, शत्रु, पापी, अनाचारी, दुराचारी, आततायी और दभी ऐसे सब की ओर हम मैत्री भाव से ही देखे और चले।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति, अमेरिका और इरान के प्रति, जापान और चीन के प्रति यही भाव रखा है। अमेरिका जैसे अनेक देश इमलिये हम पर भले ही नाराज हो किन्तु वे समझ गये है कि हमारी यह नीति ही श्रेष्ठ नीति है। पाकिस्तान कुछ भी करे, हम उन्हें अन्याय नहीं करने देंगे, किन्तु साथ-साथ उन के प्रति मैत्रीभाव ही रखेंगे। बहु-भाव को न हम छोड़ेंगे, न भूलेंगे।

मैंने अब तक आतरराष्ट्रीय क्षेत्र की बातें की। हमें अपने समाज के अन्दर भी यही क्षमा-वृत्ति और मैत्री-भावना दृढ करनी चाहिये। हमारे हाथो किसी का अन्याय न हो और किसी का, उसने हमारा अन्याय किया इसलिये, हम द्वेष न करे। अन्याय का प्रतिकार अवश्य करे, किन्तु बदला लेने की बात सोचे तक नहीं।

लेकिन मेरे मन मे शका उठती है कि आज की इस सभा के जैसी सभायें करने से यह काम हो सकेगा ?

जब कोई नयी दवा बताई जाती है तब हम उसे श्रद्धा से ले लेते हैं। दूसरा चारा ही नहीं रहता है। किन्तु जब कोई पुरानी दवा हमारे सामने रखी जाती है, तब हम पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई सबूत है कि इस दवा के सेवन से कोई आदमी रोग मुक्त हुआ है ?

ईसाई धर्म के जगद्गुरु पोप हर साल बड़े दिनों में मंत्री-भावना का उपदेश करते हैं और शान्ति के लिये प्रार्थना करते हैं। उनके उस प्रयास का कहीं कुछ असर नहीं दीख पड़ता। हमारे जैन भाई भी हर साल सब को क्षमा करते हैं, और सब से क्षमा की याचना भी करते हैं, लेकिन अन्य समाज की अपेक्षा हमारे जैन भाई अधिक क्षमाशील हैं, ऐसा कोई अनुभव नहीं है। साधुओं के बीच भी जो ईर्ष्या, असूया पायी जाती है, वह शाब्दिक सकल्पों में और पवित्र सूत्रों के रटन से दूर नहीं होती। धर्म का रास्ता कभी इतना सस्ता नहीं होता है। आज हम अच्छे विचार व्यक्त करके या सुनकर सतोष न माने कि हमने आज कुछ किया। चंद लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि आज तक का पाप पश्चात्ताप करके धो डाला। अब नया पाप करने की छुट्टी मिल गयी।

ऐसा कहकर भी हम थक गये हैं कि बोलने के दिन खत्म हो गये हैं। अब कुछ करना चाहिये। व्रत त्योहार का दिन आ गया, इस वास्ते कुछ करना चाहिये, कुछ कहना चाहिये। कम से कम एक अच्छा सकल्प करना चाहिये, ऐसा सोचकर हम इकट्ठा होते हैं। सभा के अन्त में मान लेते हैं कि हमने कुछ पुण्य कर्म किये सही। किन्तु आज तक ऐसे जितने भी दिन मनाये उसका नतीजा क्या हुआ, सो भी सोचना चाहिये। अगर हम अतर्मुखी हो सकें, निश्चय का बल लगाकर कोई सकल्प किया, तो आज का दिन हमने मनाया।

एक बात में हमने प्रगति की है सही। वह यह कि हम छोटे-छोटे फिरको के बाहर निकले। अच्छी बात सुनने के लिये, अच्छा कार्य करने के लिये और अगर हो सके तो जीवन में परिवर्तन करने के लिये हम अपने फिरके में बंधे नहीं रहते हैं। कूप-मण्डूक वृत्ति हमने छोड़ दी है। अन्य धर्मी लोगों पर हम विश्वास करने लगे हैं। उनके साथ मेल-जोल बढ़ा रहे हैं, उनकी बातें सुनने को तैयार हैं।

जिस तरह हम अपने व्रत-उत्सव में शरीरों को बुलाते हैं उसी तरह हमें भी उनके व्रत-उत्सव में शरीर होना चाहिये। सिर्फ मुसलमानों की बात में नहीं कर रहा हूँ। ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सब धर्मों के और सब देश के लोगों के शुभ कार्यों में हमें शरीर होना चाहिये। दिल्ली जैसे राजधानी के शहर में दुनिया के सब देशों के प्रतिनिधि पाये जाते हैं। यहाँ हम सब से मिल सकते हैं, सब के साथ मैत्रीभाव बढ़ा सकते हैं। यह भी कोई छोटी साधना नहीं है।

[२]

प्रवृत्तिशील हम दुनिया में सब लोग बाहर देखते हैं। दूसरों की टीका टिप्पणी करते हैं। यह देखकर उपनिषद् के ऋषि कहते हैं, 'विधाता ने जब शरीर में आँख, कान आदि इन्द्रियों कुरेदी, तब उन्हें बाहर देखने वाली बनाया। अतर्मुख होकर अपनी ओर देखना और अपने गुण-दोष को पहचानना कोई बुद्धिमान आदमी ही कर सकता है—(पराँचि खानि व्यतृणत् स्वयम्भू तस्मात् पराड् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद् धीर प्रत्यग् आत्मान ऐक्षत् आवृत्तचक्षुः श्रमृतत्वमिच्छन् ॥)'

अपने गुण-दोष देखने की आदत डालने के लिये हमारे पुरखों ने खास रिवाज, व्रत और त्यौहार बनाये हैं। उस दिन सुबह उठते ही मनुष्य अपने स्वभाव और जीवन की जाँच करता है और जिस किसी का तनिक भी बिगाडा हो, किसी का अन्याय किया हो, मन से भी किसी का अहित सोचा हो, उसके पास जाकर उसकी क्षमा माँगने का रिवाज है। इस विधि को क्षमापन कहते हैं।

इस क्षमापन में मुख्य भाग तो अन्तर्मुख होकर अपने दोष को देखना और जिस किसी का अन्याय किया हो उसके पास जाकर अपने दोष का स्वीकार करना और बाद में उसकी क्षमा माँगना है।

अगर मैं हरएक के पास जाकर इतना ही कहूँ कि, "इस साल के दरमियान मेरी ओर से जो कुछ भी गलती हुई हो, दोष हुआ हो, उसकी क्षमा कीजिये", तो उससे से कुछ भी निकलता नहीं दीख पड़ता। सुनने वाला आदमी भी कह देता है 'बहुत अच्छा'। इसके अन्दर भी गहराई नहीं

होती। फन इतना ही होना है कि दोनों के बीच अगर कुछ कटुता आ गई हो तो उसे छोड़ने का थोड़ा-सा मौका मिलता है और औपचारिक क्षमा करने के बाद उस साल में हुए झगड़े का जिक्र आदमी नहीं कर सकता।

अच्छा रास्ता तो यह है कि दोनों व्यक्ति बैठ कर शान्ति से क्षमावृत्ति से बाने करें। अपने जो दोष ध्यान में आ जाये, उनका नाम लेकर क्षमा माँगें और एक दूसरे के सद्भाव की याचना करें। वह दिन सचमुच एक नया प्रारम्भ करने का दिन है।

महाराष्ट्र में मकर मकरान्ति के दिन लोग स्नेह और मिठास के प्रतीक तिल और गुड़ एक दूसरे को देकर सद्भाव की याचना करते हैं। उसमें क्षमापन का हिस्सा नहीं है। ऐसा माना गया है कि जहाँ सद्भाव आया वहाँ मन में कटुता रह नहीं सकती। बहुत-सी बातें तो मनुष्य भूल ही जाता है। और चन्द बातें मन में रहती भी, तो वह चुभती नहीं। द्वेष का कचरा दूर करने के लिये बुहारी लेकर उमके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रेम पैदा हुआ तो द्वेष आप ही आप गायब हो जाता है। जैसे धूप निकलते कुहरा।

गुजरात में, खामकर के जैनियों में क्षमापन का सुन्दर रिवाज है। वे कहते हैं—मिया में दुष्कृत म्यात्—मैंने जो कुछ भी बुरा किया हो वह नहीं किया जैसा हो जाय। मायावादी वेदान्ती इस प्रार्थना का रहस्य जल्दी और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जा लोग सारे जगत की हस्ती को मायारूप मानने के लिए तैयार है, वे किसी के भी दुष्कार्य को मायारूप समझकर मिया मान कर उसे भूल जान के लिये आसानी से तैयार हूँगे।

जो हो, अन्तर्मुख होकर अपने दोषों को देखने का स्वभाव हरएक को बढ़ाना चाहिये। अभिमान छाड़कर अपने दोष वृत्त करने में मानसिक आरोग्य है और सामाजिक सुखान्धि है, यह पहचानना चाहिये। दूसरे के दोषों को क्षमा करने की तैयारी मन में होनी चाहिये और समाज में परस्पर सद्भाव बढ़ाने का अग्रण्ड पथ चलना चाहिये।

मनुष्य-मनुष्य के बीच ऐसा वायुमण्डल पैदा करने की आवश्यकता स्पष्ट है। लेकिन भक्त लोग भगवान् के पास से भी नित्य क्षमा माँगते हैं। ऐसे अपराध-क्षमापन के स्तत्र भी बनाये गये हैं, जिनमें अपने सारे दोषों की फेहरिस्त भी होती है और भगवान् को उमकी उदारता, उमका वात्सल्य और उमके सामर्थ्य की याद भी दिलाई जाती है। अपने दोषों को यादकर के

पश्चात्ताप से पानी-पानी हो जाना स्वाभाविक है, योग्य है। लेकिन भगवान् को उसके कर्त्तव्य की याद दिलाना और लेनदार पैसे वसूल करता हो जैसे भगवान् से क्षमा वसूल करना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन भक्त सब तरह के होते हैं और लोगो को भी तरह-तरह के स्तोत्र भाते हैं। जो हो, क्षमापन का वायुमण्डल औपचारिक, कृत्रिम और यान्त्रिक न बने तब तक ही उसका कुछ उपयोग है। जो एक दिन के लिये बताया गया है, वह हमेशा के लिये रहे, यही है अन्तिम उद्देश्य।

१५ सितम्बर १९५९

धार्मिक व्यक्तिवाद

“दुनिया भले ही मास खाये, मैं तो भ्रसाहारी ही रहूँगा, दुनिया भले कल-कारखाने और बड़े-बड़े शहर की संस्कृति बढाती जाये, । मैं अपने इर्द-गिर्द गाँव का वातावरण ही सभाले रहूँगा, दुनिया भले युद्ध की तैयारियाँ करे, और समय-समय पर खूनखार युद्ध चलावे, मैं हाथ मे शस्त्र नही लूँगा और युद्ध मे शरीक नही हूँगा, दुनिया भले विलास और अनाचार मे डूब जाय, मैं अपने लिये निर्विकारिता और ब्रह्मचर्य का ही आदर्श रखूँगा, दुनिया मे भले अञ्जपतियो का राज्य चले, मैं तो अकिञ्चन, अपरिग्रही ही रहूँगा, दुनिया मे भले जटिल-से-जटिल परस्परवलबन बढता जाय, मैं अपने जितना स्वावलबन और स्वयपूर्णता लेकर बैठूँगा—” यह है भारत मे धर्म पालन का तरीका । दुनिया मे भले ही अधर्म चले, मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन धर्मपरायण रहा तो मुझे सतोष है । धर्मनिष्ठ लोगो का यह व्यक्तिवाद है ।

व्यापारी कहता है, ‘मैं अपना स्वार्थ सभाल लूँगा, मेरे यहाँ आकर चीज खरीदने वाले ग्राहक उनका अपना स्वार्थ सभालें । मैं क्यों उनके स्वार्थ को सभालने का जिम्मा लूँ ? Let the buyers beware हर एक अपने-अपने स्वार्थ को सभाल लेगा तो दुनिया मे आप-ही-आप धर्म की याने सबके स्वार्थ की रक्षा होगी ।’ यह हुआ स्वार्थ का व्यक्तिवाद ।

क्या पहले धार्मिक व्यक्तिवाद मे और दूसरे स्वार्थ के व्यक्तिवाद मे कोई विशेष फर्क है ? धार्मिक व्यक्तिवाद कहता है कि एक आदमी अगर अपने धर्म का शुद्ध और परिपूर्ण पालन करे तो औरो को धर्म का पालन करना ही पडेगा । वे उदाहण देते है कि चौरस फ्रेम (चौखटा) का एक कोना पकडकर अगर हमो उसे ठीक काटकोन बना दिया तो बाकी के कोन आप-ही-आप काट-कोन बन जायेगे ।

यह श्रद्धा ठीक है । जब तक चार ही कोने वाली फ्रेम का सवाल है, सिद्धान्त ठीक बैठता है । लेकिन अगर फ्रेम के कोने बढ गये तो एक कोन ठीक करने से बाकी के आप-ही-आप ठीक नही होते ।

इसमे कोई शक नही है कि मेरा अधिकार मेरे जीवन तक ही सीमित है । लेकिन मेरा कर्त्तव्य वहाँ पूरा नही होता । मैं अपने को तो जरूर सभालूँ

लेकिन दूसरे का भी मुझे सोचना चाहिये। उसके बिना मेरी धार्मिक साधना पूरी नहीं हो सकती। मैं अगर अपने धर्म का पालन नहीं करूँगा तो औरों के धर्म की सोचने की योग्यता और शक्ति मुझ में नहीं आएगी। इस सत्य को तो कोई इन्कार नहीं कर सकता। साथ-साथ यह भी कबूल करना होगा कि अगर मैं औरों की बात सोचने से इन्कार करूँ, औरों के हित-अहित के प्रति उदासीन बनूँ तो मैं अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन करने की शक्ति भी खो बैठूँगा। व्यक्ति अकेला धर्मपालन की साधना कर सकता है। किन्तु अकेले की धर्म-साधना चल नहीं सकती। सारे विश्व में परस्परावलम्बन है। मैं अकेला मांस न खाऊँ इस से प्राणी नहीं बचेंगे। अगर मासाहार का विरोध करना है तो मैं भी मांस न खाऊँ और औरों को भी मांस छोड़ने की प्रेरणा दूँ। ऐसा करने से ही माम-त्याग के आदर्श की व्यवहारिता और मर्यादा मेरे ध्यान में आयेगी। अगर मैं शस्त्र धारण करने से इन्कार करूँ, किसी से नहीं लड़ने का निश्चय कर बैठ जाऊँ तो मेरी और सब भी रक्षा का बोझ मैं औरों के सिर पर डाल दूँगा। इससे झगडा, युद्ध और हिंसा बन्द होने के नहीं। गांधीजी अगर अपनी ही बात मोचकर बैठ जाते तो सत्याग्रह का आविष्कार न होता। जो लोग स्वयं अपरिग्रही रहते हैं उनके कारण औरों को अपना परिग्रह बटाना पड़ता है। गृहस्थाश्रम के आदर्श में यह बात स्पष्ट की है कि गृहस्थाश्रम पर आचार रखने वाले माधु, सन्यासी, विरक्त, वानप्रस्थ, बीमार, वृद्ध, बालक, अतिथि-अभ्यागत इन सब के लिये भी गृहस्थ का कामना है। ये सब उसके आश्रित हैं। गृहस्थाश्रम का यह आदर्श मजूर रखत हुए भी कहना पड़ता है कि आश्रितों का जीवन धर्म-जीवन नहीं है। अगर अनर्थों का बाझ उठान का भार गृहस्थाश्रम पर लाद दिया तो हमने समाज-मत्तावाद का, सोणियालिज्म का, बीज बो ही दिया। सन्यासी क्या न हो उमे अगर अन्न खाना है तो उसका धर्म है कि कम-से-कम अपने पेट के जितनी खेती वह जरूर करे।

स्वावलम्बन जरूर सबसे श्रेष्ठ धर्म है। परावलम्बन शुद्ध अधम ही है। आवश्यक परस्परावलम्बन है सच्चा सामुदायिक धर्म।

अनेक देश, अनेक सम्प्रदाय, अनेक जाति और अनेक पेशों में विभक्त मानव-जीवन एक और अविभाज्य है। सब का मिल करके धर्म भी एक ही है अपने-अपने व्यक्तिगत धर्म यान कर्तव्य का यथाशक्ति पालन करने से ही सब का सोचने की और सब की सेवा करने की योग्यता प्राप्त होती है। सब के प्रति उदासीन होने से, सेवा-धर्म का इन्कार करने से, धर्म-हानि ही होती है। धार्मिक व्यक्तिवाद अध्या है, व्यर्थ है।

धर्म-भावना का सवाल

मैंने भगवान्, महावीर को आस्तिक-शिरोमणी कहा है। जब सनातनी पण्डित भारतीय दर्शन के बारे में लोचते हैं तब आस्तिक और नास्तिक ऐसे दर्शनो के दो भेद करते हैं। इस भेद में आस्तिक-नास्तिक का अर्थ कुछ अलग है। वेद का प्रमाण मानने वाले दर्शन आस्तिक, नहीं मानने वाले नास्तिक। (नास्तिको वेदनिन्दक।) इस हिसाब से निरीश्वरवादो साख्य आस्तिक है, क्योंकि वे वेद को प्रमाण मानते हैं। मैं जब भगवान् महावीर स्वामी को आस्तिक-शिरोमणि कहता हूँ तब आस्तिक शब्द का मेरा अर्थ कुछ अलग है। 'मनुष्य-हृदय पर जिसका विश्वास है, दुरात्मा भी किसी-न-किसी दिन सज्जन बनगा और महात्मा भी बनेगा ऐसा जिसका विश्वास है वह है आस्तिक। क्रूर से क्रूर आदमी भी किसी-न-किसी दिन दया-धर्म के असर के नीचे आयेगा और दया, करुणा, अनुकम्पा तथा अहिंसा का पालन करने लुये चाहे जितने कष्ट सहन करेगा अपना प्राण देकर भी दूसरे का प्राण बचाएगा, इतना जिसका मनुष्य हृदय की उन्नतिशीलता पर विश्वास है वह है आस्तिक। अन्यायकारी नृशम भी किसी-न-किसी दिन न्याय का तकाजा समझ जाएगा और कबूल करेगा और न्याय-पालन करने के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देगा, अपना सर्वस्व खोन के त्रिये तैयार होगा, ऐसा जिसका मनुष्य-हृदय पर विश्वास है वह आस्तिक है।'

ऐसे ही विश्वास के कारण महात्माजी सब लोगों के प्रति प्रेम, आदर, विश्वास और आशा से भरे आते थे। अगर किसी ने महात्माजी को दण्ड दफा धोखा दिया तो भी ग्यारहवीं दफा उन पर विश्वास रखने के लिए वे तैयार होते थे। उनका कहना था कि अगर ग्यारह दफा उस आदमी में सचची उपरति हुई और मदाचार के गम्भिर पर आने का उसने प्रारम्भ किया और मैंने मेरे विश्वास के कारण उसने प्रयत्न में मदद नहीं की तो फिर मेरी आस्तिकता कहाँ गई? अगर ग्यारहवीं दफा भी उस आदमी ने मुझे ठगा तो उसमें उसका नुकसान होगा। मेरा तो सचमुच कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सत्याग्रही को कभी हारना है ही नहीं।'

भगवान् बुद्ध और भगवान् महावीर के जमाने में हमारे देश के बहुत-से लोग मांस खाने थे। बड़े-बड़े ब्राह्मण भी मांस खाते थे। जनक जैसे थोड़े लोग मांस से निवृत्त हुए थे। वेद में गाय को 'अघ्न्या' कहा है। 'अघ्न्या' माने न मारने योग्य। तो भी पुराने जमाने में गोहत्या होती थी। सनातनियों ने इस बात से इनकार नहीं किया है। घर में आये हुए मेहमानों को मधुपर्क अर्पण करते पशु-हत्या करने का रिवाज था। राजा रन्तिदेव चर्मण्वती (चम्बल) नदी के किनारे बड़े-बड़े यज्ञ करते थे। तब इतने पशु मारे जाते थे कि नदी का पानी लाल रहता था और नदी के किनारे जानवरों के चमड़े सूखने के लिए इतने फैलाये जाते थे कि लोगों ने नदी का नाम ही 'चर्मण्वती' रखा।

नाहक का झगडा खडा न करने के हेतु मैंने ऊपर की बातें समय से लिखी हैं।

प्राचीन भारत में, और देशों के समान मनुष्य का मांस खाने वाले लोग भी कहीं-कहीं पाये जाते थे। मनुष्य-मांस के बिना जिसका चलता नहीं था ऐसे राजा का जिक्र भी पुराने ग्रंथों में पाया जाता है। मुसाफिरी करते जब किसी सौदागर की लडकी रास्ते में मर गयी और सौदागर के पास खाने का दूसरा कोई अन्न था नहीं तब उसने अपनी लडकी का मांस पका कर खाया ऐसे वर्णन भी उस जमाने के धर्म-ग्रन्थों में पाये जाते हैं।

ऐसे गिरे हुए जमाने में जिसके मन में अहिंसा-धर्म का उत्कट उदय हुआ और जिसने पशु-पक्षी तो क्या, कृमि-कीट की हिंसा को भी पाप समझा उसकी कारुणिकता लोकोत्तर थी। सर्वत्र जब मासाहार प्रचलित था, नर-मांस खाने के किस्से भी सुनाई देते थे, ऐसे जमाने में विश्वास और श्रद्धा के साथ आत्यंतिक अहिंसा का प्रचार करना और विश्वास करना कि 'ऐसे लोग भी तेजस्वी धर्मोपदेश के असर में आ सकेंगे और मासाहार छोड़ देंगे, प्राणी-हत्या से निवृत्त होंगे' यह सर्वोच्च आस्तिकता का लक्षण है।

किसी धर्म का हृदय में जब उदय होता है तब उसका आचरण धीमे-धीमे बढ़ता है। कालिज के दिनों में जब मैंने स्वदेशी का व्रत लिया तब शुरु में घर में परदेशी चीनी लाना बन्द कर दिया। लेकिन होटलों में जाकर जब चाय पीता था और मिष्टान्न खाता था तब वहाँ स्वदेशी चीनी का आग्रह नहीं

रखता था। आगे चलकर अपने और अपने मित्रों के घर में स्वदेशी चीनी का आग्रह रखने लगा। होटल में जाकर खाना छोड़ दिया। लेकिन मुसाफिरी में परदेशी चीनी के पदार्थ ले सकता था। जब स्वदेशी का आग्रह आगे जाकर बढ़ा तो स्वदेशी-परदेशी दोनों तरह की चीनी ही छोड़ दी। तब भी दवा के लिये स्वदेशी मिश्री लेने की छूट रखी थी।

बुद्ध भगवान् ने अपने भिक्षुओं से कहा था कि जानवरों को मत मारो। धर्म के नाम से यज्ञ में जो पशु मारे जाते थे उनका निषेध जैसा भगवान् नेमिनाथ ने किया था वैसे भगवान् बुद्ध भी करते थे। लेकिन उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा था कि मैं मास भोजन का निषेध नहीं करता हूँ। अगर खास तुम्हारे लिये कोई पशु मारता है तो वह मास तुम्हें नहीं खाना चाहिये। लेकिन अगर कहीं किसी के घर पर मास पक ही गया है और वह तुम्हें खिलाता है तो ऐसा मास खाने में हर्ज नहीं।

शायद बुद्ध-महावीर के दिनों में हर घर में मास पकता ही था। मासाहार न करने का नियम कोई भिक्षु करे तो उसे आसानी से भिक्षा नहीं मिलती और लोगों को भिक्षुओं के लिये खास अलग रसोई बनानी पड़ती। भिक्षुओं के अनेक नियमों में यह भी एक नियम होता है कि अपने आहार के लिये गृहपति को कम से कम तकलीफ दी जाय। जो चीज अनायास मिले उसी से अपना भोजन सम्पन्न करे।

भगवान् महावीर ने अपने समय के साधुओं के लिये कैसे नियम बनाये थे उसका स्पष्ट चित्र मिलना जरूरी है। लेकिन उस पर से हम आज अपने लिये नियम नहीं बना सकते।

जो मासाहारी थे उन्होंने मासाहार का धीरे-धीरे त्याग किया। उसमें भी कई नियम बनाये गये थे। कैसे पक्षी या जानवर का मास खा सकते हैं और कैसा मास नहीं खा सकते, इसके विस्तृत बर्णन मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में पाये जाते हैं। मनुष्य की प्रगति धीरे-धीरे और क्रमशः होती है। आज जैनियों ने बहुबीज कन्द और फल खाना भी छोड़ दिया है। जैन धर्म के इतिहास से हम देख सकते हैं कि हमारे लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँच गये हैं। कभी-कभी उत्साह में आकर लोग बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं और फिर अतिरेक से पछता कर सौम्य नियम बनाते हैं। चन्द साधु श्वासोच्छ्वास के द्वारा होने

वाली सूक्ष्म कीटों की हिंसा कम करने के लिये नाक के नीचे मुँहपत्ती बाँधते हैं। चन्द्र लोग नहीं बाँधते। स्वयं महावीर स्वामी मुँहपत्ती बाँधते थे या नहीं सो हम नहीं जानते। वस्त्रमात्र का त्याग करने के बाद मुँहपत्ती का तो शायद सवाग ही नहीं रहना।

तो क्या मुँहपत्ती न बाँधने वाले महावीर स्वामी अपने धर्माचरण में कच्चे या शिथिल गिने जायेंगे? जा साधु आज मुँहपत्ती बाँधते हैं उनकी अपेक्षा मुँहपत्ती न बाँधने वाले साधु कम या हीन समझे जायें? धर्म का विकास क्रमशः होता है। पुराने जमाने के अच्छे-से-अच्छे लोग का भी अनुसरण आज हम नहीं कर सकते।

वेदकाल में नियोग की प्रथा थी। वेदव्यास जी के दिनों तक वह प्रथा चालू थी। आज उसे हम निन्द्य समझते हैं। व्यास जी का उदाहरण सुनकर आज हम आज के लोगों के लिये नियोग का समर्थन नहीं करते और यह भी नहीं कहते कि व्यास जी के नियोग का अर्थ ही कुछ अलग था। रामायण में जिक्र आता है कि श्री राम चन्द्र जी मृगया करने थे और मांस खाने थे। मीना माता ने गंगा नदी का शराब के घड़ों से अभिषेक किया था। लेकिन ऐसी पुरानी बातें से हम आज उनका अनुकरण करने का भी तैयार होने और पुरानी बातें छिपाना भी नहीं चाहते।

एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूँ। मैं जन्म में निरामिष भोजी हूँ। न कभी मांस खाया है और न आडम्बर खाने की सम्भावना है। मैं आहार के लिए प्राणियों की हत्या करना पाप समझता हूँ। दिन से चहता हूँ कि मनुष्य जाति प्राणी हत्या छोड़ दे, मांसाहार भी छोड़ दे। लेकिन किसी को मांस छोड़ने की नसीहत देने कई बातें साचनी पड़नी हैं।

पुराने जमाने में लोग अपने व्यक्तिगत धर्म का या सामाजिक धर्म का जब विचार करते थे तब समस्त व्यापक दुनिया का ध्यान उनके सामने हमेशा नहीं रहता था। नैतिक आदर्श के आधार पर वे धर्म-निर्णय करते थे और वह योग्य भी था।

आज व्यवहार की दृष्टि से भी सोचना पड़ता है। गाँधीजी ने कहा भी है कि जो धर्म व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं सिद्ध होता वह शुद्ध

धर्म नहीं है। अब मासाहार-त्याग का आदर्श दुनिया के सामने रखते चन्द बातें सोचनी चाहिये। दुनिया की सुधरी हुयी सब सरकारें हर बात के आँकड़े इकट्ठा करती हैं और जागतिक सस्थायें उनका अध्ययन करती हैं। इसलिये अब सोचना होगा कि मनुष्य-जाति में खाने को माँगने वाले मुँह कितने हैं— यानी मनुष्य सख्या कितनी है? साथ-साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया में गेहूँ, चावल, शकर, फल आदि खाद्य पदार्थ कितने पैदा होते हैं? अगर धान्याहार, फलहार और शाकाहार से इतनी लोक-सख्या को हम जिन्दा नहीं रख सकते हैं तो अन्नाहार की मदद में अण्डे खाने की इजाजत दे सकते हैं? मनुष्य के जैसे सास लेने वाले पशु-पक्षियों को अभयदान देकर जलचर मछलियों को खाने की इजाजत दे सकते हैं?

ये दोनों सुझाव या पर्याय हमारे या हमारे जमाने के नहीं हैं। अहिंसा की और प्रगति करने की इच्छा रखने वाले लोगो ने ये बीच की मन्जि रें सोची है।

हमारे देश में गौ-रक्षा का आदर्श भी इसी वृत्ति से स्थापित हुआ है। पशुओं को मार कर खाये तो भी गाय जैसे जानवरों को तो नहीं मारना चाहिये, क्योंकि उनसे हम दूध मिनता है। और, हल चलाने में, गाड़ी या कोश खींचने में बैल की सेवा जरूरी है। इसलिये गाय-बैल को नीति-धर्म के अन्दर लाना चाहिये, यानि उन्हें अपने कुटुम्बी समझकर उनकी रक्षा और उनका पालन करना चाहिये। हिन्दू धर्म कहता है कि गौ-रक्षा धर्म अगर मनुष्य को जँच गया तो वहाँ में हृदय के बिकास का प्रारम्भ हुआ। फिर तो आदमी धीरे-धीरे सब प्राणियों के प्रति अहिंसावृत्ति बढ़ाता जायगा।

अब आहार का सवाल लेकर मनुष्य जाति को बताना होगा कि मासाहार के त्याग को कैसे सफल करे। इसके रास्ते दो हैं। या तो अन्नोत्पत्ति हम जोरो से बढ़ाये या मनुष्य की प्रजोत्पत्ति का कुछ नियन्त्रण करें, या दोनों उपाय एक साथ चलाये।

मासाहार त्याग का प्रचार करने वाले को इस रचनात्मक प्रवृत्ति से प्रारम्भ करना होगा और जब तक आहार और लोक-सख्या के सवाल को हल नहीं किया, मासाहार त्याग का आदर्श मनुष्य जाति के सामने अन्तिम आदर्श के रूप में रखते हुये भी मासाहागी लोगो के प्रति धैर्य के साथ सद्भाव रखना होगा।

मामाहार ताममी है, मासाहार से मनुष्य क्रूर होता है, ऐसी बातों का प्रचार करने के पहले इस दिशा में भी पूरा सशोधन करना चाहिये। केवल व्यक्तियों के जीवन में भी देखा जाय तो मासाहारी लोगों में न्यायनिष्ठ, दया-धर्मी, कारुणिक लोग भी पाये जाते हैं और इसमें उलटा क्रूर, कठोर, कपटी, अन्याई लोग भी पाये जाते हैं। धान्याहारी लोगों में भी वैसा ही है। मासाहारी-समाज और धान्याहारी-समाज की व्यापक तुलना करने पर भी ऐसा ही पाया जाता है। धान्याहारी लोग अधिक दयावान न्यायनिष्ठ, निस्वार्थी और विश्ववात्सल्य के उपासक हैं, ऐसा नहीं पाया गया। विषय सेवन के बारे में भी अनुभव ऐसा ही है। भर्तृहरि ने उदाहरण दिया ही है कि हाथी और वन-वराह का मास खानेवाला सिंह साल भर में किसी एक ही समय रति-मुख लेता है और कीड़े भी नहीं खाने वाला कबूतर हर हमेशा रति-मुख में ही फसा हुआ रहता है। हमें तो एक ही बात सोचनी है। प्राणी की हत्या करने में पाप है और प्राणियों को मारने का मनुष्य को अधिकार नहीं है। ये बातें दुनिया के सामने हम सौम्यता में रखते जायें और ऊपर बताये हुये दो सवालों का हल ढूँढते जायें।

राम वनवास में शिकार करते थे और सीता मास पकाकर उनको खिलाती थी, यह बात हम लोगों के सामने रोज-रोज रखने की कोशिश न करें। लेकिन अगर किसी ने रामायण के श्लोक उद्धृत करके यह बात हमारे सामने रखी तो हम उसके ऊपर चिढ़ भी न जायें। हम इतना ही कह सकते हैं कि हम रामचन्द्र जी में वचननिष्ठा प्रजानिष्ठा, पितृभक्ति आदि बातें सीख सकते हैं। हमारे आहार का धर्म उनके पास से हमने सीखने का नहीं सोचा है, अथवा, हम यह भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक राम अपूर्ण हो सकते हैं अथवा, उनके जमाने के आदर्श के अनुसार पूर्ण होने हुये भी आज के हमारे आदर्श के अनुसार अपूर्ण हैं। जिन की हम पूजा और उपासना करते हैं वे राम तो प्रत्यक्ष भगवान् हैं। उनकी जीवन-लीला तो एक रूपक ही है।

महात्मा गाँधी ने अपनी युवावस्था में मास खाया। उसका बयान उन्होंने स्वयं किया है। इस पर से उनका माहात्म्य कम नहीं होता और हम यह भी सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते कि उन्होंने जो खाया सो मास नहीं था किन्तु खुमी (भूछत्र) था। चन्द लोग मास और माष का साम्य लेकर कहते हैं 'जहाँ मामाहार की बात आती है वहाँ माष यानि उडद का अर्थ

लेना चाहिये । चन्द लोग यज्ञ करते हुये भी उसमे पशु-हत्या न करते हुये उडद के आटे का पिष्ट-पशु बनाते थे ।

प्राचीन काल के ऐतिहासिक [सबूतो के साथ हम ऐसी खीचा-तानी क्यों करे ? भगवान् बुद्ध ने बिगड़े हुए मांस का बनाया हुआ पदार्थ खाया होगा और उससे उनका देहान्त हुआ होगा । सचमुच शूकर मद्य क्या था ? इसकी खोज हम कर सकते हैं । लेकिन अगर यह सिद्ध हुआ कि भगवान् बुद्ध ने खाया था वह मास ही था तो हम समझ जायेंगे कि बुद्ध भगवान् ने आखिर तक मासाहार त्याग का निश्चय नहीं किया था । हम यह दलील करने नहीं बैठेंगे कि जब स्वयं बुद्ध भगवान् ने आखिर तक मास खाना नहीं छोड़ा था तो फिर हम क्यों छोडे ? जिसे छोडना है वह तो मासहार छोडेगा ही और जिसे नहीं छोडना है उसे अगर बुद्ध भगवान् का उदाहरण नहीं मिला तो और किसी का मिलेगा ।

किसी असती, कुलटा की बात है कि उसके रामायण-महाभारत सुनने के बाद किसी ने उससे पूछा कि इन पवित्र ग्रन्थों के पठने से तुम्हे क्या बोध मिला ? उसने तुरन्त कहा, 'द्वीपदी के पांच पति थे ।' सीता, सावित्री, मन्दोदरी, गान्धारी की बातें भी तो उन ग्रन्थों में थी !

ऐतिहासिक सशोधन के बारे में हमें नाजुक बदन, चिडचिडा या touchy नहीं बनना चाहिये । सत्य निर्णय के लिये वाद-विवाद चाहे जितना चले, उसमें धर्म-भावना की बात नहीं लानी चाहिये ।

'रिलिजियस लीडर्म' किताब के बारे में जो चर्चा चली और काण्ड हुआ, उस पर से हमें बोध लेना चाहिये । वह किताब मैंने पढ़ कर देखी, मारी पूरी नहीं, किन्तु इस्लाम के नबी के बारे में जो लिखा है, और गांधीजी के बारे में जो लिखा है उतना पढ़ गया । लिखने वाले की नीयत के बारे में मन में आदर पैदा नहीं हुआ ।

भगवान् श्रीकृष्ण के जमाने में उनके बारे में लोगो ने भला बुरा बहुत-कुछ कहा था । कृष्ण भक्तो ने कृष्णचरित्र लिखते वे सब बातें लिख रखी है । उस पर से हम इनना ही बोध लेते हैं कि दुर्जन तो क्या, अश्रद्धालु टीकाकार भी ऐसा ही सोचेंगे और ऐसा ही कहेंगे ।

जब जैन धर्मी लोग मानते हैं और कहते हैं कि 'श्रीकृष्ण फिलहाल नरक में हैं और आगे जाकर किसी समय उनका उद्धार होगा' तब हम उनसे झगडा नहीं करने बैठते। इतना ही नहीं हम उनको दुर्जन भी नहीं कहते।

भारतीय सस्कृति का यह लक्षण है, यह खूबी है कि सत्य की खोज में हम निष्ठुर रहते हैं और किसी की धारणा गलत रही तो उस पर चिढ़ते नहीं। अगर कोई सनातनी आन्दोलन उठाये कि जैन-ग्रन्थों में श्रीकृष्ण के बारे में जो कुछ लिखा है उसे हटाया जाय, तो मैं उनका विरोध करूँगा। हम एक सस्कारी राष्ट्र हैं। नाजुक बदन या चिडचिडे बनने का समय कब का चला गया। प्राचीन काल के साहित्य में तरह-तरह की बातें हाती हैं। उस जमाने का मानस समझने के लिये वे सब काम की हैं। उनकी ऐतिहासिक और तात्त्विक चर्चा चलने से किसी का नुकसान नहीं होता। सिर्फ सज्जनता की मर्यादा का भंग न हो।

अब गृही धर्मानन्द कोसम्बी की पुस्तक की बात। न उस ग्रन्थ का मैं लेखक हूँ, न प्रकाशक। इस ग्रन्थ में क्या-क्या है वह सब मैंने पढ़ा भी नहीं था। इस ग्रन्थ के प्रकाशन के बारे में मैंने साहित्य अकादमी को सूचना नहीं की थी। जब मुझ से पूछा गया तब मैंने जहर कहा कि धर्मानन्द उच्च कोटि के सशोधक हैं। बौद्ध धर्म के बारे में उनका ज्ञान प्रसाधारण गहरा है, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले उनके जैसे बौद्ध बहूत कम होंगे। जन्म से ब्राह्मण होने के कारण हिन्दू धर्म के बारे में टीका-टिप्पणी करने का उनका अधिकार विशेष है। इस टीका-टिप्पणी में कभी-कभी कटुता भी आ जाती है, जिसकी ओर पं. मुखलालजी ने इशारा भी किया है। उन्होंने गीता के बारे में और महात्मा गाँधी के बारे में भी जो-कुछ लिखा है उसके साथ सब कोई सहमत नहीं होंगे। लेकिन उनकी उस टीका-टिप्पणी में न कभी महात्माजी को बुरा लगा न हमसे से किसी को। उनके मन में महात्माजी के प्रति असाधारण श्रद्धा भक्ति थी। धर्मानन्दजी का जीवन साधु का जीवन था। मैं उनसे कहना था कि आप पार्श्वनाथ के शिष्य बन गये हैं। पार्श्वनाथ के चातुर्व्यास धर्म पर उन्होंने एक महत्व का ग्रन्थ लिखा है। उनके देहान्त के बाद मैंने प्रकाशित करवाया है। जैनियों से मेरी सिफारिश है कि खूब गौर से उसे पढ़ें और धर्म-जीवन का एक आधुनिक तरीका उससे समझ लें।

मासाहार के बारे में उन्होंने जब लिखा तब वे मेरी प्रार्थना से अहमदाबाद में रहकर गुजरात विश्वविद्यालय में काम करते थे और जैनियों के बीच ही रहते थे। उनके लेख से जब गुजरात में खलबली मची तब सत्य-शोधक धर्मानन्दजी ने एक निवेदन जाहिर किया और कहा कि बात सत्य-शोधन की है। इस में कटुता लाने का कारण नहीं है। आप लोग गुजरात के किसी हरसिधमाई दिवेडिया जैसे सर्वमान्य हाइकोर्ट जज को निर्णायक के तौर पर नियुक्त कीजिये। मेरी बात मैं उनके सामने रखूंगा, आप लोग अपनी बात रखिये। निर्णय अगर मेरे विरुद्ध हुआ तो मैं मेरा लिखा हुआ वापस खींच लूंगा और सब से क्षमा मांगूंगा। निर्णय आपके विरुद्ध हुआ तो आपके मेरी क्षमा माँगने की जरूरत नहीं है। चर्चा खत्म कर दे तो काफी होगा।

किसी ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और चर्चा शान्त हुई।

इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के अध्यापक गोपालदास ने भी इसी विषय पर लिखा था। तब भी काफी चर्चा हुई और फिर से लोग शान्त हुये।

मेरे मित्र श्री लाड ने धर्मानन्दजी के पास बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। धर्मानन्दजी के समग्र ग्रन्थ प्रकाशित करने की इजाजत जब ताड़ साहब ने उनसे माँगी तब उन्होंने कहा, 'मैं खुशी से इजाजत दूंगा, इस शर्त पर कि जो कुछ मैंने लिखा है वह वैसा का-वैसा ही छपा जाय। उसमें एक शब्द का तो क्या, स्वल्पविराम का भी फर्क न हो।'

ग्रन्थकार को ऐसा वचन देने के बाद और खास करके उनके देहान्त के बाद उनके ग्रन्थों में से कुछ निकालना योग्य नहीं होगा। भगवान् बुद्ध के चरित्र के बारे में जो कुछ मौलिक ममाला मिलता है उसे छानकर और आज तक जितना सशोधन हुआ है उसका पूरा अध्ययन करके धर्मानन्दजी ने एक प्रमाणभूत ग्रन्थ लिखा है। भारतीय सशोधन का वह उत्कृष्ट नमूना गिना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के अध्ययन के लिये ये दो ग्रन्थ — 'पार्श्व-नाथ का चातुर्याम धर्म' और 'बुद्धचरित्र' हर एक को विवेचक बुद्धि से पढ़ने चाहिये।

सिद्धार्थ गौतम ने गृह-त्याग क्यो किया, इसके बारे मे गवेषणा करते जो कल्पना धर्मानन्दजी को जच गई उसे समझाने के लिये उन्होने 'बोधिसत्त्व' नामक एक नाटक लिखा है। वह भी पढने लायक है, क्योकि उसमे शाक्य मुनि के समय की राजनीतिक परिस्थिति का चित्र हमे मिलता है और गृहत्याग के पीछे रहे हुये राजनीतिक हेतु के बारे मे भी सोचने को मिलता है।

24-12-56

•

महामानव का साक्षात्कार

पर्युषण-पर्व व्याख्यान-माला के साथ मेरा सम्बन्ध माला के प्रारम्भ से ही रहा है। अहमदाबाद, बम्बई, कनकता, इन्दौर, आकोला आदि में मैंने पर्युषण पर्व के अवसर पर व्याख्यान दिये हैं। और बम्बई की व्याख्यान-माला में तो मैं आम तौर पर हर साल हाजिर रहा ही हूँ। उसमें अगर विघ्न आया है तो स्वराज-ग्रान्दोलन के फलस्वरूप जेल-यात्रा से ही।

पर्युषण-पर्व व्याख्यान-माला शुरू हुई और जब लोकप्रिय हुई, उस वकन एक सनातनी जैन भाई ने कुठकर मुझे लिखा था “पर्युषण पर्व में जिस तरह की रूढ़ि हमारे जात-भाइयो में चली आई है उसे तोड़ने का काम श्री परमानन्द भाई जैसे लोग करते हैं। आप जैनेतर हैं। अतः आप जैमो को उसमें क्यों हिस्सा लेना चाहिये ? इस व्याख्यान-माला में बड़े-बड़े लोग आकर व्याख्यान देते हैं। फिर रूढ़िगत कार्यक्रम का भाव कौन पूछे ? आपको चाहिये कि आप इस पर्युषण व्याख्यान-माला में हिस्सा न लें।”

उस भाई के शब्द बहुत ही सौम्य भाषा में मैंने यहाँ दिये हैं। इस व्याख्यान-माला को यह एक उत्तम सर्टिफिकेट मिला है, ऐसा उस वकन मैंने माना था। लेकिन साथ-साथ यह विचार भी किया था कि उस भाई की रूढ़िचम्त आत्मा की भावना को मभालने के लिये इस व्याख्यान-माला के साथ का अपना सम्बन्ध मैं क्यों न तोड़ दूँ ? फिर मुझे खयाल आया कि इस माला में व्याख्यान करने के लिये जिन भाइयो को बुलाया जाता है, वह जैन हो या जैनेतर, उन सब में जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों के प्रति सच्चा हार्दिक आदर रहता है। जैन धर्म के स्याद्वाद और सप्तभगी न्याय का प्रत्यक्ष और जीवन्त उदाहरण इस व्याख्यान-माला में मिलता है। सर्व-धर्म समन्वय, धार्मिकता के प्रति उच्च भावना, धर्म के आधारे पर समाज-सुधार का विन्नन और सामाजिक सम्बन्धों में विशाल हृदय की आत्मियता की भावना, इस माला के यह सब गुण देखकर मुझे लगा कि रूढ़िवादी एतराजों के वश होना आवश्यक नहीं है। यथासमय रूढ़िवादी जैन भी इस प्रवृत्ति को अपना लेंगे।

इतने साल का इस माला का कार्य देखते और उसका सिंहावलोकन करते हुये, इस माला के प्रति आदर पैदा होता है। माला की लोकप्रियता से हर्षोन्मत्त होकर इस प्रवृत्ति पर असह्य नये बोझ लादने की भूल प्रवर्तको ने नहीं की, यह अभिनन्दनीय है। प्रवर्तका की यह प्रौढता इस माला को पोषक सिद्ध हुई है। माला ने बम्बई के सस्कारी गुजरातिय, मे—केवल जैनो मे ही नहीं बल्कि इतर लोगो मे भी—जो विचार की उदारता कायम की है वह काई मामूली कार्य नहीं है। आज हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, मुधारक, उद्धारक सब तरह के लोग इस माला मे भाग लेते है। और, श्रोना-लाग विवेक और आदर पूर्वक उनकी बाते सुनते है और अपनाते है।

भगवान् महावीर का जीवन-चरित्र, अहिंसा और उनका तपस्या प्रधान उपदेश, जैन धर्म के सिद्धान्त की खूबियाँ और बारीकियाँ इत्यादि विषय तो हममे होने ही है। इसके अलावा धर्म के विनिमय के तमाम साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य शास्त्रीय क्षेत्र भी यहाँ खोले जाते है और विकसित किये जाते है।

मैने खुद यहाँ किन-किन विषयो पर व्याख्यान दिये उसका मुझे स्मरण नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक-जागृति और सांस्कृतिक समन्वय के अनेक पहलुअ. मे मे जिस साल जो पहनू मुझे महत्त्व का लगा उस साल उस पहनू के बार मे बोलने का मैने रिवाज रखा। इस साल मेरी दृष्टि के अनुसार महामानव के साक्षात्कार पर यहाँ कुछ विचार पेश करना चाहता हूँ।

मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा ने जाँच-पडताल और अध्ययन के लिये असंख्य विषय खोजे है। आममान के सितारो से लेकर पृथ्वी के गर्भ की ज्ञात अज्ञात धातुओ तक कोई भी चीज मनुष्य ने अपने जिज्ञासा क्षेत्र से बाहर नहीं रखी। पदार्थ-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, जीवविद्या गणित और फलज्यातिष, इत्यादि शास्त्रो मे मनुष्य ने कई विभागो पर चिन्तन किया है। लेकिन मनुष्य के रस और उसके जीवन की कृतार्थता को देखते हुये यह मालूम होता है कि जाँच-पडताल और अध्ययन की दृष्टि से मनुष्य के लिये मनुष्य खुद ही सब से महत्त्व का विषय है।

‘आत्मान विजानीयात्’ इस ऋषि-वचन का जितना चाहे उनना विस्तृत अर्थ कर सकते है। अगनी ज्ञात को पहचानने के लिये मनुष्य ने हर

एक समाज के इतिहास लिख रखे, और राष्ट्रीयता या मानवता तक उनकी चर्चा की। अपने आपको पहचानने के लिये उसने अपने शरीर की जाँच की और शरीररचना-शास्त्र, आरोग्य-शास्त्र, आहार-शास्त्र वैद्यक इत्यादि शास्त्र रचे। उसके बाद उसको लगा कि अब हमें अपने मन को पहचानना चाहिये। सृष्टि की तमाम अद्भुत चीजों में अगर कोई सब से अद्भुत तत्त्व है तो वह मनुष्य का मन है। मनुष्य जैसा शोधक कारीगर मन का पीछा करे तो उसमें से क्या-क्या ढूँढ़ नहीं निकालेगा ? योगविद्या और प्रयोगविद्या का विकास करके उसने मन की गहराई जाँची। (उसकी शक्तियाँ खोज निकाली, उसकी विकृतियों के इलाज ढूँढ़े) और आखिर जिन्दा रहते हुये भी अपने मन को मार कर उसके स्थान पर आत्मा और आत्मशक्ति को स्थापित करने की राज-विद्या का भी उसने विकास किया।

मनुष्य ने देखा कि अपने मन का वास शरीर में होने पर भी उसका व्यक्तित्व उसमें नहीं समाना। 'सारा मानव-समाज ही मानव-जाति के लिए प्राथमिक इकाई (Unit) है। इसलिये उसने मानस-शास्त्र को सामाजिक रूप दिया, सपत्ति-शास्त्र विकसित किया, समाजशास्त्र जैसे एक नये ही शास्त्र का निर्माण किया। इतिहास में जो न मिल सका सो नृवश शास्त्र (anthropology) के जरिये जान लिया और आखिर अब मनुष्य सामाजिक-अध्यात्म तक पहुँचा है।

इस सामाजिक-अध्यात्म में से नयी तरह का योग शास्त्र निर्माण होता है, विश्वात्मैक्य का नया दर्शन तैयार होता है, विश्व सगीत और विराट कला कायम होती है, इतना ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसमें से नई राजनीति का भी जन्म हो रहा है। इसके बारे में थोड़े प्राथमिक विचार यहाँ प्रकट करना चाहता हूँ।

मनुष्य ने अपनी जीवितानुभूति के विकास के मुताबिक पहले गोत्रों की (clans and tribes) की कल्पना की। बाद में राष्ट्र और साम्राज्य कायम किये। विशाल समाज की शास्त्रीय रचना करने के लिये उसने वर्ण-व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की कल्पना की। इतना ही नहीं बल्कि उनका अमल भी कर देखा। हुनर उद्योग-धन्धों का विकास करते-करते उसने ट्रेड गिल्ड्स (trade-guilds) आजमाये और फिलहाल राष्ट्रसभों की स्थापना करके मानवता का साक्षात्कार करने के लिये वह प्रयत्नशील है।

शक्ति का उपासक होकर मनुष्य ने मानवता का साक्षात्कार करने के लिये राजनीति का आश्रय लिया और अनेक धर्म जो न कर सके वह सगठन-शक्ति के बल पर सिद्ध करने का बीडा उठाया। मनुष्य के यह प्रयोग अभी-अभी शुरू हुए हैं और उनकी आजमाइश चालू ही है।

लेकिन यह प्रयोग ज्यो-ज्यो जटिल होते जाते हैं त्यो-त्यो मनुष्य देखने लगा है कि इन प्रयोगो मे मतलब की कोई महत्व की चीज ही रह जाती है। शारीरिक और बौद्धिक-शक्ति, सगठन-शक्ति, तालीम और प्रचार के जरिये खिलती विचार-शक्ति—इन शक्तियों का नये-नये और अद्भुत ढंग से इस्तेमाल करने पर भी मनुष्य अपने ध्येय की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। यह देखकर अब वह अन्तर्मुख होने लगा है। शक्ति की उपेक्षा करके सदाचार का जीवित प्रचार करने का काम सतों ने प्राचीन काल से किया है। उसका गहरा असर हुआ है लेकिन वह (असर) व्यापक नहीं है। यह देख कर और यह महसूस करके कि इस मार्ग में अपनी जाति के ऊपर ही सब से ज्यादा अकुश रखना पड़ता है, उस के प्रति मानव-जाति कुछ अश्रद्धालु और कुछ उदासीन बनी और उसने सैन्य-शक्ति, कानून की बागडोर, आर्थिक-सगठन और तालिम के प्रचार द्वारा ध्येय प्राप्त का मनसूबा किया। लेकिन इसमें वह सफल रहेगी ऐसा विश्वास उसको नहीं हुआ।

पुरानी परिभाषा में कहे तो सतों के विकसित किये हुये कल्याण मार्ग—शिव मार्ग पर मनुष्य को श्रद्धा होते हुये भी वह उस मार्ग को व्यापक न कर सका, और सेनापतियों ने तथा राज्यकर्ताओं ने यह अनुभव किया कि उनका अत्यन्त आग्रह और विश्वासपूर्वक बताया हुआ शक्तिमार्ग सफल सिद्ध नहीं होता। अतः अब मनुष्य जाति ने शक्ति-तत्त्व को शिव-तत्त्व के अधीन किया। शिव-शक्ति के समन्वय के द्वारा वह अपनी उन्नति करने की बात सोच रही है।

इस तरह के प्रयोग पुराने समय से हो रहे हैं। फिर भी अभी-अभी मनुष्य-जाति उस मार्ग पर अधिक ध्यान देने लगी है। लेकिन यहाँ भी फिर पुराना अनुभव होता है कि शक्ति की पार्थिव अथवा पाशविक शक्ति से शिव तत्त्व का सामर्थ्य बढ़ने के बजाय घटता है और वह अप्रतिष्ठित होता है। अतः पार्थिव और पाशविक शक्ति का पूरा बहिष्कार करके शिवतत्त्व में ही जो

अपनी आन्तरिक शक्ति निहित है उस पर ही अनन्य आश्रय रखना चाहिये । और, उसके आश्रय पर ही मनुष्य की सिर्फ व्यक्ति की ही नहीं बल्कि समस्त मानव-समाज की उन्नति होने वाली है, ऐसी श्रद्धा रखकर उस शिव-शक्ति का अनुभव करना चाहिये । गाँधीजी ने उस शिव-शक्ति का नाम सत्याग्रह रखा है । उन्हें ने कहा कि सत्य अपनी आन्तरिक शक्ति से ही बलवान है । बाह्य शक्ति द्वारा उसकी (सत्य की) मदद करने से वह अपमानित और कमजोर होता है । (Truth is humiliated and weakened when backed by mere physical and brute force) ।

जिमको इस महान् सिद्धान्त का अनुभव हुआ है उसे ही महामानव का साक्षात्कार होगा । जब तक मानव-जाति का हृदय सकुचित था, उसका अनुभव भी एकदेशीय था, तब तक मनुष्य को महामानव का साक्षात्कार नहीं हुआ । यूनान के लोगो ने अपने आपको ही सस्कारी, पूर्णमानव मानकर अन्य लोगो को जगली (Barbarians) कहा और यह सिद्धान्त जारी किया कि कुदरत ने ही उनको गुलाम होने के लिये पैदा किया है । (आज भी चन्द मानव जातियाँ मानती है कि आत्मा तो मनुष्य को ही हो सकती है । पशु-पक्षी आदि जलचर, खेचर तमाम मनुष्यतर प्राणियो को आत्मा है ही नहीं । अतः ग्रीक लोगो के प्रति हँसने की जरूरत नहीं है ।) आर्य लोगो ने भी अपने आपको श्रेष्ठ मानकर अनार्यों को हीन समझा । यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी ने भी माना कि जो न्याय आर्यों के लिए लागू था वह शूर्पणखा, बालिके शबूक जैसे के लिये लागू नहीं हो सकता । आज गोरे लोग भी मानते है कि सभ्यता का विरसा हमारा ही है, रगीन प्रजा पिछडी हुई है उसके लिये स्वराज्य या स्वातन्त्र्य नहीं है । हालांकि वह मोह और मद अब ठीक-ठीक उतरा है, कम हुआ है ।

अपने यहाँ तो हमने चार वर्ण और असंख्य जातियो की सीढी बनाकर मानवता को करीब-करीब मिटा दिया । यहाँ तक कि न्याय-मन्दिर मे भी सब के लिये एक सरीखा न्याय नहीं । एक ही गुनाह के लिये ब्राह्मण को अलग सजा, क्षत्रिय और वैश्य के लिये अलग सजा, शूद्रो के लिये भयानक सजायें रखी और चण्डालो को सजा करते-करते हम खुद ही अन्याय करने लगे ।

अब हम उस पुरातन पाप मे से मुक्त होना चाहते है । अब हम मानव मात्र की समानता कबूल करने लगे है । हाँ, पुरानी रूढि अब तक मिटाई नहीं

जा सकती है और हमारे देश के अधिकांश लोग समानता की नई कल्पना से अब भी अकुलाते हैं ।

हमें इस नई समानता का स्वरूप स्पष्ट समझ लेना चाहिये । सदाचारी और दुराचारी, देशभक्त और देशद्रोही, पुण्यात्मा और आतताई, धनवान और दरिद्र, ज्ञानी और अज्ञानी, अपना और पराया सभी अपने ही भाई-बन्धु हैं । मुझे यह समझना चाहिये कि मेरे पूर्वजों के पुण्य-प्रताप से जिस तरह मैं मगरूर होता हूँ और अपनी भूलों से शर्माता हूँ, उसी तरह तमाम मानव जाति के सभस्त व्यक्तियों के चरित्र में अथवा उसके अभाव में मेरा हिस्सा है, काफी हिस्सा है । भोली, दबी हुई और पिछड़ी हुई जातियों के दोषों के लिये उनको सजा मिले उसके बजाय मुझ ज्यादा सजा मिलनी चाहिये, क्योंकि वे अपने दोषों के बारे में जागृत नहीं हैं, और, मैं इन दोषों के बारे में जागृत होने पर भी मैंने उनके हाथों ये दोष होने दिये और आइन्दा भी मुझे इन दोषों का भान रहने वाला है, अतः मुझे उनके हाथ से होते रहते इन दोषों को यका-यक जबरदस्ती रोकना नहीं है, लेकिन बन्धु-भाव से उनकी सेवा करके उनमें यह भाव जागृत करना है ।

एक ही मिसाल लें । मुझे इस बात का भान हुआ कि पशु-पक्षी या मछलियों को मार कर खाना पाप है और मैंने वह आहार छोड़ दिया । इतना करने से मैं अपने आपको निष्पाप नहीं मानूँगा । मेरे कुनबे वाले अगर मासाहार करते हैं तो जिस तरह मुझे महसूस होता है कि इसमें मेरा भी थोड़ा दोष है, उसी तरह अधिकांश मानव-जाति मासाहार करती है तो मुझे समझना चाहिये कि इस पाप में मैं भी शामिल हूँ ।

यह समझने के साथ अगर मैं मासाहारियों से नफरत करूँ या कानून के जरिये उनको मासाहार करते रोकूँ तो वह मेरे लिये ठीक न होगा । इस बात को स्वीकार करके कि मानव-जाति इतनी आगे नहीं बढ़ी है, मुझे चाहिये कि मैं धीरज रखूँ । मासाहारी लोगों से द्वेष या उनसे तिरस्कार तो मैं कभी न करूँ, उनको पापी भी न समझूँ, उनसे दूर भी न रहूँ । लेकिन उनके प्रसंग में आकर प्रेम और सेवा के जरिये उनको अपनाऊँ और विश्वास रखूँ कि इतनी अनुकूलता के बाद आहिस्ता-आहिस्ता वे मासाहार-त्याग के सिद्धान्त को जरूर समझ जायेंगे । हमारे पूर्वजों ने इस धीरज को श्रद्धा नाम दिया है । और, श्रद्धा ही धार्मिकता की मुख्य निशानी है । मासाहार का पूरा-पूरा त्याग

करने पर भी मासाहारी लोगो को अपनाने में मुझे थोडा भी सकोच न होना चाहिये ।

अपनी दुकान में काम करते जैन कारकुनो को और जैन चपरासियो को जैन मालिक जिस तरह जाति की दृष्टि से अपना भाई मानता है और कोई भेद नहीं मानता, उसी तरह अपने घर में नौकरो करने वाले तमाम नौकरो के लिये मनुष्य के रूप में हमारे मन में आत्मीयता होनी चाहिये ।

भारत के वासिदो के बारे में विचार करते वक्त और उनके नागरिकत्व को स्वीकारते वक्त वह हिन्दू है या मुसलमान, पारसी है या क्रिश्चन, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहने है या हिन्दुस्तान में, ऐसा भेद मन में नहीं आना चाहिये । अपने देश में वास करने वाले सब मेरे देश-बन्धु है, इस बात को स्वीकारने में मन में कोई भी अन्तराय न होना चाहिये और जब हमारे हृदय में महामानव का साक्षात्कार होगा तब हमारे मन में जो इज्जत सरदार वल्लभभाई पटेल के लिये है वही इज्जत विन्स्टन चर्चिल के लिये भी रहेगी । भारत अगर पुण्य-भूमि है तो इजिप्ट, इटली, जर्मनी और इंग्लैण्ड भी हमारे लिये पुण्यभूमि ही है । हरेक भूमि पर किसी-न-किसी मानव-महात्मा ने पुण्य-कार्य किये ही है । अगर गंगा नदी पवित्र है तो नील या कोगो, व्हाईन या व्होलगा, मीसुरी-मीसीसीपी और हो-हाग-हो, ऐरावती और सीतावाका, सभी नदियाँ पवित्र है । क्योंकि इन सब नदियों ने माता होकर मानव-जाति का पोषण किया है । किसी भी देश में किसी भी आदमी के प्रति अन्याय होता हो तो वह मेरे भाई के प्रति ही होता है, ऐसी भावना मेरे मन में पैदा होनी चाहिये । मेरे भाइयो में से अगर कोई मेरे पास खडा है और उसको कोई मारता हो तो मैं बीच में पडूँगा, मेरा और एक भाई कलकत्ता या श्रीनगर में है और उसे कोई मारता हो तो वहाँ उसे बचाने के लिये तुरन्त जाहे जा न सकूँ लेकिन यथासम्भव इलाज किये वगैर न रहूँ और कुछ भी न कर सकूँ तो कम-से-कम यह हरगिज न कहूँ कि वह मेरा भाई नहीं है । दुनिया के तमाम लोगो के प्रति मेरी ऐसी ही भावना होनी चाहिये ।

मेरा दान का प्रवाह अपने कुनबे के प्रति या अपने जाति-भाइयो के प्रति ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी मानवो के प्रति बहना चाहिये और उस

प्रकाह मे दूर तक बहने की शक्ति हो तो जहाँ तक वह पहुँचे वहाँ तक बगैर किसी पक्षपात के तमाम मानवों को अपनाना चाहिये ।

और, जहाँ पक्षपात करना पड़े वहाँ अपने को प्रथम याद करने के बजाय जिनके प्रति मेरे या मेरे लोगों के हाथों अन्याय हुआ हो, जो ज्यादा असहाय हो, दबे हुये या निराश हो, उनके प्रति दान का पक्षपात होना चाहिये ।

इस तरह की भावना जब उत्पन्न होगी, स्वीकृत होगी और सहज होगी तभी अहिंसा धर्म का सस्थापन कायम होगा । तभी मानव-जाति के बीच चलता सघर्ष और विग्रह शान्त होगा । उच्च-नीच भाव गायब होगा, प्रेम की भावना बढ़ेगी और फैलेगी । और, विराट मानव के साथ मानवों के हृदय में बसने वाले भगवान् का साक्षात्कार होगा ।

•

उपसंहार

क्या जैन समाज धर्म तेज दिखायेगा ?

क्या जैन समाज धर्मतेज दिखायेगा ?

जैन लोगो से मेरा सम्बन्ध इतना पुराना है और उन्होने मुझे इस प्रकार अपनाया है कि यहाँ आते मुझे पराया जैसा लगता ही नहीं ।

मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ । परन्तु ब्राह्मण का आदर्श मुझे हमारी स्मृतिय मे से मिला उससे कही अधिक बौद्ध और जैन ग्रन्थो मे सच्चे ब्राह्मण की जो व्याख्या दी है उसमे से मिला है ।

‘ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ’ यह तो बहुत बडा आदर्श हुआ । सनातनी कहते है जिसके माँ-बाप ब्राह्मण है वह ब्राह्मण है । सनातनिय को अपना हिंदू धर्म वश-परम्परा से मिला है ।

अब दुनिया मे जो बड़े-बड़े धर्म हैं उनके मुख्य दो विभाग होते हैं ।

(1) वश-परम्परा का । ऐसे धर्म गुण-कर्म का अनुशीलन करते है सही, परन्तु अपने धर्म-समाज मे किसी और को दाखिल होने के लिये निमन्त्रण नहीं देते । और, यदि कोई दाखिल होना चाहे तो उसका शायद ही स्वीकार होता है । मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के मुख्य धर्म तीन है—(1) हमारा सनातन हिन्दू धर्म, (2) पारमिया का जरथुस्त्री धर्म और (3) यहूदी धर्म । सब यहूदी एक ही वश के होते है क्या, इस बारे मे मेरे पास सही जानकारी नहीं है । परन्तु मैं मानता हूँ कि यहूदी धर्म वश-परम्परा-प्राप्त ही होता है ।

(अभी-अभी एक पुरुषार्थी मौराष्ट्री गुजराती ने पजाब जाकर आर्य-समाज की स्थापना की और उसने सनातनी हिन्दू धर्म का रूप बदलने का प्रयत्न किया । आर्यसमाज मे किसी भी देश का, किसी भी वश का मनुष्य दाखिल हो सकता है, मात्र अमुक शर्तों का स्वीकार करना काफी होगा ।)

(2) धर्मों का दूसरा विभाग है—प्रचार-परायण धर्म । अमुक सिद्धांतो का स्वीकार कीजिये, अमुक जीवन-क्रम पसन्द कीजिये और अमुक धर्म-संस्थापक को मान्य रखिये, अमुक ग्रन्थो के प्रामाण्य का स्वीकार कीजिये, तब आप उस धर्म मे प्रवेग कर सकते है । फिर तो आपका वश, आपका देश या

आपकी संस्कृति उसमें आड़े नहीं आयेगे। ऐसे धर्म दुनिया के सब लोगो का स्वागत करते हैं, सबको निमन्त्रण देते हैं। ऐसे धर्मों में मुख्य तीन हैं— (1) बौद्ध धर्म (2) ईसाई धर्म और (3) इस्लाम।

बौद्ध धर्म वास्तव में हिन्दू धर्म में सुधार करने को प्रवृत्त हुआ था। परन्तु उम धर्म में वश-निष्ठा नहीं किन्तु विशिष्ट प्रकार की जीवन-निष्ठा सर्वोपरि हुई। प्रथम वह धर्म भारत में सब जगह फैला। हिन्दू धर्म के कर्म-काण्ड में और ऊँच-नीच भाव से ऊबे हुए लोगो को बौद्ध-विचार से नई प्रेरणा मिली। पुराने धर्म के अभिमानी और ठेकेदार लोगो ने बौद्ध धर्म का जबरदस्त विरोध किया, इसके इतिहास में यहाँ नहीं उतरूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि इस बौद्ध धर्म का हिन्दुस्तान के बाहर सतत स्वागत हुआ है। बौद्ध-प्रचारक पैदल हिमालय लाध कर तिब्बत, चीन, मंगालिया आदि देशो में पहुँचे। जिस धर्म में, जिग उपदेश से और जिम जीवन-दृष्टि में अपना कल्याण हुआ वह समस्त मानव-जाति को अगर हम न दे तो स्वार्थी कहलायेगे। जीवन का रहस्य और जीवन के उद्धार का मार्ग यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इनका प्रचार यदि न कर्गे तो 'वह मानवता का और सच्चे ज्ञान का द्रोह ही होगा' इस भावना से बौद्ध प्रचारक एशिया में सर्वत्र फैल गये। एक ओर लका, दूसरी-ओर ब्रह्मदेश और उत्तर में तिब्बत से जापान तक का मारा एशिया खण्ड, सारे को वे बौद्ध धर्म के प्रभाव में लाये और अज्ञान में सडने वाले लोगो को उन्हें ने रत्नत्रयी की भेट की।

यही प्रभाव आप एक ईश्वर भक्त यहूदी के पुरुपाथ में देखेगे। जैसे एक हिन्दू गौतम बुद्ध ने कल्याण मार्ग का प्रचार किया उसी प्रकार ईसा ने यहूदिया को अपना धर्म परिपूर्ण करने की आवश्यकता समझाई। और, ईसा के शिष्यो ने धर्मवीर को शोभा दे इस प्रकार बहादुरी से ईसाई सघ की स्थापना की। उनका वह उत्साह लगभग दो हजार वर्ष हुए, अभी कम नहीं हुआ है। वे यूरोप में फैल, अमेरिका को अपना बनाया, एशिया और अफ्रिका में उनके प्रयत्न अखण्ड चालू ही हैं।

मानवी प्रयत्नो में गुण-दोष साथ-साथ आयेगे ही। पवित्र हेतु में भी अपवित्रता दाखिल हो जायेगी। कल्याण की प्रेरणा में किये हुए कुछ कामो में अकल्याण के फल भी बटोरने होंगे। परन्तु हमें कुल विचार कर मनुष्य-जाति आगे बढी है या नहीं, ऊर्ध्वगामी हुई है या अधोगामी, यही देखना है।

प्रचार-परायण तीसरा धर्म इस्नाम है। हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब ने अरबस्तान की हालत देखी। उसका बहुत चिन्नन किया। उन्हें ईश्वरी प्रेरणा हुई। उन्हें शिष्य भी अच्छे मिले। और, उस धर्म का प्रचार पूर्व और पश्चिम दानो तरफ हुआ।

यूरोप में स्पेन तक उस धर्म का असर पहुँचा था। तुर्किस्तान, ईरान, मध्य एशिया वगैरा प्रदेशों में वह धर्म फैला। प्रवास-क्रम से वह भारत में भी आया। यहाँ हिन्दू धर्म से उसका सघर्ष हुआ। हम यह न मान बैठें कि उस धर्म ने पठान और मुगल राजसत्ता के जोरो यहाँ अपना पैर जमाया। हिन्दू संस्कृति में पिछड़े लोग की अत्यन्त उपेक्षा थी। पवित्रता के अपने आदर्श जिसे मान्य न हो उसके बारे में हिन्दू लोग नफरत की भावना रखते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं और उसे तिरस्कृत दशा में रखते हैं। यह अधार्मिक वृत्ति तो है ही लेकिन उसमें भी अमह्य बात यह है कि कोई मनुष्य अपने चारित्र्य में और जीवन-क्रम में ऊँचा उठना चाहता हो तो जात-पाँत में मानने वाले हिन्दू अग्रगण्य हीन मानी जाने वाली जाति को ऊँचा उठाने नहीं देते। हिन्दू के मन में हीनता भी स्वधर्म होने से रक्षणपात्र थी। इस घोर अन्याय के विरुद्ध सन्तो ने बार-बार आवाज उठाई, परन्तु अन्याय का जबरदस्त प्रतिकार न किया। इसलिये यदि अपना उद्धार चाहते हैं तो धर्मान्तर करना ही होगा, ऐसी परिस्थिति हमने देश में दाखिल की।

सारी मानव-जाति को अपने धर्म का लाभ पहुँचाने के प्रयत्न में एक बड़ा दोष घुस गया और वह है सघ बढाने की लालसा। मुसलमान और ईसाई लोग, के बीच सघर्ष चला, उन्हें ने अनेक युद्ध किये जिन्हे Wars between the Cross and the Crescent के तौर पर पहचाना जाता है।

ऐसा है दुनिया के धर्मों का इतिहास। इसमें जैन धर्म कहीं बैठता है, इसका उत्कट चिन्नन होना जरूरी है।

भगवान् महावीर का जैन धर्म वशनिष्ठ नहीं है। विशिष्ट जीवन-दृष्टि और जीवनक्रम मानव-जाति के लिये अत्यन्त कल्याणकारी है ऐसा देख कर उन्होंने प्रचार शुरू किया। ऐसे सुधार-धर्म में जात-पाँत का भेद और उच्च-नीच का पाखण्ड हो ही नहीं सकता।

क्या कोई कह सकता है कि ज्ञान तो अमुक मनुष्य को ही मिल सकता है, दूसरे लोगो को अज्ञानी ही रहना चाहिये, अमुक लोग अहिंसा धर्म का स्वीकार कर कैवल्य प्राप्त करे वह काफी है, बाकी की दुनिया हिंसा का स्वीकार कर एक-दूसरे का नाश करे तो हमे हर्ज नहीं ?

जैन धर्म सिद्धान्त से, स्वभाव से और मूल प्रेरणा के अनुसार सार्वभौम मानव-धर्म बनने के लिये पैदा हुआ है। उस धर्म के आद्य प्रचारक में धर्मतेज था तब तक वह धर्म फैला। परन्तु साधु तपस्या बढ़ाते-बढ़ाते स्वार्थी मोक्षार्थी हुये और श्रावक तो बेचारे अनुयायी। अमुक आचारधर्म का पालन करे, शाकाहार का आग्रह रखे, यथाशक्ति दानधर्म करके छुट्टी पाये और धर्म कार्य के तौर पर साधुओं की पूजा करे, साधुओं को आश्रय दे और अपनी तपश्चर्या बढ़ाने में प्रोत्साहन दे। जिसकी तपस्या ज्यादा वह ज्यादा बड़ा साधु। उसी के वचन सुनने के लिये लोग दौड़ते हैं। और साधु भी जानते हैं कि श्रावक तो आखिर श्रावक ही रहेंगे। वे अमुक सदाचार का पालन करे वह काफी है, फिर तो खूब कमाये और सुखी रहें।

जैन धर्म का रहस्य और स्वरूप समझने वाले साधुओं के कुछ ग्रन्थ मैंने देखे हैं। वे कहते हैं—जैन धर्म में जान-पाँत को स्थान नहीं है। जान सही है, परन्तु वे उदाहरण देते हैं साधुओं के। पिछड़ी जमान के लोग भी जैन साधु बन जाये तो लोग उन्हें समान भाव से पूजते हैं। साधु ज्ञान और तपस्या में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें गुरु बनन में कोई कठिनाई नहीं है।

परन्तु, श्रावको ने जैन धर्म की यह उदारता अपने साधु लोग को ही मुबारक बखशी। अब ये साधु न विवाह करे, न कमाये, तपस्या बढ़ाते जाये, उपदेश करते जाये। उन्हें जान-पाँत से सम्बन्ध आवे तो कैम ? साधुओं में जानि का उच्च-नीच भेद नहीं है यह ठीक है, पर साधु की जाति श्रावको से ऊँची है। और, इसलिये साधुओं के अमुक अधिकार लोग को मान्य रखना ही चाहिये, इस प्रकार का आग्रह और अभिमान साधुओं में कम नहीं है।

जहाँ सभी समाज शिथिल है और मानवो की दुर्बलता तथा विकृति समान रूप से फैली है वहाँ कौन किसको दोष दे ? जहाँ-जहाँ ज्ञान, पवित्रता, कारुण्य, सेवाभाव और उदारता हो वहाँ उनकी हम कदर करें। मेरा उद्देश्य किसी भी समाज या वर्ग के गुण-दोष की चर्चा करने का है ही नहीं। मुझे इतना ही कहना है कि जैन धर्म, जो मूल में विषय-कल्याण के लिये प्रवृत्त हुआ

वह हिन्दू धर्म के बुरे असर से बशनिष्ठ बन गया है। इन्हे-गिने साधु किसी पिछड़ी कोम के दस-बीस लोगो को जैन धर्म की दीक्षा दें तो इसमें जैन धर्म ने अपना मिशन छोड़ नहीं दिया है, यह सिद्ध नहीं होता।

साधु लोग श्रावकों के सहारे जीते हैं। श्रावक रूढ़ि की कसौटी पर साधुओं के आचार को कसते हैं। परिणामतः श्रावक एवं साधु रूढ़ि में सुधार करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य के आदर्श में सुधार हो, ज्ञान में विकास हो, परिस्थिति में बदल हो, तो भी रूढ़ि का आग्रह तत्त्वतः जो कायम रखे वह समाज चाहे जितना समृद्ध हो, उसे उड़ता का ही उपासक कहना होगा। बिना रूढ़ि के सगठन नहीं हो सकता और बिना सगठन के समाज में आदर्श टिकते नहीं, यह बात सही है। परन्तु, जैसे उलझ बढनी जानी है वैसे शरीर बढता है, ज्ञान और अनुभव बढता है वैसे मन भी परिपक्व होता जाता है, उसी प्रकार जमाना बदलता है उसके अनुसार आदर्शों में भी सुधार हो और रूढ़ियाँ जड़ना का त्याग करके आवश्यक परिवर्तन समय पर करने को तैयार हो जाये। अगर ऐसा नहीं होता है तो सामाजिक-जीवन में दम्भ दाखिल हो जायेगा, धर्म निष्ठा निष्प्राण हो जायेगी और अन्त में नये और तेजस्वी तत्त्व पुराने धर्मों का तिरस्कार करके उन्हें खा डालेगे।

पश्चिम की सस्कृति अच्छी हो या बुरी जिदा है, प्राणवान है और अपना असर सर्वत्र फैलाती है। रूढ़िवादी समाज का रिवाज भी अब निश्चिन्त हुआ है। पश्चिम की ओर से कुछ नया आया कि 'वह अधार्मिक है, विकृति है कहकर उसकी निन्दा करना। उसे रोकने का प्रयत्न करने के लिये प्राणशक्ति तैयार करने की जिम्मेदारी के अभाव के कारण तटस्थता से आश्रमण को देखते रहना। वह आक्रमण घर में सर्वत्र फैल जाय तब मन का विरोध भी ढीला करना और नई वस्तु कोमजूर रखना। कालान्तर से वे ही वस्तुएँ समाज-मान्य रूढ़ियाँ बन जाती हैं और उसके लिये नया बचाव भी तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ जमाना बदलता है हम उसे बदलने नहीं। बाहर से वस्तुएँ आती हैं, हम अपनी सस्कृति के अनुसार और हमारे जीवन की जरूरत के मुताबिक कुछ नया उपजाने का पुरुषार्थ नहीं करते। पोशाक हो या घर का साज-सामान हो, जो हमारे यहाँ आता है उसको बड़बडाते या उत्साहपूर्वक स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि हम अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं। सिर्फ कमाना और जीवनानन्द लेना इतनी ही हमारी प्रवृत्ति रहती है। (अक्सर जीवनानन्द लेना आता नहीं है सो अलग बात है।)

हमारी इतनी बड़ी मस्कृति है, इतना बड़ा देश है और इतनी जबरदस्त लोकसत्ता है, पर हमारा नेतृत्व कहीं भी नहीं है ।

यदि हम अहिंसा-धर्म को मानते हैं और गांधीजी ने अहिंसा को जो व्यापक रूप दिया है उसके लिये हमें गर्व है तो हमें रूढ़ि का साम्राज्य तोड़ना चाहिये । जैन-रूढ़ि के अनुसार खाने-पीने की सुविधा हो उसी प्रदेश में जैन साधु रहे, विदेश जाये ही नहीं, तो अहिंसा धर्म का प्रचार कैसे होगा ? यदि डाक्टर कहे कि मैं तो अपनी जान को नीरोगी रखने में मानता हूँ, रोगियों का सम्पर्क मुझ नहीं चाहिये, तो उमें आप डाक्टर कहेंगे क्या ?

एक अमेरिकन अग्रजो के खिलाफ लडा और उसने अमेरिका को स्वनन्त्र किया । बाद में फ्रेंच लोगों की तकतीफे दूर करने के लिये और उस प्रजा को स्वनन्त्र करने के लिये वह फ्रान्स पहुँचा । किसी ने उसे ललकारा और पूछा, “स्वदेश छोड़कर तू यहाँ कैसे आया ? तेरा स्वदेश तो अमेरिका है न ?” उसने जो जवाब दिया वह विश्व-साहित्य में अमर हो गया है । उसने कहा, “अमेरिका मेरा स्वदेश था नहीं, परन्तु अब वहाँ पारतन्त्र्य नहीं रहा । और, मुझे तो पारतन्त्र्य के खिलाफ लडना है । इसलिये जहाँ पारतन्त्र्य हो उस देश को ही अपना स्वदेश बनाऊँगा । (My home is where liberty is not) ।

जैन धर्म में मानने वाले को—चाहे वह साधु या श्रावक—ऐसा ही कहना चाहिये कि ‘जहाँ हिंसा फैल गयी है, निर्बल लोगों की दुःखमय हालत है, निर्बल प्राणियों की हानि काई मुनता नहीं, वही मुझे दौड़ जाना है । अपने मुख का विचार किये बिना, कोई भी जोखिम उठाकर, हिंसा-तत्त्व का विरोध करता रहेंगा । अहिंसा ही मानव-धर्म है, यह बात मनुष्य-जाति को समझाते रहना ही मेरा जीवन-धर्म है ।’

महात्मा गांधी ने मनुष्य-जाति को दिखा दिया कि अहिंसा धर्म का पूरा पालन करके भी मनुष्य हिंसा के खिलाफ लड सकता है । अहिंसा में रहा हुआ आर्य समाज दुनिया के सामने प्रकट करना, यह था गांधीजी का युग-कार्य । मानवी सस्कृति में गांधीजी ने जो यह महत्त्व की वृद्धि की उस कार्य को आगे चलाने के लिये जो सारी दुनिया में हो आयें वे ही सच्चे अहिंसाधर्म हैं ।

एक बार मैं आचार्य तुलसीजी से मिला था। समाज जिस स्थिति पर है वहाँ से उसे ऊँचा उठाने के लिए सौम्य प्रारम्भ करने की दृष्टि से उन्होंने जो अणुव्रत आन्दोलन शुरू किया है उसके बारे में मेरे मन में आदर है। मैंने उनसे कहा कि “आदर्श जैन साधुओं को सलाह देना मेरा काम नहीं है। वे भले ही भारत के बाहर पैर न रखें। परन्तु जहाँ-जहाँ सत्य, अहिंसा, सयम और निष्काम सेवा की आवश्यकता है वहाँ सब तरह की कठिनाइयों बर्दाश्त करने और आवश्यकता होने पर अपने जीवन-क्रम में थोड़ा कुछ बदल करके मानव-जाति की सेवा करने वाला एक नया प्रचारक-वर्ग क्या न तैयार किया जाए ? प्रतिष्ठा में भले हों वह कम गिना जाये। भारत के बाहरी की भोगभूमि में पैर न रखने वाले उच्च कौटि के साधु के जितनी भले ही उसकी प्रतिष्ठा न हो। परन्तु अहिंसा धर्म के फैलाव के लिये एक निष्ठावान नया वर्ग क्यों न खड़ा करे, जो दुनिया में सब जगह जाय और लोगों को समझाये कि हिंसा द्वारा सर्वनाश होने जा रहा है, ऐसे समय अहिंसा-प्रधान संस्कृति का ही स्वीकार करना चाहिये।”

आचार्य तुलसीजी ने कहा, “आपकी बात सच है। मैं भी उसी दिशा में विचार कर रहा हूँ।”

आशा करता हूँ कि जैन समाज इस दिशा में तेजस्वी कदम उठायेगा और रूढ़ि में धर्मनन्व का जो दम घुटता है उससे उसे बचायेगा। पैदल चलने का अपना नियम भले ही आप न छोड़ें। परन्तु भारत में बाहर धर्म-प्रचार के लिये जैन धर्मी लोग क्यों न जायें ? इस प्रकार का एक जबरदस्त मिशन खड़ा करने का समय पक गया है। ऐसे समय किमके हाथ का खाना और किसके हाथ का नहीं खाना, किसका सहवास टालना, इस प्रकार की रूढ़ि-विचारणा छोड़ देनी चाहिये। मैं तो सारी दुनिया घूम आया हूँ। रूढ़िवादी लोग मुझ से पूछते हैं “आप ब्राह्मण हैं, हमारे हाथ का पकाया हुआ खायेगे ?” मैं उनसे कहता हूँ, “मैं शाकाहारी हूँ। मांस, मच्छी या अंडे मैं नहीं खाऊँगा। शराब भी नहीं पीऊँगा। परन्तु किसी भी जिंदा आदमी के हाथ का मुझे जरूर चलेगा।” मैं सिनोन, ब्रह्मदेश, चीन या जापान कहीं भी गया, मेहमान तो वहाँ के लोगों का ही हुआ। इन्होंने मुझे थोड़ी असुविधा सहन करनी पडती थी और मेरे यजमान को भी जरा विशेष कष्ट करना पडता था। परन्तु इसके बिना सम्बन्ध कैसे हो ? मैं मासाहारी के यहाँ भोजन करूँ, मेरी बगल में

बैठकर लोगो को मास या मछली खाते देखूँ, इस प्रकार की आदत मैंने डाली है। दुनिया मे रहना हो, सेवा करनी हो तो नफरत रखने से काम नहीं चलेगा।

रोटी-बेटी-व्यवहार की मर्यादा हमने इतनी बढ़ा दी है कि दुनिया से हम अलग हो जाते है। यही नहीं, देश के अन्दर भी जिननी जातियाँ उतने राष्ट्र, ऐसी स्थिति हमन कर डाली है। जात-पाँत का बन्धन जैनों के लिये नहीं होना चाहिये। परन्तु वह बन्धन आज सब से ज्यादा जैन श्रावको मे ही है। मैं सनातनियो को जहाँ-तहाँ कहता फिरता हूँ कि जात-पाँत के भेद अब कालग्रस्त हा गये है। उन भेदो को तोडने के बिना चारा नहीं। परस्पर अनुकूलता हो तो अपनी जाति के बाहर विवाह करे, यही खास इष्ट है। विवाह-सम्बन्ध से हम अपना सामाजिक जीवन व्यापक करते है। गाँधीजी ने इमी दृष्टि से नियम किया कि जो लोग हमारे आश्रम के वायु मण्डल से लाभ उठाकर अपने लडके-लडकिय का आश्रम मे ही विवाह करना चाह हा। उन्हें जानना चाहिये कि विवाह करने वाले युवक-युवनी भिन्न जाति के हो। (मसलन् ब्राह्मण और हरिजन) तभी उन्हें आश्रम के आशीर्वाद मिलेगे।

दूसरे के बुरे असर से हम डरे इसकी अपेक्षा अपना अच्छा असर चारो ओर फैलेगा एसी उम्मीद, ऐसा आत्मविश्वास हम अपने मे क्या न पैदा करे ?

एक बात स्पष्ट है कि जाति टिकेगी तो हिन्दू धर्म या जैन धम अब टिकने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे रूढिधर्मी ह जा कहेगे कि धर्म टिके या न टिके ज्ञानिभेद तो टिकेगा जाति ही हमारा सार-मर्बस्व है।

यथाकाल ऐमे आग्रह टट जायेगे इसमे कोई शक नहीं। परन्तु, सुधार समय पर न करेमे तो हमारी हस्ती ही मिट जायेगी। सुधार का लाभ सुधार समय पर करने मे ही है।

मैं आशा करता हू कि यहाँ आय हुये भाई-बहन अमुक सुधार के लिये अब तैयार हो ही जायेगे। दूसरे शब्दो मे कहू तो गाँधी-परिवर्तन निष्फल नहीं जायगा।

हिंसा, सघर्ष, शोषण, आक्रमण और अत्याचार से दुनिया अकुला गई है। युद्ध को ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने वाले राष्ट्र भी समझ गये है कि

हिंसा के द्वारा सर्वनाश ही होने वाला है। इस प्रकार हारी हुई दुनिया अहिंसा का आशादायी संदेश आजमाने को तैयार हुई है। हिंसा पर से उसका विश्वास उठ गया है। अहिंसा के बारे में, गांधीजी के जमाने में दुनिया की आशा बँधी। परन्तु पिछले बीस बरस में हमने अहिंसा विकास की दिशा में कोई कदम उठाया नहीं है, पुरुषार्थ आजमाया नहीं है। इसलिये अहिंसा पर दुनिया का विश्वास कायम नहीं रहता। क्या 'अहिंसा परमो धर्म' कहने वाले जैन लोग इस मौके का लाभ उठाकर अहिंसा का प्रचार करने के लिये आगे नहीं आयेगे ?¹

•

1 तारीख 19 अप्रैल, 1970 को बम्बई में महावीर जयन्ती के दिन बिया हुआ भाषण, मूल गुजराती से अनूदित।

राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर

—अद्यावधि प्रकाशित ग्रन्थ—

- | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | कल्पसूत्र सचित्र | (मूल, हिन्दी एव अग्नेजी अनुवाद तथा 36 बहुरगी चित्रो सहित) सम्पादक एव हिन्दी अनुवादक महोपाध्याय दिनपसागर, अग्नेजी अनुवादक डा० मुकुन्द लाठ | 200-00
अप्राप्त |
| 2 | राजस्थान का जैन साहित्य | (राजस्थानी विद्वानों द्वारा रचित प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिन्दी भाषा के ग्रंथ पर विविध विद्वानों के वैशिष्ट्यपूर्ण एव सारगर्भित 36 लेखों का संग्रह) | 30-00 |
| 3 | प्राकृत स्वयं शिक्षक | लेखक—डा० प्रेम सुभन जैन | 15-00 |
| 4 | आगम तीर्थ | (आगमिक प्राकृत गायाम्री का हिन्दी पद्यानुवाद)
अनु० डा० हरिराम आचार्य | 10-00 |
| 5 | स्मरण कला | (अवधान कला सम्बन्धित प० धीरजलाल टो० शाह लिखित गुजराती पुस्तक का हिन्दी अनुवाद)
अनु० मोहन मुनि शार्दूल | 15-00 |
| 6 | जैनागम द्विदर्शन | (45 जैनागमों का संक्षिप्त सजिल्द परिचय)
ले० डा० मुनि नगराजजी | 20-00
सामान्य 16-00 |
| 7 | जैन कहानियाँ | ले० उपाध्याय महेंद्र मुनि | 4- 0 |
| 8 | जाति स्मरण ज्ञान | ले० उपाध्याय महेंद्र मुनि | 3-00 |
| 9 | हाफ ए टैल (अर्धकथानक) | (कवि बनारसीदास रचित स्वात्म-अर्धकथानक का अग्नेजी भाषा में अनुवाद, आलोचनात्मक अध्ययन एव रेखा चित्रा सहित) सम्पादक एव अनुवादक डा० मुकुन्द लाठ | 150-00 |

10	गणधरवाद	(दलमुखभाई मालवणिया लिखित गुजराती गणधरवाद का हिन्दी अनुवाद) अनु० प्रो० पृथ्वीराज जैन सम्पादक—महोपाध्याय विनयसागर	50-00
11	जैन इन्सक्रिप्सन्स आफ राजस्थान	(राजस्थान के प्राचीन, ऐतिहासिक एव वैशिष्ट्यपूर्ण जैन शिलालेखा, मूर्तिलेखों का परिचयात्मक वर्णन) ले० रामवत्सल सोमानी	70 00
12	एग्जेक्ट सायन्स फ्रोम जैन सोर्सिज पाटं I, बेसिक मेथेमेटिक्स	ले० प्रो० लक्ष्मीचन्द जैन	15 00
13	प्राकृत काव्य मञ्जरी	ले० डा० प्रेम सुमन जैन	15 00
14	महाधीर का जीवन सन्देश युग के सन्दर्भ में	आचार्य काका कालेलकर	20 00
15	जैन पोलिटिकल थोट	डॉ० जी० सी० पाण्डे	25 00
16,	स्टडीज् आफ जैनियम	डॉ० टी० जी० कलघटगी	35 00
17	जैन बौद्ध और गीता का साधना मार्ग	डॉ० सागरमल जैन	
18	जैन बौद्ध और गीता का समाज दर्शन	डॉ० सागरमल जैन	

१ एक हजार रुपये में अधिक प्रकाशन खरीदने पर ४०% कमीशन और मस्थान के प्रकाशन का पूरा सेट खरीदने पर ३०% दिया जाता है।

२ डाक-व्यय एवं पैकिंग व्यय पृथक् में होगा।

प्राप्ति स्थान

राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान,

यति श्यामलालजी का उपासरा,

मोतीमिह भोमिया का रास्ता, जयपुर-३

पिन कोड नम्बर—३०२ ००३

